वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

Annual Report 2015-16

बैंक–वंचितों, बैंक विहीन क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए बैंकिंग

Including the excluded - Banking for the unbanked

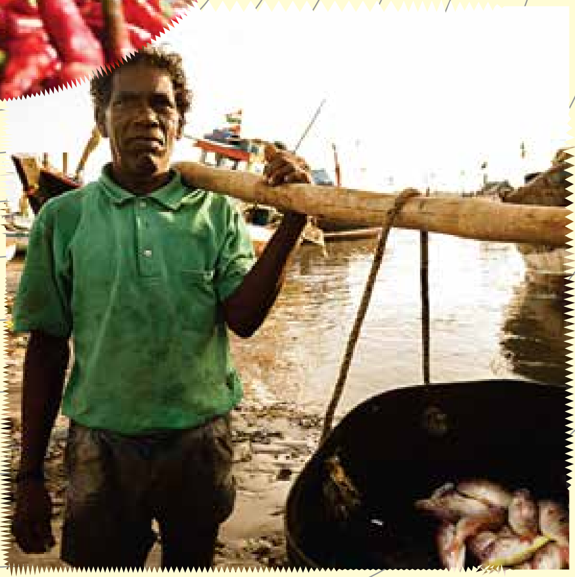

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.centralbankofindia.co.in

हमें फेसबुक पर लाइक करें:
Like us on facebook: https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai

हमें ट्विटर पर फॉलो करें:
Follow us on twitter: https://twitter.com/centralbank_in

सफलता के सोपान

'लोगो' किसी भी संगठन के वैशिष्ट्य को समाहित करता है और बाहरी दुनिया के समक्ष इसे प्रतिबिम्बित करता है. उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र स्वरुप भी वर्ष-दर-वर्ष रुपांतरित होता रहा है, जो समय के साथ सामंजस्य बनाये रखने की इसकी क्षमता का सूचक है.

THE MARK OF SUCCESS

The logo captures the personality of an organization and projects it to the outside world. In keeping with the shifting paradigms and the evolving Indian Economy, Central Bank of India's personality has also morphed through the years to represent the Bank's ability to keep up with the times.

1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का शानदार बाह्य स्वरुप दर्शाने वाला यह 'लोगो' विश्वसनीयता और मजबूती को चित्रित करता है.

Logo in the form of magnificent Central Bank of India building structure depicted dependability and solidity.

1956

बैंक की पहचान दर्शाने वाले आद्याक्षरों को चित्रित करने के लिए 'लोगो' को संशोधित किया गया.

Logo was revised to depict its initials identifi able with the Bank

1973

'लोगो' को नया बनाया गया, जिससे और अधिक कॉर्पोरेट एवं सम-सामायिक छवि प्रस्तुत की जा सके.

Logo was given a make-over to give it a more corporate and contemporary look.

1982

'लोगो' में पट्टियों सहित चार वर्ग व्यक्ति, वित्त, उद्योग एवं राष्ट्र के बीच परस्पर प्रभावी अंतर्सम्बंधों को उजागर करते हुए बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को प्रतिबिम्बित करता है.

The four Squares in the logo with bars that represent the Man, Finance, Industry and Nation evolving their two way effective interrelationship reflects the services rendered by the bank and its role in the economy.

विषय–सूची / Contents

अध्यक्ष एवं प्रबंध का संदेश	02
निदेशक मंडल / Board of Directors	04
नोटिस	06
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	14
निदेशक रिपोर्ट 2015-16	15
प्रबंधतंत्र विचार - विमर्श तथा विश्लेषण	19
कॉर्पोरेट गवर्नेंस	48
सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	67
दिनांक 31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र	69
दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	71
तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते की अनुचूचियां	73
मुख्य लेखांकन नीतियां	81
लेखों से सम्बन्धित टिप्पणियां	86
दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी	112
दिनांक 31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन पत्र	158
प्रॉक्सी फॉर्म	185
Chairman & Managing Director's Message	187
Notice	189
Performance Highlights	197
Director's Report 2015-16	198
Management Discussion & Analysis	202
Corporate Governance	231
Auditors' Report to the Members	249
Balance Sheet as on 31 March, 2016	251
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2016	253
Scheduled to Balance Sheet and Profit & Loss Account	255
Principal Accounting Policies	261
Notes Forming Part of the Accounts	266
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016	292
Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2016	338
Proxy Form	365
Attendance Form / Entry Form	367

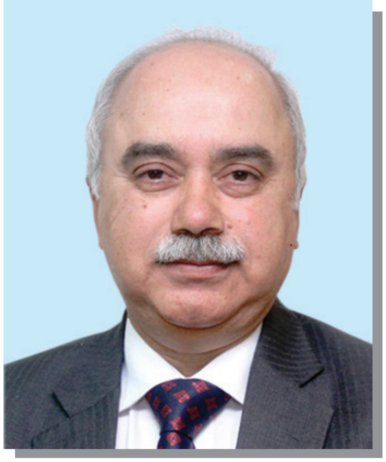

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

वित्तीय वर्ष 2015-16, बैंक के लिए सुदृढीकरण के साथ-साथ चुनौतियों भरा वर्ष रहा है. हमारी संवृद्धि संतुलित रही,जो बाजार परिदृश्य के अनुरूप थी. बैंक ने कृषि, एसएमई एवं रिटेल अग्रिमों जैसे व्यवसाय सेग्मेंट पर अपना ध्यान केन्द्रित किया, जिसने इस वर्ष के दौरान परिणाम देना शुरू कर दिया है.

वर्ष 2015-16 में वैश्विक अर्थव्यवस्था से मंदी के संकेत मिलना जारी रहा. वर्ष 2015 की अंतिम तिमाही में यूएस अर्थव्यवस्था की 1% की मंद संवृद्धि, मुख्य रूप से जर्मनी एवं फ्रांस में अल्प संवृद्धि की वजह से यूरोज़ोन में केवल 0.3% की संवृद्धि तथा आकुंचित जापानी अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था के निराशाजनक प्रवृत्ति के संकेतक हैं.

निराशाजनक बाह्य आर्थिक परिवेश एवं लगातार खराब मानसून के बावजूद,भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्थिति को संतोषप्रद रखा. मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल एवं अन्य जिंस कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)-नई सिरीज़ मुद्रास्फीति लगभग 5.50% रही और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) ऋणात्मक रहा है. चालू खाता घाटे की स्थिति समाधानकारक रही है. विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि जिस स्तर तक पहुंची है,वह रिज़र्व पर्याप्तता मानदंड से काफी अधिक है. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीतिगत पहल जैसे उदय योजना के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, मेक-इन-इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन इत्यादि से निश्चित ही हमारी आर्थिक संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा.

भारत में बैंक, विशेषतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उल्लिखित आशाजनक संकेतों के बावजूद,आर्थिक मंदी की निरंतर मार झेल रहे हैं. आस्ति गुणवत्ता चिंता का प्रमुख कारण बना हुआ है.

अपनी शाखाओं एवं एटीएम के विशाल नेटवर्क के माध्यम से हमारे बैंक ने अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति को रेखांकित करते हुए, यथार्थ व्यावसायिक लक्ष्य और कार्यनीतियां निर्धारित की है, जो निश्चित रूप से देश की सकारात्मक आर्थिक संकेतकों पर हमें खरा उतरने में सक्षम बनाएगा.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक का व्यवसाय वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु.4,50,539 करोड़ से बढ़कर रु. 4,56,337 करोड़ हो गया, इसमें वर्ष-दर-वर्ष 1.29% की वृद्धि दर्ज हुई. बैंक की जमाराशि 4.15% बढ़ गई, तथापि, ऋण में 2.47% की कमी हुई. कुल जमाराशि में कासा की हिस्सेदारी का प्रतिशत 35.48% रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में यह 34.05% था. व्यवसाय में लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए, **उच्च लागत जमाराशि को** चरणबद्ध रूप से काफी हद तक कम किया गया है. मार्च 2016 को कुल जमाओं के समानुपात में उच्च लागत जमाओं का हिस्सा 5.56% तक कम कर दिया गया है, जबकि मार्च 2015 में यह 10.73% के उच्च स्तर पर थी. समेकित कोर जमा की संवृद्धि में यह 10.19% से स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती है.

बैंक का परिचालन लाभ, वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु. 3559 करोड़ से घटकर रु.2643 करोड़ हो गया. साथ ही, बैंक ने पिछले वर्ष के रु.606 करोड़ के शुद्ध लाभ के समक्ष रु.1418 करोड़ की शुद्ध हानि दर्ज की है.

बैंक की जमा लागत वित्तीय वर्ष 2014-15 के 7.22% से घटकर 6.86% रह गई, बैंक की शुद्ध ब्याज आय, वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु.7247 करोड़ से घटकर, रु.7066 करोड़ हो गई, इसमें 2.50% की कमी दर्ज हुई. बैंक की शुल्क आधारित आय अथवा अन्य आय, वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु.1894 करोड़ बढ़कर रु.1939 करोड़ हो गई.

आस्ति गुणवत्ता, बैंक के लिए पिछले कुछ वर्षों से चिंता का विषय रहा है. सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2014-15 के 6.09% से बढ़कर 11.95% हो गया और शुद्ध अग्रिम की तुलना में शुद्ध एनपीए का प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2014-15 के 3.61% से बढ़कर 7.36% हो गया. कुछ क्षेत्रों; जैसे बुनियादी क्षेत्र, वस्त्रोद्योग, खनिज एवं लौह, अभियांत्रिकी एवं विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण इत्यादि में दबाव के कारण हुआ. आपका बैंक, एनपीए प्रबंधन के संबंध में पूर्व-सक्रिय रहा है और एनपीए स्तर को कम करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है.

बैंक, अर्थव्यवस्था के 'अंतिम पायदान" तक पहुंचने के लिए, विभिन्न वित्तीय समावेशन पहल के माध्यमों से समग्र संवृद्धि के मिशन में पूरी तरह से जुड़ा है. विभिन्न जिलों में सरकार के **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)** कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है, इसमें से हम 7 राज्यों के 51 जिलों में अग्रणी बैंक हैं. वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन जिलों में और नए जिलों में और अधिक प्रगति की जाएगी. यह कार्यक्रम बैंक के लिए और अधिक कासा जमा-संग्रहण तथा ऋण विस्तार का मार्ग प्रशस्त करता है. साथ ही, बैंक ने 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना" को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है और दिनांक 31 मार्च, 2016 को 74.18 लाख खाते खोले हैं.

मार्च 2016 को अपनी 4728 शाखाओं का यह बैंक, जिसकी 2/3 शाखाएं ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएं हैं, अपनी पहचान **रिटेल बैंक** के रूप में बनाए रखेगा. आपका बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि रिटेल एवं प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो अब तक की तुलना में और अधिक तेजी से विकास करे.

बैंक की दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है.

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

राजीव ऋषि

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2016

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

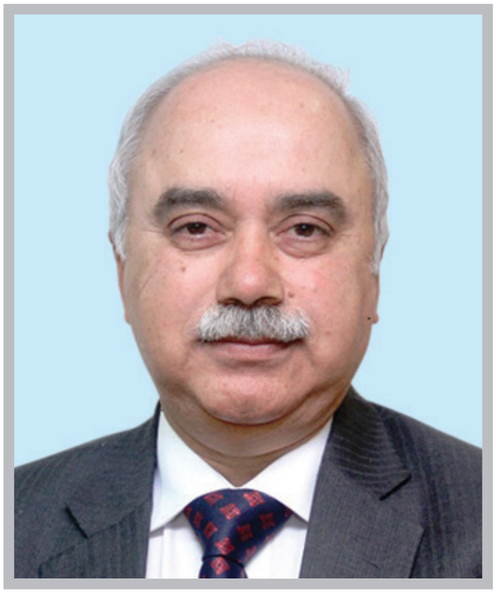

श्री राजीव ऋषि
Shri RAJEEV RISHI
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

श्री आर. के. गोयल
Shri R.K. GOYAL
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

श्री बी. के. दिवाकर
Shri B.K. DIVAKARA
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

डॉ. आर. सी. लोढ़ा
Dr. R.C. LODHA
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

डॉ. सौरभ गर्ग
Dr. SAURABH GARG
भारत सरकार नामित निदेशक
Govt. of India Nominee Director

श्री शेखर भटनागर
Shri SHEKHAR BHATNAGAR
आरबीआई नामित निदेशक
RBI Nominee Director

श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
Shri SUPRATIM BANDYOPADHYAY
गैर-सरकारी निदेशक
Non-Offcial Director

श्री केतुल आर. पटेल
Shri KETUL R. PATEL
गैर-सरकारी निदेशक
Non-Offcial Director

श्रीमती एन. एस. रत्नप्रभा
Shri N. S. RATANAPRABHA
गैर-सरकारी निदेशक
Non-Offcial Director

श्री एस. बी. रोडे
Shri S.B. RODE
अधिकारी कर्मचारी निदेशक
Officer Employee Director

श्री गुरबख्श कुमार जोशी
Shri GURBAX KUMAR JOSHI
कर्मकार कर्मचारी निदेशक
Workmen Employee Director

सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार, दिनांक 30 जून 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय की 9वीं मंजिल में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1) दिनांक 31 मार्च 2016 को बैंक की लेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की स्टैण्डअलोन एवं समेकित लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.

2) **एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना.**

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधनो के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (''योजना"") एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित, के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तो एवं संशोधनों, जिन पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतदद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे 'बोर्ड" कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 3000/- करोड़ (रुपए तीन हजार करोड़) (प्रीमियम, यदि हो, सहित) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (''सेबी आईसीडीआर विनियम'') के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयांतरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण), 2000, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड(एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें संयुक्त रूप से (''सक्षम प्राधिकारी"" के तौर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों,

अनुमतियों और/ अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें ''आवश्यक अनुमोदन कहा गया है'') निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक श्रृंखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनिमय योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में यथानिबंधित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (सेबी आईसीडीआर के अध्याय VIII में यथा परिभाषित) को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पुंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम हो.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि**"" सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार अर्हतापात्र संस्थागत नियोजन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा.

बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक विनियमों के अनुरुप निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5% की छूट पर शेयर, प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए.""

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथालागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा.""

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** कथित नए इक्विटी शेयर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के अधीन जारी किए जाएंगे और वे सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समान माने जाएंगे और वे घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई हो, के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो उनकी घोषणा के समय प्रचलित हैं, के लिए पात्र होंगे.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु, निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले निर्गम पर प्रीमियम सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के नियमों को निर्धारित करने के लिए, निदेशक मंडल एतदद्वारा प्राधिकृत है और रहेगा तथा उन सभी कार्यों, विलेखों व मामलों को करने तथा उन सभी विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों, जो इसके संपूर्ण विवेकाधिकारों में आवश्यक उचित अथवा वांछित हों, का निष्पादन करने तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम आबंटन एवं निर्गम प्राप्तियों के उपयोग के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का प्रश्न, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान करने तथा सदस्यों के और अधिक अनुमोदन के बिना, बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने संपूर्ण विवेक में उचित एवं आवश्यक समझे जाने के अनुरूप उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, समापनों, जुड़ावों को प्रभावी करने तथा इस प्रस्ताव के द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निदेशक मंडल एतदद्वारा किसी भी बुक-रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(रियों), पंजीयक(कों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेन्सियों, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित अथवा शामिल हैं, के साथ ऐसे सभी ठहरावों को करने एवं उनके निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और रहेगा तथा ऐसे सभी संस्थानों एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा इसी प्रकार की अन्य मदों हेतु पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेन्सियों के साथ ऐसे सभी ठहरावों, अनुबंधों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन करने के लिए निदेशक मंडल प्राधिकृत है और रहेगा.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं/ अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर एतदद्वारा निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर्स/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई है), अंकित मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/वारंट के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयर्स एवं अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड अथवा बही बंदी की तिथि का निर्धारण तथा अन्य सम्बंधित अथवा प्रासंगिक मामले, भारत एवं/अथवा विदेश में एक अथवा एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, निदेशक मंडल जो भी अपने संपूर्ण विवेकाधीन उचित समझे, सहित निर्गम(मों) का स्वरूप एवं नियमों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है और रहेगा.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** इस तरह के उन शेयर्स/प्रतिभूतियों, जो अभिदत्त न हों, को निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अंतर्गत उस प्रकार से, जैसा निदेशक मंडल उचित समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के अनुसार निपटान कर सकेगा.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टत: उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.''

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : मुंबई **(ए. के. दास)**

दिनांक : 27.05.2016 **सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/**

कंपनी सचिव

नोट :

1. **व्याख्यात्मक विवरणी**

   बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.

2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

   बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते /सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

   प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 24 जून, 2016 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस शनिवार, 25 जून, 2016 को छुट्टी है.

4. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

   किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 24 जून, 2016 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस शनिवार, 25 जून, 2016 को छुट्टी है.

5. **बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.**

6. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास**

   शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में ''प्रॉक्सी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि"" जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहिचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

7. **शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :**

   बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 25 जून, 2016 (शनिवार) से दिनांक 30 जून, 2016 (गुरुवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.

8. **मतदान का अधिकार**

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हक़दार नहीं होगा / होगी.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रुप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

9. **संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग**

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

10. **शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं.**

11.1 **भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :**

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अत: शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि. साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

तथापि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें.

- बैंक का नाम
- शाखा का पता
- बैंक खाता संख्या
- शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पन्ने की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए.

11.2 **डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :**

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरीज़ के पास दर्ज कराए गए पते पर ही लाभांश वारंट (डी.डब्लू.) के द्वारा भेजे गए हैं.

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

12. **अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:**

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो उसे निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करना अनिवार्य होता है और **तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.**

13. **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग**

I. कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में बैंक, वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

(i) **रिमोट ई-वोटिंग समयावधि सोमवार दिनांक 27 जून 2016 को प्रात:10:00 बजे से प्रारंभ हो कर बुधवार दिनांक 29 जून 2016 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान शुक्रवार दिनांक 24 जून 2015 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हों अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.**

(ii) शेयर धारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.

(iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.

(iv) अब अपना यूजर आईडी डालें

ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी

सी. भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करें.

(v) इसके पश्चात प्रदर्शित की गयी सत्यापन छवि को एंटर कर लॉग इन पर क्लिक करें.

(vi) यदि आपके पास शेयर्स डीमेट रूप में हैं एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है एवं पूर्व में आपने किसी कंपनी / संगठन में वोटिंग की है तब आपके वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाए.

(vii) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

	डी मेट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय अल्फान्यूमेरिक पैन एंटर करें. (डीमेट शेयरधारकों के साथ साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) ● वे सदस्य जिन्होंने बैंक / निक्षेपागार सहभागी में अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में अपने नाम के प्रथम दो अक्षर एवं सीक्वेन्स नंबर के 8 अंकों का प्रयोग करें. ● सीक्वेंन्स नंबर 8 अंकों से कम होने की स्थिति में, नाम के प्रथम दो अक्षरों को कैपिटल अक्षरों में लिखने के पश्चात यथोचित संख्या में 0 लिखें, अर्थात यदि आपका नाम Ramesh Kumar है एवं सीक्वेन्स नंबर 1 है तब पैन फील्ड में RA 00000001 डालें.
लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमेट खाते अथवा लॉग-इन करने के लिए बैंक के रिकार्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें. यदि वे विवरण बैंक अथवा निक्षेपागार में अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण अनुदेश (iv) में किए उल्लेख के अनुसार सदस्य आई डी / फोलियो नंबर में प्रविष्ट करें.

(viii) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्ट करने के पश्चात, ''सबमिट'''' टैब पर क्लिक करें.

(ix) तब ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा. तथापि वे सदस्य, जिनके शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं वे ''पासवर्ड क्रिएशन"" मेन्यु में पहुंचेंगे जहां उन्हें नये पास वर्ड फील्ड में अनिवार्यत: लॉग इन पासवर्ड एंटर करना होगा. कृपया नोट करें कि डीमेट शेयर धारकों द्वारा इस पासवर्डका उपयोग अन्य संस्था/कंपनी में, यदि मतदान के लिए पात्र हों, तो वहां भी संकल्पों की वोटिंग के लिए वे इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगें, बशर्ते कि कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें.

(x) भौतिक स्वरूप में शेयरधारित करने वाले सदस्य, अपने विवरण, सिर्फ इस सूचना में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए ही कर सकते हैं.

(xi) संबंधित कंपनी का नाम जिस पर आप वोट करना चाहते हों के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें.

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको ''संकल्प विवरण"" एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए हां / नहीं का विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं के विकल्प का चयन करें. हां का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति दर्शाता है एवं नहीं का विकल्प आपकी असहमति दर्शाता है.

(xiii) यदि आप संकल्प का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हों तो 'रिजोल्यूशन्स फाइल" लिंक पर क्लिक करें.

(xiv) 'रिजोल्यूशन" का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, ''सबमिट"" पर क्लिक करें. एक कन्फरमेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ''ओ के"" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु कैंसिल पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.

(xv) संकल्प पर एक बार अपना वोट कन्फर्म करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.

(xvi) आप वोटिंग पृष्ठ पर ''प्रिंट करने के लिए यहां क्लिक करें"" विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिन्ट ले सकते हैं.

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल जाता है तब यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन एंटर कर ''फॉरगॉट पासवर्ड"" पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा दिये गये विवरण को एंटर करें.

(xviii) **गैर वैयक्तिक शेयरधारक एवं अभिरक्षकों के लिए नोट**

- गैर वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगइन कर अपने आपको कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत करना आवश्यक है.
- पंजीकरण फार्म पर संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उसकी एक स्कैन प्रति helpdesk.evotingindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए.
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन प्रयोगकर्ता निर्मित किया जाना चाहिए. अनुपालनकर्ता उपयोगकर्ता उन खातों का लिंक देने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक है.
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे वोट करने सक्षम होंगे.
- बोर्ड के संकल्प एवं मुख्तारनामा जिसे अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया गया है, जांचकर्ता द्वारा जांचने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए.

(xix) ई- वोटिंग के मामले में यदि आपकी कोई शंका अथवा मुद्दा है, तो आप वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई-वोटिंग के मेन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं.

II कट-ऑफ तारीख दिनांक 24 जून 2015 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरधारकों के शेयरों के अनुपात में उनके वोटिंग अधिकार होंगे. तथापि, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.

III एक व्यक्ति, जिनका नाम सदस्यों के पंजीकरण में अथवा जमाकर्ता द्वारा सम्पोषित लाभार्थी स्वामी के पंजीकरण में रिकार्ड किया गया है, कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 24 जून, 2016 को एजीएम में रिमोर्ट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग/पूल की सुविधा के लिए पात्र होंगे.

IV कोई व्यक्ति जो बैंठक की सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 24 जून, 2016 को शेयर धारण करते है, उपरोक्त दिए अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते है.

V इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.

VI ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु ईजेडवाई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट्स एवं कॉर्पोरेट लीगल एडवाजर को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

VII जांचकर्ता, न्यूनतम दो (2) गवाहों जो बैंक के रोजगार में न हों, की उपस्थिति ई-वोटिंग की अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवस से अनधिक अवधि के भीतर मतों को अनब्लॉक कर सकेंगे, जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं और मतों की जांच रिपोर्ट, चाहे वह पक्ष अथवा विरूद्ध जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाएगी.

VIII जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प पारित करने के 2 दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.

व्याख्यात्मक विवरणी

एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

बासेल III के विनियमन के अनुसार, बैंक को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक सामान्य इक्विटी टीयर - 1 (सीईटी - 1) अनुपात न्यूनतम 5.5% एवं ईक्विटी पूंजी के रूप में 1.25% की पूंजी संरक्षण टियर 1 अनुपात 8.25% एवं समग्र सीआरएआर 10.25% बनाए रखना आवश्यक है. बासेल III की आवश्यकताओं को पूर्ण करने, बैंक की भावी विस्तार योजनाओं एवं तत्परिणामी पूंजी प्रभार, के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए, अपनी पूंजी में वृद्धि करना आवश्यक है.

अनुमानित वृद्धि के आधार पर, आपके निदेशकों ने रु. 3000 करोड़ (रुपये तीन हजार करोड़) तक की ईक्विटी पूंजी जुटाने करने का निर्णय लिया है एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों एवं सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों सहित सभी लागू विनियमों के अधीन बैंक, ईक्विटी पूंजी उगाही विकल्पों यथा सार्वजनिक निर्गमों (अर्थात अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/अथवा अधिकार निर्गम और/अथवा निजी प्लेसमेंट और/अथवा आर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट्स और/अथवा अन्य किसी माध्यम का उपयोग कर सकता है.

यह विशेष संकल्प बोर्ड को एक या एकाधिक श्रृंखला में उस कीमत अथवा कीमतों तथा ऐसे समय अथवा समयांतरों एवं ऐसे निवेशकों को, जैसा बोर्ड अपने विवेक से उचित समझे, उसके अनुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करने की शक्ति चाहता है. ईक्विटी शेयर्स के जारीकरण के विस्तृत नियम एवं शर्तें जब भी बनाए जाएंगे तब उन्हें बोर्ड द्वारा बाजार की प्रचलित स्थिति तथा अन्य संबद्ध घटकों पर ध्यान देते हुए बैंक के विचार से आवश्यक समझे जाने वाले मर्चेंट बैंकर्स, लीड प्रबंधकों, सलाहकारों एवं ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श निर्धारित किया जाएगा.

अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट के माध्यम से उपरोक्तानुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

i. ईक्विटी शेयर्स के कीमत निर्धारित के प्रयोजन से संगत तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों के अध्याय VIII और/अथवा लागू अन्य विनियमों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में सदस्यों के अनुमोदन की प्राप्ति एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत तत्पश्चात आयोजित उस बैठक की तारीख होगी जिसमें बोर्ड अथवा पूंजी उगाही समिति इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का निर्णय लिया जाता है.

ii. चूंकि शेयर प्रस्ताव का कीमत निर्धारण बाद के चरणों से पूर्व नहीं किया जा सकता अत: जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत व्यक्त करना सम्भव नहीं है. तथापि, यह समय समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एण्ड मीटिंग्स) विनियम, 1998 अथवा अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमतियों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, जो लागू हों अथवा अपेक्षित हों.

iii. पूर्ण दत्त शेयरों का निर्गमन एवं आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के निहितार्थ में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को ही किया जाएगा और इनका आबंटन, उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 12 महीने के अन्दर किया जाएगा.

iv. प्रस्ताव के विस्तृत नियम एवं शर्तें बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्शकों, अग्रणी प्रबन्धकों एवं हामीदारों और अन्य वांछित ऐसे प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर तय किए जाएंगे.

v. प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तो के अनुसार, अतिआबंटन, यदि कोई हो, को मिलाकर इस प्रकार जुटाना गई कुल राशि पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शित बैंक की निवल मालियत के 5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए.

vi. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों द्वारा समय समय पर दी गई अनुमति के अलावा ये बिना प्रतिभूतियां इनके आबंटन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक अंतरण/विक्रय किए जाने के पात्र नहीं होंगी.

vii. आबंटित इक्विटी शेयर डिविडेंड सहित हर प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों समकक्ष होंगे.

आपके निदेशकगण इस कार्य सूची के नोटिस में यथा-उल्लेखित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

बैंक के निदेशकगण को बैंक में उनकी वैयक्तिक क्षमता में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक इस संकल्प हेतु सम्बद्ध एवं इच्छुक माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: मुंबई **(ए. के. दास)**

दिनांक: 27.05.2016 **सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/**

कंपनी सचिव

कुल व्यवसाय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16
कुल व्यवसाय	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,337
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%
कुल जमा	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%
कुल ऋण एवं अग्रिम	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)
निवेश	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)
सीडी अनुपात	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29	71.44
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)

लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16
सकल आय	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,826
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)
सकल व्यय	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%
परिचालन लाभ	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3559	2643
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.74%)
शुद्ध लाभ	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1418)
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	-
निम (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.75
शुद्ध ब्याज आय	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,066
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.50%)
गैर-ब्याज आय	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,939
गैर-ब्याज आय		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.38

निदेशक रिपोर्ट 2015-16

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है.

1. कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

- बैंक का कुल व्यवसाय रु. 5798 करोड़ की वृद्धि के साथ रु. 456337 करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष रु. 450539 करोड था. यह वर्ष दर वर्ष आधार पर 1.29% की वृद्धि दर्शाता है.
- कुल जमा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु. 10612 करोड़ की वृद्धि के साथ रु. 266184 करोड़ हो गई, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.15% की वृद्धि दर्शाता है.
- बैंक का कुल अग्रिम रु. 4815 करोड़ घटकर रु. 190152 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.47% की कमी दर्शाता है.
- परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु. 3559 करोड़ से घटकर रु. 2643 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 25.74% की कमी दर्शाता है.
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु. 1418 करोड़ की शुद्ध हानि हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु. 606 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था.
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-II के अंतर्गत) 11.07 प्रतिशत रहा. जिसमें टियर-I की हिस्सेदारी 7.44 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह 11.89 प्रतिशत था. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III के अंतर्गत) 10.41 प्रतिशत रहा, जिसमें टियर-I की हिस्सेदारी 8.20 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह 10.90 प्रतिशत था.
- शुद्ध मालियत रु. 15643 करोड़ से रु. 14921.76 करोड़ हो गई.
- बैंक का सकल एनपीए पिछले वर्ष के रु. 11873 करोड़ में रु. 10848 करोड़ की वृद्धि के साथ, रु. 22721 करोड़ हो गया. प्रतिशत रूप में, सकल एनपीए 11.95% रहा है.
- शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के रु. 6807 करोड़ से बढ़कर रु. 13242 करोड़ हो गया. प्रतिशत रूप में, शुद्ध एनपीए 7.36% रहा है.
- प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2016 में 51.52% रहा है.
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (निम) वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.75% रहा है.
- प्रति कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के रु. 1138 लाख से बढ़कर रु. 1195 लाख हो गया.
- वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (0.48) प्रतिशत है.
- प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई तथा पिछले वर्ष के रु. 75997 करोड़ से बढ़कर यह रु. 83030 करोड़ हो गया.
- बैंक के कृषि अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.44 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई. वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु. 35,957 करोड़ से बढ़कर यह रु. 36833 करोड़ हो गया.
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) ऋण पिछले वर्ष के रु. 26503 करोड़ से बढ़कर रु. 27800 करोड़ हो गया.
- वर्ष के दौरान, शिक्षा ऋण 8.72 प्रतिशत बढ़कर, कुल रु.3742 करोड़ हो गया.
- बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) में स्थापित किए हैं. वर्ष 2015-16 के दौरान, आरसेटी ने 1050 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 28244 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है. इनमें से 18926 (अर्थात 67%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते एवं स्व-वित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है.
- बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2016 तक 3 राज्यों के 47 जिलों में 1629 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं.
- बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 4330 गांवों तथा 2000 से कम की जनसंख्या वाले 18376 गांवों को कवर किया है. बैंक ने ये सभी गांव 6387 बीसी एजेन्ट के माध्यम से कवर किए हैं. हमने एनसीआर एवं भोपाला क्षेत्र में 41 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र खोले हैं. बैंक ने अपनी सभी 3677 अति सूक्ष्म शाखाओं को 1427 आधार शाखाओं से सम्बद्ध कर खोला है. बैंक ने अपने बीसी

एजेन्टों और शाखाओं के माध्यम से 157.26 लाख बेसिक सेविंग बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले हैं. दिनांक 31 मार्च, 2016 को इन खातों में कुल जमा शेष रु.1277.92 करोड़ है.

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत, हमारे बैंक ने 74.18 लाख बीएसबीडी खाते खोले हैं और इनमें रु. 870.60 करोड़ की जमा के साथ अपना व्यवसाय बढ़ाया है.
- बैंक का कॉर्पोरेट ऋण पिछले वर्ष के रु 97,568 करोड़ से घटकर रु. 87,014 करोड़ हो गया. इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई.
- रिटेल ऋण 10.21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु.38,505 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में यह रु.34,939 करोड़ था.
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में, बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय रु. 19.48 करोड़ हुई.
- दिनांक 31 मार्च, 2016 को पूरे देश में बैंक के नेटवर्क में 4728 शाखाएं, 3677 अति-सूक्ष्म शाखाएं (यूएसबी), 5254 एटीएम, 29 सेटेलाइट कार्यालय एवं 4 विस्तार पटल हैं.

2. **आय एवं व्यय**

वर्ष 2015-16 की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :

रु. करोड़ में

		31.03.2016	31.03.2015	विचलन	%
1	ब्याज आय	25888	26409	- 521	- 1.97
	-अग्रिम	18978	19517	- 539	- 2.76
	-निवेश	6474	6707	- 233	- 3.47
	-अन्य	436	185	251	135.68
2	अन्य आय	1939	1894	45	2.38
3	कुल आय (1+2)	27826	28303	- 477	- 1.69
4	प्रदत्त ब्याज	18822	19162	-340	-1.77
	-जमाराशियां	17653	17520	133	0.76
	-अन्य	1169	1642	- 473	- 28.81
5	परिचालन व्यय	6361	5582	779	13.96
	-स्थापना	4465	3825	640	16.73
	-अन्य	1896	1757	139	7.91
6	कुल व्यय (4ε5)	25183	24744	439	1.77
7	स्प्रैड (1-4)	7066	7247	- 181	- 2.50
8	परिचालन लाभ (3-6)	2643	3559	- 916	- 25.74
9	प्रावधान - एनपीए/निवेश/अन्य	5313	2669	2643	99.03
10	कर के लिए प्रावधान	(1252)	284	(968)	(340.85)
11	शुद्ध लाभ	(1418)	606	(812)	(134)

- वर्ष के दौरान, ब्याज आय में 1.97 प्रतिशत की कमी हुई.
- जमाओं पर प्रदत्त, ब्याज 0.76 प्रतिशत बढ़कर, मार्च 2016 में रु. 17653 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष रु. 17520 करोड़ था.
- वर्ष के दौरान, कर्मचारियों पर व्यय रु. 640 करोड़ बढ़कर रु. 4465 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह रु. 3825 करोड़ था.

3. **प्रावधान**

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित रु. 4061 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

	31.03.2016	31.03.2015	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	316	39	277
एनपीए के लिए प्रावधान	3828	2610	1218
निवेश पर मूल्यह्रास/प्रावधान	849	(21)	828
करों के लिए प्रावधान	(1252)	284	(968)
अन्य	320	41	279
कुल	**4061**	**2953**	**1108**

4. **लाभप्रदता अनुपात**

(प्रतिशत में)

	31.03.2016	31.03.2015
जमाओं की लागत	6.86	7.22
निधियों की लागत	6.95	7.34
अग्रिमों पर आय	10.09	10.75
निवेशों पर आय	8.14	8.22
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.75	2.79
लागत आय अनुपात	70.65	61.07

5. **बैंकिंग अनुपात**

(प्रतिशत में)

	2015-16	2014-15
ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	8.85	9.29
गैर-ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.66	0.67
परिचालन लाभ एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.90	1.25
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	-0.48	0.21
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु. लाख में)	11.95	11.38
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु. लाख में)	(3.76)	1.53

6. **पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)**

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार हैं :

	31.03.2016		31.03.2015	
	बासल-II	बासल-III	बासल-II	बासल-III
टियर-ट	7.44	8.20	8.46	8.05
टियर-टट	3.63	2.21	3.43	2.85
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.07	10.41	11.89	10.90

7. **शुद्ध हानि**

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को रु. 1418 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर कोई लाभांश न देने की संस्तुति की है.

8. **वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- श्री एम.पी शोरावाला, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक, के दिनांक 02.01.2016 को कार्य समय की समाप्ति पर अपना तीन वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर कार्य निवृत्त हुए.
- श्री कृष्ण सेठी, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक, के दिनांक 27.02.2016 को कार्य समय की समाप्ति पर अपना तीन वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर कार्य निवृत्त हुए.

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के निदेशक पद से निवृत्त हुए श्री एम.पी.शोरावाला, श्री कृष्ण सेठी, द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है.

9. **पर्दाफाश नीति**

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है. बैंक का ''सेंट विजिल'' नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ मुख्य सतर्कता अधिकारी को ही ज्ञात होती है. निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं. इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढाने में मदद मिलती है.

10. **निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण**

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय;

- महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं.
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे.
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से कार्यरत हैं.

11. **कॉर्पोरेट गवर्नेंस**

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरसः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है.

12. **आभार**

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के सतत समग्र कार्य-निष्पादन हेतु स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है.

निदेशक मंडल की ओर से

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2016

प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण

भाग ए: आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक एवं भारतीय आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2015-16 में वैश्विक अर्थव्यवस्था से मंदी के संकेत मिलना जारी रहा. वर्ष 2015 की अंतिम तिमाही में यूएस अर्थव्यवस्था की 1% की मंद संवृद्धि, मुख्य रूप से जर्मनी एवं फ्रांस में अल्प संवृद्धि की वजह से यूरोज़ोन में केवल 0.3% की संवृद्धि तथा आकुंचित जापानी अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था के निराशाजनक प्रवृत्ति के संकेतक हैं.

निराशाजनक बाह्य आर्थिक परिवेश एवं लगातार खराब मानसून के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्थिति को संतोषप्रद रखा. मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही. भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ''भारत स्थिरता की एक आश्रय स्थली और अवसरों के दूरवर्ती स्थान के रूप में उभरा है. सरकार की वित्तीय सुदृढ़ता एवं मुद्रास्फीति कम करने की प्रतिबद्धता पर आधारित इसकी समष्टि अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है. इसकी आर्थिक वृद्धि विश्व में सर्वाधिक है.'' मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल एवं अन्य जिंस कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)-नई सिरीज़ मुद्रास्फीति लगभग 5.50% रही और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) ऋणात्मक रहा है. चालू खाता घाटे की स्थिति समाधानकारक रही है. विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि जिस स्तर तक पहुंची है, वह रिज़र्व पर्याप्तता मानदंड से काफी अधिक है. फिर भी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के और अधिक कमजोर होने के फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीतिगत पहल जैसे उदय योजना के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, मेक-इन-इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन इत्यादि से निश्चित ही हमारी आर्थिक संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा.

बैंकिंग परिदृश्य

उपर्युक्त आशातीत संकेतों के वावजूद, भारत में बैंक, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधोमुखी अर्थव्यवस्था के दुष्परिणामों का सामना कर रहे हैं. आस्तियों की गुणवत्ता भी चिंता का एक बड़ा कारण बना रहा है. विनियामक नियंत्रण समाप्त करने की कार्ययोजना के भाग स्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा ने बैंकों को अपने तुलन पत्र को सुधारने के लिए प्रेरित किया है. यद्यपि इससे उनकी लभप्रदत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. ऋण की घटती मांग के कारण लाभ का मार्जिन कम हो जाने से तथा पूंजी की तंगी से व्यावसायिक विकास भी मंद हो रहा है.

हमारे बैंक ने अपनी शाखाओं एवं एटीएम के देश व्यापी नेटवर्क के बल पर व्यावहारिक व्यावसायिक लक्ष्य एवं कार्ययोजना बनाई है, जो निश्चित ही देश के सकारात्मक आर्थिक संकेतकों को भुनाने में सहायक होगा.

भाग बी - बैंक का कार्यनिष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च 2016 को बैंक का कुल व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹ 450539 करोड़ पर 1.29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹456337 करोड़ है. वर्ष 2015-16 के दौरान उच्च लागत + सीओडी में ₹12347 करोड़ की कमी हुई तथा ₹12021 करोड़ के डिस्कॉम अग्रिमों को बांड में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप व्यवसाय में ₹24368 करोड़ की कमी हुई, अन्यथा मार्च 2015 पर व्यवसाय वृद्धि दर 6.70% होती.

परिचालन लाभ पिछले वर्ष ₹ 3559 करोड़ की तुलना में ₹ 2643 करोड़ रहा जोकि 25.74 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है जिसका मुख्य कारण यह था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए एक्यूआर के अनुपालन में बैंक को कुछ खाते एनपीए में घोषित करने पड़े, जिससे ऋणों पर आय कम हो गई. बैंक ने वर्ष 2015-16 में ₹ 1418 करोड़ की शुद्ध हानि दर्शायी है जबकि पिछले वर्ष ₹ 606 करोड़ का लाभ हुआ था.

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च 2016 को कुल जमा राशि ₹ 266184 करोड़ थी. उच्च लागत की जमा + सीओडी की कुल राशि ₹ 12347 करोड़ को घटाकर देखा जाय तो जमा राशियों में पिछले वर्ष की जमा पर 4.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अन्यथा यह 8.98% होती. बचत बैंक जमा वर्ष 2015-16 में 11.75% की वृद्धि के साथ ₹ 82485 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹ 73810 करोड़ थी. तथापि, चालू जमा राशि वर्ष 2014-15 के ₹ 13202 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 11970 करोड़ हो गयी. वर्ष के दौरान, कुल जमा में कासा का प्रतिशत जो पिछले वर्ष 34.05% था, इस वर्ष बढ़कर 35.48% हो गया है. कुल कोर जमा वर्ष 2014-15 के ₹ 228137 करोड़ पर वर्ष दर वर्ष 10.18 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए ₹ 251376 करोड़ हो गयी. जबकि कोर मियादी जमा 2014-15 के ₹ 141125 करोड़ पर 11.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2015-16 में ₹ 156921 करोड़ के स्तर तक पहुंच गयी.

ऋण

दिनांक 31.03.2016 को बैंक का सकल ऋण ₹ 190152 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹ 194967 करोड़ था. ₹ 12021 करोड़ के डिसकॉम अग्रिमों को बांड्स में संपरिवर्तित किए जाने से वर्ष दर वर्ष आधार पर ऋणों में 2.47% की कमी हो गई अन्यथा इसमें 3.70% की वृद्धि होती.

विविध क्षेत्रों के अंतर्गत ऋणों का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	दिनांक 31.03.2015 को	दिनांक 31.03.2016 को	वृद्धि (%)
कॉर्पोरेट ऋण	97568	87014	(10.82)
कृषि	35957	36833	2.44
एमएसई	26503	27800	4.89
रिटेल ऋण	34939	38505	10.21

ऋण निगरानी विभाग

- बैंक ने सुविस्तृत निगरानी नीति शुरू की है, जिसमें एसएमए (विशेष उल्लिखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, इसमें एसएमए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, पूर्व चेतावनी संकेतक, निगरानी एवं अनुवर्ती उपाय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को समाहित किया गया है.
- मई 2011 में निदेशक मंडल द्वारा इस नीति का अनुमोदन किया गया है और दिनांक 1 जुलाई, 2011 से पूरे बैंक में इसे लागू किया गया है. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुरूप समय-समय पर नीति में संशोधन किए जा रहे हैं.
- महाप्रबंधक के स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त, 2011 से ऋण निगरानी के लिए एक पृथक वर्टिकल बनाया गया है.
- निगरानी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय कार्यालय, सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कॉर्पोरेट वित्त शाखाओं के स्तर पर प्रत्येक माह मानक अनियमित/एसएमए खातों की पुनरीक्षा करने के लिए निगरानी समितियां गठित की गई हैं एवं ऋण निगरानी की संपूर्ण कार्रवाई की संगठित पुनरीक्षा माह में एक बार की जाती है.
- निगरानी दक्षता/जागरुकता विकसित करने के लिए, उप क्षेत्रीय प्रबंधकों/ऋण समीक्षा अधिकारियों सहित फील्ड स्टाफ सदस्यों के लिए कई कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं.
- दबावग्रस्त खातों की आस्ति गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए कार्यनीतियां बनाने हेतु, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों में स्थानीय बैठकों का आयोजन किया गया एवं/अथवा फील्ड वसूली टीम/क्षेत्रीय प्रबंधक/आंचलिक प्रबंधक/केन्द्रीय कार्यालय द्वारा एसएमए उधारकर्ताओं के साथ बैठकें की गई.
- बैंक ने कॉर्पोरेट, एसएमई, रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर रीयलटाइम आधार पर निगरानी के लिए, केन्द्रीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं पर्यवेक्षण (क्लास) निगरानी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर का भी कार्यान्वयन किया है.
- सघन ऋण निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ऑफसाइट निगरानी पर्यवेक्षण प्रणाली हेतु भी कदम उठाए गए हैं.
- ₹ 5 करोड़ एवं उससे अधिक के नए/ऋण सीमा वृद्धि के अग्रिमों में संवितरण पूर्व लेखापरीक्षा तथा ₹ 1 करोड़ एवं उससे अधिक के नए ऋण सीमा वद्धि के अग्रिमों में संवितरण के 30 दिन के अंदर लेखापरीक्षा करना प्रारंभ किया गया है.
- वर्ष के दौरान, सिबिल उपभोक्ता एवं वाणिज्यिक डेटा स्वीकार्यता के स्तर में क्रमश: 87% एवं 95% का सुधार हुआ है.

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण अथवा तुलन-पत्र इतर जोखिम के तुल्य ऋण राशि में से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाना है. अत: इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बैंक के लिए अत्यंत महत्व का क्षेत्र है. हमने कृषि, एमएसएमई, आवास, शैक्षिक एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य प्रमुख घटकों में ऋण प्रवाह बढाने पर विशेष ध्यान दिया है. इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत हमारी प्रगति प्रभावपूर्ण रही है.

दिनांक 31.03.2016 को प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है :-

₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण मार्च 2015	मार्च 2015	मार्च 2016	वृद्धि (%)
	समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी)	188738	199535	5.72
1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम **एएनबीसी का प्रतिशत**	75997 40.27	83030 41.61	9.25
2	कुल कृषि ऋण **एएनबीसी का प्रतिशत**	35957 19.05	36834 18.46	2.44

₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण मार्च 2015	मार्च 2015	मार्च 2016	वृद्धि (%)
3	एमएसएमई	26503	30526	15.17
4	शैक्षणिक ऋण	2882	3082	6.94
5	आवास ऋण (₹25.00 लाख तक)	10449	12370	18.38
6	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	206	169	- 17.96
7	नवीकरण ऊर्जा	-	22	-
8	सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर	-	11	-
9	निर्यात ऋण	-	16	-

प्राथमिकता क्षेत्र

वर्ष 2015-16 के दौरान, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण विनियोजन ₹ 75997 करोड़ से बढ़कर ₹ 83030 करोड़ हो गया, इसमें गत वर्ष की तुलना में 9.25% की वृद्धि दर्ज हुई.

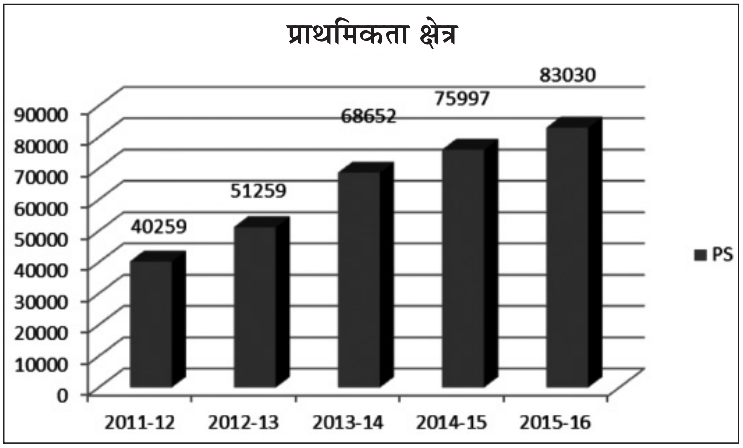

कृषि

कुल कृषि ऋण, दिनांक 31.03.2015 के ₹ 35957 करोड़ के स्तर से 2.44% बढ़कर दिनांक 31.03.2016 को ₹ 36834 करोड़ हो गया है. समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) में कृषि ऋण का अनुपात 18.46% है, जबकि निर्धारित लक्ष्य 18% है.

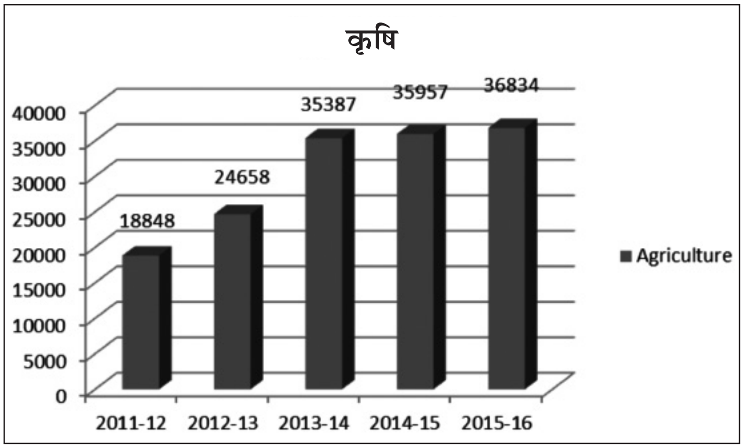

कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु की गई नई पहलें :

विशेष ऋण अभियान :

- हमारी सभी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में कृषि ऋणों का प्रचार एवं नए ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक माह में कम-से-कम एक मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया. वर्ष के दौरान इन ऋण शिविरों में ₹ 2469 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए एवं 227383 किसानों में संवितरित किए गए.
- सभी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में दिनांक 21.12.2015 से 20.01.2016 के दौरान एक विशेष अभियान ''किसान जोडो अभियान'' चलाया गया. इस अभियान के दौरान, ₹ 415 करोड़ के कृषि ऋण स्वीकृत कर नए उधारकर्ताओं को संवितरित किए गए.

मास्टर परिपत्रों का अद्यतन

सभी कृषि ऋण योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को अद्यतन कर, दिनांक 01.01.2016 को मास्टर परिपत्र जारी किया गया. फील्ड फंक्शनरियों के त्वरित संदर्भ हेतु इसे बैंक की इंट्रानेट साइट पर भी अपलोड किया गया.

अनुदेश पुस्तिका का अद्यतन

विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में कृषि अग्रिमों की अनुदेश पुस्तिका को अद्यतन किया गया तथा इसे 'फॉर स्टाफ ओनली' साइट पर अपलोड किया गया है.

वित्तीय समावेशन (एफआई)

- बैंक ने 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम जनसंख्या वाले 18,376 गांवों को कवर किया है. बैंक ने इन गांवों को 6,387 बीसी एजेंटों के माध्यम से कवर किया.
  1. बैंक ने 1427 आधार शाखाओं से सम्बद्ध अपनी सभी 3677 अल्ट्रा लघु शाखाएं खोली हैं.
  2. हमने एनसीआर तथा भोपाल क्षेत्र में 41 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र खोले हैं.
  3. लेनदेनों की संख्या:

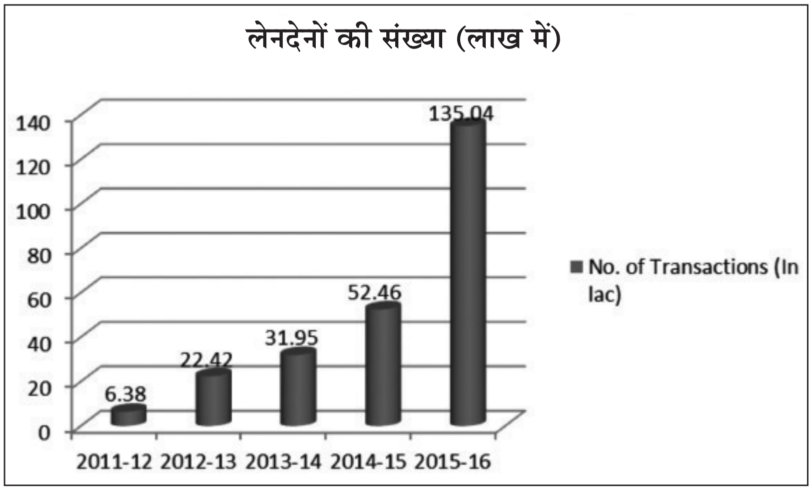

बीसी के माध्यमों से खोले गए वित्तीय समावेशन खातों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में लेनदेन बढ़कर 135.04 लाख (वर्ष दर वर्ष 157% वृद्धि) हो गए, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 52.46 लाख थे.

4. **बीसी के माध्यम से व्यवसाय**

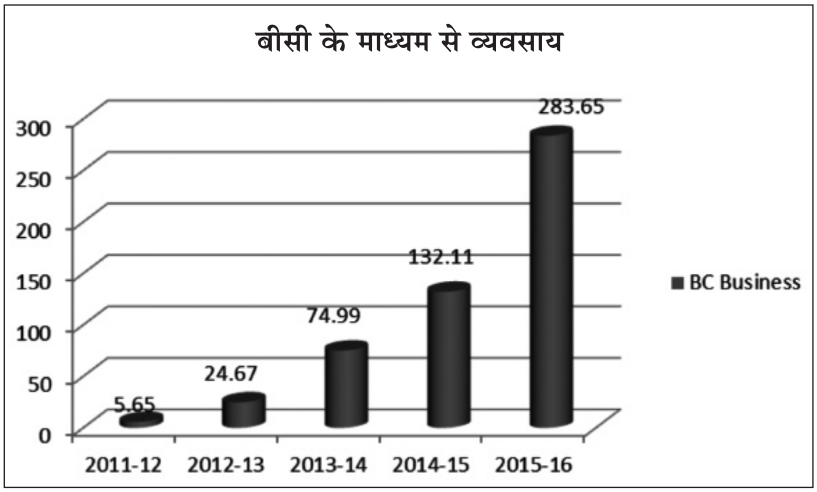

बीसी के माध्यम से व्यवसाय बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2016 को ₹283.65 करोड़ हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च, 2015 को ₹132.11 करोड़ था: **114.71% की वृद्धि.**

5. **बीसी के माध्यम से खाते खुलना:**

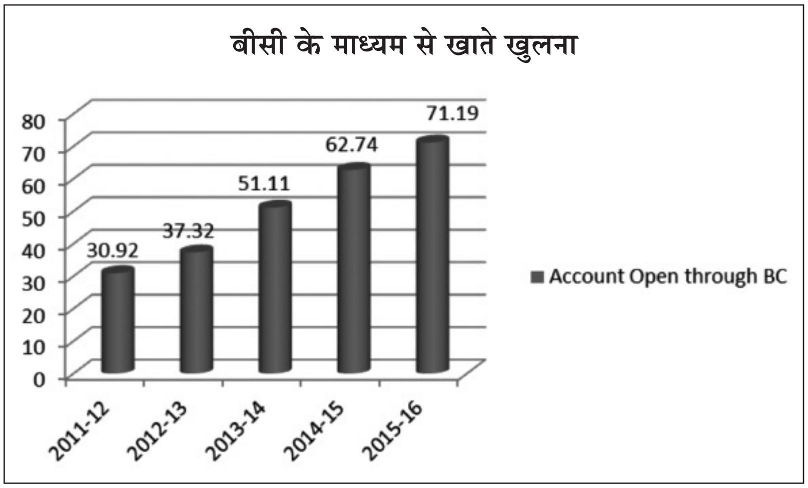

बीसी के माध्यम से खातों की संख्या दिनांक 31 मार्च, 2015 के 62.74 लाख से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2016 को 71.19 लाख हो गई है: **13% की वृद्धि.**

6. बैंक ने अपनी शाखाओं एवं बीसी के माध्यमों से 157.26 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) खोले हैं. इन खातों में कुल जमा शेष **₹ 1277.92 करोड़** है.

- **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (जन-धन से जन-सुरक्षा)**

  पीएमजेडीवाई की असीम सफलता के बाद, दिनांक 09 मई, 2015 को भारत सरकार द्वारा **जन-धन से जन-सुरक्षा** की टैगलाइन पर सूक्ष्म बीमा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा सूक्ष्म पेंशन क्षेत्र के अंतर्गत अटल पेंशन योजना(एपीवाई) नामक तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शुभारम्भ किया गया. इन योजनाओं के अंतर्गत मुख्यत: असंगठित क्षेत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को लक्षित किया गया है, किन्तु अन्य भी नाम दर्ज करवा सकते हैं.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एफआई-पीएमजेडीवाई की प्रमुख उपलब्धियां

- मध्यम बैंकों की श्रेणी में हमारे बैंक को आईबीए द्वारा ''**बेस्ट फाइनेंशियल इनक्लूजन इनिसिएटिव**'' का रनर अप अवार्ड दिया गया.
- पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दिनांक 16.08.2014 से 26.01.2015 के दौरान **अधिकतम चिह्नित परिवारों के कवरेज की उपलब्धि के लिए डीएफएस द्वारा हमारे बैंक को प्रथम श्रेणी का प्रमाणपत्र** प्रदान किया है.

- **पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दिनांक 16.08.2014 से 26.01.2015 तक आयोजित कैम्प में अधिकतम आधार पंजीकरण** करने के लिए हमारे एलडीएम मुजफ्फरपुर, बिहार को डीएफएस द्वारा **प्रथम श्रेणी का प्रमाणपत्र** प्रदान किया गया.
- **67.27%** की वृद्धि के साथ **व्यवसाय** ₹ 763.98 करोड़ से बढ़कर ₹1277.92 करोड़ हो गया.
- **बीसी आउटलेट** के माध्यम से व्यवसाय **114.71%** की वृद्धि के साथ ₹ 132.11 करोड़ से ₹283.65 करोड़ हो गया.
- **बीसी-आउटलेट्स के माध्यम से** कुल लेनदेन की संख्या **157.42%** की वृद्धि के साथ ₹ 52.46 लाख से बढकर ₹135.04 लाख हो गई.
- बीएसबीडी खातों की संख्या 7.18**%** की वृद्धि के साथ 146.72 लाख से 157.26 लाख हो गई.

  758 बीसी आउटलेट्स को लाभप्रद केन्द्रों में तब्दील किया गया (₹ 10 लाख से अधिक के व्यवसाय वाले).
- हमारे बैंक द्वारा 74 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं.
- हमारे बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ₹ 870 करोड़ का व्यवसाय संगृहीत किया है.
- एसओआई(आशय कथन) के लक्ष्य अर्थात 30% के समक्ष शून्य शेष वाले खाते 9.74% कम हुए हैं.
- 49% पीएमजेडीवाई खातों को आधार सम्बद्ध कर दिया गया है और सभी बचत खातों में 28% आधार सम्बद्धता कर दी गई है.
- दिनांक 01.01.2016 से टीएसपी को केंद्रीकृत भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है.
- बीसी कार्यनिष्पादन की दैनिक निगरानी के लिए डैशबोर्ड तैयार किया गया है, जिससे सभी स्तरों अर्थात शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक कार्यालय स्तर पर वित्तीय समावेशन निगरानी प्रणाली में प्रगति हुई है.

बीसी बीएफ पासबुक प्रारंभ की गई हैं, जिन्हें सभी बीसीए को उनके दैनिक कार्यनिष्पादन की निगरानी एवं उनके पारिश्रमिक दर्ज करने के लिए उपलब्ध कराया गया है.

अग्रणी बैंक के तहत कार्यनिष्पादन

- हम सात राज्यों यथा; मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(7), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(4), राजस्थान(3) एवं छतीसगढ़(4) के 51 जिलों में अग्रणी बैंक के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं. हमारी कुल शाखाओं का 50% से अधिक एवं लगभग 25% शाखाएं क्रमश: इन राज्यों एवं अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं.
- अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, अग्रणी जिला प्रबंधकों के कार्यालयों को पर्याप्त सुविधाओं युक्त बनाया गया है तथा स्टाफ की समुचित व्यवस्था की गई है. साथ ही, अन्य बुनियादी सुविधाएं, यथा-पृथक/अच्छा परिसर, वाहन, कंप्यूटर/लैपटॉप (स्काइप सुविधायुक्त) तथा प्रिंटर, टेलीफोन, इन्टरनेट सुविधा, ई-मेल आईडी, मोबाइल, फैक्स, वेबसाइट की स्थापना इत्यादि भी उपलब्ध कराई गई हैं.
- हमने ग्रामीण इलाकों की आम जनता/लोगों को उनसे सम्बंधित हमारे बैंक के विभिन्न उत्पादों से परिचित कराने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड, सेन्ट्रल अर्टिजन क्रेडिट कार्ड, स्वाभिमान/आधार इत्यादि को एलडीएम को प्रदत्त गाड़ियों पर प्रदर्शित किया है.
- वार्षिक ऋण योजना के तहत अग्रणी जिलों में स्थित हमारी शाखाओं का कार्यनिष्पादन 93% रहा है, जबकि सभी बैंकों का कुल मिलाकर अग्रणी जिलों में कार्यनिष्पादन 84% है.
- हमने सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण एवं ऋण संबद्धता के माध्यम से समन्वित विकास के लिए प्रत्येक अग्रणी जिले में एक-एक गांव का चयन किया है. सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सभी विकासपरक गतिविधियों जैसे वित्तीय शिक्षा/वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आरसेटी में ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह/कृषक क्लब/जेएलजी का गठन, ऋण गतिविधियों का पूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है. अग्रणी जिले के अन्य गांवों में भी इनकी प्रतिकृति दर्शाई जा रही है.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति :

- मध्य प्रदेश राज्य में हमारा बैंक एसएलबीसी का समन्वयक है. वर्ष 2015-16 के दौरान, विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों सहित विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत राज्य में की गई प्रगति की समीक्षा तथा उस पर निगरानी रखने हेतु तीन नियमित एसएलबीसी बैठकें आयोजित की गईं.
- इस राज्य के लिए हमारा विज़न है कि "राज्य का ऐसा सर्वांगीण एवं समन्वित विकास, जिससे सभी नागरिकों का जीवन समृद्ध बने तथा उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ प्रयास करने के अवसर प्राप्त हों और वे राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके.
- एसीपी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियों पर चर्चा करने हेतु राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों की समीक्षा सम्मेलन/कार्यशाला के आयोजन, वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन तथा उद्देश्य प्राप्ति में इनकी एकीकृत भूमिका तथा दायित्वों की कार्य-योजना तैयार करने में हम निरंतर अग्रगामी रहे हैं.
- हमारा बैंक पहला ऐसा बैंक है, जिसने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित किया है.
- कुछ जिलों में विभिन्न प्रतिकूलताओं के बावजूद, राज्य का सीडी अनुपात 63% से अधिक रहा है.
- वर्ष 2015-16 के दौरान, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तीन राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में प्रायोगिक आधार पर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, राज्य के 5100 स्कूलों में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण दिया गया एवं इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग छ: लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए.

- बैंकों एवं एलडीएम के साथ सतत अनुवर्ती कार्रवाई के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत राज्य में लगभग एक करोड़ पंजीकरण किए गए.

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

- हमने 7 राज्यों में 48 एफएलसीसी खोले हैं, यथा मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(7), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़(2).
- इन सभी केन्द्रों द्वारा 8100 आउटडोर विजिट की गई, जिसमें 525610 व्यक्तियों को साक्षरता/परामर्श प्रदान किया गया. इनके अंतर्गत जन-अभियान एवं व्यक्तिगत परामर्श दोनों ही शामिल है.
- लोगों में जागरुकता लाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनयापन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए बैंक ने उन्हें जन सम्पर्क प्रणाली युक्त गाड़ियां एवं बैंक द्वारा आरम्भ किये गए विभिन्न उत्पादों/योजनाओं को प्रचारित करने के लिए एलसीडी प्रदान किए है. इसके अलावा गांव के दौरों एवं परामर्श प्रदान करते समय शिक्षण सामग्री, किट, किताबें इत्यादि भी उपलब्ध कराई है.

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

- बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 आरसेटी की स्थापना की है अर्थात मध्य प्रदेश(18), बिहार(9), महाराष्ट्र(6), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), छत्तीसगढ़(2), राजस्थान(1), ओडिसा(1) एवं असम(1).
- वर्ष 2015-16 के दौरान, आरसेटी ने 1050 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 28244 सहभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इनमें से, 18926 (67%) प्रशिक्षु बैंक-ऋण के माध्यम से संबद्ध, मजदूरी निपटान एवं स्व-वित्त पोषण से व्यवस्थित किए गए.
- 25 आरसेटी केंद्रों को A,AA ग्रेड तथा 16 केंद्रों को AB, BA ग्रेड प्रदान किया गया जबकि केवल 4 केन्द्रों को B,BB ग्रेड प्रदान किया गया. कोई भी आरसेटी C एवं D श्रेणी के नहीं हैं.

अन्य पहलें

- आरसेटी तथा एफएलसीसी के प्रचालनों तथा कार्य-प्रणाली पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिए हमारे बैंक द्वारा ''सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीबीआई-एसयूएपीएस)" नाम से एक सोसाइटी/ट्रस्ट की स्थापना की गई है.
- आरसेटी तथा एफएलसीसी के मामलों तथा कार्यो पर पूर्ण नियंत्रण एवं निगरानी रखने हेतु, हमने एक उच्च स्तरीय प्रशासकीय परिषद का गठन किया है, इसमें हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सरंक्षक, कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष एवं महाप्रबंधकगण इसके सदस्य हैं.
- केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर हमने कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में व्यापक अनुभव एवं एक्सपोजर प्राप्त सेवानिवृत्त महाप्रबंधक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी-आरसेटी/एफएलसीसी के तौर पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है.
- हमने पर्याप्त मानवशक्ति के साथ यथेष्ट दक्षता प्राप्त सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को आरसेटी निदेशक तथा एफएलसीसी परामर्शदाता के रूप में कार्य करने हेतु अनुबंधित करना प्रारम्भ कर दिया है.
- जिला स्तर पर सभी स्थानीय विकास संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर स्थानीय सलाहकार समितियों तथा प्रशिक्षण समितियों का गठन किया गया है.
- सभी 46 आरसेटी के लिए भवन निर्माण हेतु, हमने एक मॉडल योजना तैयार की है. आरसेटी प्रशिक्षुओं के रोजगार की स्थिति की जानकारी रखने के लिए लभार्थियों के वेब आधारित आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया जारी है.

रिटेल ऋण

दिनांक 31.03.2016 को रिटेल ऋण योजनाओं में कुल बकाया राशियां ₹ 38505 करोड़ हो गयी जोकि दिनांक 31.03.2015 को ₹ 34939 करोड़ थीं. इस प्रकार मार्च 2015 की राशि में 10.21% की दर से ₹ 3566 करोड़ की समग्र वृद्धि हुई. बैंक के कुल अग्रिम में रिटेल पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 20% से अधिक है.

(₹. करोड़ में)

	31-03-2014	31-03-2015	31-03-2016
रिटेल ऋण	28811	34939	38505
कुल ऋण	1,83,321	1,94,967	1,90,152
कुल ऋण का %	15.72%	17.92%	20.25%

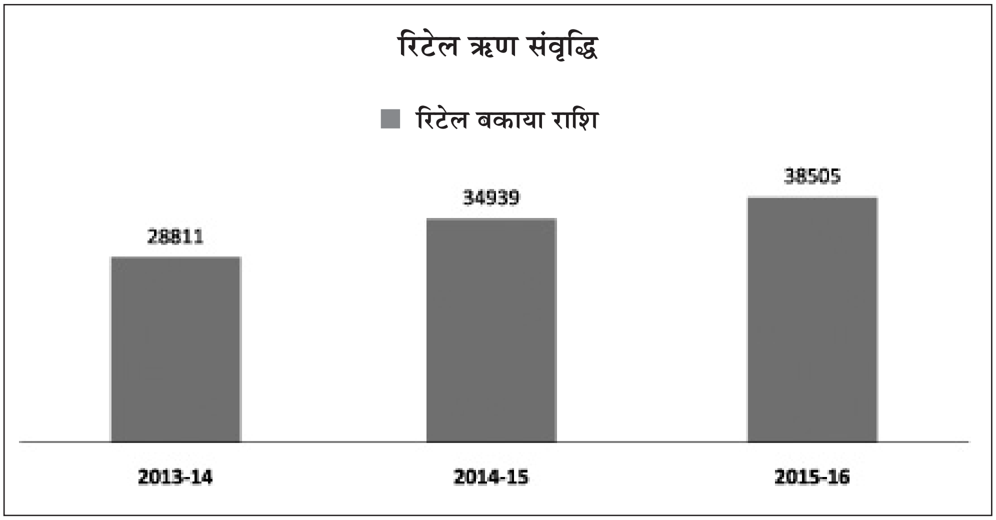

विभाग की पहलें

उत्पाद/सेवाएं

1. उत्पाद स्थितिकरण : संभाव्य ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए बैंक ने आम लोगों के लिए सुस्पष्ट विविधतायुक्त 29 स्वपरिपूर्ण उत्पाद प्रस्तुत किए हैं:

क्र सं.	योजनाओं का नाम
1	सेन्ट होम लोन योजना.
2	सेन्ट होम डबल प्लस योजना.
3	प्रत्यक्ष आवास वित्त योजना के अंतर्गत केंद्र/राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के पीएसयू के कर्मचारियों के लिए विशेष आवास ऋण योजना
4	सेन्ट होम - सीआरजीएफटीएलआईएच योजना
5	सेन्ट होम लोन प्लस
6	सेन्ट अर्नेस्ट मनी वित्तपोषण योजना
7	प्रधानमंत्री आवास योजना
8	सेन्ट मॉर्गेज
9	शैक्षिक संस्थानों के लिए सेन्ट मॉर्गेज
10	सेन्ट ट्रेड
11	सेन्ट रेंटल
12	सेन्ट शॉप
13	सेन्ट विद्यार्थी
14	कार्यपालकों को एमबीए करने के लिए वित्तपोषण हेतु शैक्षिक ऋण योजना
15	आईआईएमएस एवं 4 प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक ऋण योजना
16	सेन्ट व्हीकल योजना
17	सेन्ट सहयोग
18	सेन्ट डॉक्टर

19	सेन्ट पर्सनल लोन
20	सेन्ट कॉरपोरेट लोन
21	पेंशनधारकों के लिए पर्सनल लोन
22	सेन्ट सुविधा
23	सेन्ट पर्सनल गोल्ड लोन योजना
24	शैक्षिक संस्थानों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए पर्सनल लोन
25	चैनल वित्तपोषण के लिए व्यापक योजना
26	भावी फीस प्राप्यों के विरुद्ध लोन
27	रिवर्स मॉर्गेज लोन - 'सेन्ट स्वाभिमान'
28	सेन्ट परम
29	सेन्ट रत्न

ये उत्पाद विभिन्न लक्ष्य समूहों एवं विशिष्ट आला बाजारों के लिए विविधता से परिपूर्ण हैं.

2. उत्पाद की परस्परव्यापी एवं जीवन चक्र को देखते हुए तथा परस्परव्यापी लक्ष्य समूह के बचाव हेतु बैक ने सेन्ट विद्यार्थी को सेन्ट ट्रेड में तथा सेन्ट उड़ान को सेन्ट विद्यार्थी एवं सेन्ट डेंटिस्ट को उसके संगत की सामान्य योजना में विलय किया है, इसके अतिरिक्त, कम मांग एवं अपचार अनुपात को ध्यान में रखते हुए 13 उत्पादों को समाप्त किया है. ये हैं- i. सेन्ट बाय ii. सेन्ट कॉम्पेटिटिव एक्जाम iii.सेन्ट कम्प्यूटर iv. सेन्ट ज्वैल v. सेन्ट मल्टीपरपज vi. सेन्ट सफर, vii. सेन्ट स्कूल, viii. सेन्ट विवाह, ix. एलआईसी एजेंटों के लिए पर्सनल ऋण x. सेन्ट अपफ्रंट आवास ऋण - अग्रिम संवितरण सुविधा, xi. कॉर्पोरेट कर्मचारियों को वैयक्तिक ऋण xii. गैर-कॉर्पोरेट कर्मचारियों को वैयक्तिक ऋण xiii. सेन्ट डेंटिस्ट (रिटेल ऋण उत्पाद: आईडीए-सेन्ट डेंटिस्ट, आईडीए-डीएचएफएस, आईडीए-सेन्ट व्हीकल, आईडीए-सेन्ट विद्यार्थी).

3. त्वरित उत्पाद/सेवा डिलीवरी के लिए बैंक द्वारा कंप्यूटरीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं कम्प्यूटराइज्ड लोन अप्राइजल सिस्टम एवं पर्यवेक्षण(क्लास) मॉड्युल के माध्यम से रिटेल उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा रहा है.

4. ग्राहक के दृष्टिकोण से उत्पाद एवं सेवाओं की प्रभाविता हेतु इनसे संबंधित आंकडों का विश्लेषण किया जा रहा है. जहां परिपत्रों से आवश्यक है, वहाँ सामान्य विचलन प्रस्तावों को उनकी तरलता एवं ग्राहक संबंधी अन्य संबद्ध तथ्यों के गुणदोष के आधार पर अनुमोदन हेतु उन्हें प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है. उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित फील्ड फंक्शनरियों से प्राप्त सुझावों का बैंक के कॉरपोरेट स्तर पर विश्लेषण किया जा रहा है तथा इनकी व्यवहार्यता, लागत प्रतिलाभ विश्लेषण एवं अनुपालन पर विचार करने के पश्चात संबंधित उत्पाद एवं सेवाओं में संशोधन किया गया है तथा आम जनता के सूचनार्थ आमजनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. उद्योग में नये उत्पाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त यह नीति विद्यमान उत्पादों का पुन: नवीनीकरण, मूल्यांकन सुधार, प्रसंस्करण एवं डिलीवरी प्रणाली तथा सबसे प्रमुख एक्सपोजर से जुडी जोखिमों को कम करने पर ध्यान रखती है. नये उत्पादों को विकसित करने एवं उनके परिकरण में दीर्घ अवधि संभाव्यता को ध्यान में रखा गया है ताकि वे अल्प अवधि में तकनीकी रूप से अप्रचलित नहीं हों. उत्पाद के जीवन चक्र की दीर्घता को समुचित महत्व दिया है साथ ही एक समयावधि में ग्राहकों की पसंद में परिवर्तन के आधार पर उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपयुक्त समय पर उत्पाद को पुन: विकसित किया जा सकता है.

5. बैंक के कार्यालयों द्वारा वेब आधारित ऑनलाइन जनरेटेड लीड्स का भी विधिवत अनुवर्तन करते हुए, उसका मार्केटिंग लाभ लिया जा रहा है.

6. बैंक ने खुदरा आस्ति खातों में सतत निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा अपचार को नियंत्रण करने हेतु कदम उठाए हैं. खातों के दोषपूर्ण होने के सही कारणों एवं सुधारात्मक कदम पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि गुणात्मक एवं मात्रात्मकसुधार सुनिश्चित किया जा सके.

7. ऋणों में गुणात्मक सुधार के लिए हमने 48 केंद्र चिह्नित किए हैं तथा मॉर्गेज आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु केंद्रीकृत ऋण प्रसंस्करण केंद्र (सीसीपीसी) स्थापित किए हैं. इससे शाखाओं को उत्पादों एवं सेवाओं की अधिक मार्केटिंग करने तथा प्रस्ताव के टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को न्यूनतम करने में सहयोग होता है.

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 90 प्राधिकृत डीलर ('बी" श्रेणी) शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है. परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है ताकि कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके.
- चालू वित्त वर्ष में, बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो दि.31.03.2015 के ₹ 5571 करोड़ से बढ़कर दि.31.03.2016 को ₹ 5628 करोड़ हो गया है.
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मर्चेंट ट्रेड विदेशी विनिमय का टर्नओवर ₹ 44,027 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 44,166 करोड़ था.

- एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.2015 के ₹ 3079 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 31.03.2016 में ₹ 3819 करोड़ हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 24% की वृद्धि दर्शाती है.
- एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2015 को यूएसडी 174.85 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31.03.2016 को यूएसडी 204.21 मिलियन हो गई, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है.

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

- बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च 2016 को घटकर ₹ 89895 करोड़ हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च, 2015 को ₹ 89921 करोड़ (तब आरआईडीएफ के रूप में रिपोर्ट किए गए ₹ 95655 करोड़ को निवेश के अंतर्गत दर्शाया गया था) था. इस प्रकार पिछले वर्ष के आधार पर इसमें 0.03% की गिरावट दर्ज की गई है. दसवर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2015 के 7.74% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2016 को 7.42% पर बंद हुआ है.
- वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो, मियादी रेपो, परिवर्तनीय मियादी एवं रिवर्स रेपो के कई प्रकार प्रस्तुत कर स्थाई तरलता उपलब्ध कराने हेतु अनेक उपाय किए हैं. वित्त वर्ष 2015-16 में रेपो रेट को दो बार में 0.75% (जून 2015 में 0.25% एवं अक्टूबर 2015 में 0.50%) कम किया गया था.
- रेपो दर के सन्निकट ब्याज दरें रखने के उद्देश्य के लिए विवेकाधीन परिवर्ती मीयादी रेपो एवं रिवर्स रेपो को एनडीटीएल के 1% से अधिक रखने के अलावा रेपो उधार सीमा को एनडीटीएल का 0.25% कम किया एवं मीयादी रेपो को एनडीटीएल का 0.75% कम किया गया है, मियादी एलएएफ में उधारी के लिए बैंकों को नीलामी में बोली लगानी पड़ती है.
- ओवरनाइट रेपो मार्च 2015 के 7.50% से घटकर मार्च 2016 में 6.75% हो गया.
- अस्थिर बाजार एवं संकटग्रस्त तरलता प्रबंधन परिस्थितियों में, ट्रेजरी ने ₹ 587 करोड़ का व्यापार लाभ दर्ज किया, जोकि पिछले वर्ष ₹ 617 करोड़ के व्यापार लाभ की तुलना में कम है. यूएस फेड द्वारा दर बढ़ाने के कारण भा.रि.बैं द्वारा किए गए रेट कट के कारण है. निवेश पर प्रतिफल 8.22% से घटकर 8.14% हुआ.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रतिभूतियों के अंतरण विनिमय से, बैंक ने सरकार एवं राज्य सरकार की ₹ 2098.49 करोड़ की प्रतिभूतियां एएफएस से एचटीएम में अंतरित कर दीं एवं ₹ 34.47 करोड़ का मूल्यह्रास दर्ज किया.
- दिनांक 31 मार्च, 2016 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का संघटन इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	संघटन	31.03.2015	31.03.2016
1.	एसएलआर	75413.59	66532.69
2.	गैर एसएलआर	14507.01	23362.06
	कुल	89920.61	89894.75

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबन्धन प्रणाली/संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब सुस्थापित जोखिम प्रबन्धन प्रणाली मौजूद है. ऋण, बाजार, तथा परिचालन जोखिमों एवं पिलर II जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबन्धन नीतियों/प्रथाओं का निदेशक मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है. उत्पादों की कीमत निर्धारण तथा बाजार की घटनाओं से संबंधित जोखिम मॉडल के निर्धारण संबंधी नीतियों की समीक्षा के साथ समिति नए जोखिमों की पहचान व उनका नियंत्रण भी करती है. कॉरपोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम पैरामीटरों के अनुपालन पर भी समिति द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है.

जोखिम प्रबन्धन संरचना

- परिचालन स्तर पर विभिन्न समितियां, यथा बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता समिति(आल्को), ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम नीति समिति(सीआरपीसी) तथा परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति(ओआरसीओ) गठित की गई है. जिसमें शीर्ष प्रबन्धतंत्र टीम के सदस्य शामिल हैं.
- ये समितियां बैंक विभिन्न परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर के निगरानी एवं निर्धारण के लिए वर्ष भर नियमित बैठकें करती हैं तथा आवश्यकतानुरूप उचित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय लागू करती हैं.

- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंक ने वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक श्रेणी के अधिकारियों को "जोखिम प्रबन्धक के तौर पर अभिचिन्हित किया गया है. ये जोखिम प्रबन्धक, आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबन्धन विभाग को विस्तारित भाग के तौर पर कार्य करते हैं. बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी भी अभिचिन्हित किए हैं, जो जोखिम प्रबन्धन से संबंधित नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं को देखने एवं जोखिम प्रबन्धन की सहायता के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.

बाजार जोखिम प्रबन्धन

- बाजार की स्थिति, वित्तपोषण पध्दति की समीक्षा कर मिड-आफिस एक्सपोजर, अवधि, प्रतिपक्षीय सीमा एवं विभिन्न संवेदनशील पैरामीटरों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करता है तथा नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबन्धन को रिपोर्ट करता है.
- वीएआर के प्रबंधन तथा ड्यूरेशन विश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग, अल्पकाल में बैंक की एनआईआई के जोखिम के प्रबंधन तथा दीर्घकाल में इक्विटी मूल्य हेतु सतत आधार पर किया जाता है.
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजीगत प्रभार का सतत अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है तथा बाजार जोखिम के संबंध में बासल ब्ब के दिशानिर्देशों के अनुसार उसे क्रियान्वित किया जा रहा है.
- बैंक ने पोर्टफोलियों में बाजार जोखिम की निगरानी करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति है. प्रति-पक्ष पार्टियों की नवीनतम प्रतिष्ठा स्थिति के आधार पर ट्रेजरी परिचलन के लिए प्रति-पक्ष पार्टियों सीमाएं निर्धारित/समीक्षित की गई है.

ऋण जोखिम प्रबन्धन

- बैंक में सुस्पष्ट लिखित एकीकृत ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति है. जिसकी पिछली समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 09.02.2016 को की गई.
- बैंक ने क्रिसिल लि. से पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिफल (आरएआरओसी), लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) एवं एक्पोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) निर्धारक साधनों सहित फैसलिटी रेटिंग मॉड्यूल प्राप्त किया है. फेसिलिटी रेटिंग मॉड्यूल दिनांक 01.04.2012 से उपयोग में है.
- बैंक ने रिटेल ऋण की ग्रेडिंग के लिए रेटिंग मॉडल्स (स्कोर कार्ड) विकसित किए हैं. तथा इसका उपयोग किया जा रहा है.
- ऋण जोखिम प्रबन्धन की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्ट निगरानी हेतु, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली ऋण जोखिम नीति समिति को प्रस्तुत की जाती है.
- कॉरपोरेट एवं रिटेल दोनों पोर्टफोलियो के लिए विकसित दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी करते हुए बैंक पीडी, ईएडी एंड एलजीडी की गणना हेतु मॉडल्स विकसित करने की प्रक्रिया में है.

ऋण जोखिम प्रोफाइल/रेटिंग माइग्रेशन

पिछले वर्ष की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2016 को बैंक का ऋण जोखिम प्रोफाइल निम्नानुसार प्रस्तुत है.

₹ करोड़ में

जोखिम श्रेणीकरण	मार्च 2015		मार्च 2016	
	एवमसपोजर	श्रेणीकृत एक्सपोजर का %	एवमसपोजर	श्रेणीकृत एक्सपोजर का %
निम्न जोखिम	86052	46.81%	85065	50.46%
मध्यम जोखिम	77921	42.39%	66742	39.59%
उच्च जोखिम	5232	2.85%	4907	2.91%
कुल श्रेणीकृत एक्सपोजर	169205	**92.04%**	156714	**92.96%**
अश्रेणीकृत एक्सपोजर	14631	**7.96%**	11860	**7.04%**
कुल मानक अग्रिम	183836	**100.00%**	168574	**100.00%**

- यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान यद्धपि कुछ खाते मध्यम जोखिम से निम्न जोखिम श्रेणी एवं सीमांत रूप से उच्च जोखिम से मध्यम जोखिम श्रेणी में ऋण माइग्रेट हुए हैं. श्रेणीकृत खातों की समग्र हिस्सेदारी दिनांक 31/3/15 के 92.04% से बढ़कर दिनांक 31/3/16 को 92.96% रही है. अश्रेणीकृत एक्सपोजर मुख्य रूप से स्टाफ के ऋण, साथ ही यहां तक सावधि जमा/एनएससी/केवीपी/बीमा पॉलिसी आदि के विरूद्ध है जो कि रेटिंग से मुक्त हैं.

परिचालन जोखिम प्रबन्धन

- बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन पूरी तरह से सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीति के द्वारा मार्गदर्शित है.
- परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरसीओ) तिमाही अंतराल में बैंक की जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करती है एवं निदेशक मंडल द्वारा किया जाने वाला पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम से संबंधित गुणात्मक पहलुओं को और मजबूत करता है.
- बैंक, उन्नत मापक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए आरबीआई को आवेदन करने हेतु मॉडल विकसित कर रहा है तथा गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सूचनाएं बना रहा है. नए उत्पादों अथवा गतिविधियों से जुड़ी जोखिम को न्यून करने हेतु नई उत्पाद अनुमोदन नीति संरचना बैंक को मार्गदर्शन प्रदान करती है.

पूंजी आयोजना

बैंक के पास सुदृढ आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) उपलब्ध है. बैंक ने जोखिम अभिलाषी ढांचा तैयार किया है एवं बेसल III मानदंडों की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी अनुपात रखने का उद्देश्य है. पूंजी के समक्ष प्राक्कलनों की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है.

आस्ति एवं देयता प्रबन्धन पद्धतियां

- एएलएम प्रमुखतया बैंक के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से तरलता एवं ब्याज दर जोखिम के मापन एवं प्रबंधन से संबंधित है. आलको (आस्ति एवं देयता समिति) ने वर्ष के दौरान तरलता एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 22 बार बैठकें कीं.
- विनियामक रिपोर्टिंग के अलावा, जमाओं पर ब्याज निर्धारण करने के साथ-साथ आधार दर और बीपीएलआर का निर्धारण भी एएलएम द्वारा किया जाता है. वर्ष 2015-16 के दौरान जमा ब्याज दरों को आठ (8) बार एवं अग्रिमों के लिए बेस रेट में दो(2) बार संशोधित किया गया है.
- दिनांक 01/04/2016 से बैंक एमसीएलआर आधारित उधार दरों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है.
- भारिबै के नये दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने दिनांक 01 जनवरी 2015 से एलसीआर (तरलता कवरेज अनुपात) की गणना मासिक आधार पर करना प्रारंभ कर दिया है एवं यह अनुपात भारिबै द्वारा निर्धारित प्रारंभिक सीमा (अर्थात, 2016 के लिए 70%) से काफी अधिक है. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए औसत एलसीआर 117.20% है.
- जमा एवं ऋण राशियों पर ब्याज दर के निर्धारण के लिए एएलएम विभाग विभिन्न विश्लेषण उच्च प्रबंधतंत्र के समक्ष प्रस्तुत करता है.

बासल II दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

- भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2013 में नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन परिपत्र जारी किया है. इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2009 से बासल II अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु ''मानकीकृत दृष्टिकोण'' परिचालन जोखिम के लिए ''मूल संकेतक, दृष्टिकोण'' और बाजार जोखिम हेतु ''मानकीकृत अवधि'' पध्दति के आधार पर पूंजी का प्रावधान किया है.
- आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बैंक आईआरएमएस (एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है.
- सभी आवश्यक नीतियां, जैसे ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबन्धन नीति, बाजार अनुशासन तथा प्रगटीकरण नीति, आईसीएएपी इत्यादि. बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है.
- बैंक ने आईआरबी (आंतरिक रेटिंग आधारित) दृष्टिकोण के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाये हैं.

बासल III के लिए हमारे बैंक की तैयारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 02 मई, 2012 को बासल III के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं. तदनुसार, बैंक ने जून 2013 से बासल III के मानदंडों के अनुसार सीआरएआर का परिकलन प्रारम्भ कर दिया है तथा दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है.

वसूली विभाग

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों से युक्त एक सुपरिभाषित वसूली नीति मौजूद है. इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की नियुक्ति, एआरबी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्त्ता तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली शामिल है. अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तनों/गतिविधियों एवं एनपीए निपटान/प्रबंधन की प्रवृत्तियों इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है.

1. वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, यद्यपि, बैंक ने ₹1287 करोड़ की नकद वसूली, ₹608 करोड़ का अपग्रेडेशन, ₹1123 करोड़ की अनर्जक आस्तियों की बिक्री के माध्यम से कुल मिलाकर ₹3018 करोड़ का सुधार किया है परंतु उच्च राशियों के नए खातों (₹50.00 करोड़ एवं अधिक के 30 खाते कुल राशि ₹8202 करोड़) के जुड़ जाने से कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पडा है.
    - सकल एनपीए का स्तर ₹ 11873 करोड से बढ़कर ₹22721 करोड़ हो गया है.
    - शुद्ध एनपीए ₹ 6807 करोड़ से बढ़कर ₹ 13242 करोड़ हो गया है.

- सकल एनपीए तथा शुद्ध एनपीए अनुपात में क्रमश: 6.09% से 11.95% तथा 3.61% से 7.36 की वृद्धि हुई है.
- नकद वसूली ₹ 1365 करोड़ से घटकर ₹ 1287 करोड़ (5.71%) हो गई है.

2. ₹ 1.00 लाख तक बकाया एनपीए खातों के लिए विशेष एकमुश्त योजना के अंतर्गत ₹ 658 करोड़ के प्रस्ताव निपटाए गए तथा ₹ 249 करोड़ की नकद वसूली हुई है.
3. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर ओटीएस प्रस्ताव के अंतर्गत सकल राशि ₹ 397 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 70 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं.
4. वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 1142 करोड़ के एनपीए, एआरसी को बेचे जिनमें बकाया शेष ₹ 1294 करोड़ है.
5. सभी एनपीए खातों को, उन खातों में वसूली की निगरानी के लिए पहले से 3 श्रेणियों अर्थात अधिक महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, प्रबंधनीय में वर्गीकृत किया गया है.
6. ऋणों की वसूली के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की वसूली टीम एवं शाखा के स्टाफ ने ₹ 50 लाख से अधिक बकाया राशि वाले एनपीए ऋणियों से व्यक्तिश: मुलाकात की जा रही है.
7. जानबूझकर चूककर्ता के प्रक्रिया बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से लागू की जा रही है तथा जानबूझकर चूककर्ताओं की पहचान एवं उन्हें घोषित करने के लिए ₹ 25 लाख से अधिक वाले सभी एनपीए खातों की जांच की जा रही है.
8. हमारे कार्यपालकों ने मासिक आधार पर एनपीए के संचलन पर कडी निगरानी रखी जा रही है एवं दिनांक 31.03.2016 को वर्ष के दौरान विधिक कार्रवाई/ सरफेसी के तहत संपत्ति बेचने के साथ साथ एकबारगी समझौता योजनाओं के तहत लघु ऋण खातों में वसूली के माध्यम से एनपीए खातों में वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया. क्षेप्र/आंप्र की समीक्षा बैठक में मुख्य ध्यान एनपीए खातों की वसूली पर रखा गया एवं कृषि तथा एसएमई ऋण खातों में वसूली के साथ ही ऐसे नए ऋण खातों के एनपीए में परिवर्तित होने को रोकने के लिए आवश्यक राशि की वसूली पर विशेष जोर दिया गया.
9. प्रत्येक अंचल तथा क्षेत्र में एनपीए की पूर्ण निगरानी के उद्देश्य से तथा साथ ही लघु ऋण खातो में वसूली तथा 4 ओटीएस योजनाओं के कार्यनिष्पादन हेतु प्रत्येक माह वीडियो कॉन्फ्रेस आयोजित की जा रही है. सभी क्षे.का/आं.का./एआरबी के साथ ₹ 1 करोड़ एवं अधिक के सभी खातों पर बात की जा रही है.
10. प्रत्येक माह वसूली कैंप आयोजित किये जा रहे हैं. इन कैंपों में बट्टे खाते में जीएमएफएआरसी खाते में वसूली करना भी अभियान का एक हिस्सा होगा.
11. हम वसूली के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए देश भर की एआरबी शाखाओं की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं.
12. हम सभी पात्र खातों के लिए सरफेसी कार्रवाई का कड़ाई से अनुसरण करा रहे हैं तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सरफेसी कार्रवाई ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के दायरे में आने वाले सभी एनपीए खातों पर पूरा हो जाय. हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरफेसी कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया का निष्कर्ष छ: महिने भीतर खातों को एनपीए होने पर निकाला है.
13. क्षेका/आंका तथा विधि अधिकारी की सक्रिय सहभागिता से तिमाही आधार पर जिला स्तर पर विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है.
14. एसपीबीटी महाविद्यालय, सीबीओटीसी भोपाल तथा कोलकाता एनपीए वसूली प्रबंधन पर एक सप्ताह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे तथा वसूली विभाग के कार्यपालकगण इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय कर रहे हैं.
15. लंबित मामलों के निपटान हेतु विधि अधिकारियों/समन्वयकों द्वारा डीआरटी में गहन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है.
16. बट्टा खातों में वसूली की स्थिति को सुधारने के लिए क्षेत्रों/अंचलों को वसूली के पृथक लक्ष्य आबंटित किए गया है.
17. ₹ 5.00 करोड़ एवं अधिक मूल्य के एनपीए खातों को दिनांक 31.03.2017 को अथवा उससे पूर्व उन्नयन/ समायोजन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कार्यालय के आंचलिक समंवयकों को यह सौंपा गया है.
18. सभी फील्ड महाप्रबंधकों/आंचलिक प्रबंधकों को ₹ 10 लाख एवं अधिक के एनपीए खातों की पहचान करने एवं उनकी नियमित अनुवर्ती कार्य के लिए उन्हें अधिकारियों को सौंपना तथा दिनांक 31.03.2017 को अथवा उससे पूर्व उन्नयन/ समायोजन सुनिश्चित करने के निर्दश दिए गए हैं.

बैंकाश्यूरेंस :

जीवन बीमा के लिए जीवन बीमा निगम तथा गैर- जीवन बीमा उत्पादों के लिए चोला एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कॉर्पोरेट एजेन्सी के तहत हमारे बैंक द्वारा बीमा सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है.

दिनांक 31.03.2016 की वर्ष समाप्ति पर कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशिष्टताएँ निम्नानुसार रही:

- एलआईसी के सभी बैंकाश्यूरेंस साझेदारों में जीवन बीमा पॉलिसियाँ हासिल करने में पॉलिसियों की संख्या के मामले में हमारे बैंक ने पहला तथा बीमा प्रीमियम संग्रहण के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया. बैंक ने 35368 पॉलिसियों एवं 153 करोड़ का प्रीमियम संग्रहण किया.
- साधारण बीमा व्यवसाय में, बैंक ने 279241 पॉलिसियों में ₹ 99 करोड़ प्रीमियम संग्रहित किया है.
- बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹ 1948 करोड़ की हुई है.

- वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या 424 बढ़ गई. अब बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय चलाने के लिए हमारे पास 2425 विनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं.
- बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय पर समग्र नीति दस्तावेज जारी किया गया है.
- आईआरडीएआई विनियम 2015 के अनुसार प्रस्तावित बहु बीमा टाय-अप के उद्देश्य के लिए एनआईडी विभाग से एक नया वर्टिकल 'बैंकाश्यूरेंस एवं म्यूचुअल फंड बनाया गया है.

डिपॉजिटरी सेवाएं:

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था के तहत बैंक डिपॉजिटरी सहभागी है. सभी परिचालन केन्द्रीकृत है तथा फोर्ट मुंबई स्थित नोड्ल शाखा पूँजी बाजार सेवायें शाखा द्वारा ये सेवायें प्रदान की जा रही है. मुख्य केंद्रों की शाखाएँ खाते खोलने, शेयरों का क्रय तथा विक्रय, शेयरों के बंधक तथा भौतिक प्रतिभूतियों को डीमैट करने की सेवायें प्रदान कर रही हैं. बैंक के पास करीब 24000 डी-मैट खाता धारक है.

ऑन-लाइन ट्रेडिंग :

सेन्ट ई-ट्रेड के नाम से बैंक द्वारा ''ऑन लाइन ट्रेडिंग'' सुविधाएँ प्रदान की जा रही है. बैंक के खाताधारकों जिनके डीमैट खाते भी बैंक में हैं उन्हें एक अग्रणी ब्रोकिंग फर्म मेसर्स एंजिल ब्रोकिंग लि. के साथ व्यवस्था के तहत बैंक इक्विटी शेयर तथा डेरिवेटिव्ज के ट्रेडिंग हेतु ऑन लाईन ट्रेडिंग़ सुविधा दी जा रही है. दिनांक 31.03.2016 को बैंक में ऑन लाइन ट्रेडिंग के लिए 250 खाते हैं.

आस्बा डी-मैट, समाशोधन बैंक, लाभांश वारंट का भुगतान, ब्रोकरों को ऋण / गारंटी जैसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए मुंबई में विशेष रुप से कैपिटल मार्केट सेवा शाखा प्रारंभ की गई है. यह ऑन लाइन ट्रेडिंग तथा आस्बा के लिए नियंत्रक शाखा भी है.

सूचना प्रौद्योगिकी

1. **कोर बैंकिंग समाधान**

   - दिसम्बर 2010 में बैंक ने अपनी 100% शाखाओं को केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में कवर कर लिया है. बैंक ने नवीनतम प्रौद्योगिकी बुनियादी संरचना स्थापित की है एवं ग्राहकों को परिचालनात्मक कार्यकुशलता एवं त्वरित सेवाएं देने को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है. विद्यमान कम्प्यूटिंग संसाधनों जैसे हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा एवं अन्य संबंधित आवश्यकताओं के अपडेशन / संवर्धन भविष्य के व्यावसायिक पुर्वानुमान एवं अन्य सांविधिक एवं सुरक्षा बाध्यताओं के अनुसार किया जाता है. संपूर्ण सेट अप सितम्बर 2017 तक की बैंक की आवश्यकताओं के अनुकूल है एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की प्रथा के अनुसार अगले 5 वर्षो के लिए नवीनीकरण किया जाता है.
   - बैंक द्वारा आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है तथा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की नीति के अनुरुप नियमित डीआर ड्रिल की जाती है. ग्राहकों के हित एवं बैंक की आस्तियां सुरक्षित करने के लिए सभी नीतियां एवं प्रक्रियां लागू की गई हैं.
   - बैंक ने नियर साईट अवधारणा क्रियान्वित की है ताकि शून्य डाटा हानि के साथ व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित की जा सके.
   - आवश्यकतानुसार सतत आधार पर अनेक नयी कार्यविधियां क्रियान्वित की जा रही है.

2. **नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी**

   - बैंक के कॉर्पोरेट नेटवर्क 4923 स्थानों पर व्याप्त है जिनमें एक्स्टेंशन काउंटर, एआरबी, बोर्ड के वित्तीय अनुमोदन के आधार पर बीएसएनएल के अलावा अन्य सेवा प्रदाताओं से 4000 शाखाओं में 2 एमबीपीएस बैंकअप लिंक खरीदा गया है.
   - बैंक ने बैंकअप के तौर पर वायर्ड/वायरलेस लिंक की खरीद के लिए मे. टाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड एवं मे. रिलांयन्स कम्यूनिकेशन लिमिटेड से टाय-अप किया है. सभी 4000 स्थानों पर व्यवहार्यता के आधार पर दिनांक 30 सितम्बर 2016 तक लिंक प्रारम्भ कर दिया जाएगा.
   - शाखा के कारोबारी समय के दौरान लगभग 100% अपटाइम बनाए रखने हेतु लगातार निगरानी रखी जाती है तथा नियंत्रण लागू किए गए है.
   - इंटरनेट फेसिंग एप्लिकेशंस के लिए आईपीवी6 क्रियान्वयन पूर्ण हो चुका है.

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल :

3. **इंटरनेट बैंकिंग**

   - इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) सुविधा 10000 यूजर को एक साथ सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है.
   - इंटरनेट बैंकिंग सुविधा अपने नये रूप तथा अहसास के साथ अनेक उत्पाद सेवाओं की वृहद श्रृंखला प्रदान कर रही है. इनमें खुदरा एवं कॉर्पोरेट ग्राहकों हेतु ऑन लाईन पासवर्ड बनाना, निधि अंतरण, ऑन लाईन कर जमा देखना, यूटिलिटी बिलों का भुगतान, विभिन्न सरकारी, एयरलाईंस/ मूवी टिकटों, शॉपिंग, मंदिर के लिए दान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए दान, विभिन्न संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों की फीस का ऑनलाइन

भुगतान, सरकारी, ई-भुगतान/ प्राप्तियाँ, खाते के नियमित विवरण के अलावा आवश्यकतानुरूप खाते विवरण, एनआरई/एनआरओ जमाओं सहित ऑन लाइन सावधि जमा इत्यादि शामिल हैं.

- नई सुविधायें इस प्रकार हैं:
  1. जमा तथा ऋण मॉडेलिंग,
  2. स्थायी अनुदेश तैयार करना,
  3. क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान,
  4. इंटरनेट बैंकिंग में एफसीएनआर जमाओं को देखना,
  5. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आयकर की ई-फाईलिंग,
  6. ग्राहक प्रभावित सीमाओं के लिए सुरक्षा विकल्प इत्यादि प्रारंभ करना, खातों को सिर्फ देखने इत्यादि हेतु चिन्हित करने की सुविधा प्रारम्भ की गई है.
  7. त्वरित लाभार्थी सक्रियता सुविधा समर्थित की गई है जिसमें जोड़े गए लाभार्थी निधि अंतरण के लिए 4 घण्टे पश्चात सक्रिय हो जाएंगे (24 घण्टे के पूर्व की कूलिंग अवधि कम हुई है) साथ ही शाखा के माध्यम से त्वरित सक्रियन सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
- ग्राहकों के माँग पर पहली बार हमारे बैंक में निम्नलिखित प्रयोजन मूलक विशिष्टताएँ प्रारंभ की गई हैं :
  1. भुगतान गेटवे द्वारा पेटेंट एवं डिजाइन इंटीग्रेशन
  2. मल्टी यूटिलिटी शुल्क संग्रहण को पूर्णत: समानुरुप तथा तत्कालिक परिनियोजित करने हेतु आवश्यक परिष्करण.
  3. आईएमपीएस के द्वारा विदेशी आवक धनप्रेषण
  4. एनईएफटी के द्वारा शुल्क संग्रहण
  5. खाते के सभी संबंधित धारकों को एसएमएस अलर्ट प्राप्त होने की सुविधा
  6. बारंबार उपयोग में आने वाली मदों पर त्वरित पहुंच के लिए ग्राहकों हेतु पसंदीदा मेंनू.
- आईएमपीएस लेनदेन, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग, ऑन लाइन रेलवे माल परिवहन बुकिंग के लिए कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा इ-फ्रेट आरटीजीएस/ एनईएफटी इत्यादि सुविधाएँ भी बैंकिंग द्वारा उपलब्ध है तथा कॉर्पोरेट (गैर- व्यक्ति) आईएनबी ग्राहकों के लिए बल्क अपलोड सहित आईएफबी के माध्यम से ग्राहकों को 24X7 एनईएफटी कार्यप्रणाली वर्तमान में उपलब्ध है. ऑनलाइन लेनदेन प्रसंस्करण सुविधा को द्रुतगामी बनाने के लिए लाइटवेट पेमेंट पेज सुविधा प्रारंभ की गई है.
- ओडिसा, बिहार सरकार के कर तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में संग्रहण के लिए बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर के माध्यम से एक बिल्कुल नया मॉडल लगाया है जिसमें 40 से ज्यादा बैंकों के ग्राहक कर जमा कर सकते हैं. बैंक द्वारा भुगतान पद्धति को कार्यान्वित करना, भोजन तथा अन्य ई-पीएओ.
- सेन्ट्रल बैंक ऐसा पहला बैंक है जिसने डीआईपीपी द्वारा आरंभित मिशन प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन भुगतान सुविधा प्रदान करने लिए ई-बिज से समेकीकरण किया है.
- कॉरपोरेट ग्राहकों हेतु आवश्यतानुरूप खाता विवरणी की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के तहत एनईएफटी द्वारा बल्क अपलोड की सुविधा भी उपलब्ध है. ग्राहक अपनी जरुरतों के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग उपयोग करते समय विभिन्न विकल्प चुन सकते हैं.
- वैयक्तिक आईएनबी ग्राहकों को पहले से ही उपलब्ध सेवाओं की तरह अब कॉर्पोरेट ग्राहकों को भी सिर्फ देखने की सुविधा युक्त आईएनबी / कर एवं यूटिलिटी बिल भुगतान सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है.

एम-पासबुक:

- मोबाईल एप्लीकेशन के रुप में ग्राहकों के लिए एम-पासबुक का शुभारंभ किया गया. जिसे गूगल प्लेस्टोर में हमारे ग्राहकों द्वारा बहुत सराहा गया है.

4. एसएमएस बैंकिंग/अलर्ट :

- एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों द्वारा किए गए व्यावसायिक लेनदेन संबंधी रियल टाइम अलर्ट से उनके खातों की सूचना उन्हें उपलब्ध कराई जाती है. वर्तमान में ग्राहकों द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में निम्नलिखित के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जाते है. 1) बचत खाते में ₹ 1000/- से अधिक तथा चालू/ओडी खाते में ₹ 10,000/- से अधिक की जमा/नामे 2) समाशोधन चेक नकारे जाने पर 3) निर्धारित न्यूनतम स्तर के खाते की शेष राशि कम होने पर 4)सावधि जमा की परिपक्वता से 7 दिन से पूर्व सूचना.

- नियंत्रण एवं निगरानी बनाए रखने के लिए शाखा प्रबंधकों तथा उच्च अधिकारियों को भी एसएमएस भेजे जाते हैं ताकि वे एनपीए सहित अन्य खातों एवं हाउसकीपिंग तथा शाखाओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण रख सकें.

5. मोबाईल बैंकिंग:

- सेन्ट मोबाइल एक मोबाइल बैंकिंग एपलिकेशन है जिसे परिवर्धित विशिष्टताओं के साथ हाल ही में पुन: प्रारम्भ किया गया है. उपयोगकर्ता इंटरनेट समर्थित हेंड सेट्स के माध्यम से कभी भी और कहीं भी अधिकांश बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं. सेन्ट मोबाइल एंड्राइड, एप्पल (आईओएस), विंडोज एवं बैल्कबेरी प्लेटफार्म्स पर उपलब्ध है. यह संबंधित प्ले स्टोर / एप स्टोर से डाउन लोड किया जा सकता है. प्री-लॉग इन विकल्प सभी के लिए उपलब्ध है पोस्टलॉग-इन विकल्प सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात हासिल कर सकते है.
- बैंक ने निम्नलिखित सुविधाओं के साथ नया मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन प्रारम्भ किया है :-

लॉगिन पूर्व विकल्प :

- कार्यालय पता, फोन नंबर, ई-मेल पता, एमआईसीआर कोड, पिन कोड, आईएफएससी कोड के साथ केन्द्रीय कार्यालय/आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, शाखाओं का सम्पर्क विवरण.
- शाखा एवं एटीएम अवस्थिति- जीपीएस आधारित मोबाइल हैंडसेट में नजदीकी एटीएम अथवा शाखा की सूची. राज्य, जिला, केन्द्र अथवा पिन कोड आधारित अखिल भारतीय खोज विकल्प भी उपलब्ध है.
- एटीएम /शाखा/प्रशासनिक कार्यालय के लिए दूरी एवं ड्राइविंग के लिए रास्ते को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र.
- शाखाओं /प्रशासनिक अधिकारियों/कॉल सेंटर के फोन नंबर प्रदर्शित करने के लिए डायल टच
- कॉर्पोरेट वेबसाईट के लिए लिंक, अधिकारिक सोशल मीडिया पृष्ठों (फेसबुक, ट्वीटर)? ई-मेल पता
- झूम विकल्प के साथ उत्पाद से संबंधित तथा बैंक की सेवाओं से संबंधित जानकारी का बैनर
- अलग-अलग परिपक्वता अवधि के लिए बचत और सावधि जमा पर ब्याज दरें.
- चयनित खुदरा ऋण योजनाओं पर ब्याज दरें.
- चयनित मुद्राओं के लिए (नकद, टीटी तथा बिलों के लिए) क्रय/विक्रय विदेशी मुद्रा दरें.
- एसएमएस द्वारा खाते की शेष राशि तथा पिछ्ले कुछ लेनदेनों के बारे में जानने के लिए बैंक की मिस्ड कॉल सेवा के लिए टच डायल.
- योजनाओं में वास्तविक समय अधिसूचना / नई उत्पाद के संबंध में अलर्ट /प्रस्ताव/ संशोधन आदि.
- कि वर्ल्ड पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न के मूल तत्व की खोज.

लॉगिन पश्चात विकल्प:

- खाता संबंधी कार्य-विशिष्टताएँ : खाता शेष पूछताछ (बचत/चालू/ओडी/सीसी/एफडी/ऋण/पीपीएफ खातों के लिए), खाता विवरण (बचत/चालू/ओडी/सीसी/एफडी/ऋण/पीपीएफ खातों के लिए), लघु विवरणी, निधि अंतरण, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के खाते में निधि अंतरण, एनईएफटी के माध्यम से अन्य बैंक के खातों में निधि अंतरण, आईएमपीएस के माध्यम से अन्य बैंक के खातों में निधि अंतरण, चयनित संस्थानों को दान एवं नए सावधि जमा (आवर्ती, एफडीआर एवं एमएमडीसी खाते) खाते खोलना.
- अनुरोध : एटीएम कार्ड (डेबिट) ब्लॉकिंग, आधार नंबर से खाता लिंक करना, वैयक्तिक एटीएम (डेबिट) कार्ड हेतु अनुरोध, चेक बुक अनुरोध, अंतरण रोको अनुरोध, भुगतान रोको निरस्तीकरण अनुरोध, चेक स्थिति पूछताछ, ई-मेल पर खाता विवरण पाने हेतु अनुरोध एवं एनईएफटी स्थिति पूछताछ.
- सेन्ट मोबाइल एप्लीकेशन हेतु फीडबैक/सुझाव/रेटिंग प्रस्तुत करने का विकल्प.
- बिल भुगतान सेवा : यूटिलिटी बिल भुगतान, मोबाइल/डीटीएच रिचार्ज.
- क्रेडिट कार्ड सेवाएं : सेन्ट्रल बैंक कार्ड संबंधी सूचनाएं, जैसे- उपलब्ध सीमा, बिल राशि, अनबिल्ड राशि, नवीनतम बिल सारांश, कार्ड विवरणी, रिवार्ड प्वाइंट्स, सेन्ट्रल कार्ड, संपर्क विवरण एवं सेन्ट्रल कार्ड बिल भुगतान एवं क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने का अनुरोध.

6. मिस्ड कॉल अलर्ट :

- यह सुविधा हमारे कासा ग्राहकों के लिए उप्लब्ध है, जिसके द्वारा ग्राहक विशिष्ट नंबर पर मिस्ड कॉल देकर खाते में शेष राशि की जानकारी और अंतिम तीन लेनदेनों की नि:शुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस नई अभिनव ग्राहकोन्मुखी पहल के लिए हमें भारतीय बैंक संघ से प्रशंसा भी प्राप्त हुई है.
- एक ही खाताधारक के बहु-खातों के खाते शेष एवं लघु विवरणियों को समाहित करने के लिए सुविधा का उन्नयन किया गया.

7. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड राशि (आस्बा) :

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनियों द्वारा शेयर्स के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की विद्यमान प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया है और ”एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (अस्बा) नामक पूरक प्रक्रिया शुरू की है. हम सभी ग्राहकों को अस्बा सुविधा प्रदान करते है. जिसके द्वारा निवेशक उनके खाते में आवेदन राशि को ब्लॉक करने तथा उसके पश्चात आबंटन राशि प्रेषित करने के लि बैंक को प्राधिकृत कर सार्वजनिक निर्गम हेतु आवेदन कर सकते हैं. यह सुविधा आस्बा समूहन एवं ई-आईपीओ के लिए भी विस्तारित की गई है.

8. किओस्क बैंकिंग:

नगद जमा, शेषराशि पूछताछ सुविधाओं के साथ बैंक ने 250 स्वंयसेवा किओस्क मशीनें स्थापित की है. इसके अलावा नकद जमा, शेषराशि पूछ्ताछ, लघु विवरणी, पास बुक प्रिंटिंग, चेक जमा तथा इंटरनेट बैंकिंग सेवा सहित 400 मल्टी-फंक्शन किओक्स मशीनें स्थापित की है.

अन्य परियोजनाएँ

9. वेबसाइट :

- ग्राहकों की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए, वेबसाइट के आकर्षक प्रदर्शन एवं अनुभूति में निरतंर बदलाव किया जा रहा है. यह वेबसाइट रिटेल ऋणों, जमा खातों इत्यादि के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करती है तथा ग्राहक अपनी शिकायतें भी इस पर दर्ज कर सकते हैं. सुरक्षा लेखापरीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है. बैंक की विद्यमान वेबसाइट को नई डिजाइन के साथ नए रुप में बनाने का कार्य चल रहा है.

10. भारिबैं भुगतान गेटवे प्रणाली :

- सभी सीबीएस शाखाओं को स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग(एसटीपी) का उपयोग करते हुए आरटीजीएस तथा एनईएफटी समर्थित किया गया है. दिनांक 31 मार्च 2016 को 4811 शाखाएं/विस्तार पटल/ एसएसबी/कार्यालयों को आरटीजीएस समर्थित किया गया है एवं 4823 शाखाओं / विस्तारपट्ल / एसएसबी /कार्यालयों को एनईएफटी समर्थित किया गया है. आरटीजीएस/ एनईएफटी दोनों ही हमारे बैंक में स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) के अंतर्गत हैं.
- रिटेल तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों को भी इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी हमारे बैंक के भुगतान गेटवे के माध्यम से एनईएफटी सुविधा उपल्ब्ध कराई गई है. इसके अलावा बैंक ने उप-सदस्य व्यवस्था के अंतर्गत 40 सहकारी बैंकों को भी एनईएफटी सुविधा विस्तारित की गई है.
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के शुरुआत करने के साथ ही हमारे बैंक में नेक्स्ट जेन आरटीजीएस (एनजी- आरटीजीएस) सक्रिय कर दिया गया.

11. भुगतान इंटीग्रेटर सोल्युशन (एफटीएम):

लम्बी कतार के कारण भुगतान प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को टालने के लिए क्षमता निर्माण कार्रवाई की गई है तथा समय सीमा के अनुपालन हेतु मल्टी थेट प्रोसेसिंग शुरू की गई है. बैंक ने विभिन्न बेच प्रसंस्करण कार्यों जैसे- खाता सं., इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली(एनईसीएस), सरकारी भुगतान (जीईपीजी), पेंशन प्रसंस्करण, ईएफएमएस ग्रहणाधिकार हटाना एवं लेनदेन प्रसंस्करण के माध्यम से (आस्बा एवं स्रोत) वेतन भुगतान के लिए एचआरएमएस एकीकरण, आवक स्विफ्ट संदेशों का एकीकरण (एमटीस 103) सहकारी बैंक, एनईएफटी, त्वरित प्रेषण, एनजीआरटीजीएस, सीपीएसएमएस- डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, पैन सत्यापन(सीबीएस में सीआईएफ बनाते समय) ई-प्रेषण (फ्लैश रेमिटेंस) ट्रेजरी एकीकरण, डीडीए हेतु आरटीजीएस, आधार आधारित ईएफएमएस, मनरेगा आधार सीडिंग, सीटीएस कोर बैंकिंग पद्धति के साथ सीएमएस इत्यादि के प्रभावी कार्यांवयन हेतु भुगतान एकीकरण सोल्यूशन (एटीएम) स्थापित किया है.

12. चेक ट्रंकेशन प्रणाली :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार निम्नलिखित स्थानों पर चेक ट्रंकेशन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा चुकी है :

- दक्षिण ग्रिड के सभी चयनित केंद्र यथा हैदराबाद, विजयवाडा, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, बैंगलुरु, बेलगाम, हुबली, मैंगलोर, मैसूर, एर्णाकुलम, कोझीकोड, त्रिचूर, त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर, कटक, पुदुचेरी, चेन्नै, कोयम्बत्तूर, इरोड, कन्नूर, मदुरै, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली , त्रिउपुर, कोलकाता, वेल्लोर, तिरुअन्नामलाई, कोल्लम आदि.
- उत्तर ग्रिड में सभी चयनित केंद्र में सीटीएस परिचालित है जैसे आगरा, देहरादून, चंडीगढ, अमृतसर, जम्मू, जालंधर, लुधियाना, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाडा, कोटा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, जमशेदपुर, राँची, अजमेर, बीकानेर, पानीपत, पटियाला आदि.
- पश्चिमी ग्रिड में सफलतापूर्वक सभी चयनित क्षेत्रों में सीटीएस परिचालन में है. अहमदाबाद एसएसबी, स्टेशन रोड, बडौदा, आणंद, जामनगर, भावनगर, राजकोट, सूरत, भोपाल एसएसबी, ग्वालियर, इंदौर एसएसबी, जबलपुर, मुंबई एसएसबी, पणजी (गोवा), नागपुर एसएसबी, औरंगाबाद, नासिक, कोल्हापुर (लक्ष्मीपुरी) पुणे एसएसबी, शोलापुर, रायपुर एसएसबी, वापी, देवास, रतलाम, उज्जैन, भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, पोरबंदर, सहर, मिल एरिया इंदौर, अंकलेश्वर आदि.

12. कॉल सेन्टर :

- बैंक ने दिनांक 6 जुलाई 2011 से कॉल सेन्टर की स्थापना की है तथा यह सुगमतापूर्वक कार्य कर रहा है.
- वर्तमान में कॉल सेन्टर द्वारा विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं. जैसे, बैंक के उत्पाद तथा सेवाओं की सूचना, शाखा/एटीएम लोकेशन की सूचना, ब्याज दर तथा सेवा प्रभारों पर सूचना, शेष राशि पूछ्ताछ, लेनदेन जानकारी, चेक नंबर की जानकारी, डेबिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग, ब्याज अर्जित/ब्याज भुगतान की जानकारी, टीडीएस जानकरी, लेनदेन विवरण, जारी या जमा किए गए चेक की स्थिति, सीडी/सीसी/ओडी ऋण सीमा एवं ब्याज की जानकारी बैंक के ग्राहकों की शिकायतें रिकार्ड करना तथा उपयुक्त स्तर पर समाधान हेतु उन्हें बैंक की ग्राहक शिकायत प्रणाली में फीडिंग करना.
- बैंक ने कॉल सेन्टर में सीआरएम कार्यान्वित किया है.
- ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को देखते हुए तथा उन तक प्रभावी तरीके से पहुँचने के उद्देश्य से एक नया कॉल सेन्टर स्थापित किया जा रहा है. इसकी मदद से बैंक अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे उत्पादों के बारे में जागरुकता लाने के लिए बाहरी कॉल किए जा सकेंगे.
- बैंक एक अत्याधुनिक कॉल सेन्टर की स्थापना करने की प्रक्रिया में है, जो अधिक सीटों वाली एवं और अधिक कार्यक्षेत्र को कवर करेगी.

13. सिंगल डाटा रिपोजटरी (एसडीआर):

बैंक ने सिंगल डाटा रिपॉजिटरी की स्थापना की है, जो पूरे बैंक में सूचना/रिपोर्ट प्रदान करने का एक स्रोत होगा. यह उच्च प्रबंधन को सत्यतापूर्ण रिपोर्टिंग के विभिन्न डैशबोर्डस उपलब्ध कराते हुए रिपोर्टिंग की तारतम्यता सुनिश्चित करेगा. जिससे निर्णय सहायता प्रक्रिया में अभिवृद्धि होगी. बैंक का एएलएम मॉड्यूल, विश्लेषणात्मक सीआरएम तथा कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन निगरानी इस परियोजना के भाग हैं, जिन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है. बैंक की एडीएफ रिपोर्ट/ एमआईएस रिपोर्ट/ डैशबोर्ड, डाइनेमिक एएलएम, फंड ट्रांसफर प्राइसिंग मॉड्यूल इत्यादि कार्यान्वयन हेतु अंतिम चरण में है.

14. एचआरएमएस :

बैंक ने पीपुलसॉफ्ट के सहयोग से नवीन तकनीक युक्त एचआरएमएस सोल्युशन (स्वदर्पण) कार्यान्वित किया है जिसमें सभी कार्यों जैसे कर्मचारी स्वंय सेवा, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रबंधन, वेतन रजिस्टर प्रबंधन, दौरा अनुमोदन एवं दावा प्रसंस्करण, एलएफसी का प्रबंधन, अवकाश एवं उपस्थिति प्रशासन, कर्मचारी सूचना प्रणाली, स्टाफ ऋण प्रसंस्करण, चिकित्सा सहायता का प्रबंधन, एचआरडी/विधि विभाग, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रभाग (डीएडी), ग्रेच्युटी प्रबंधन/भुगतान, भविष्य निधि डाटा प्रबंधन एवं भुगतान, एनआरडब्ल्यू भुगतान प्रसंस्करण, रिहायशी क्वार्टर्स का आबंटन, समाचार पत्र प्रतिपूर्ति रिपोर्ट (स्टाफ संख्या, पेरोल, फार्म 16 अवकाश, यूनियन, वेतनवृद्धि रिपोर्ट), प्रशिक्षण प्रबंधन एवं मानव शक्ति प्रशिक्षण (एमपीटी), निवेश, पदोन्नति परीक्षा आवेदन फार्म, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन फॉर्म एवं सम्बद्ध रिपोर्ट, ब्रीफकेस, रजत जयंती पुरस्कार प्रतिपूर्ति इत्यादि की एचआरएमएस में द्विभाषी सुविधा कार्यान्वित की गई है.

बैंक वर्तमान में एचआरएमएस में एक डीआर सुविधा को स्थापित करने की प्रक्रिया में है.

15. इन हाउस डवलपमेंट :

- बैंक के पास एक सुदृढ आईटी डवलपमेंट टीम है, जो बैंक के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर हेतु प्रभावी कार्य करती है तथा इस प्रकार यथासंभव उनकी आउट्सोर्सिंग बचाती है. बैंक ने रेलवे, डिफेंस, सिविल, टेलिकॉम, पोस्टल, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, डीयूएसआईबी, डीडीए इत्यादि के पेंशन के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन मॉड्यूल विकसित किया हैं. जो इस टीम की एक बडी उपलब्धि है. यह इन - हाउस टीम विभिन्न विभागों एवं प्रशासनिक कार्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे बाहरी वेंडरों पर निर्भरता कम हो गई है.
- **निम्नलिखित इनहाउस डवलपमेंट पूर्ण किए गए हैं;**
- सतर्कता-शिकायत निगरानी प्रणाली (वी-सीएमएस)
- ओआरपी- वन रैंक पेंशन- डिफेन्स पेंशनर्स हेतु एरियर
- आंचलिक/क्षेत्रीय प्रबंधक हेतु ई-वीआरएस (इलेक्ट्रॉनिक विजिट रिपोर्टिंग सिस्टम)
- पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एवं एपीवाई योजनाओं हेतु पोर्टल
- लीज डीड पोर्ट्ल : यूजर विभाग द्वारा सुझाये गये बदलाव समाहित कर परिष्कृत पोर्टल
- डीबीटीएल : शाखाओं द्वारा गैस ग्राहक सं. की सीडिंग के लिए डीबीटीएल विकसित किया गया.
- जीवन प्रमाण पोर्टल : पेंशन डेटाबेस में जीवन प्रमाणपत्र का अपडेशन

- सीएफएसएल: - एफडीआर एवं शेयर मॉड्यूल विकसित किए गए. मर्जर, समेकन, डीमर्जर जैसे मॉड्यूल को भी सक्रिय कर दिया गया है.
- ग्राहक सेवा समिति बैठक पोर्टल : ग्राहक बैठकों के विवरण तैयार करने के लिए शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों /आंचलिक कार्यालयों को उपलब्ध कराये गए हैं.
- एलडीएम पोर्टल :- विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों से संबंधी डाटा को सृजित करने के लिए अग्रणी जिला प्रबंधक हेतु पोर्टल.

विकसन प्रक्रियाधीन परियोजनाएं :-

- ई-चैनल मैनेजर :- कुछ रिपोर्टों का सृजन विकसन प्रक्रिया के अधीन है, जिसे इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा.
- शैक्षिक अनुदान : डाटा परिमार्जन के विकसन का कार्य पूर्ण हो चुका है और रिपोर्ट सृजन विकसन प्रक्रियाधीन है.
- अनुशासनिक जांच के मामले की प्रगति को देखने एवं पंजीकरण के लिए सतर्कता विभाग को अनुशासनिक जांच मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है.
- मालसूची रखरखाव प्रणाली : परिसंपत्तिओं कब्ज़ा एवं क्रय आदेशों के विवरण हासिल करने के लिए क्षेत्रों एवं अंचलों में प्रायोगिक तौर पर पोर्टल लगाया गया है, जिसका फीडबैक प्रतीक्षित है.

16. बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी:

- बैंक के पास वर्तमान में 1629 शाखाओं वाली 3 आरआरबी हैं. मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार समेकन प्रक्रिया के पश्चात सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत हैं और यह प्रयास किए जा रहे हैं कि बैंक द्वारा की जा रही प्रौद्योगिकी पहल के समान स्तर पर आरआरबी की प्रौद्योगिकी पहल को स्थापित किया जाए. बैंक की वर्ष 2020 तक की अपेक्षाओं के अनुरूप सम्पूर्ण प्रणाली को सुसज्ज किया गया है. हार्डवेयर, नेटवर्क एवं सुरक्षा उपकरण इत्यादि की खरीद की आरएफपी प्रक्रिया के अंतर्गत की जा रही है. आरआरबी के व्यवसायिक प्रगति एवं शाखा विस्तार की परिकल्पना के अनुसार नवीकरण किया जा रहा है. वर्तमान में आरआरबी की शाखा नेटवर्क मुख्य रूप से वी-सैट पर आधारित है. इसलिए, नवीकरण प्रक्रिया में सभी शाखा स्थानों पर भी एमपीएलएस लीज्ड लाइन लिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है. जो स्थान व्यवहार्य पाए जायेंगे वहां लीज्ड लाइन प्रारंभ कर दी जाएगी.
- प्रायोजित बैंक की सभी प्रौद्योगिकी पहलें कार्यान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और फिलहाल प्रारंभ की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार:-
  - आरआरबी ग्राहकों के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा
  - आरआरबी में एसएमएस एलर्ट प्रारंभ करना
  - एफआई लेन-देनों के लिए ऑन-लाइन इंटरफेस
  - किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ
  - सीपीएसएमएस का कार्यान्वयन
  - अति लघु शाखाओं की प्रयोजनीय कार्यपद्धति
  - एपीबीएस/एसीएच का शुभारंभ
  - सिबिल डाटा निष्कर्षण
  - शाखा में सीबीएस प्रयोगकर्ता हेतु बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सोल्यूशन का कार्यान्वयन
  - रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से पीओएस सुविधा
  - एईपीएस (हमारे बैंक पर) का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है.
  - आरआरबी की व्यापक आईएस लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी है.
  - सभी 3 आरआरबी में डीबीटीएल/एसीएच कार्यान्वित कर दिए गए हैं.
  - ई-केवाईसी का कार्यान्वयन
  - माइक्रो एटीएम के माध्यम से रुपे कार्ड लेनदेन का प्रयोग.

17. वित्तीय समावेशन अभिक्रम :

आईबीए द्वारा हमारे बैंक को 'वित्तीय समावेशन में बेस्ट टेक्नोलॉजी इनिशियेटिव्स" का रनर अप अवार्ड प्राप्त हुआ. आवश्यक प्रौद्योगिकी पहल सहायता उपलब्ध कराते हुए सरकार द्वारा यथा निर्देशित सभी वित्तीय समावेशन पहलों को प्रारंभ किया गया है.

- आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) सक्रिय किया है.
- एलपीजी उपभोक्ता हेतु डीबीटी का कार्यान्वयन एवं अस्वीकृत को कम करने हेतु निगरानी
- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एइपीएस) सक्रिय है.

- मनरेगा लाभार्थी के आधार हेतु बल्क आधार सीडिंग की सुविधा
- वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से भी उपलब्ध है - एटीएम, एसएमएस एवं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आधार सीडिंग
- दिनांक 31 मार्च, 2016 तक कुल 144 लाख आधार सीडिंग
- एफआई ग्राहकों के लिए केन्द्रीय बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन
- एफआई में सीएससी किओस्क बैंकिंग मॉडल के स्थान पर टीसीएस कियोस्क बैंकिंग मॉडल का कार्यान्वयन
- ई-केवाईसी - सभी शाखाओं में कार्यान्वित कर दिया गया है.
- डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण- एनपीसीआई के माध्यम से डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण लेनदेन से उत्पादकता की प्रवृति एवं प्रदर्शन में सक्रियता
- सीबीएस में तीन नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारम्भ.
- बीसी उपकरणों के माध्यम से रुपे कार्ड लेन-देन प्रत्यक्ष उत्पादन में है.
- नए आरएफपी तकनीकी सेवा प्रदाता मेसर्स अत्याती सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं.

18. आईटी गवर्नेंस:

- बैंक में आईटी कार्य नीति समिति, आईटी संचालन समिति एवं आईटी जोखिम प्रबंधन समिति के गठन से बैंक में आईटी गवर्नेंस के लिए आवश्यक संरचना तैयार की गई है. सूचना प्रौद्योगिकी नीति और पीसी, प्रिंटर्स, एटीएम इत्यादि के निपटान हेतु हार्डवेअर निपटान नीति का अनुमोदन आई टी संचालन समिति द्वारा कर दिया गया है.
- कार्यपालकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आवंटित करने, उनके स्थानांतरण पर उन्हें वापस करने/ले जाने तथा पुनर्रआबंटित करने तथा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के समय उन्हीं के पास रहने देने में पारदर्शिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपरान नीति अपनाई गई है. समय के चलते इस प्रकार की उपकरणों की खरीद विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों/व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगी. अत: यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हो.
- सूचना प्रौद्योगिकी नीति के संस्करण 1.3 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया था. आईटी का संगठनात्मक ढांचा बैंक द्वारा की जा रही व्यवसायिक गतिविधियों के आकर, प्रमाण एवं प्रकृति के अनुरूप तथा व्यावसायिक परिचालन के लिए सूचना प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराये गए अन्तर्निहित समर्थन के अनुरूप होना चाहिए. आईटी संगठनात्मक संरचना के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में 'तकनीक एवं विकास", 'आईटी परिचालन", 'आईटी एश्योरेंस" एवं 'आपूर्तिकर्ता 'तथा 'संसाधन प्रबंधन" शामिल होंगे. आईटी विभाग आदर्श स्थिति में उच्च कार्यपालक की श्रेणी के अधिकारी तथा महाप्रबंधक एवं उनके सहयोग हेतु उप महाप्रबंधक द्वारा संचालित होना चाहिए. आईटी विभाग का प्रत्येक कार्यरूप वर्टिकल समुचित रूप से अनुभवी एवं प्रशिक्षित वरिष्ठ अधिकारियों, जो कम-से-कम यथा संभव सहायक महाप्रबंधक श्रेणी के हों, द्वारा संचालित होना चाहिए.
- बेहतर प्रबंधन हेतु बैंक द्वारा पैच प्रबंधन नीति एवं नक़ल रोधी नीति को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया है.
- आई टी कार्यनीति समिति की सलाह के अनुसार संतुलित स्कोर कार्ड नियमित रूप से तैयार कर उसका प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है तथा आई टी परियोजनाओं के विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की रेटिंग की जा रही है. आईएसओ-27001 प्रमाणन और बीएसएमएस-25999 प्रमाणन के लिए निगरानी प्रक्रिया और आंतरिक लेखापरीक्षा की गई.

19. सूचना सुरक्षा:

- बैंक ने हमारे डाटा केन्द्र और आपदा पुनर्स्थापन केन्द्र के लिए आईएसओ 27001:2005 आईएसएमएस प्रमाणन का नवीकरण पूर्ण कर लिया है.
- बैंक ने हमारे डाटा केन्द्र और आपदा पुनर्स्थापन केन्द्र के लिए आईएसओ 23001:2012 बीसीएमएस प्रमाणन का नवीकरण पूर्ण कर लिया है.
- विभिन्न सूचना सुरक्षा नियंत्रणों/गतिविधियों की प्रभाविता के निर्धारण/उपाय के लिए सूचना सुरक्षा बैलेंस्ड स्कोर कार्ड की शुरुआत की गई है. सूचना सुरक्षा के सम्बन्ध में इस महत्त्वपूर्ण पहल के लिए हमारे सीआईएसओ को डाइनेमिक सीआईएसओ के पुरस्कार हेतु चुना गया है.
- सीईआरटी-इन (भारतीय कम्प्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया दल) द्वारा आयोजित साइबर ड्रील में सहभागिता की.
- आईटी अधिनियम 2000 की धारा 70 (2008 में संशोधित) के अंतर्गत बैंक की संवेदनशील आस्तियों को संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित करने के लिए कदम उठाये गए हैं. इस सम्बन्ध में एनसीआईआईपीसी तथा भारत सरकार को पत्र भेजे गए हैं.
- डीसी/डीआर की विभिन्न प्रणालियों के विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए विशिष्ट पहचान प्रबंधन समाधान (पीआईएम) खरीदने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है.
- डीएलपी (डाटा क्षति संरक्षण) को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने हेतु कदम उठाये गए.
- सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए सीआईएसओ को इन्फोसेक मैस्ट्रो अवार्ड एवं डाइनेमिक सीआईएसओ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. इसके आलावा, उनके सहायक अधिकारी (मुख्य प्रबंधक-सूचना सुरक्षा) को सीआईओ एंड लीडर द्वारा प्रस्थापित सीएसओ नेक्स्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

20. सीबीएस यूजर्स (स्टाफ) के लिए बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन:

- अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के तौर पर बैंक ने बायोमीट्रिक अभिप्रमाणन प्रणाली (बीएएस) का कार्यान्वयन पूर्ण कर लिया है.
- सभी शाखाएं और कार्यालय बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन समर्थित हैं और सभी लेनदेन समर्थता उपयोगकर्ताओं को बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सीबीएस में लॉगिन करना अनिवार्य बनाया गया है.

21. जीवन प्रमाण

पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के सृजन हेतु हमारे बैंक के सभी क्षेत्रीय/आंचलिक/शाखाओं में जीवन प्रमाण एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया गया है. केंद्र सरकार/सेना/राज्य सरकार के पेंशनर्स किसी भी आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.

22. विविध परियोजनाएं:

- नए ई-ट्रेजरी सोल्यूशन का कार्यान्वयन
- नए एएमएल सोल्यूशन का कार्यान्वयन
- ई-टीडीएस प्रणाली का कार्यान्वयन
- अवरोहीकरण परीक्षण का स्वचालन
- एनएसीएच का कार्यान्वयन
- बाजार जोखिम के लिए हार्डवेअर की खरीद
- एनएसीएच उत्पादों के लिए होस्ट 2 होस्ट संबद्धता का कार्यान्वयन
- देशी एलसी के लिए एसएफएमएस प्लेटफार्म उन्नयन कार्यान्वयन
- सिस्टम संचालित आईबीआर का कार्यान्वयन
- निक(एनआईसी) के द्वारा मेल मैसेजिंग प्रणाली एवं वीडियो कॉन्फ्रेसिंग
- आईटी संबंधी विद्यमान नीतियों की समीक्षा
- कार्पोरेट आईएनबी ग्राहकों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का कार्यान्वयन
- माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे लाइसेंसशुदा उत्पादों के उपयोग का नियमन
- सभी व्यवहार्य स्थानों पर बैकअप लिंक के रूप में ऑपेक्स मॉडल पर केयू बैंड वीसैट का क्रियान्वयन किया गया है.
- डेबिट कार्डो के लिए अधिप्रमाणन के लिए दूसरे घटक के रूप में ओटीपी का कार्यान्वयन
- सीपीएसएमएस - डिजिटल हस्ताक्षर और पीओएस प्रमाणन
- वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा का व्यापक प्रयोग जिसे बैंक के कार्पोरेट नेटवर्क, इंटरनेट एवं आईपैड पर उपलब्ध कराया गया.
- इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन
- ऑफ-साइट निगरानी - ऑफ-साइट निगरानी के लिए लेखा परीक्षा विभाग को 66 रिपोर्टें दी जा चुकी हैं.
- बैंक डीएमएस तथा प्रिंट मैनेजमेंट सौल्यूशन के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में है.

23. नकद प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस):

- सीएमएस के अधीन, हम अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप विशिष्ट संग्रहण भुगतान सोल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं.
- मै. ओरियनप्रो द्वारा तैयार एवं विकसित उन्नत सीएमएस एप्लिकेशन को 01 जनवरी 2015 से क्रियान्वित कर दिया गया है. इस एप्लिकेशन के दो मुख्य मॉड्यूल्स अर्थात भुगतान और संग्रहण हैं. भुगतान मॉड्यूल के अंतर्गत किए गए डीडी आहरण उप-मॉड्यूल को कार्यान्वित किया जा चुका है.

24. क्लास:

- क्लास एक ऋण प्रवर्तन सॉफ्टवेर है, जिसका पूर्ण स्वरूप केन्द्रीयकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं पर्यवेक्षण है.
- यह रिटेल, कृषि, एमएसएमई एवं कॉर्पोरेट मॉड्यूल के साथ निगरानी मॉड्यूल के साथ क्रियान्वित किया जाता है.
- इस प्रणाली के लागू करने से ऋणों की स्वीकृति के नियमों को लागू करना आसान हो गया है तथा सभी शाखाओं में एकसमान प्रक्रिया लागू हो गई है.
- वर्तमान में, इस सॉफ्टवेर का उपयोग सभी शाखाओं के द्वारा रिटेल ऋणों इत्यादि के अंतर्गत ऋण आवेदन प्रवर्त करने में किया जाता है.
- इस सॉफ्टवेर के अंतर्गत रिटेल ऋण आवेदनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की सुविधा उपलब्ध है.
- इन्टरनेट पर इस सॉफ्टवेर के द्वारा ऋण आवेदनों की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जानकारी के लिए भी सुविधा उपलब्ध है.

- हाल ही में शैक्षणिक ऋणों के लिए प्रस्तुत किया गया एनएसडीएल विद्यालक्ष्मी पोर्टल पहले से ही क्लास से सम्बद्ध कर दिया गया है.
- इस सॉफ्टवेर में भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण चूककर्ता सूची प्रदर्शित करने की क्षमता है.

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक की शाखाएं आंतरिक लेखापरीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन है और सम्मिश्र जोखिम ढांचे के अनुसार प्रत्येक शाखा को जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है. दिनांक 31.03.2016 को 2300 शाखाएं मध्यम जोखिम रेटिंग, 2296 शाखाएं निम्न जोखिम रेटिंग एवं 64 शाखाएं उच्च जोखिम रेटिंग में वर्गीकृत हैं. बैंक की कोई भी शाखा बहुत अधिक जोखिम रेटिंग एवं अत्यधिक जोखिम रेटिंग के अंतर्गत नहीं हैं.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, 32 क्षेत्रीय कार्यालयों, 13 आंचलिक कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के 13 विभाग प्रबंधन लेखापरीक्षा के अधीन थे.

बैंक ने 994 शाखाएं/एसएसबी/के.का. विभागों को सनदी लेखाकार की फर्मों द्वारा संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर किया है. बैंक की सभी 7 कॉर्पोरेट वित्त शाखाएं बैंक के वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों द्वारा संगमी लेखा परीक्षक के अंतर्गत हैं. दिनांक 31.03.2016 की कुल जमा राशि का लगभग 56% और कुल अग्रिमों का 77% संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर किया है. 330 फर्में भारिबैं श्रेणी I की, 260 श्रेणी II की, 216 श्रेणी III की और श्रेणी IV की 188 फर्में हैं.

इनमें से, 761 फर्में ऐसी हैं जिनके पार्टनरों/कर्मचारियों ने आईसीएआई द्वारा आयोजित बैंक की संगामी लेखापरीक्षा का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूर्ण किया हैं. इससे संगामी लेखापरीक्षकों की कवरेज और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलती है.

बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के दिशानिर्देशोंनुसार ऑफसाईट निगरानी प्रणाली प्रारंभ की है और वर्तमान में, 58 परिदृश्यों पर एलर्ट जनरेट किए जा रहे हैं.

शाखा विस्तार

- दिनांक 31 मार्च 2016 को, बैंक के नेटवर्क में कुल 4728 शाखाएं हैं, 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएं, 5254 एटीएम, 29 सेटेलाइट कार्यालय एवं 4 विस्तार पटल हैं. देश के सभी 28 राज्यों, 7 में से 6 केन्द्र शासित प्रदेशों, 561 जिला मुख्यालयों एवं 642 जिलों में से 568 जिलों में उपस्थिति के साथ बैंक का देशव्यापी विस्तार है.

शाखाओं का वर्गीकरण

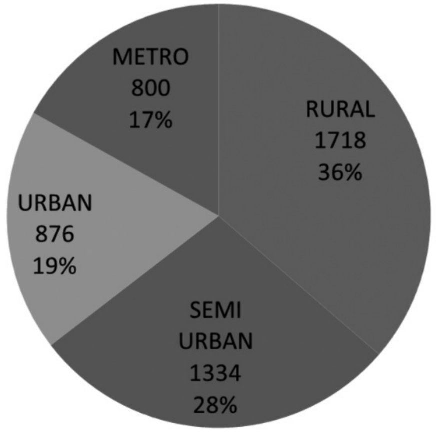

परिचालन

- ग्राहकों से संबंधित सभी नीतियां अर्थात चेक वसूली संग्रहण नीति, क्षतिपूर्ति नीति, बैंक जमा नीति, शिकायत निवारण प्रणाली को संशोधित किया गया और वर्ष के दौरान इसे अद्यतन किया गया.
- बैंक के नये कॉल सेंटर परिवर्धित एवं अधुनातन सुविधाओं के साथ दिनांक 30.06.2016 तक कार्य करने लगेंगे.
- बैंक ने शाखा स्तर पर प्रचलित उपलब्ध सुविधाओं की आधारभूत वास्तविकता को जानने हेतु शाखाओं में 'मिस्ट्री शॉपिंग" की अवधारणा शुरू की है, इससे शाखाओं द्वारा दी जा रही ग्राहक सेवा के स्तर का मूल्यांकन किया जा सकेगा.
- सितम्बर, 2015 से टीडीएस का केंद्रीयकृत सम्प्रेषण लागू किया गया है.
- ग्राहक अधिकार नीति को अद्यतन किया गया है.
- ग्राहक सेवा समिति पोर्टल तैयार कर, उसे सक्रिय किया जाएगा.

ग्राहक शिकायतें

बैंक के पास आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के एक भाग के रूप में यूजर फ्रेन्डली विशेषताओं के साथ शिकायत पोर्टल है. ग्राहक द्वारा बैंक स्टाफ के दुर्व्यवहार की शिकायतों पर कोई सहनशीलता न रखने के लिए बैंक ने दुर्व्यवहार की घटनाओं की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु अन्य पीएसबी के सेवानिवृत्त महाप्रबंधकों के पैनल का गठन किया है.

राजभाषा :

- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, '**भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शील्ड**' के अंतर्गत हमारे बैंक को वर्ष 2013-14 के लिए, राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वियन हेतु भाषिक क्षेत्र '**ग**" में '**प्रथम**' एवं भाषिक क्षेत्र '**क**' में '**तृतीय**' पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया. इन पुरस्कारों को भारतीय रिज़र्व बैंक के माननीय गवर्नर श्री रघुराम जी. राजन के कर-कमलों से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजीव ऋषि ने ग्रहण किए.
- वर्ष 2015-16 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वियन के लिए, हमारे बैंक को '**प्रथम**' पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा गुजरात राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वियन के लिए, हमारे बैंक को '**द्वितीय**' पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की ओर से भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वियन के लिए हमारे आंचलिक कार्यालय, रायपुर एवं गुवाहाटी को '**प्रथम**' पुरस्कार तथा क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी-गोवा, बरपेटा रोड़ को '**द्वितीय**' पुरस्कार और क्षेत्रीय कार्यालय, अपर असम को '**तृतीय**' पुरस्कार प्रदान किया गया.
- वित्तीय वर्ष के दौरान, हमारे 30 से अधिक आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वियन समितियों (टॉलिक) से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. हमारा बैंक भोपाल, ग्वालियर, रायपुर एवं मदुरै में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति का समन्वयक बैंक भी है.
- हमारे अधिकांश आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के राजभाषा कक्षों द्वारा हिन्दी ई-पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं.
- संसदीय राजभाषा समिति द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वियन के मूल्यांकन हेतु दिनांक 13.02.2016 को हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा एवं दिनांक 07.01.2016 को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु तथा दिनांक 09.04.2015 को हमारे शाखा कार्यालय, कालिम्पौंग का निरीक्षण किया गया. समिति ने हमारे बैंक द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वियन के क्षेत्र में किए गये हमारे प्रयासों की प्रशंसा की.
- हमारे बैंक में कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है. हम अपने ग्राहकों को पासबुक, ड्राफ्ट, मीयादी जमा रसीद एवं खाता विवरणियां हिन्दी में प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई है. हमने इंटरनेट बैंकिंग में हिन्दी के प्रयोग की सुविधा प्रदान की है. हमारे ग्राहकों को हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस भेजने के लिए भी प्रावधान किया गया है. हमारे बैंक की वेबसाइट द्विभाषिक है तथा इसे लगातार अद्यतन किया जाता है. साथ ही, हमारे बैंक के आधिकारिक फेसबुक पृष्ठ पर दी जाने वाली प्रत्येक सामग्री/पोस्ट द्विभाषी उपलब्ध है. इस पर ग्राहक अपने विचार भी हिन्दी में लिख सकते हैं. एम-पासबुक, एटीएम पर्चियां द्विभाषिक उपलब्ध कराई जा रही हैं.
- वर्ष के दौरान, लखनऊ अंचल के अधीन वाराणसी में दिनांक 5 व 6 फरवरी, 2016 को राजभाषा अधिकारियों के लिए '**अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन**' का भव्य आयोजन किया गया.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वियन हेतु, भाषिक क्षेत्र 'क" 'ख" एवं 'ग" के लिए हमारे बैंक को तीन '**प्रथम**' पुरस्कार घोषित किए गए हैं.

कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन

हमारे उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर एवं अन्य मास कम्यूनिकेशन के माध्यमों से जागरुकता जागृत करने के लिए, गो ग्रीन उपायों को स्वीकार करते समय अपनी ब्रांड छवि को बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए तथा स्टाफ सदस्यों के सक्रिय सहयोग से अपने बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए निम्न लागत विज्ञापनों को महत्व देते हुए निरंतर प्रयास करते रहने के हमारे प्रयास इस वर्ष भी जारी रहेंगे. अखिल भारतीय स्तर पर विजिविलिटी बढ़ाने के लिए, फील्ड स्तर पर स्थानीय खेल स्पर्धाओं/यात्राओं/आयोजनों/किसान कैम्पों/सम्मेलनों के प्रायोजन के अतिरिक्त, विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियों जैसे ट्रैफिक बेरिकेडस, नो पार्किंग बोर्डों, पुलिस चौकियों, यूटिलिटी किऑस्क, दीवार पेंटिंग, ऑटो-रिक्शा, बस एवं ट्रेन में ब्रेंडिंग की गई. इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लोकल केबल, एफएम रेडियो, मोबाइल एप, यूएफओ मूवीज़, पीवीआर सिनेमा का भी उपयोग किया गया.

- वर्ष के दौरान, बैंक ने ग्राहकों और स्टाफ सदस्यों के लिए 188 स्वास्थ्य जांच कैम्प-सह-रक्त दान कैम्पों का आयोजन किया.
- सिद्धिविनायक मंदिर में सड़क संकेत बोर्डों, महत्त्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैफिक बैरिकेडस लगाकर जनमानस का ध्यान आकर्षित किया गया.
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं बाहरी मीडिया वाहनों के प्रयोग के माध्यमों से ब्रैंडिंग गतिविधियों को अंजाम देने से, ब्रैंड फाइनैन्स द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ 500

ब्रैंडों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में हमारे बैंक की ब्रैंड रेटिंग 9वीं तथा विश्व स्तर पर यह 376वीं रही.

- इकॉनोमिक टाइम्स सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में विश्वसनीय ब्रैंड के रूप में हमारा बैंक छठे स्थान पर रहा.
- एबीपी न्यूज द्वारा नवोन्मेष ब्रैंडिंग के लिए हमारे बैंक को ''ब्रैंड एक्सीलेन्स अवार्ड इन बैंकिंग'' से पुरस्कृत किया गया.

सतर्कता

- सतर्कता संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटान को सुसाध्य बनाने के लिए रियल टाइम शिकायतों की स्थिति जानने के लिए ऑन-लाइन शिकायत मॉड्यूल प्रारंभ किया गया था. जिसके फलस्वरूप वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लंबित मामलों में 20% की कमी हुई है.
- गहन अनुवर्ती कार्रवाई के कारण, सतर्कता के मामलों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10% की गिरावट आई है.
- बैंक की सभी शाखाओं में निवारक सतर्कता की संस्कृति के बढ़ावे के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. सभी स्टाफ सदस्यों में जागरूकता लाने के लिए एक तिमाही न्यूज बुलेटिन भी प्रकाशित किया जा रहा है.

मानव संसाधन विकास

1. **मानव शक्ति :**

मार्च 2016 के अंत में बैंक में स्टाफ सदस्यों की संख्या 37,685 थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 39,039 थी. स्टाफ सदस्यों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	मार्च, 2016	मार्च, 2015
अधिकारी वर्ग	16115	16,247
लिपिक वर्ग	13103	14,098
अधीनस्थ वर्ग	8467	8,694
कुल संख्या	37685	39,039

2. **मानव संसाधान विकास :**

(i) **5 स्टार श्रेणीकृत शाखा प्रबंधकों के लिए एक्जीक्यूटिव डवलपमेंट कार्यक्रम**

इस योजना का उद्देश्य अधिकारियों में लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्पर्धात्मक भावना विकसित करने तथा व्यवसाय विकास प्रबंधन में प्रशंसा एवं पुरस्कृत कर कार्य-निष्पादन में विशिष्टता का संवर्द्धन करना है. 5 स्टार श्रेणी प्राप्त शाखा प्रबंधकों को विदेश में एक्जीक्यूटिव डवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी गई है.

(ii) **अधिकारियों एवं पंचाट कर्मचारियों को आवास ऋण की प्रमात्रा में वृद्धि**

अधिकारियों के लिए आवास ऋण की विद्यमान प्रमात्रा संशोधित कर दिनांक 08.08.2015 से ₹ 20.00 लाख से बढ़ा कर ₹ 50.00 लाख एवं लिपिक वर्ग के लिए ₹ 12.00 लाख से बढ़ा कर ₹ 25.00 लाख तथा अधीनस्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए ₹ 08.00 लाख से बढ़ा कर ₹ 15.00 लाख की गई है.

(iii) **10वें द्विपक्षीय वेतन समझौता/संयुक्त नोट दिनांक 25.05.2015 के अनुसार कर्मचारियों (अधिकारी एवं पंचाट कर्मचारी) को संशोधित वेतन एवं भत्तों तथा एरियर्स का भुगतान.**

सभी कर्मचारियों का आह्वान किया गया कि 10वें द्विपक्षीय वेतन समझौते/संयुक्त नोट दिनांक 25.05.2015 के परिणामस्वरूप वेतन एवं एरियर्स की राशि को हमारे बैंक की आवर्ती/सावधि जमाओं में निवेश करें. इस तरह के प्रयास से बैंक के व्यवसाय के जमा पोर्टफोलियो में तो वृद्धि होगी ही, कर्मचारी भविष्य में अपने और अपने परिवार के लिए इस बढ़े हुए वेतन एवं एरियर्स (उपचित ब्याज सहित) का उपयोग कर सकेंगे.

(iv) **अधिकारियों को कार खरीदने हेतु वाहन ऋण की सीमा में वृद्धि**

खरीदने के लिए अधिकारियों की वर्तमान वाहन ऋण सीमा ₹ 3.5 लाख से बढ़ा कर ₹ 7.00 लाख कर दी गई है. साथ ही, द्वितीय वाहन ऋण के लिए ब्याज दर, शुद्ध वेतन मानदंड तथा प्रावधान को भी संशोधित किया गया है.

(v) **तमिलनाडु राज्य के उत्तरी भाग तथा पुडडुचेरी संघशासित क्षेत्र में दिसम्बर, 2015 के दौरान आई अभूतपूर्व बाढ़ से भयावह जान-माल की हानि से प्रभावित हमारे पेंशनरों को राहत ऋण प्रदान करना.**

तमिलनाडु राज्य के उत्तरी भाग एवं संघशासित पुडडुचेरी में आई भयावह बाढ़ के कारण हुई हानि/मकानों/सम्पत्ति की क्षति को देखते हुए, हमारे सभी पेंशनरों को ₹ 75,000/- अथवा हानि की राशि में से जो भी कम हो, का राहत ऋण (मांग ऋण) उपलब्ध कराया गया है.

(vi) **10वें द्विपक्षीय वेतन समझौते/संयुक्त नोट दिनांक 25.05.2015 के अनुसार सेवारत कर्मचारियों (अधिकारी एवं पंचाट वर्ग) के लिए मेडिकल इन्श्योरेंस स्कीम का कार्यान्वयन.**

10वें द्विपक्षीय वेतन समझौते/संयुक्त नोट दिनांक 25.05.2015 के अनुसार, सेवारत कर्मचारियों के लिए अस्पताल संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए विद्यमान योजना के स्थान पर एक नई मेडिकल इन्श्योरेंस स्कीम (एमआईएस) शुरु की गई है. एकबारगी विकल्प सेवानिवृत्त कर्मचारी, फैमिली पेंशनरों को भी इस मेडिकल इन्श्योरेंस स्कीम का लाभ लेने के लिए दिया गया है. इस योजना का कार्यान्वयन युनाइटेड इंडिया इश्योरेंन्स कंपनी लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है.

(vii) **मुख्य धारा एवं विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों के लिए कैरियर पाथ-सह-पदोन्नति नीति में संशोधन.**

निदेशक मंडल ने दिनांक 19.02.2016 को आयोजित अपनी बैठक में कतिपय परिवर्तनों के साथ मुख्य धारा एवं विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों के लिए कैरियर पाथ-सह-पदोन्नति नीति को अनुमोदित कर दिया है. इसमें विभिन्न पदोन्नति प्रक्रिया में भारिता अंक (weightage marks) सुसंगित बनाना, पदोन्नत होने पर पदोन्नति को अस्वीकार करने का प्रावधान समाप्त करना, वेतनमान I से वेतनमान IV की लिखित एवं सामान्य चैनल की रिक्तियों में 70:30 के अनुपात की समरूपता करना इत्यादि शामिल हैं.

(viii) **दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को अद्यतन करना.**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 में संयुक्त नोट दिनांक 25.05.2015 के प्रमुख प्रावधानों को शामिल करते हुए विभिन्न परितर्वन/परिवर्द्धन इत्यादि को शामिल कर, दिनांक 31.12.2015 तक प्रमुख मानव संसाधन नीतियों/योजनाओं/ नियमों/प्रक्रियाओं आदि के माध्यम से इसे अद्यतन किया गया है.

(ix) **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिल्वर ज्युबली अवार्ड योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को सिल्वर ज्युबली अवार्ड प्रदान करने के लिए योजना - अवार्ड की उच्चतम सीमा में वृद्धि**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिल्वर ज्युबली अवार्ड योजना के अंतर्गत दिनांक 09.02.2016 से अवार्ड लागत की उच्चतम सीमा को विद्यमान ₹ 2000/- से बढ़ाकर ₹ 5000/- किया गया है.

3. **प्रशिक्षण :**

वर्ष 2015-16 के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है. अनुमोदित प्रशिक्षण योजना में ऋण (रिटेल, एमएसएमई एवं कृषि), वसूली, विदेशी विनिमय एवं जोखिम प्रबंधन तथा मानवीय स्वभाव के पहलुओं पर प्रशिक्षण देने को प्राथमिकता दी गई है.

वर्ष 2015-16 के दौरान विशेष प्रशिक्षण पहल निम्नानुसार है :

- वर्ष के दौरान, सभी महाप्रबंधकों के लिए आईआईएम, अहमदाबाद में 'एडवान्स लीडरशिप मैनेजमेन्ट प्रोग्राम" पर प्रशिक्षण दिया गया.
- वर्ष के दौरान, उप महाप्रबंधकों/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए 'लीडरशिप डेवलपमेन्ट प्रोग्राम" का आयोजन एएससीआई, हैदराबाद में किया गया.
- पदानुक्रम योजना की सिफारिशों के अनुसार, आईडीबीपी, नोएडा में 25 सहायक महाप्रबंधकों के लिए 'एडवान्स क्रेडिट मैनेजमेन्ट प्रोग्राम" एवं एनआईबीएम, पुणे में 24 मुख्य प्रबंधकों के लिए, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
- वर्ष के दौरान एनआईबीएम, पुणे एवं आईएमटी, दुबई में बीस स्टार श्रेणीप्राप्त 5 शाखा प्रबंधकों के लिए 'एक्जीक्यूटिव डेवलपमेन्ट प्रोग्राम" का आयोजन किया गया.
- वर्ष के दौरान विशेष रूप से तैयार किया गया. सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम "मंथन शुरू किया गया. यह कार्यक्रम सितम्बर, 2016 तक जारी रहेगा तथा इसमें बैंक में कार्यरत वेतनमान IV तक के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है.
- वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति की सिफारिशों के अनुसार एनआईबीएम, पुणे को वेतनमान IV के अधिकारियों के लिए पदानुक्रम योजना पर परियोजना, 'टेलैन्ट हन्ट" एवं 'लीडरशिप पोजिशन्स" आदि से संबंधित कार्यक्रम सौंपा गया. वेतनमान III के अधिकारियों के लिए इसी तरह का कार्यक्रम बैंक में भी प्रारंभ किया गया है. इस प्रक्रिया में सभी प्रमुख पदों की पहचान तथा तत्संबंधी भावी संभाव्य अभ्यर्थियों की पहचान तथा उन्हें यथोचित प्रशिक्षण देकर, जॉब रोटेशन द्वारा तथा उन्हें अग्रणी दायित्व सौंप कर उनका विकास किया जाना शामिल है.
- प्रारंभ तौर पर वेतनमान IV के लिए 5 वर्ष की अनधिक अवशिष्ट सेवा अवधि तथा वेतनमान III के लिए 10 वर्ष की अनधिक अवशिष्ट सेवा अवधि निर्धारित की गई एवं पिछले 3 वर्षों के लिए औसत एपीएआर अंक न्यूनतम 80 निर्धारित किये गए. तदनुसार, वेतनमान IV के अधिकारियों के 2 बैच में क्रमश: 65 एवं 93 का चयन किया गया और उनके पिछले 3 वर्षों के एपीएआर तथा सेवा अभिलेख एनआईबीएम को सुपुर्द किये गए. वेतनमान III के 90 अधिकारियों के एक बैच का चयन किया गया और इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से गठित समिति को उनके 3 वर्षों के एपीएआर एवं सेवा अभिलेख तीन समितियों (प्रत्येक समिति में 3 महापबंधक) को सौंपे गए.

- चयनित सभी अधिकारियों को अगली प्रक्रिया के कदम के रूप में अर्थात् समूह चर्चा, 'साइकोमैट्रिक टेस्ट" तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए संस्तुत किया गया, जो वेतनमान IV के अधिकारियों के लिए एनआईबीएम, पुणे में तथा वेतनमान III के अधिकारियों के लिए एसपीबीटी कॉलेज, मुंबई में आयोजित किया गया.
- दोनों बैचों के लिए एनआईबीएम, पुणे से इस प्रक्रिया की रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं एनआईबीएम की सिफारिश के अनुसार पहले बैच के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया.
- वेतनमान IV के अधिकारियों के लिए एनआईबीएम द्वारा तथा आंतरिक समिति द्वारा वेतनमान III के अधिकारियों के लिए प्रदत्त ''ग्रेडिंग ऑफ पार्टिसिपैन्ट्स'' का उपयोग हाल ही के पदोन्नति प्रक्रिया में किया गया एवं समितियों की संस्तुति के अनुसार प्रतिभागियों को समुचित पदस्थापना देने हेतु दिये गए पदस्थापना संबंधी सुझाव क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों को प्रेषित किये गए.
- विभिन्न विभागों द्वारा स्टाफ सदस्यों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित 17 क्विज प्रतिस्पर्धाओं में 21058 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया.

  वर्ष 2015-16 के दौरान, क्लास रूम, लोकेशनल एवं विशेष प्रशिक्षण सहित 1463 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए. इसमें 33,779 सहभागियों ने भाग लिया तथा 3 प्रशिक्षण महाविद्यालयों और 16 आंचलिक कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 1,26,436 कार्य-दिवस का उपयोग किया गया. इसके अलावा, विभिन्न वेतनमानों के 564 अधिकारियों को विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया, जिन्हें बाहरी प्रशिक्षण एजेंसियों जैसे एनआईबीएम, सीएबी एवं आईडीआरबीटी इत्यादि ने आयोजित किया. साथ ही, वर्ष 2015-16 के दौरान 43 अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/सम्मेलन/एक्स्पोजर विजिट के लिए भेजा गया.

3. **भर्ती एवं पदोन्नति:**

वर्ष 2015-16 में, परिवीक्षाधीन अधिकारी, कृषि वित्त अधिकारी, विधि अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, लिपिक संवर्ग तथा अधीनस्थ वर्ग के 1060 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई.

अंतर-वेतनमान पदोन्नति में आरक्षण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित समीक्षा याचिका के कारण, वर्ष 2015-16 में केवल वेतनमान VI से VII तक तथा लिपिक संवर्ग से अधिकारी वर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई. इस प्रक्रिया में अधिकारी के रूप में 513 लिपिक पदोन्नत हुए तथा वेतनमान VI के 4 अधिकारी वेतनमान VII में पदोन्नत हुए.

समीक्षा याचिका के परिणाम आने के उपरांत, 2015-16 की शेष सभी पदोन्नति प्रक्रियाओं को पदोन्नति प्रक्रिया 2016-17 की रिक्तियों में शामिल किया गया तथा मार्च/अप्रैल, 2016 में पदोन्नति प्रक्रिया 2016-17 आयोजित की गई.

4. **आरक्षण नीति का कार्यान्वयन :**

आरक्षण नीति पर भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ से प्राप्त दिशानिर्देशो/अनुदेशों का बैंक द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा आरक्षण नीति के अनुसार अजा/अजजा/ अपिव/पीडब्ल्यूडी को छूट एवं रियायतें प्रदान की जा रही हैं.

वर्ष 2015-16 के दौरान, अजा/अजजा के कल्याण पर संसदीय समिति ने दिनांक 11.06.2015 को अहमदाबाद का दौरा किया. इस समिति ने वेल्फेअर एसोसिएशन के सदस्यों और हमारे बैंक के कार्यपालकों के साथ विचार-विमर्श किया तथा आरक्षण नीतियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी की माननीय सदस्या डॉ. लता ओमप्रकाश महंतो ने दिनांक 07.03.2016 को पुणे का दौरा किया तथा वेल्फेअर असोसिएशन के सदस्यों और हमारे बैंक के कार्यपालकों से विचार-विमर्श किया तथा सफाई कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

5. **कर्मचारी कल्याण योजनाएं :**

(i) दिनांक 07.07.2015 को आयोजित कर्मचारी कल्याण योजना समिति की बैठक के अनुसार वर्ष 2015-16 के लिए निम्नलिखित कर्मचारी कल्याण योजनाएं:

- कर्मचारी के पुत्र/पुत्री की कॉलेज/स्कूल की टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति.
- कर्मचारियों के बच्चों को पुरस्कृत करना, जिन्होंने उच्च प्राप्तांकों से एसएससी/एचएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है.
- सेवा काल के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार को राहत राशि प्रदान करना.
- स्टाफ सदस्यों एवं/अथवा उनके आश्रितों को अतिरिक्त अस्पताल संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति.
- 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए व्यय किये गए खर्च की प्रतिपूर्ति.
- शाखाओं के लिए कैन्टीन अनुदान.
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अस्पताल संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति.
- हॉलिडे होम एवं ट्रांजिट होम/फ्लैट
- खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां
- डॉक्टरों की अंशकालीन नियुक्ति करते हुए एवं दवाइयों की लागत हेतु स्टाफ को मेडिकल सुविधा का प्रावधान.

6. **औद्योगिक संबंध :**

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सामान्यतया संतोषजनक रहे.

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- दिनांक 31 मार्च, 2016 को बैंक का क्रेडिट कार्ड आधार 114446 है एवं प्री-पेड कार्ड का आधार 704232 है.
- बैंक प्रमुख कार्ड जारीकर्ताओं अर्थात मास्टर एवं वीज़ा के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी करता है. प्री-पेड कार्ड मास्टर कार्ड के सहयोग से जारी किये जाते हैं.
- बैंक ग्राहकों की सिर्फ ईएमवी चिप आधारित क्रेडिट कार्ड जारी करता है.
- बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष वेब पोर्टल शुरु किया है.
- मोबाइल बैंकिंग पर क्रेडिट कार्ड संबंधी कार्य-प्रणाली भी विकसित की गई है.
- क्रेडिट कार्ड की ऑन-लाइन खरीद के लिए ईएमआई विकल्प विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है.

एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन :

- दिनांक 31.03.2016 को एटीएम की कुल संख्या 5254 हैं. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 455 एटीएम स्थापित किये गए तथा 36 'कम-हिट वाले ऑफसाइट एटीएम" बंद कर दिये गए.
- दिनांक 31.03.2015 तक खोली 4624 शाखाओं में से, दिनांक 31.03.2016 को 4454 शाखाएं एटीएम के साथ सम्बद्ध हैं
- बैंक के 60% एटीएम ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित है.
- वर्तमान में अप-टाइम 97% है तथा इसे 99% तक ले जाने का लक्ष्य है.
- कार्डों की संख्या में वृद्धि होने तथा स्थान परिवर्तन करने एवं 'लो-हिट एटीएम" बंद करने के कारण प्रति दिन औसत हिट में वृद्धि हो रही है.

अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम

i. **सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड**

- लाभ में सतत वृद्धि के कारण स्वामित्व निधि मार्च 2015 के ₹ 88.19 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2016 में ₹ 91.12 करोड़ हो गई है.
- वर्ष के दौरान, कंपनी के कुल अग्रिम मार्च 2015 के ₹ 803.53 करोड़ से बढ़कर, 38.17% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2016 को ₹ 1110.21 करोड़ हो गया है. आवास ऋण, मार्च 2015 के ₹ 628.77 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2016 को ₹ 881.04 करोड़ हो गए, इसमें 40.12% की वृद्धि दर्ज हुई है. गैर-आवास ऋण ₹ 171.68 करोड़ से बढ़कर ₹ 229.29 करोड़ हो गए, इसमें 33.56% की वृद्धि दर्ज हुई.
- रिटेल जमाएं एवं संस्थागत जमाएं मार्च 2015 के ₹ 413.08 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2016 को ₹ 562.61 करोड़ हो गई, इसमें वर्ष दर वर्ष 36.20% की वृद्धि दर्ज हुई.
- वर्ष 2015-16 के लिए, कंपनी का शुद्ध लाभ ₹ 13.44 करोड़ रहा, जो वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 12.10 करोड़ था. यह वृद्धि नए संवितरण से ब्याज आय में वृद्धि होने से हुई है.
- प्रति शेयर आय ₹ 5.38 (₹ 10 प्रति शेयर) (गत वर्ष ₹ 4.84) रही.
- मार्च 2016 में एनपीए ₹ 23.30 करोड़ रहा, जो मार्च 2015 में ₹ 15.59 करोड़ था.
- मार्च 2016 को शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए 2.09% है.
- आस्तियों पर प्रतिफल 1.34% है. (गत वर्ष 2.79%)
- दिनांक 31 मार्च, 2016 को सीएआर 17.98% है.

ii. **सेन्टबैंक फाइनेंशिल सर्विसेज लिमिटेड**

- सेन्टबैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड, डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चेरिटेबल ट्रस्ट इत्यादि सहित अनिवार्यत: न्यासधारिता सेवाएं उपलब्ध करा रही है.
- कंपनी, डिबेंचर न्यास गतिविधियों के अधिग्रहण के लिए सेबी के साथ पंजीकृत है; जब कि कंपनी ने मुच्युअल फंड एडवाइजर गतिविधि को बन्द कर दिया है.

वित्तीय अद्यतन जानकारी :

- कंपनी ने मार्च 2016 में ₹ 2.00 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो गत वर्ष ₹ 3.15 करोड़ था.
- खंडवार अर्जन :

(राशि ₹ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15
निष्पादक न्यास से शुल्क	40,97,743	35,78,295
डिबेंचर एवं सुरक्षा न्यास से शुल्क	2,56,73,602	2,06,85,035
समूहन शुल्क	-	1,14,29,650
परामर्शदात्री शुल्क		2,38,63,480
पूंजी बाजार के लिए अरेंजर शुल्क	-	
म्युचुअल फंड से ब्रोकरेज	-	
कुल	**2,97,71,345**	**5,95,56,460**

iii इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड

- जाम्बिया सरकार तथा भारत के तीन बैंकों अर्थात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है. इसमें इन तीनों भारतीय बैंकों में से प्रत्येक की 20% इक्विटी है, जबकि शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार की है.
- बैंक का वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष है.
- बैंक सभी पैरामीटरों में बेहतर कार्यनिषादन दर्शा रहा है और वर्तमान में जाम्बिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है.
- दिसम्बर 2015 के अंत तक हमारे बैंक के पास कुल 1 क्वाचा प्रति शेयर के 8,32,00,000 शेयर है जो कि भारतीय मुद्रा में ₹ 47.48 करोड़ है.
- वर्ष के दौरान बैंक ने वर्ष 2014 के लिए लाभांश की घोषणा की है. तदनुसार, हमारे बैंक ने रु.2,80,38,996/- के समतुल्य यूएस डॉलर 430,30/- का लाभांश प्राप्त किया है.

iv. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- हमारे पास दिनांक 31 मार्च, 2016 को हमारे 3 आरआरबी हैं, जिनका 3 राज्यों के 47 जिलों में 1629 शाखाओं का नेटवर्क है.
- प्रायोजक बैंक के नाते हमने क्षेग्राबैं की पूंजी का 35% अर्थात ₹ 277.11 करोड़ का निवेश किया है. इसके अलावा हमने इन क्षेग्राबैं में शाश्वत बॉण्ड के रूप में ₹ 69.35 करोड़ का भी निवेश किया है.

(₹ करोड़ में)

आरआरबी एवं मुख्यालय का नाम तथा राज्य	जिलों एवं शाखाओं की संख्या	कुल जमा राशियाँ	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (म.प्र.)	25 / 455	6284.52	3851.84	387.91	2.54
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)	18 / 1032	11759.31	6801.03	123.11	10.31
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार (प.बंगाल)	4 / 142	2309.76	1142.21	210.86	3.22
कुल	**47 / 1629**	**20353.59**	**11795.08**	**721.88**	**16.07**

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

- सीएसआर, कार्यबल एवं उनके परिवारों के साथ साथ समुदाय एवं समाज के जीवन स्तर में सुधार लाते हुए अर्थव्यवस्था के विकास में व्यवसाय की सतत प्रतिबद्धता है.
- सीएसआर के अंतर्गत निर्धन, समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने प्राकृतिक आपदाओं एवं समाज के समग्र कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था/ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक दान देना हमारी सतत प्रतिबद्धता है.
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सीएसआर बजट ₹ 6.06 करोड़ था.

- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत केन्द्रीय कार्यालय द्वारा ₹ 74,86,309/- एवं आंचलिक तथा क्षेत्रीय कार्यालयों ₹ 42,95,253/- संवितरित किये गए थे.

उपलब्धियां

- वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 419 नए एटीएम स्थापित किए गए जिन्हें मिलाकर कुल 5254 एटीएम हो गए हैं.
- मुद्रा कार्ड का शुभारंभ करने के मामले में 3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हमारा बैंक तीसरे स्थान पर रहा है.
- वर्ष के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र विभाग ने निम्नलिखित नए उत्पादों का शुभारंभ किया है :
    - अनुसूचित जातियों के लिए ऋण गारंटी योजना
    - सेन्ट होजरी
    - सेन्ट मुद्रा - मुद्रा कार्ड
    - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - सेन्ट शहरी जीविका
- मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां :

  हमारे बैंक ने मुद्रा योजना का क्रियान्वयन किया है, जिससे अनेक उधारकर्ताओं की आजीविका को सुधारने में मदद मिली है. जिन उधारकर्ताओं को आजीविका में सुधार का लाभ प्राप्त हुआ है, उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :
    - सुश्री ममता शर्मा की सफलता की कहानी. आपने हमारी इमामीगेट, भोपाल शाखा से भोपाली बटुआ बनाने हेतु मुद्रा ऋण लिया था. जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 29.11.2015 को ''मन की बात में'' किया था.
    - मुद्रा ऋण लेने वाले 2 उधारकर्ताओं पूर्णियां क्षेत्र की शाखा प्राणपुर शाखा, कटिहार की उधारकर्ता सुश्री रेणु देवी एवं डी.एस.कॉलेज शाखा, कटिहार के उधारकर्ता श्री राकेश कुमार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2016 में मुद्रा ऋण के लिए कुरुक्षेत्र एवं अन्य सरकार प्रायोजित मीडिया ''ब्लिटज'' में प्रचार विज्ञापन हेतु चयनित किया गया है.
    - इसके अलावा, हमारी शाखाएं उधारकर्ताओं को सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत भी वित्त प्रदान कर रही हैं : इस सहायता के कारण मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की मांडवी शाखा की एक महिला उद्यमी को उत्पादकता एवं नवोन्मेष के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया. यह पुरस्कार एमएसएमई मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री माननीय श्री कलराज मिश्र द्वारा सूक्ष्म उद्यम इकाई मेसर्स अर्चना कॉर्पोरेशन की सुश्री अर्चना गायकवाड़ को प्रदान किया गया.

बढ़ते कदम

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंकाश्युरेंस व्यवसाय के माध्यम से शुल्क आधारित आय में 50% की वृद्धि हासिल करना.
- बैंकाश्युरेंस व्यवसाय के लिए 4000 विशिष्ट व्यक्तियों का समूह निर्मित करना.
- वर्ष के दौरान आय बीमा भागीदारों की पहचान करना और प्रत्येक क्षेत्र अर्थात जीवन बीमा, सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा में दो कंपनियों के साथ टाइअप करना.
- आईआरडीएआई के नए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बैंकाश्युरेंस व्यवसाय के लिए एक परिपूर्ण शिकायत निवारण कक्ष स्थापित करना.
- आईआरडीएआई के नए दिशानिर्देशों के अनुसरण में एमआईएस आवश्यकताओं के अनुरूप बीमा भागीदारों की सहायता से नई कार्य-प्रणाली तैयार करना.
- कासा जमाओं की भागीदारी बढाना.
- विद्यमान योजनाओं द्वारा हमारे बैंक में हमने ''स्टैन्ड अप इंडिया'' योजना कार्यान्वित की है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में ''स्टैन्ड अप इंडिया'' योजना के लिए अलग से उत्पाद तैयार करना प्रस्तावित है.
- उधारकर्ताओं को ऋण की स्वीकृति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एवं भारत सरकार तथा सिडबी को ऑन लाइन रिपोर्टिंग करने हेतु हम सभी शाखाओं द्वारा वेबपोर्टल www.standupmitra.in में आवेदन ऑन-लाइन फाइल करने हेतु बल दे रहे हैं.

पुरस्कार एवं सम्मान

- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक को ''भारतीय रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना'' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है.
- बैंक को आरसेटी क्रियाकलाप हेतु उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया है.
- बैंक को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है.
- बैंक को वित्तीय समावेशन के लिए रनर अप श्रेणी में सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल हेतु ''बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड'' से सम्मानित किया गया है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है. बैंक ने सर्वोत्त्म संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है. कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेयरधारकों के शेयर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं.

- बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है. हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है. अत: बैंक सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं)विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों को उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान)योजना 1970 एवं भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों, निदेश इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा.

- इक्रा लिमिटेड ने हमारे बैंक को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के लिए सीजीआर(सीजीआर 3 प्लस उच्चारित) रेटिंग की पुन: अभिपुष्टि की है. इस रेटिंग से यह प्रकट होता है कि इक्रा की वर्तमान राय यह है कि बैंक ने इस तरह की प्रथाएं, परम्परा एवं संहिता को अपनाया और उनका अनुपालन किया है, जिससे वह अपने वित्तीय स्टेकधारकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उच्चस्तरीय गुणवत्ता से आश्वत कर सके.

निदेशक मंडल

- बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है. सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है.

- बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है.

- समीक्षाधीन वर्ष अर्थात 2015-16 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांवढ 31.03. 2016 को बैंक के धारित इक्विटि शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2016 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2016 को अन्य कंपनी कि निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2015 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.08.2013 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी सीआरसी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईएफ आरएस, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी सीआरसी	- इन्डो ज़ाम्बिया बैंक लि. - इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि.	जी हाँ

क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांवढ 31.03. 2016 को बैंक के धारित इक्विटि शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2016 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2016 को अन्य कंपनी कि निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2015 को अंतिम एजीएम की वैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
2.	श्री आर.के.गोयल.	कार्यपालक निदेशक	11.01.2013 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि. - सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	जी हाँ
3.	श्री बी.के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक	23.01.2014 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि. - सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	जी हाँ

क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांवढ 31.03. 2016 को बैंक के धारित इक्विटि शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2016 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2016 को अन्य कंपनी कि निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2015 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
4.	श्री आर.सी. लोढ़ा	कार्यपालक निदेशक	11.03.2015 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	निरंक	जी हां
5.	डॉ. सौरभ गर्ग	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	19.02.2014 से	निरंक	प्रशासन	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसीआरसी, वीआईजी, एमआरसी, एचआर	आरसी	दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रस्ट	जी नहीं
6.	श्री शेखर भटनागर	भारिबैं द्वारा मनोनीत निदेशक	13.03.2014 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरसी, वीआईजी	निरंक	निरंक	जी नहीं
7.	श्री एम.पी. शोरावाला	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	03.01.2013 से 02.01.2016	निरंक	वकील	एमसीबी, आरएमसी, आईटीएस, सीएसी एचआर	आईटीएस	विश्व लक्ष्मी एक्सपोर्टस् (प्रा.) लि.	जी हां
8.	श्री कृष्ण सेठी	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	28.02.2013 से 27.02.2016	निरंक	व्यावसायिक	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, एसीबी	एसीबी	निरंक	जी हाँ
9.	श्री एस.बी.रोडे	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	02.04.2013 से	133	बैंकर	एमसी, एलवीएफसी सीएससी, एसआरसी	निरंक	निरंक	जी हाँ
10	श्री गुरबख्श कुमार जोशी	कर्मकार कर्मचारी निदेशक	10.07.2013 से	निरंक	बैंकर	एमसीबी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी	निरंक	निरंक	जी नहीं
11.	श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	19.12.2013 से	निरंक	समाज सेवा	एसीबी, आरएमसी, एसआरसी, सीएससी, आरसी सीआईडब्लूडी	निरंक	निरंक	जी हाँ

क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांवढ 31.03. 2016 को बैंक के धारित इक्विटि शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2016 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2016 को अन्य कंपनी कि निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2015 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
12.	श्री एस. बंद्योपाध्याय	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.15 से	निरंक	प्रशासन	एसीबी आरएमसी आईटीसी एसआरसी	निरंक	आईएलएंड एफएस लि.	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
13.	श्री के. आर. पटेल	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.2015 से	163	व्यावसायिक	एमसीबी एलवीएफसी आईटीसी एसआरसी सीआईडब्ल्यूडी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं.

एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंधन समिति
एसीबी	-	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
आरएमसी	-	जोखिम प्रबंधन समिति
एलवीएफसी	-	उच्च मूल्य की धोखाधड़ी संबंधी समिति
सीएससी	-	ग्राहक सेवा समिति
आईटीएस	-	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
एसआरसी	-	स्टेकहोल्डर सम्बंध समिति
आरसी	-	पारिश्रमिक समिति
आईएफआरएस	-	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक समिति
आईटीपीए	-	आंतरिक प्रशिक्षण नीति परामर्श समिति
वीआईजी	-	सतर्कता समिति
सीएसी	-	ऋण अनुमोदन समिति
एचआर	-	मानव संसाधन समिति
एमआरसी	-	वसूली समिति की निगरानी
सीआरसी	-	पूंजी उगाही समिति

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. **श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, शेयर धारक निदेशक (जन्म तिथि 17.01.58)**

   श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय कोलकाता विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में विज्ञान स्नातक एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सह - सदस्य हैं.

   उन्होंने वर्ष 1985में भारतीय जीवन बीमा निगम में सीधे अधिकारी पद ग्रहण किया एवं उन्होंने अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में ट्रेजरी, नियम आय एवं कॉर्पोरेट बॉन्ड निवेश, इक्विटि बाजार निवेश एवं बैक ऑफिस इत्यादि विभिन्न पोर्टफोलियो / उत्तरदायित्व का निर्वहन किया. उन्होंने जून 2014 से एलआईसी पेंशन निधि लि. के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार लिया. वे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंगएंड फायनेन्शियल सर्विसेज लि.के निदेशक मंडल में भी हैं.

2. **श्री केतुल आर. पटेल, शेयर धारकद्वारा नामित निदेशक (जन्म तिथि 10.08.74)**

   श्री केतुल पटेल गुजरात विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं विधि के स्नातक एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं. वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से सूचना प्रणाली के डिप्लोमा धारक भी हैं.

श्री पटेल वर्तमान में 47 वर्ष पुरानी लेखा एवं परामर्शी फर्म आर.एस.पटेल एवं कंपनी के प्रबंध भागीदार हैं.

वो गुजरात के सबसे बड़े बहु राज्य अनुसूचित सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में व्यावसायिक निदेशक थे. वे 1999- 2001तक सनदी लेखाकार संस्था, अहमदाबार (सीएए)के सचिव थे. वे दो वर्षों के लिए गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बैंकिंग, वित्त एवं बीमा समिति के सदस्य भी थे.

अन्य निदेशकों के विवरण

1. **श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जन्म-तिथि 30.08.1959)**

श्री राजीव ऋषि, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से विधि स्नातक हैं तथा वे विश्वविद्यालय के रैंक होल्डर, राष्ट्रीय मेरिट स्कॉलर रहे हैं. आप स्पोर्ट्स खेल से जुड़े व्यक्ति है और वे टेबल टेनिस में अपने कॉलेज का तथा राष्ट्रीय रौलर स्केटिंग प्रतियोगिता में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

बैंक में दिनांक 01.08.2013 से सीएमडी के रूप में अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व आप इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक थे, और यह उत्तरदायित्व, वे अक्तूबर 2010 से वहन कर रहे थे.

आपने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत दिनांक 12.05.1979 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की एवं 3 दशकों तक उन्होंने विभिन्न पदों एवं स्थानों पर कार्य किया. आपको शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने का 25 वर्षों का वृहद अनुभव है. आप वर्ष 2005 से 2010 तक मानव संसाधन, तृतीय पक्ष उत्पाद विपणन एवं बोर्ड सचिवालय में महाप्रबंधक रहे. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय पर आपने मानव संसाधन समन्वयन का कार्य अत्यंत सफलतापूर्वक संपादित किया.आप आईबीए की एचआर पर स्थायी समिति के सदस्य हैं.

2. **श्री आर.के.गोयल, कार्यपालक निदेशक (जन्म-तिथि 01.01.1957)**

श्री राज कुमार गोयल ने दिनांक 12 मई, 1977 को बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) में कार्यग्रहण किया. आप एक करियर बैंकर और सम्पूर्ण रूप से व्यावसायिक बैंकर हैं. आपने पिछले 36 वर्षों के 37 दौरान विभिन्न पदों पर कार्य किया है. आपके विभिन्न पोर्टफोलियो में सामान्य परिचालन, ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं मानव संसाधन विभाग शामिल है. आपने ऋण, विशेषतौर पर बड़े ऋण में बहुत ही सक्रियता से कार्य किया और सफलतापूर्वक बैंक ऑफ इंडिया की तीन बड़ी कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाओं के प्रभारी रहे. आपके कार्यकाल में बैंक ऑफ इंडिया की लंदन शाखा के 4 वर्ष शामिल है. आपने ऋण समूहन एवं निवेश सहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो में सफलतापूर्वक कार्य किया. आपको प्रशासकीय क्षमता के लिए जाना जाता है और आप सदैव टीम वर्क में विश्वास रखते हैं.

श्री गोयल ने पदोन्नत होकर दिनांक 11 जनवरी, 2013 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया.

3. **श्री बी.के. दिवाकर, कार्यपालक निदेशक (जन्म-तिथि 17.07.1960)**

श्री दिवाकर, सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार एवं कंपनी सचिव है. आपने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1986 से कॉर्पोरेशन बैंक में कंपनी सचिव के रूप में की. आप वर्ष 1997 में मुख्य प्रबंधक, वर्ष 2000 में सहायक महाप्रबंधक, वर्ष 2007 में उपमहाप्रबंधक तथा वर्ष 2010 में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए. आप दिनांक 23.01.2013 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त हुए. आपने कॉर्पोरेट स्वीकृतियां मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजभाषा नीति कार्यान्वयन, सहायक सेवाएं, एटीएम प्रबंधन, क्रेडिट रेटिंग, शुल्क आय, सीडीआर, ऋण समूहन आदि जैसे विभिन्न पोर्टफोलियो में कार्य करने के साथ आंचलिक प्रधान के रूप में भी कार्य किया है.

4. **श्री आर.सी. लोढ़ा, कार्यपालक निदेशक (जन्म-तिथि 14.02.1957)**

श्री आर.सी. लोढ़ा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 11.03.2015 को कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति से पूर्व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. आप ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रधान कार्यालय, गुड़गांव में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर थे.

आपकी बैंकिंग यात्रा, प्रत्येक बैंकिंग विभाग के बहुआयामी अनुभव से समृद्ध हुई है. आपने पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर कार्य किया है और इस तरह से आप ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी एवं महानगरीय शाखाओं के प्रभारी रहे हैं. आप क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली के प्रभारी रहे हैं और आपने पुणे एवं दिल्ली अंचलों में फील्ड महाप्रबंधक के पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया है. आपको यूनियन बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई के एमडीओ में बोर्ड सेक्रेटरी के पद पर कार्य करने का भी अवसर भी प्राप्त हुआ है.

आपको कई आंतरिक पुरस्कारों से नवाजा गया है, इनमें वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में बड़ौदा एवं अहमदाबाद की शाखाओं में समग्र कार्यनिष्पादन के लिए, आपको दो बार 'सुपर अचीवर पुरस्कार" से सम्मानित किया गया है. आपको तीन बार चेयरमेन क्लब का सदस्य बनने का भी विशेष अवसर प्राप्त हुआ है.

बैंक के बाहर भी आपको अन्य पुरस्कारों के अलावा, इंडियन बैंकस् असोसिएशन, मुंबई से सी.एच. भाभा रिसर्च एवं स्कॉलरशिप अवार्ड 2000-2001 प्राप्त हुआ है.

5. **डॉ सौरभ गर्ग, सरकार मनोनीत निदेशक- (जन्म-तिथि 28.07.1964)**

डॉ. सौरभ गर्ग एक प्रतिष्ठित विद्वान है. आपने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजिनीयरिंग-बायो टेक्नॉलॉजी में बी.टेक. डिग्री प्राप्त की है. आपने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए(वित्त प्रबंधन) किया है. आपको लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन, यूके से वैश्वीकरण एवं

शहरी विकास में प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है. आपने पॉल निजे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन, यूएसए से पीएचडी की है.

डॉ गर्ग ओडिसा से 1991 कैडर के आईएएस हैं. ओडिसा राज्य कैडर में कार्य करने के उपरांत, आपने अप्रैल 2002 में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के उप सचिव की नियुक्ति पाई. अपने राज्य कैडर के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1993-98 की अवधि में आपने विभिन्न महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जैसे परियोजना निदेशक, डीआरडीए, कालाहांडी एवं परियोजना निदेशक, ऊर्जा विभाग में कार्य किया है. आप वर्ष 1996-98 के दौरान आईडीसीओएल, सीमेंट लिमिटेड के एमडी रह चुके हैं. आपने बरगढ़ एवं केयोंझर जिले के जिलाधीश एवं वाटरशेड विकास विभाग के निदेशक के पद पर भी कार्य किया है. आप दिनांक 04.05.2012 से संयुक्त सचिव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के पद पर कार्य कर रहे हैं.

डॉ गर्ग को प्राप्त पुरस्कारों का विवरण :

1988 - शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु गोल्ड स्वर्ण पदक

1993 - 1991 के आईएएस बैच में सर्वश्रेष्ठ आल राउंड परिवीक्षार्थी

उनके प्रकाशनों का विवरण :-

2000 (लोक प्रशासन)

सरकारी वितरण प्रणाली 2010 (वित्त) के माध्यम से सेवाओं में सुधार हेतु कुछ दखल एवं अनुभव

भारत की बुनियादी संरचना संबंधी दूरदर्शिता - वित्तपोषण की चुनौतियां

6. श्री शेखर भटनागर, आरबीआई मनोनीत निदेशक (जन्म-तिथि 17.07.1958)

श्री भटनागर, बी.एस.सी., एम.ए. (लखनऊ विश्वविद्यालय) एवं एफ.एम.एस., नई दिल्ली से एमबीए (वित्त) हैं. आपने वर्ष 1984 में भारतीय रिज़र्व बैंक में एक अधिकारी (ग्रेड 'बी") के पद पर कार्यग्रहण किया एवं आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग एवं गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग जैसे विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है. उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी कार्य किया था. वर्तमान में आप भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय,मुम्बई, में मुख्य महाप्रबंधक - विदेशी विनिमय विभाग,के रूप में कार्यरत है.

7. श्री एम.पी.शोरावाला, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म-तिथि 15.10.1947)

श्री शोरावाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एडवोकेट-ऑन-रेकॉर्ड के रूप में पिछले 27 वर्षों से कार्यरत हैं. आपने भारत संघ के लिए महा न्यायवादी (अटॉर्नी जनरल), सॉलिसिटर जनरल एवं अन्य विधि अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सहयोग प्रदान किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न स्थानीय निकायों का भी प्रतिनिधित्व किया है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशिष्ट मामलों को देखने के अलावा, आपने विवाचन, संविदाओं/करारों के मसौदे, पेटेन्ट्स एंड ट्रेड मार्क, सायबर लॉ, विदेशी निवेश, फेरा, आपराधिक मामले, कस्टम्स, कॉर्पोरेट मामले, कंपनी लॉ बोर्ड, संयुक्त उद्यम, संपत्ति संबंधी मामले, बैंकिंग, आईटीएटी, इलेक्ट्रीसिटी, कराधान, औद्योगिक एवं श्रम विवाद और अन्य सभी विधिक एवं आपराधिक मामलों का कार्य भी सम्पन्न किया है.

श्री एम.पी.शोरावाला को भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.01.2013 से 3वर्षों के लिए हमारे बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर मनोनीत किया गया था एवं अपने कार्यकाल की अवधि पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 02.01.2016 को कार्यालयीन समय के पश्चात वे बैंक के निदेशक पद से मुक्त हो गए.

8. श्री कृष्णन सेठी, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म-तिथि 10.05.1954)

श्री सेठी पिछले 33 वर्षों से सनदी लेखाकार के रूप में कार्यरत हैं. आप सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के लिए वित्तीय प्रबंधन, लेखा परीक्षा, कर परामर्शदाता, विवाचन कार्य कर रहे हैं. आपकी फर्म का नाम मेसर्स गुप्ता वर्मा एंड सेठी है, जो विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में पिछले 32 वर्षों से संगामी लेखा परीक्षा/निरीक्षण/स्टॉक लेखा परीक्षा/राजस्व लेखा परीक्षा का कार्य कर रही है.

श्री कृष्णन सेठी को भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.02.2013 से 3 वर्षो के लिए हमारे बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर मनोनीत किया गया था एवं एवं अपने कार्यकाल की अवधि पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 27.02.2016 को कार्यालयीन समय के पश्चात वे बैंक के निदेशक पद से मुक्त हो गए.

9. श्री एस.बी. रोडे, अधिकारी-कर्मचारी निदेशक (जन्म- तिथि 15.03.1957)

श्री रोडे, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (एफ) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख (02.04.2013) से 3 वर्षो की अवधि के लिए अथवा बैंक के अधिकारी-कर्मचारी के पद से पदभार से मुक्त होने तक कर्मचारी-अधिकारी निदेशक के पद पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए है.

10. श्री गुरुबख्श कुमार जोशी, कर्मकार कर्मचारी निदेशक (जन्म-तिथि 10.07.1958)

श्री जोशी, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख (10.07.2013) से 3 वर्षो की अवधि के लिए अथवा बैंक के कर्मकार कर्मचारी के पद भार से मुक्त होने तक वर्कमैन कर्मचारी निदेशक के पद पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए है.

श्री जोशी ने दिनांक 27.07.1981 को बैंक में कार्यग्रहण किया है एवं वे अखिल भारतीय सेन्ट्रल बैंक कर्मचारी फेडरेशन के उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं.

11. श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा (जन्म-तिथि 19.07.1962)

श्रीमती रत्नप्रभा एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता एवं एआईसीसी की सदस्या हैं. आप केपीसीसी की महासचिव भी हैं. आप कर्नाटक राज्य सरकार के उपक्रम - कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम लि. की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं.

आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं. आपके सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में नेत्र दान कैम्पों का आयोजन, रक्त दान कैम्पों का आयोजन, परिवान नियोजन कैम्पों का आयोजन, सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन, महिलाओं के लिए विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन शामिल है.

बोर्ड बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान, बोर्ड की 13 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई:

18.04.2015	11.05.2015	12.05.2015	25.05.2015	20.06.2015
29.06.2015	08.08.2015	28.09.2015	08.10.2015	09.11.2015
22.12.2015	09.02.2016	26.02.2016		

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

निदेशक के नाम	दर्ज उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से-तक
श्री राजीव ऋषि	13	13	01.04.2015-31.03.2016
श्री आर.के. गोयल	13	13	01.04.2015-31.03.2016
श्री बी.के. दिवाकर	13	13	01.04.2015-31.03.2016
श्री आर.सी. लोढ़ा	13	13	01.04.2015-31.03.2016
डॉ. सौरभ गर्ग	08	13	01.04.2015-31.03.2016
श्री शेखर भटनागर	11	13	01.04.2015-31.03.2016
श्री एम.पी. शोरावाला	10	11	01.04.2015-02.01.2016
श्री कृष्ण सेठी	13	13	01.04.2015-27.02.2016
श्री एस.बी. रोडे	13	13	01.04.2015-31.03.2016
श्री गुरबख्श के. जोशी	13	13	01.04.2015-31.03.2016
श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	13	13	01.04.2015-31.03.2016
श्री एस. बंद्योपाध्याय	07	07	01.07.2015-31.03.2016
श्री केतुल आर. पटेल	07	07	01.07.2015-31.03.2016

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियां, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2016 को इस समिति में 8 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक एवं 3 अन्य निदेशक, जिनमें 1 शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक, कर्मकार कर्मचारी निदेशक तथा 1 अधिकारी कर्मचारी निदेशक शामिल हैं. अंशकालीन/कर्मकार निदेशकों का प्रत्येक छ: माह में आवर्तन किया जाता है.
- वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की इस प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 16 बैठकें आयोजित की गई :

18.04.2015	11.05.2015	25.05.2015	20.06.2015	29.06.2015
07.08.2015	22.08.2015	18.09.2015	28.09.2015	28.10.2015
07.12.2015	22.12.2015	29.12.2015	09.02.2016	26.02.2016
22.03.2016				

❖ सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	प्रबंधन समिति की अवधि (से-तक)
श्री राजीव ऋषि	16	16	01.04.2015 - 31.03.2016
श्री आर.के. गोयल	16	16	01.04.2015 - 31.03.2016
श्री बी.के. दिवाकर	16	16	01.04.2015 - 31.03.2016
श्री आर.सी. लोढ़ा	15	16	01.04.2015 - 31.03.2016
श्री शेखर भटनागर	14	16	01.04.2015 - 31.03.2016
श्री एम.पी. शोरावाला	10	11	01.04.2015 - 21.12.2015
श्री एस.बी. रोडे	12	12	01.04.2015 - 15.09.2015 22.12.2015 - 31.03.2016
श्री गुरबख्श के. जोशी	12	12	01.04.2015 - 21.12.2015 10.01.2016 - 31.03.2016
श्री एस. बंद्योपाध्याय	06	06	29.09.2015 - 27.02.2016
श्री केतुल आर. पटेल	03	05	22.12.2015 - 31.03.2016

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र फा.नं. 13/01/2006 - बी.ओ. I, दिनांक 10-06-2014 के अनुसार.

ऋण अनुमोदन समिति:

❖ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 को निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. रु. 400 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव, रु. 10 करोड़ तक के समझौता/बट्टे खाते, रु.15 लाख तक के प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र), रु. 25 लाख तक के प्रतिवर्ष (अर्धशहरी क्षेत्र), रु.50 लाख तक के प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) एवं रु.1करोड़ तक के प्रतिवर्ष (मेट्रो क्षेत्र) के परिसर प्रस्ताव संबंधी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करती है. वर्तमान समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं प्रभारी महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन,ऋण, ऋण निगरानी एवं वसूली शामिल हैं.

❖ वर्ष के दौरान, ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 27 बैठकें आयोजित की गई:

17.04.2015	28.04.2015	19.05.2015	06.06.2015	22.06.2015
27.06.2015	14.07.2015	20.07.2015	29.07.2015	14.08.2015
29.08.2015	11.09.2015	24.09.2015	29.09.2015	08.10.2015
19.10.2015	06.11.2015	20.11.2015	30.11.2015	17.12.2015
30.12.2015	14.01.2016	22.01.2016	01.02.2016	29.02.2016
15.03.2016	30.03.2016			

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है.लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें हैं:

❖ अंतर-शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;

❖ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार, बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना;

❖ बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व लेखा-परीक्षकों के अवलोकनों सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा और तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करना;

❖ तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गये समस्त मुद्दों एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से चर्चा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना;

❖ लेखों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;

❖ प्रबंधतंत्र के निर्णय की कार्रवाई पर आधारित प्रमुख प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा-परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना;

- मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कमियां;
- लेखा परीक्षा के पश्चात किसी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र का पता लगाने के लिये लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा के कार्यक्षेत्र आवश्यकता और बारंबारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षो की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
- सांविधिक, अनुबंधित अथवा विनियामकों की समय-समय पर वांछित अन्य सभी मामलों से संबंधित अपेक्षाएं पूरी करने के कार्य को लेखा परीक्षा समिति देखेंगी;

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल होंगे. स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे.

दिनांक 31.03.2016 को लेखा परीक्षा समिति का संयोजन निम्नानुसार है:

1	श्री बी.के.दिवाकर	सदस्य
2	डॉ. सौरभ गर्ग	सदस्य
3	श्री शेखर भटनागर	सदस्य
4	श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	सदस्य
5	श्री एस. बंद्योपाध्याय	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, श्री गुमान सिंह, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक, दिनांक 01-04-2015 से 27.02.2016 तक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, जब वे निदेशक पद से सेवानिवृत्ति हुए, उसके पश्चात समिति के अध्यक्ष का चुनाव अंशकालीन गैर सरकारी सदस्यों में से अगली बैठक में किया जायेगा.

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित तारीखों को 15 बैठकें आयोजित हुईं:

18.04.2015	11.05.2015	12.05.2015	25.05.2015	20.06.2015	07.08.2015
22.08.2015	28.09.2015	28.10.2015	09.11.2015	07.12.2015	14.12.2015
18.01.2016	09.02.2016	26.02.2016			

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशक के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि (से - तक)
श्री कृष्ण सेठी	15	15	01.04.2015-27.02.2016
श्री आर.के. गोयल	08	08	01.04.2015-28.09.2015
श्री बी.के. दिवाकर	15	15	01.04.2015-31.03.2016
श्री आर.सी. लोढ़ा	08	08	01.04.2015-28.09.2015
डॉ. सौरभ गर्ग	09	15	01.04.2015-31.03.2016
श्री शेखर भटनागर	13	15	01.04.2015-31.03.2016
श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	15	15	10.01.2015-31.03.2016
श्री एस. बंद्योपाध्याय	00	00	27.02.2016-31.03.2016

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणाम और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी.

जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा दिनांक 25.11.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/09/2002-03/3.9 के अनुसार बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक एवं तीन गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल है. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गई:

20.06.2015	28.09.2015	22.12.2015	26.02.2016

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशक के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि (से - तक)
श्री राजीव ऋषि	04	04	01.04.2015-31.03.2016
श्री आर.के. गोयल	04	04	01.04.2015-31.03.2016
श्री बी.के. दिवाकर	04	04	01.04.2015-31.03.2016
श्री आर.सी. लोढ़ा	04	04	01.04.2015-31.03.2016
डॉ. सौरभ गर्ग	01	04	01.04.2015-31.03.2016
श्री एम.पी. शोरावाला	03	03	01.04.2015-02.01.2016
श्री कृष्ण सेठी	04	04	01.04.2015-27.02.2016
श्री एस.बी. रोडे	01	01	03.01.2016-31.03.2016
श्री गुरबख्श के. जोशी	01	01	10.01.2016-31.03.2016
श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	03	03	01.04.2015-09.01.2016

पारिश्रमिक समिति

- पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ. नं.20.1.2005-बीओ-I दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया. इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं.
- वित्त वर्ष 2014-15 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 25.05.2015 एवं 28.09.2015 को किया गया.

निदेशकों को पारिश्रमिक

- पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं. 20.1.2005-बीओ-I दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया. इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं.
- वित्त वर्ष 2014-15 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 25.05.2015 एवं 28.09.2015 को किया गया.
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए रु. 13,20,000/- (रुपये तेरह लाख बीस हजार मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए रु. 11,75,000/- (रुपये ग्यारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया.

शेयरधारकों की संबंध समिति

कॉर्पोरेट गवर्नेस पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के तहत सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में, स्टेकधारकों की संबंध समिति (पूर्व में यह शेयरधारको/निवेशक शिकायत समिति के नाम से जानी जाती थी) का गठन शेयर्स के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधरकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए किया गया है. वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भो/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यत: निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक है. इस समिति के अध्यक्ष बैंक के निदेशक मंडल के एक स्वतंत्र गैरसरकारी निदेशक प्रो. एन. बालकृष्णन उनकी सेवानिवृत्ति दि. 9-01-2015 तक रहे और उनके पश्चात श्री कृष्ण सेठी वर्तमान अध्यक्ष है. अंशकालीन गैरसरकारी निदेशकों को आवर्तन प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात किया जा है.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गईं

25.05.2015	28.09.2015	07.12.2015	09.02.2016

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशक के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि (से - तक)
श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	04	04	01.04.2015-31.03.2016
श्री राजीव ऋषि	04	04	01.04.2015-31.03.2016
श्री आर.के. गोयल	04	04	01.04.2015-31.03.2016
श्री बी.के. दिवाकर	04	04	01.04.2015-31.03.2016
श्री आर.सी. लोढ़ा	04	04	01.04.2015-31.03.2016
श्री एस.बी. रोडे	02	03	01.04.2015-31.03.2016
श्री गुरबख्श के. जोशी	03	03	01.04.2015-31.03.2016
श्री एस. बंद्योपाध्याय	01	01	22.12.2015-31.03.2016
श्री के. आर. पटेल	01	01	22.12.2015-31.03.2016

वर्ष 2015-16 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक) के दौरान निवेशक शिकायत का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेयर प्रमाणपत्र	निरंक
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	174
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट	43
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	7
6	धनवापसी लिखत में सुधार	निरंक
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	12
8	प्राप्त कुल शिकायतें	236
9	निपटाई/ध्यान दी गई कुल शिकायतें	236
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है.

अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं.

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां.

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को दिनांक 31 मार्च, 2016 को अधिमान आधार पर 3,14,41,088 इक्विटि शेयर्स का आबंटन करते हुए, रु.165.57 करोड़ (प्रीमियम सहित) की राशि जुटाई है. इन निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य टियर-I एवं टियर-II पूंजी बढ़ाकर पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत करना तथा बैंक के दीर्घावधि संसाधनों में अभिवृद्धि करना है. जुटाई गई निधियों का उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु किया जा रहा है.

संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित; परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकॉनामिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे. इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया.

आचार संहिता

- बैंक ने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के लिए आचार संहिता अपनाई है. इसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध है. समीक्षाधीन वर्ष के लिए, सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है और अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है.

- बैंक की प्रतिभूति में इनसाइड ट्रेडिंग रोकने के लिए, बैंक ने अपने निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाई है.

अन्य प्रकटीकरण

- बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहारों के अलावा, बैंक ने इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधतंत्र, उनकी सहायक कंपनियों अथवा रिश्तेदारों इत्यादि से ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता संभावित हो. वर्ष के दौरान, बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुआ है.

- बैंक में यह सुस्थापित प्रथा है कि जिन निदेशक, जिनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित जब कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता है, तब वे बोर्ड एवं बोर्ड की उप-समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं. वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन देन नहीं हुआ जिससे बैंक के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सकता था.

- बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारी को लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है. समीक्षा वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है.

- लोक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत विसले ब्लोवर शिकायतों पर बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. ''सेन्ट विजिल'' नाम से बैंक का वेब आधारित पोर्टल भी है जो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान को बिना बताए जोकि केवल मुख्य सतर्कता अधिकारी को पता होगी, कर्मचारियों के अनाचार की रिपोर्टिंग को सुसाध्य बनाता है. जो अनाचार को नियंत्रित रखता है, धोखाधड़ी से बचाता है एवं कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है. ''सेन्ट विजिल'' निदेशकों के लिए भी उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त निदेशक एवं कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर मिल सकते हैं. वर्ष 2015-16 के दौरान इस संबंध में किसी भी व्यक्ति ने लेखापरीक्षा समिति से संपर्क नहीं किया. इसके अतिरिक्त यह भी अभिपुष्ट किया जाता है कि लेखापरीक्षा समिति ने किसी भी व्यक्ति को संपर्क करने से मना नहीं किया है.

- बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 की अनुबद्ध आवश्यकताओं का, जहां तक खंड की आवश्यकताओं से, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन किया है.

- प्रमुख अनुषंगियों के निर्धारण की नीति बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है.
https://www.centralbankofindia.co.in/upload/policy%20on%20Subsidiary31212015.pdf

- संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार करने संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है.
https://www.centralbankofindia.co.in/upload/Related%20Party%20Transaction%20%Policy.pdf

विवेकसम्मत आवश्यकताएं (सेबी सूचीकरण करार की अनुसूची का भाग ई)

बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुलग्नक-I डी में निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को वर्तमान में अंगीकार नहीं किया है.

क्र. सं.	गैर-अनिवार्य	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कार्यालय का संस्था के खर्चे पर रखरखाव	लागू नहीं, चूंकि अध्यक्ष कार्यपालक है
2.	गत छह माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार के साथ वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को प्रेषित करना है.	बैंक ने दिनांक 30.09.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज भेजें हैं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किए हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक की वेबसाइट पर भी वित्तीय परिणाक अपलोड किए थे.
3.	कंपनी गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था अपना सकती हैं.	बैंक के पास गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरणियां हैं.
4.	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग अलग पद हैं.	हमारा बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत शासित है. अभी तक बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का एक पद है.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखापरीक्षक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी है.

सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 9वीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक : गुरूवार, दिनांक 30 जून, 2016 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल / रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400056.

1. यह साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2015-16 से संबंधित है.
2. बही-बंदी की तारीख : दिनांक 25 जून, 2016 से 30 जून, 2016 (दोनों दिवस सहित)

साधारण बैठक :

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	आठवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2015, पूर्वान्ह 11.00 बजे	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400056
2.	सातवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2014, पूर्वान्ह 11.00 बजे	----- तदैव ------
3.	छठी वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 29 जून, 2013, पूर्वान्ह 11.00 बजे	----- तदैव ------
4.	पांचवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 27 जुलाई, 2012, सांय 4.00 बजे	----- तदैव ------
5.	चौथी वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 29 जून, 2011, अपरांह 3.00 बजे	----- तदैव ------

स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण :

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध किए जाते हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर आईएनई	INE483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी किए हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:

दिनांक 31.03.2016 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्ड्स-टियर-II पूंजी की स्थिति:

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II - सीरीज XI	04.10.2006	700.00	INE483A09153
लोअर टियर II - सीरीज XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
लोअर टियर II - सीरीज XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
लोअर टियर II - सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
लोअर टियर II - सीरीज I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
अपर टियर II - सीरीज II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
अपर टियर II - सीरीज III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
अपर टियर II - सीरीज IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
अपर टियर II - सीरीज V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
अपर टियर II - सीरीज VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
बासल III अनुपालित क्र. I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
कुल		**5744.10**	

ये सभी बॉण्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

बाजार मूल्य आंकड़े:

मासिक उच्च एवं न्यून भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है:

एनएसई					
माह	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	एनएसई निफ्टी	
				अधिकतम	अधिकतम
अप्रैल, 2015	110.15	101.60	25280576	8844.80	8144.75
मई, 2015	114.90	104.25	18975884	8489.55	7997.15
जून, 2015	107.00	95.10	13906944	8467.15	7940.30
जुलाई, 2015	113.65	92.70	15471809	8654.75	8315.40
अगस्त, 2015	110.95	60.10	19440168	8621.55	7667.25
सितम्बर, 2015	84.00	63.60	6299962	8055.00	7539.50
अक्तूबर, 2015	88.20	81.05	3957817	8336.30	7930.65
नवम्बर, 2015	84.40	65.70	10015464	8116.10	7714.15
दिसम्बर, 2015	72.90	66.50	4476738	7979.30	7551.05
जनवरी, 2016	71.95	60.15	3226873	7972.55	7241.50
फरवरी, 2016	62.50	47.90	6648588	7600.45	6825.80
मार्च, 2016	75.30	58.10	16028556	7777.60	7035.10

मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं बीएसई पर शेयर्स के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की संसेक्स से तुलना सहित) निम्नवत है:

बीएसई					
माह	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	सेंसेक्स	
				अधिकतम	अधिकतम
अप्रैल, 2015	109.95	101.65	12900313	29094.61	26897.54
मई, 2015	114.80	103.00	4635579	28071.16	26423.99
जून, 2015	107.00	96.00	4501315	27968.75	26307.07
जुलाई, 2015	113.70	99.00	14201443	28578.33	27416.39
अगस्त, 2015	110.85	60.10	7851042	28417.59	25298.42
सितम्बर, 2015	83.90	63.50	1796758	26471.82	24833.54
अक्तूबर, 2015	88.45	81.35	1290394	27618.14	26168.71
नवम्बर, 2015	84.35	65.75	2516104	26824.3	25451.42
दिसम्बर, 2015	72.70	67.50	1055989	26256.42	24867.73
जनवरी, 2016	71.90	60.00	873728	26197.27	23839.76
फरवरी, 2016	62.90	48.20	1475317	25002.32	22494.61
मार्च, 2016	75.20	58.50	5996145	25479.62	23133.18

शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है. इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड
एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम)
मुंबई-400 078
टेली.: 022-25946970
फैक्स: 022-25946969
ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता:
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9वीं मंजिल, चंदरमुखी
नरीमन पॉइंट
मुंबई-400 021
संपर्क नं. 022- 6638 7818
फैक्स : 022- 2283 5198
ई-मेलआईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

दिनांक 31.03.2016 को शेयरधारिता का संवितरण

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर्स)				
शेयर्स की शेयरधारिता	**शेयरधारकों की संख्या**	**कुल का प्रतिशत**	**शेयर्स**	**कुल का प्रतिशत**
1-500	141822	93.73	16075969	0.95
501-1000	5544	3.66	4290715	0.25
1001-2000	2192	1.45	3256842	0.19
2001-3000	591	0.39	1491595	0.09
3001-4000	312	0.21	1117760	0.07
4001-5000	184	0.12	864282	0.05
5001-10000	325	0.21	2391425	0.14
10001 एवं अधिक	336	0.23	1660225681	98.26
कुल	**151306**	**100.00**	**1689714269**	**100.00**

''सार्वजनिक'' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है

''सार्वजनिक'' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	**शेयर्स की संख्या**	**%**
भारतीय जीवन बीमा निगम	245008569	14.50

''सार्वजनिक'' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है

''सार्वजनिक'' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	245008569	14.50

दिनांक 31.03.2016 को शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2016 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर्स की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर्स	धारिता का %
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
केन्द्र सरकार	1350827438	0	1	0	1350827438	79.94
क्लियरिंग मेम्बर	1544241	0	251	0	1544241	0.09
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	38504297	90	847	1	38504287	2.28
निदेशकगण	396	0	3	0	396	0.00
वित्तीय संस्थाएं	245008569	0	1	0	245008569	14.50
विदेशी निवेशक संस्थाएं	2850782	0	19	0	2850782	0.17
सरकारी कम्पनियां	700	0	1	0	700	0.00
हिंदू अविभाजित परिवार	1561885	0	4457	0	1561885	0.09
म्युच्युअल फंड	3316	0	1	0	3316	0.00
राष्ट्रीयकृत बैंक	245242	0	4	0	245242	0.01
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	262527	0	4	0	262527	0.02
अनिवासी भारतीय	475263	121600	755	1	596863	0.04
अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय)	161565	0	297	0	161565	0.01
सार्वजनिक	38596351	14926	144508	115	38611277	2.29
ट्रस्ट	116146	0	17	0	116146	0.01
जीआईसी एवं उसकी अनुषंगियां	6857218	0	4	0	6857218	0.41
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	2561717	0	19	0	2561717	0.15
कुल	**1689577653**	**136616**	**151189**	**117**	**1689714269**	**100.00**

रुद्ध शेयर्स के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	रुद्ध शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स के प्रतिशत के रूप में रुद्ध शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) का योग
1	भारत के राष्ट्रपति	1350827438	79.94
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	245008569	14.50
	कुल	**1595836007**	**94.44**

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण

क्र. सं.	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर आदि) के प्रकार	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर के विचाराधीन शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए)इ(बी)इ(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण, जहां विचाराधीन शेयर्स, कुल शेयर्स के 1% से अधिक है.

क्र. सं.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार	विचाराधीन बकाया डीआर शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

शेयर्स का डिमेटरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यत: डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डीमेटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है.

दिनांक 31.03.2016 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण निम्नानुसार है :

	शेयरधारको की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	117	136616	0.01
एनएसडीएल	96685	310284777	18.36
सीडीएसएल*	54504	1379292876	81.63
कुल	**151306**	**1689714269**	**100.00**

* केन्द्र सरकार द्वारा डीमेट रूप से धारित 1350827438 (79.94%) सहित.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है.

अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2016 को ''अदावाकृत उचंत खाता'' में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	255	34,299
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.	15	1080
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए	15	1080
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या.	240	33,219

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई, 2016

(राजीव ऋषि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरणियों में तथ्यत: कोई गलत विवरण अथवा कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.

ii. ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार हैं.

बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.

सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई है, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:

i. वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. लेखांकन नीतियों में वर्ष 2015-16 के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं

iii. धोखाधडियों की अहम् घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

बी.के.सिंघल	**राजीव ऋषि**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2016

प्रमाण पत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कथित कंपनी के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी. यह कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है.

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस और / अथवा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 में निर्धारित शर्तों का कंपनी ने अनुपालन किया है.

हम यह प्रमाणित करते हैं कि शेयरधारक समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के विरूद्ध कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है.

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा बैंक के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है.

कृते दूगड एंड असोशिएट्स	**कृते एन.सरकार एंड कं.**	**कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 000561एन	एफ. आर. सं. 301075ई	एफ. आर. सं. 321095ई
(सीए एम.के.दूगड़)	**(सीए जी. मुखोपाध्याय)**	**(सीए बी.एन.मिश्रा)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 080077	सदस्यता सं. 010534	सदस्यता सं. 083927
कृते चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय	**कृते लोढा एंड कंपनी**	**कृते पाठक एच.डी.एंड असोशिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 101647 डब्ल्यू	एफ. आर. सं. 301051ई	एफ. आर सं. 107783डब्ल्यू
(सीए अम्बेश ए. दवे)	**(सीए आर.पी.सिंह)**	**(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.049289	सदस्यता सं.052438	सदस्यता सं.015585

स्थान : दिल्ली
तारीख : 13 मई 2016

दूगड़ एंड असोशिएट्स 13, कम्यूनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश **नई दिल्ली - 110 065**	**एन. सरकार एंड कं.** 21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट द्वितीय तल **कोलकाता - 700 072,** **पश्चिम बंगाल**	**बी.एन. मिश्रा एंड कं.** एस-29, मैत्री विहार, फेज - II सत्यम डेवलपमेंट सेंटर के सामने **भुबनेश्वर - 751 023** ओडिशा
चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय 208, फीनिक्स हाउस, ए विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग, **लोअर परेल, मुम्बई - 400013** **महाराष्ट्र**	**लोढ़ा एंड कं.** 14 गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट **कोलकाता - 700 069,** **पश्चिम बंगाल**	**पाठक एच. डी. एंड असोशिएट्स** 814-815, तुलसियानी चैम्बर्स 212 नरीमन प्वाइंट **मुंबई - 400 021** **महाराष्ट्र**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दिनांक 31 मार्च, 2016 की संलग्न वित्तीय विवरणियों जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणियों में कुल **4728** शाखाओं एवं **59** क्षेत्रीय कार्यालयों में से हमारे द्वारा लेखापरीक्षित **20** शाखाओं, **24** क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियां तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित **1958** शाखाओं की विवरणियां समाहित हैं.हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है. इसके अलावा इनमें उन **2750** शाखाओं, **35** क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाते भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की **11.43%**, जमाओं की **31.35%**, ब्याज आय की **6.95%** तथा ब्याज व्यय की **26.45%** हिस्सेदारी है.

वित्तीय विवरणियों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

2. इन वित्तीय विवरणियों, जो बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसरण तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई हैं एवं भारत में सामान्यत:स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं, के प्रति प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है.इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्त्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित अश्वासन प्रकट हो सके.

4. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. इन जोखिमों के आकलनों में लेखा परीक्षा की समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में बैंक के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जोकि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर मत के प्रगटीकरण के उद्देश्य के बिना प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार की उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए हैं, जो सही एवं निष्पक्ष चित्रण कर सकें.एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है.

5. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध कराता है.

अभिमत

6. बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अभिमत में:

(ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2016 को बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके.

(बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि खाता भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप उस वर्ष कवर किए गए लेखों में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाता है एवं

(सी) नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

विषय का महत्त्व

हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करना चाहते हैं :

ए) अनुसूची 18 के नोट नं. 5.3 (I एवं II) के अंतर्गत उदय योजना के अनुसरण में विद्युत संवितरण कंपनियों (डिस्कॉम) से सम्बंधित ऋण/बांड्स को एसडीएल बांड्स में अपरिकल्पित/कल्पित रूपांतरण किए जाने का प्रावधान है.

बी) अनुसूची 18 के नोट नं. 11(जी) केअंतर्गत गैर-निष्पादित आस्तियों पर प्रावधान के लिए मान्य आस्थगित कर आस्तियां हैं.

सी) अनुसूची 18 के नोट नं. 5.4 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत भारतीय खाद्य निगम को प्रदत्त ऋण पर प्रावधान है.

डी) अनुसूची 18 के नोट नं. 5.5 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त आस्ति गुणवत्ता समीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसरण में कुछ उधार खातों हेतु किया गया प्रावधान है.

उपर्युक्त विषय में हमारा अभिमत सापेक्ष नहीं है.

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाएं

7. तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की 29 वीं अनुसूची के अनुरूप तैयार किये गए हैं.

8. उपर्युक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाए गए.

(बी) हमारे संज्ञान में आए बैंक के लेनदेन बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं. एवं

(सी) प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के साथ बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाया गया.

9. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) इस रिपोर्ट में विचारित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते बैंक की लेखा बहियों एवं विवरणियों से सुसंगत है.

(बी) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के लेखों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई थी,जिन्हें इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने यथोचित सम्मिलित किया है.

(सी) हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं.

कृते दूगड़ एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 000561एन

(सीए एम.के.दूगड़)
भागीदार
सदस्यता सं. 080077

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 301075ई

(सीए जी. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 010534

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 321095ई

(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 101647डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं.049289

कृते लोढ़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं.052438

कृते पाठक एच.डी. एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं.015585

स्थान : दिल्ली
तारीख : 13 मई 2016

दिनांक 31 मार्च 2016 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का तुलन-पत्र

(000' छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	**16,897,143**	16,582,732
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	**159,894,264**	157,986,391
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित		**5,350,000**	-
जमा राशियां	3	**2,661,841,873**	2,555,723,949
उधार राशियां	4	**92,078,934**	259,741,335
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	**118,598,782**	129,370,581
कुल		**3,054,660,996**	**3,119,404,988**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा नकदी एवं शेष राशि	6	**140,695,075**	141,148,487
बैंकों में जमाराशियां और मांग व अल्प-सूचना पर राशि	7	**14,715,384**	6,954,343
निवेश	8	**888,675,375**	897,399,645
अग्रिम	9	**1,800,095,880**	1,884,775,325
अचल आस्तियां	10	**43,592,873**	28,331,615
अन्य आस्तियां	11	**166,886,409**	160,795,573
कुल		**3,054,660,996**	**3,119,404,988**
आकस्मिक देयताएं	12	**768,034,422**	908,926,711
संग्रहण हेतु बिल	-	**118,375,835**	110,608,049
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन को नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

आर.सी. लोढ़ा	बी.के. दिवाकर	आर.के. गोयल	राजीव ऋषि
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2016

सौरभ गर्ग निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**सुप्रतिम बंद्योपाध्याय** निदेशक
केतुल आर. पटेल निदेशक	**श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा** निदेशक	**गुरबख्श के.जोशी** निदेशक
कृते दूगड़ एंड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ. आर. सं. 000561एन **(सीए एम.के.दूगड़)** भागीदार सदस्यता सं. 080077	**कृते एन.सरकार एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर.सं. 301075ई **(सीए जी. मुखोपाध्याय)** भागीदार सदस्यता सं. 010534	**कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं. 321095ई **(सीए बी.एन.मिश्रा)** भागीदार सदस्यता सं. 083927
कृते चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार एफ. आर सं. 101647डब्ल्यू **(सीए अम्बेश ए. दवे)** भागीदार सदस्यता सं. 049289	**कृते लोढा एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं. 301051ई **(सीए आर.पी. सिंह)** भागीदार सदस्यता सं. 052438	**कृते पाठक एच.डी.असोशिएट्स** सनदी लेखाकार एफ. आर सं. 107783डब्ल्यू **(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 015585

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लाभ-हानि खाता

(000' छोड़कर)

	विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	**258,878,971**	264,087,794
	अन्य आय	14	**19,387,857**	18,942,315
	कुल		**278,266,829**	**283,030,109**
II.	**व्यय**			
	व्यय ब्याज	15	**188,222,689**	191,617,105
	परिचालन खर्चे	16	**63,614,691**	55,821,792
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		**37,606,149**	29,526,730
	कुल		**289,443,529**	**276,965,627**
	पूर्वावधि की मदों के पूर्व वर्ष का लाभ / (हानि)		**(11,176,700)**	**6,064,482**
	घटाएं: पूर्वावधि मदें		**3,005,200**	-
	पूर्वावधि की मदों के पश्चात वर्ष का शुद्ध लाभ / (हानि)		**(14,181,900)**	6,064,482
	लाभ आगे ले जाया गया		**(10,227,726)**	(13,038,008)
	कुल		**(24,409,626)**	**6,973,526**
IV.	**विनियोजन**			
	को अंतरित:			
	सांविधिक आरक्षित		-	1,516,100
	निवेश आरक्षित		**925,930**	538,300
	विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		-	-
	स्टाफ कल्याण निधि		-	181,900
	राजस्व आरक्षित		-	-
	बीमा के रूप में निधि		-	20,000
	प्रस्तावित लाभांश -अधिमानी पूंजी		-	-
	प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		-	829,100
	लाभांश कर		-	168,800
	तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		**(25,335,556)**	10,227,726
	ईपीएस (प्राथमिक एवं डाल्यूटेड)		**(8.55)**	4.27
	प्रधान लेखांकन नीतियां	17		
	लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त फॉर्म की निर्देशित सूची, लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है.

आर.सी. लोढ़ा	**बी.के. दिवाकर**	**आर.के. गोयल**	**राजीव ऋषि**
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2016

सौरभ गर्ग निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**सुप्रतिम बंद्योपाध्याय** निदेशक
केतुल आर. पटेल निदेशक	**श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा** निदेशक	**गुरबख्श के.जोशी** निदेशक
कृते दूगड़ एंड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ. आर. सं. 000561एन **(सीए एम.के.दूगड़)** भागीदार सदस्यता सं. 080077	**कृते एन.सरकार एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर.सं. 301075ई **(सीए जी. मुखोपाध्याय)** भागीदार सदस्यता सं. 010534	**कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं. 321095ई **(सीए बी.एन.मिश्रा)** भागीदार सदस्यता सं. 083927
कृते चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार एफ. आर सं. 101647डब्ल्यू **(सीए अम्बेश ए. दवे)** भागीदार सदस्यता सं. 049289	**कृते लोढा एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं. 301051ई **(सीए आर.पी. सिंह)** भागीदार सदस्यता सं. 052438	**कृते पाठक एच.डी.असोशिएट्स** सनदी लेखाकार एफ. आर सं. 107783डब्ल्यू **(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 015585

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2016

31 मार्च 2016 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 1 : पूंजी

(000' छोड़कर)

विवरण	31/03/2016 को		31/03/2015 को	
प्राधिकृत पूंजी		**50,000,000**		50,000,000
प्रत्येक रु. 10/- के 500,00,00,000 शेयर				
प्रत्येक रु. 10/- के (गत वर्ष 500,00,00,000 शेयर)				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी				
इक्विटी शेयर	**16,897,143**		16,582,732	
इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10/- के 1,68,97,14,269 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1,65,82,73,181 इक्विटी शेयर) (सहित केद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 135,08,27,438 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 135,08,27,438 इक्विटी शेयर) (संदर्भ अनुसूची - 18 में नोट- 1)				
कुल		**16,897,143**		**16,582,732**

अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

(000' छोड़कर)

विवरण	31/03/2016 को		31/03/2015 को	
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**20,635,979**		19,119,879	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		1,516,100	
		20,635,979		20,635,979
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**18,141,600**		18,401,204	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन से वृद्धि	**15,861,477**		-	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	**242,973**		-	
वर्ष के दौरान कमी	**836,649**		259,604	
		32,923,455		18,141,600
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**5,409,385**		4,871,085	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**925,930**		538,300	
		6,335,315		5,409,385
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**99,554,023**		74,383,893	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	**1,341,277**		25,170,130	
		100,895,300		99,554,023

(000' छोड़कर)

विवरण		31/03/2016 को		31/03/2015 को
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i) राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**23,473,130**		23,473,130	
जोड़े: पूंजी राजस्व से अंतरण	**242,973**		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (एस डब्ल्यू निधि)	**116,755**		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	**393,087**		-	
		23,439,771		23,473,130
V. विशेष प्रारक्षित निधियां आयकर अधिनियम के यू/एस 36 (1)(viii)		**1,000,000**		1,000,000
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		**(25,335,556)**		(10,227,726)
कुल		**159,894,264**		**157,986,391**

अनुसूची 3 : जमाराशियां

(000' छोड़कर)

विवरण		31/03/2016 को		31/03/2015 को
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	**2,703,264**		9,161,917	
ii) अन्य से	**117,000,456**		122,862,383	
		119,703,720		132,024,300
II. बचत बैंक जमाराशियां		**824,849,145**		738,098,898
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	**58,124,654**		54,173,510	
ii) अन्य से	**1,659,164,354**		1,631,427,241	
		1,717,289,008		1,685,600,751
कुल		**2,661,841,873**		**2,555,723,949**
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**2,661,841,873**		2,555,723,949
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-

अनुसूची 4 : उधार राशियां

(000' छोड़कर)

विवरण		31/03/2016 को		31/03/2015 को
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	**8,250,000**		142,071,241	
ii) अन्य बैंक	**8,582**		-	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	**15,549,352**		37,679,594	
iv) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	**18,591,000**		24,373,000	
v) अपर टियर II बॉन्ड्स	**28,850,000**		28,850,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	**10,830,000**		10,830,000	
vii) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्डस (टीयर II)	**10,000,000**		10,000,000	
		92,078,934		253,803,835
II. भारत के बाहर उधारराशियां		-		5,937,500
कुल		**92,078,934**		**259,741,335**
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां		निरक		निरक

अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान

(000' छोड़कर)

विवरण	31/03/2016 को	31/03/2015 को
I. देय बिल	**6,624,509**	8,682,760
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-	-
III. उपचित ब्याज	**15,325,153**	15,519,233
IV. आस्थगित कर देयता	-	1,100,100
V. अन्य (प्रावधान सहित)	**96,649,120**	104,068,488
कुल	**118,598,782**	**129,370,581**

अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि

(000' छोड़कर)

विवरण	31/03/2016 को		31/03/2015 को	
I. हस्ते नकदी		**16,584,535**		22,638,009
(विदेशी मुद्रा सहित)				
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	**124,110,540**		118,510,478	
अन्य खातों में	-		-	
		124,110,540		118,510,478
कुल		**140,695,075**		**141,148,487**

अनुसूची 7 : बेंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि

(000' छोड़कर)

विवरण	31/03/2016 को		31/03/2015 को	
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	**1,676,098**		3,033,855	
बी) अन्य जमा खातों में	**16,650**		11,139	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	**12,000,000**		2,000,000	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
		13,692,747		**5,044,994**
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	**1,022,637**		1,909,349	
बी) अन्य जमा खातों में	-		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
		1,022,637		1,909,349
कुल		**14,715,384**		**6,954,343**

अनुसूची 8 : निवेश

(000' छोड़कर)

विवरण		31/03/2016 को		31/03/2015 को	
I.	भारत में निवेश				
	i) सरकारी प्रतिभूतियों में	**665,326,894**		754,101,488	
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
	iii) शेयर्स	**10,533,842**		12,834,462	
	iv) डिबेंचर एवं बांड्स	**172,776,411**		100,454,377	
	v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	**3,039,987**		3,039,987	
	vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्युचुअल फंड यूनिट्स आदि)	**36,523,356**		26,494,446	
			888,200,490		**896,924,760**
II.	भारत के बाहर निवेश**				
	विदेशों में अनुषंगियां एवं असोशिएट्स		**474,885**		474,885
कुल			**888,675,375**		**897,399,645**
*	भारत में निवेश				
	सकल मूल्य	**898,472,375**		898,731,208	
	घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	**10,271,885**		1,806,448	
	शुद्ध मूल्य		**888,200,490**		**896,924,760**
**	भारत के बाहर निवेश				
	सकल मूल्य	**475,100**		474,885	
	घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	**215**		-	
	शुद्ध मूल्य		**474,885**		**474,885**

अनुसूची 9 : अग्रिम

(000' छोड़कर)

विवरण		31/03/2016 को		31/03/2015 को	
ए.	i) खरीदे गए एवं भुनाए गऐ बिल	**17,819,792**		20,953,233	
	ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	**746,950,803**		728,496,913	
	iii) मीयादी ऋण	**1,035,325,285**		1,135,325,179	
कुल			**1,800,095,880**		**1,884,775,325**
बी.	अग्रिमों का विवरण				
	i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	**1,636,078,107**		1,648,180,533	
	ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	**5,150,950**		85,551,934	
	iii) अरक्षित	**158,866,824**		151,042,858	
कुल			**1,800,095,880**		**1,884,775,325**
सी.	अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
	(I) भारत में अग्रिम				
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**756,054,399**		697,307,405	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	**99,953,724**		208,996,695	
	iii) बैंक	**1,445**		8,689	
	iv) अन्य	**944,086,313**		978,462,536	
कुल			**1,800,095,880**		**1,884,775,325**
	(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-

अनसूची 10 :अचल आस्तियां

(000' छोड़कर)

विवरण	31/03/2016 को		31/03/2015 को	
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकि लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	**24,850,974**		24,747,330	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुनर्मूल्यांक सहित)	**16,521,255**		103,644	
कुल	**41,372,229**		**24,850,974**	
वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	**1,265,633**		-	
इस दिनांक को मूल्यह्रास	**4,980,991**		5,074,659	
कुल		**35,125,605**		**19,776,315**
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एव जुडनार सहित)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	**22,920,838**		20,430,426	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	**2,400,009**		10,894,019	
कुल	**25,320,847**		**31,324,445**	
वर्ष के दौरान कमी/ समायोजन	**634,954**		8,403,607	
कुल	**24,685,893**		**22,920,838**	
इस दिनांक को मूल्यह्रास	**16,218,626**		14,365,538	
कुल		**8,467,268**		**8,555,300**
कुल (I & II)		**43,592,873**		**28,331,615**

अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां

(000' छोड़कर)

विवरण	31/03/2016 को		31/03/2015 को	
I. उपचित ब्याज	**14,944,334**		18,397,719	
II अग्रिम कर भुगतान/स्त्रोत पर काटा गया कर				
(शुद्ध प्रावधान)	**40,116,339**		30,392,928	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	**180,736**		186,236	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित				
गैर बैंकिंग आस्तियां	-		–	
V. आस्थगित कर आस्तियां	**10,882,800**		–	
VI. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	**35,311,344**		35,396,476	
VII. अन्य	**65,450,855**		76,422,214	
कुल		**166,886,408**		**160,795,573**

अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं

(000' छोड़कर)

विवरण		31/03/2016 को		31/03/2015 को
I. (ए) बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		**1,307,819**		1,094,250
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		**24,722,329**		18,134,088
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		**249,303**		
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		**507,501,883**		667,746,178
IV. ग्राहकों की आरे से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	**103,472,432**		104,223,884	
बी) भारत के बाहर	**7,676,745**		10,854,478	
		111,149,177		115,078,362
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		**121,103,911**		99,123,833
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		**2,000,000**		7,750,000
कुल		**768,034,422**		**908,926,711**

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खातों अनुसूचियां

अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज

(000' छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	**189,777,092**	195,172,825
II. निवेशों पर आय	**64,738,502**	67,064,618
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	**953,046**	314,608
IV. अन्य की	**3,410,331**	1,535,743
कुल	**258,878,971**	**264,087,794**

अनुसूची 14 : अन्य आय

(000' छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	**9,083,665**	8,772,569
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	**5,868,186**	6,176,583
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)	**-**	-
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि)	**743,145**	(6,430)
V. विनिमय लेन देनों पर लाभ (शुद्ध)	**1,649,588**	2,020,268
VI. भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभाशं इत्यादि के रूप में अर्जित आय	**100,269**	34,150
VII. विविध आय	**1,943,004**	1,945,175
कुल	**19,387,857**	**18,942,315**

अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज

(000' छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष
I. जमाराशियों पर ब्याज	**176,533,417**	175,203,052
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	**2,074,637**	3,478,463
III. अन्य	**9,614,635**	12,935,590
कुल	**188,222,689**	**191,617,105**

अनुसूची 16 : परिचालन व्यय

(000' छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**44,656,742**	38,249,398
II. किराया, कर एवं बिजली	**4,004,397**	3,679,008
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	**443,730**	501,251
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	**309,297**	254,425
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	**2,394,338**	2,292,421
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	**8,478**	7,358
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**252,030**	224,376
VIII. विधि प्रभार	**180,140**	194,871
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	**745,660**	651,628
X. मरम्मत एवं रखरखाव	**695,128**	743,899
XI. बीमा	**2,699,881**	2,445,502
XII. अन्य व्यय	**7,224,869**	6,577,655
कुल	**63,614,691**	**55,821,792**

अनुसूची 17 - महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

1. **ए तैयार करने का आधार :**

वित्तीय विवरणियां लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पुनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं. एवं सभी तात्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं.

बी प्राक्कलनों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है. प्रबंधतंत्र को यह विश्वास होता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं.

आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो. वास्तविक परिणामों एवं प्रक्कलनों के बीच के अंतर को उस वर्ष अभिचिन्हित किया जाता है, जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं / पूरे कर लिए जाते हैं.

2. **विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन**

2.1 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

2.2 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है.

2.3 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं.

2.4 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

3. **निवेश:**

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", व्यापार हेतु धारित तथा विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तथापि, तुलन पत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

i) सरकारी प्रतिभूतियां
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
iii) शेयर्स
iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्डस्
v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
vi) अन्य (यूटीआई शेयरों, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स).

3.2 **वर्गीकरण का आधार:**

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है:

i) परिपक्वता तक धारित
इन में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है.

ii) व्यापार के लिए धारित
प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुन: बिक्री के लिए रखी जाती हैं.

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध
वे निवेश, जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

3.3 **श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण :**

निवेश की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख को न्यूनतम अधिग्रहण लागत / वही मूल्य पर लेखांकित की जाती हैं. इस अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि है, का पूर्ण प्रावधान किया जाता है.

3.4 **मूल्यनिर्धारण :**

ए. परिपक्वता तक धारित:

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत / बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.

बी. विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां

स्टॉक एक्सचेंज / एफआईएमएमडीए / पीडीएआई द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर

ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टी कृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड

परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर

iii) ट्रेजरी बिल / जमा-प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पेपर

रखाव लागत पर

iv) इक्विटीशेयर

ए उद्धृत:

बाजार मूल्य पर

बी अनुद्धृत :

प्रतिशेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या रु. 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो.

v) अधिमानीशेयर

ए उद्धृत

बाजार मूल्य पर

बी अनुद्धृत:

परिपक्वता पर उचित आय

vi) डिबेंचर एवं बॉण्ड

ए उद्धृत

बाजार मूल्य पर

बी अनुद्धृत:

परिपक्वता पर उचित आय

vii) म्युच्युअल फंड

ए उद्धृत

बाजार मूल्य पर

बी अनुद्धृत:

पुन: क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुन: क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)

viii) वेंचरपूंजी

घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जो कि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजीनिधि (वीसीएफ) के लिए रु.1/-.

प्रतिभूति के बहीमूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया है.

सी व्यापार के लिए धारित:

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि है, को गणना में नहीं लिया गया है.

3.5 **लागतनिर्धारण:**

भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है.

3.6 **आय निर्धारण:**

i) निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि "परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि "पूंजी प्रारक्षित निधि" में विनियोजित की गयी है.

ii) निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूलधन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेक पूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यह्रास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेक पूर्ण मानदडों के अधीन रखे गए हैं.

iii) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के साथ में वर्गीकृत किया जाता है यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूलधनया अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हों अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हों.

iv) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है.

v) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय व्यय जैसे दलाली, फीस, कमीशन अथवा कर इत्यादि राजस्व में प्रभारित किए गए हैं.

vi) प्रतिभूतियों की बिक्री अथवा खरीद पर विखंडित अवधि ब्याज को राजस्व का मद माना जाता है.

4. **डेरिवेटिव्ज :**

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज को निम्नानुसार लेखांकन किया गया है.

i) ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

ii) जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

iii) स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

5. **अग्रिम**

5.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो.

5.2 वाद दायर, डिक्रीकृत खातों तथा समझौता मामलों में जहां वसूली पहले मूलधन के लिए अथवा डिक्री/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाती है, को छोड़ कर एनपीए खाते में वसूलियों को पहले मूल धन की अनियमितताओं के लिए समायोजित किया जाता है.

5.3 अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएस आई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं.

5.4 मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य में शामिल हैं.

5.5 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

5.5.1 यदि बिक्री प्राप्तियां निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है>

5.5.2 यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को एनबीवी (अर्थात बही मूल्य मे से रखा गया प्रावधान घटा कर) कीमत से कम पर बेचा गया है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में नामे किया जाय.

5.5.3 यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है.

5.5.4 यदि एसी/आरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एसी/आरसी को बेचे जाने वाली वितीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है.

6. अचल आस्तियां/मूल्यह्रास :

6.1 अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यह्रास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यह्रास "मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली" के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है.

i)	परिसर अनुमानित जीवनकाल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर	
ii)	फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii)	वाहन	20%
iv)	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v)	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर (अधि ग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है.)	33.33%

6.2 उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यह्रास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे "पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि" में समायोजित किया गया है एवं "राजस्व एवं अन्य आधारित" में जमा किया गया.

6.3 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियोंपर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

6.4 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है एवं 99 या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है. पुनर्मूल्यन के मामलो में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है और "पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि" में समायोजित किया जाता है एवं "राजस्व एवं अन्य आरक्षित" में जमा किया जाता है.

6.5 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागतपर मूल्यह्रास लगाया गया है.

7. कर्मचारी लाभ :

कर्मचारी द्वारा दी गयी सेवाओं के वर्षों के लाभ उपचित होते हैं. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ,वे होते हैं जो उस वर्ष लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माने जाते हैं. के लिए जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गयी हैं.

परिभाषित अंशदान योजना जैसे भविष्य निधि योजना में जब कभी अंशदान लिया जाता है तभी उसे लेखागत माना जाता है. भविष्य निधि का विकल्प लिए कर्मचारियों के संबंध में है, समतुल्य अंशदान दिया जाता है.

परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटि में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ को बीमांकित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर वर्ष की समाप्ति पर देय राशि के वर्तमान मूल्य के आधार पर निर्धारण किया जाता है. बीमांकित लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है.

8. आय एवं व्यय की पहचान :

8.1 संविधानिक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/व्यय की मदों को उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है.

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.4.018.2002-03 दिनांक 29.03.2003 के दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई मद कुल आय / कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया जाता है.

8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किए जाते हैं.

9. आयकर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागूकर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, एक समय में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय तथा लेखा आय को पश्चवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तित करने में सक्षम समय अंतराल को भी ध्यान में रखते हैं. आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होने की तर्कसंगत सुनिश्चितता हो. आगे लाए गए अनवशोषित मूल्यह्रास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों केा भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा. आस्थगित कर आस्तियों की धारित राशि की वसूली के पुनर्आकंलन के कारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

10. प्रावधान,आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां

पिछले कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित समय अथवा राशि के ऐसे वर्तमान दायित्वों जिनका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो एवं उन दायित्वों के समाधान के लिए आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों का बहिर्गमन संभव हो, के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान मान्य किए जाते हैं जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता संभावित न हो अथवा राशि का विश्वस्त आकलन नहीं किया जा सकता हो तो आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के अत्यन्त क्षीण रहने तक ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है. अंतिम वित्तीय विवरणियों में अनुषंगी आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

(आर.सी.लोढ़ा) कार्यपालक निदेशक	**(बी.के.दिवाकर)** कार्यपालक निदेशक	**(आर.के.गोयल)** कार्यपालक निदेशक	**(राजीव ऋषि)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**सुप्रतिम बंद्योपाध्याय** निदेशक
केतुल आर. पटेल निदेशक	**श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा** निदेशक	**गुरबख्श के.जोशी** निदेशक
कृते दूगड एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.000561एन	**कृते एन.सरकार एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर.सं.301075ई	**कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.321095ई
(सीए एम.के.दूगड़) भागीदार सदस्यता सं.080077	**(सीए जी. मुखोपाध्याय)** भागीदार सदस्यता सं.010534	**(सीए बी.एन.मिश्रा)** भागीदार सदस्यता सं.083927
कृते चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार एफ. आर सं.101647डब्लू	**कृते लोढा एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.301051ई	**कृते पाठक एच.डी.एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफ. आर सं.107783डब्लू
(सीए अम्बेश ए. दवे) भागीदार सदस्यता सं.049289	**(सीए आर.पी.सिंह)** भागीदार सदस्यता सं.052438	**(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं.015585

स्थान : दिल्ली
तारीख: 13 मई 2016

अनुसूची-18 : लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. पूँजी :

दिनांक 31 मार्च 2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर रु. 42.66 प्रति शेयर प्रीमियम पर रु. 31.44 करोड़ के रु. 10/- प्रति शेयर के नये 31441088 इक्विटी शेयर जारी करने से बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी गत वर्ष के रु. 1658.27 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2016 को रु. 1689.71 करोड़ हो गई है. बैंक ने दिनांक 31.03.2016 को भारत सरकार से शेयर पूंजी के तौर पर रु. 535.00 करोड़ प्राप्त किए हैं. इसके समक्ष शेयरों का आबंतन लम्बित रहते इस राशि को "शेयर आवेदन राशि-आबंटन लम्बित" के अंतर्गत रखा गया है.

2. बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है :

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए प्रतिरूप खाते

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होगा.

3. आय कर

3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

3.2 बैंक द्वारा भुगतान किए गए अथवा आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर संबंधी अन्य आस्तियां [अनुसूची 11(ii)] में रु. 2472.23 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1813.41 करोड़) शामिल हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयों के आधार पर कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है.

4. परिसर:

4.1 बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में रु. निरंक मूल्य (पिछले वर्ष रु. 32.06 करोड़) की प्रापर्टी शामिल है जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन हैं.

4.2 बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों की रिपोर्ट एवं निदेशक मंडल द्वारा उसके अनुमोदन के आधार पर दिनांक 31.03.2016 के बाजार मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए बैंक के परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में हुई रु. 1586.15 करोड़ की शुद्ध वृद्धि को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित राशि खाते में जमा कर दी गई है.

4.3 परिसरों की पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है जिसे पूर्व की प्रथानुसार पुनर्मूल्यांकित आरक्षित राशि खाते में प्रभारित किया जाता था. तथापि तदनुरूपी राशि पुनर्मूल्यांकित आरक्षित राशि खाते से समायोजित कर उसे राजस्व एवं अन्य आरक्षित राशि में जमा कर दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप, मूल्यह्रास के खाते में वार्षिक हानि और राजस्व एवं अन्य आरक्षित राशि में रुपए 24.30 करोड़ अधिक प्रभारित किए गए है.

5. अग्रिम / प्रावधान

5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना गया है.

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान रु.100.56 करोड़ (गत वर्ष रु. 100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान की राशि रु.47.34 करोड़ (गत वर्ष रु. 47.34 करोड़) की शुद्धि की गई है.

5.3 (i) उदय योजना (उज्जवल डिसकॉम एश्योरेंस योजना) के अनुसरण में विद्युत संवितरण कम्पनियों (डिसकॉम) को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक में 30 सितंबर 2015 को डिसकॉम के बकाया देयों के निपटान के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी रुपए 9232 करोड़ के गैर एसएलआर एसडीएल बॉन्ड्स एवं रुपए 2538 करोड़ के राज्य सरकार गारंटीकृत डिसकॉम बॉन्ड्स अभिदत्त किए हैं. भा.रि.बैं. के पत्र सं. डीबीआर.बीपी.नं.11657/21.04.132/2015-16 दिनांक 17 मार्च 2016 के साथ सहपठित स्पष्टीकरण दिनांक 21 अप्रैल, 2016 एवं दिनांक 11 मई, 2016 के अनुसार:

ए. एसडीएल बॉन्ड्स में संपरिवर्तन करने के लिए अकल्पित रुपए 3506.08 करोड़ के ऋणखंड /बॉन्ड्स के सबन्ध में रुपए 525.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बी. एसडीएल बॉन्ड्स में संपरिवर्तन किए जाने के लिए कल्पित रुपए 668.31 करोड़ के ऋण खंड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

सी. ऋण के उचित मूल्य में ह्रास के लिए रुपए 74.51 करोड़ का प्रावधान किया है.

डी. दिनांक 31 मार्च, 2016 को बाजार भाव के आधार पर डिसकॉम एवं एसडीएल बॉन्ड्स के मूल्यों पर कोई ह्रास नहीं होने के कारण कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया.

(ii) रुपए 1591.73 करोड़ के डिसकॉम ऋण के संबंध में (जिसमें पंजाब सरकार, डिसकॉम एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा रुपए 1021.11 करोड़ के हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन शामिल है) यद्यपि संबंधित राज्य सरकार ने उदय योजना में सहभागिता की है परंतु बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 को उसे क्रियान्वित किया जाना शेष है. अत: उन्हें आईआरएसी के सामान्य मानदंडों के अनुसार मानकर वर्गीकृत किया गया है. इन ऋणों के संबंध में उदय योजना के अनुसरण में आवश्यक समायोजन का निर्धारण और प्रभावन इसका कार्यान्वियन किए जाने पर किया जाएगा.

5.4 दिनांक 16 अप्रैल, 2016 को (कॉनसोर्टियम लीडर) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त पत्र में यथा सन्दर्भित भा.रि.बैं. के पत्र सं. डीआरबी.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में पंजाब सरकार द्वारा लिए गए खाद्य ऋण (एफसी) खाते एवं अन्य संबद्ध मुद्दों का नियमन लम्बित रहते एफसी के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा लिए गए रुपए 1274.80 करोड़ (एसबीआई द्वारा यथासूचित) के बकाया शेष के सम्बन्ध में 15% अर्थात रुपए 191.22 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

5.5 बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भा.रि.बैं. द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अनुसार कथित समीक्षा सन्दर्भित अग्रिमों के वर्गीकरण एवं उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आवश्यकताओं के लिए रुपए 1727.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसे इन वित्तीय विवरणियों में प्रभावित किया गया है.

6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट की गई है :

ए. पूंजी

(₹ करोड में)

क्र.स.	मदें	31.03.2016	31.03.2015
1	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात %	**8.03%**	7.86%
2	टियर 1 पूंजी अनुपात %	**8.20%**	8.05%
3	टियर 2 पूंजी अनुपात %	**2.20%**	2.85%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) %	**10.41%**	10.90%
5	सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	**79.94%**	81.46%
6	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि	**700.57***	2824.85**
7	उगाही गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) : शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई)	**निरंक**	निरंक
8	उगाही गयी टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से ऋण पूंजी लिखत : अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : [शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) /प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर(आरएनसीपीएस) /प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) .	**निरंक**	निरंक

* इसमें दिनांक 30.03.2016 को भारत सरकार से प्राप्त रुपए 535.00 करोड़ की पूंजी निधि शामिल है जिसे "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर आवेदन राशि खाता" के नाम से खोले गए नए बैंक खाते में रखा गया है. बैंक ने अपने पत्र दिनांक 28 मार्च 2016 के माध्यम से भा.रि.बैं. से अनुमति मांगी है कि भारत सरकार के इक्विटी शेयरों का आबंटन लम्बित रहते उक्त पूंजी निधि को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी का एक भाग माना जाय जिसे भा.रि.बैं. द्वारा अपने पत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा स्वीकृत कर दिया है.

** इसमें भारत सरकार द्वारा धारित सभी शाश्वत गैरसंचयी अधिमानी शेयरों को रुपए 105.09 (रुपए 95.09 के प्रीमियम सहित) के संपरिवर्तन मूल्य पर 15,38,68,113 इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तन कर और दिनांक 24 मार्च, 2015 को आबंटित शेयरों से उगाहे गए रुपए 1617.00 करोड़ शामिल हैं.

उपर्युक्त आंकड़ों का संकलन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश और कुछ इतर मदों के संबंध में तुलनपत्र में प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर किया गया है और लेखा परीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है.

i निवेश

(बी) (₹ करोड़ में)

		मदे	31.3.2016	31.3.2015
1)		**निवेश मूल्य**		
	i	सकल निवेश मूल्य	**89894.75**	95654.55
	अ	भारत में	**89847.24**	95607.07
	ब	भारत के बाहर	**47.51**	47.48
	ii	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**1027.21**	180.64
		भारत में	**1027.19**	135.51
		वर्तमान मूल्यांकन से मूल्यह्रास (अंतरण के समय धारित) के लिए अतिरिक्त प्रावधान	**0.00**	45.13
		भारत के बाहर	**0.02**	0.00
	iii	निवेश का शुद्ध मूल्य	**88867.53**	95473.91
		भारत में	**88820.05**	95426.43
		भारत के बाहर	**47.49**	47.48
2)		**निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी**		
	i	प्रारंभिक शेष	**180.64**	248.64
	ii	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**912.26**	96.07
	iii	घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाता प्रतिलेखन प्रावधान	**65.69**	164.07
	iv	अंतिम शेष	**1027.21**	180.64

नोट :
निवेश पोर्टफोलियों के वर्गीकरण, मूल्यनिर्धारण एवं परिचालन के विषय पर भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार बकाया अग्रिमों के संपरिवर्तन के माध्यम से हासिल लिखतों के मूल्यह्रास को एएफएस वर्ग के अंतर्गत रखी गई किसी भी अन्य प्रतिभूति की मूल्यवृद्धि से प्रतितुलित नही किया गया है. इसके परिणामस्वरूप वर्ष के प्रावधान में रु. 229.83 करोड़ की वृद्धि हुई है.

(ii) इस निवेश में निम्नलिखित कम्पनियों को प्रदत्त रु. 47.30 करोड़ की शेयर आवेदन राशि सम्मिलित है जिनका आबंटन लम्बित है:

दिनांक 31 मार्च 2016 को बकाया राशि (रु. करोड़ में)

31.03.2016			31.03.2015
मूल्य तिथि	विवरण	नामे (रु.)	
26-मई-2014	सीडब्ल्यूसी में निवेश	0*	0*
31-मार्च-2015	शिववाणी ऑयल एवं गैस (ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन)	2.89	2.89
30-मार्च-2016	ईएआरसी ट्रस्ट 208	27.62	
31-मार्च-2016	एलआईसी एचएफएल शहरी विकास निधि	0.55	
31-मार्च-2016	जेएमएफएआरसी-आईआरआईएस	16.24	

निर्दिष्ट आंकड़े करोड़ से कम है.

(iii) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के सन्दर्भ में): (रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दिनांक 31 मार्च, 2016 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	12561.97	2435.46	825.00
कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	4351.76	457.48	1200.00
कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00

(iv) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलिओ

गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार संघटन (रु. करोड़ में)

क्र	जारीकर्ता	राशि सीमा	निजी नियोजन सीमा	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की सीमा	गैर-श्रेणीकृत प्रतिभूतियों की सीमा	गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	राज्य सरकार विशेष बॉन्ड	9346				
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5253	13	0	4412	3460
(iii)	वित्तीय संस्थाएं	1040	127	0	131	143
(iv)	बैंक	517	0	0	24	0
(v)	निजी कॉर्पोरेट	3017	90	354	1157	719
(vi)	अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम / क्षेग्राबैं/ इंडो-जाम्बिया	421	421	0	421	421
(vii)	अन्य	3768	0	0	3498	2921
कुल		**23362**	**651**	**354**	**9643**	**7664**
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		712	0	133	579	442
शुद्ध		22650	651	221	9064	7222

नोट : उपर्युक्त कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक विशिष्ट नहीं हैं.

(v) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार संघटन (₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2016	31.3.2015
प्रारंभिक शेष	304.63	125.90
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	215.28	195.31
वर्ष के दौरान कमी	45.88	16.58
अंतिम शेष	474.03	304.63
धारित कुल प्रावधान	315.55	113.29

सी. डेरिवेटिव्ज

(i) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2016	31.3.2015
i	स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	**200.00**	775.00
ii	करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	**0.23**	0.06
iii	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	**निरंक**	निरंक
iv	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम संकेंद्रिकरण		
	- विदेशी बैंक	**निरंक**	निरंक
	- घरेलू बैंक	**निरंक**	निरंक
v	स्वैप बही का उचित मूल्य	**-0.49**	-1.56

(ii) विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज : (₹ करोड़ में)

	मदें	राशि 31.3.2016	राशि 31.3.2015
i	वर्ष के दौरान, विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज का काल्पनिक मूलधन (लिखत-वार)		
	ए) आईआरएफ	**8318.97**	5505.90
	बी) करेंसी फ्यूचर्स	**निरंक**	निरंक
	सी) करेंसी ऑप्शन्स	**निरंक**	निरंक
ii	दिनांक 31 मार्च, 2015 को विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज की काल्पनिक मूल राशि का बकाया शेष (लिखत-वार)		
	ए) आईआरएफ	**निरंक**	निरंक
	बी) करेंसी फ्यूचर्स	**निरंक**	निरंक
	सी) करेंसी ऑप्शन्स	**निरंक**	निरंक
iii	शेयर बाजार में विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज की बकाया काल्पनिक मूल राशि का बकाया शेष जो ''अतिप्रभावी'' नहीं है (लिखत-वार)		
	ए) आईआरएफ	**निरंक**	निरंक
	बी) करेंसी फ्यूचर्स	**निरंक**	निरंक
	सी) करेंसी ऑप्शन्स	**निरंक**	निरंक
iv	बही में अंकित एक्सचेंज व्यापारित ब्याज दर डेरिवेटिव्ज के बाजार मूल्य और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (लिखत-वार) का बकाया शेष		
	ए) आईआरएफ	**निरंक**	निरंक
	बी) करेंसी फ्यूचर्स	**निरंक**	निरंक
	सी) करेंसी ऑप्शन्स	**निरंक**	निरंक

डेरिवेटिव्ज में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

(iii) गुणात्मक प्रकटीकरण

- वायदा बाजार में बचाव / व्यापार में डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति बनी हुई है.
- निवेश पोर्टफोलियों में ब्याज दर की जोखिम से बचाव तथा बाजार निर्मिति के लिए वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा -वायदे तथा ब्याज दर वायदों की नीति मौजूद है.
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि-रोध सीमाएं, काउन्टर पार्टी एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि, मौजूद हैं. इन जोखिमों की निगरानी तथा समीक्षा नियमित रूप से की जाती है. प्रबंध सूचना प्रणाली/ रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है.

बचाव स्थितियां

- आईआरएस पर ब्याज खर्च/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है.
- यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक एमटीएम हानि/लाभ तथा उस तारीख तक उपचित को ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है.

व्यापारिक स्थितियां

- एमसीएक्स-एसएक्स, एनएसई तथा यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेज के विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा वायदे तथा ब्याज दर वायदे दैनदिन आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते है.
- मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए एमटीएम लाभ/हानि का लेखा किया जाता है तथा उसे बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है
- व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है. एमटीएम की सभी हानियां लेखागत की जाती है जबकि लाभा को छोड़ दिया जाता है.
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है.

(iv) गुणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
		करेंसी डेरिवेटिव्ज	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज	करेंसी डेरिवेटिव्ज	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज
i)	डेरिवेटिव्ज (आनुमानिक मूल धन राशि)				
	ए) बचाव व्यवस्था के लिए	**32925.84**	**0**	30498.67	525.00
	बी) व्यापार के लिए	**17074.50**	**200**	35449.04	250.00
ii)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की स्थिती				
	ए) आस्ति (+)	**567.23**	**0.23**	365.33	0.06
	बी) देयता (-)	**537.49**	**0.72**	301.65	1.62
iii)	ऋण एक्सोपजर			-	-
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव (100 पीवी 01)	-	**0.01**	-	0.06
	ए) बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिवज	-	**0.00**	-	0.02
	बी) व्यापारित डेरिवेटिवज	-	**0.01**	-	0.04
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100 पीवी 01				
	ए) बचाव व्यवस्था पर	-	**अधि-0.00**	-	अधि-0.10
		-	**न्यू-0.00**	-	न्यू - 0.02
	बी) व्यापारित	-	**अधि -0.04**	-	न्यू -0.06
			अधि -0.01		न्यू -0.04

डी. आस्ति गुणवत्ता

(ए) गैर-निष्पादक आस्तियां

(रु. करोड़ में)

मदें	31.3.2016	31.3.2015
i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	**7.36**	3.61
ii) एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी (सकल)		
ए) प्रारंभिक शेष	**11873**	11500
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन *(i)	**15145**	6579
सी) वर्ष के दौरान कमी	**4297**	6206
डी) अंतिम शेष	**22721**	11873
iii) शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी		
ए) प्रारंभिक शेष	**6807**	6649
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	**9890**	4517
सी) वर्ष के दौरान कमी* (ii)	**3455**	4359
डी) अंतिम शेष	**13242**	6807
iv) शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
ए) प्रारंभिक शेष *(iii)	**4793**	4454
बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**5255**	2062
सी) बट्टे खाते डाले गए/प्रतिलेखन/अंतरण	**1810**	1723
डी) अंतिम शेष**	**8238**	4793

*(i) ₹ 384 करोड़ के प्रारम्भिक एफआईटीएल सहित जिसकी पिछले वर्ष कटौती की गई थी

*(ii) उधारकर्ता समायोजन लंबित रहते ईसीजीसी एवं कोर्ट से प्राप्त एवं सांकेतिक खातों में रखी राशि ₹ 185.71 करोड़ (गत वर्ष ₹ 124.78 करोड़) की नेटिंग करने के पश्चात.

**(iii) अस्थाई प्रावधान रु. 100.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान ₹ 47.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 47.34 करोड़)को छोड़कर.

(बी) पुनर्गठित खातों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
Asset Classification / Details1		Stan-dard	Sub-Stan-dard	Doubt-ful	Loss	Total	Stan-dard	Sub-Stan dard	Doubt-ful	Loss	T otal	Stan-dard	Sub-Stan-dard	Doubt-ful	Loss	T otal	Stan-dard	Sub-Stan-dard	Doubt-ful	Loss	Total
1 Restructured Accounts as on April 1 of the FY 2015-16 (Opening figures)*	"No.of bon-owers"	53	13	4	0	70	317	38	134	7	496	17499	1093	10114	954	29660	17869	1144	10252	961	30226
	Amount outst-anding	7247.	1063.	216.	0.00	8526.	94.	13.	102.	4.	213.	22277.30	439.	971.	48.	23736.	29617.70	1515.	1290.	52.	32475.
	Provision there on	735.	80.	8.	0.00	823.	5.	0.00	0.52	0.00	5.	637.	26.	4.	0.03	667.	1377.	106.	12.	0.03	1495.
2 Fresh restructuring during theyar	"No.of bon-owers"	0	1	0	0	1	4	0	0	0	4	906	12	10	0	928	910	13	10	0	933
	Amount outst-anding	0.00	143.	0.00	0.00	143.	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	218.	22.70	46.	0.00	287.	219.	166.	46.	0.00	430.
	Provision there on	0.00	11.	0.00	0.00	11.	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	13.	0.79	6.	0.00	20.	13.	12.	6.	0.00	32.
3 Upgradations to restructured standard category during the FY 2015-16	"No.of bon-owers"	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0
	Amount outst-anding	69.	0.00	-69.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.	0.00	-69.	0.00	0.00
	Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or "addthonal nak weight at the end of the FY 2015-16 and hence need not be shown as restructured standard d t the be j nning g of the next FY 2016-17"	"No.of bon-owers"	3	1111			3	1				1	3					7				7
	Amount outst- -	1077.				1077.	3.				3.	574.				, 1 -4	1654.40				1654.40
	"Provision there 015"	200.	I								0.00	1535					215.	,			215.
5 Down-gradations of restructured accmmts during the FY 2015-16	"No.of bon-owers"	-20	8	12	0	0			0	0	0	-41	35	6	0	0	-64	46	18	0	0
	Amount outst-anding	-2191.	906.	1285.	0.00	0.00	-12.	12.	0.00	0.00	0.00	-2705.	2447.	258.	0.00	0.00	-4908.	3365.	1543.	0.00	0.00
	Provision there on	-123.	75.	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89.	89.	0.00	0.00	0.00	--212.60	164.50	48.10	0.00	0.00
6 Write-offs of restructured accounts during the FY 2015-16	"No.of bon-cowers"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amount outst-anding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 "Restructured Accountsas on March 31,2016 of the FY (closing figures*)"	"No.of bon-owers"	28	8	18	0	54	312	39	125	0	476	18602	956	10066	0	29624	18942	1003	10209	0	30154
	Amount must_ anding	3608.10	906.	1784.	0.00	6298.	114.	50.	33.90	0.00	198.	7248.	2538.	810.	0.00	10595.	10970.	3494.	2628.	0.00	17091.
	Provision there on	232.	75.	72.	0.00	379.	3.	0.17	0.97	0.00	4.	429.	92.	28.	0.00	550.	663.90	168.	101.	0.00	932.70

• Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or k weight (if appcable).

नोटः भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2015-16 दिनांक 2 जुलाई, 2015 के अनुसार, बैंक ने भविष्यगत नकदी प्रवाह के उद्देश्य हेतु उचित मूल्य में ह्रास की गणना का आधार नियत तारीख को आधार दर/पीएलआर व उचित अवधि / ऋण जोखिम प्रीमियम के स्थान पर पुन:संरचना से पूर्व वास्तविक प्रभारित ब्याज कर दिया है . इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप उक्त परिपत्र के क्रियान्वयन में एकबारगी उपाय के तौर पर बैंक ने वर्तमान वर्ष के दौरान रुपए 570.95 करोड़ के प्रावधान का प्रतिलेखन किया है.

(सी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. बिक्री का विवरण (₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2016	31.3.2015
i) खातों की संख्या	**17**	13
ii) एससी/आरसी को बिक्रीत खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	**1040.40**	798.66
iii) कुल प्रतिफल	**1142.35**	869.89
iv) पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए आगत अतिरिक्त	**शून्य**	शून्य
v) शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	**101.95**	71.23

बी. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2016	31.3.2015
(i) बैंक द्वारा अंतर्निहित तौर पर विक्रित एनपीए समर्थित	3330.14	2366.04
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीयसंस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा अंतर्निहित के तौर पर विक्रित एनपीए समर्थित	33.51	39.72
कुल	**3363.65**	**2405.76**

(डी) अन्य बैंकों से खरीदी/को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

ए. क्रय की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

		विवरण	31.3.2016	31.3.2015
1	ए	वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	**निरंक**	निरंक
	बी	कुल बकाया राशि	**निरंक**	निरंक
2	ए	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	**निरंक**	निरंक
	बी	कुल बकाया	**निरंक**	निरंक

बी. बिक्री की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2016	31.3.2015
1	खातों की संख्या	**निरंक**	निरंक
2	कुल बकाया	**निरंक**	निरंक
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	**निरंक**	निरंक

(ई) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2016	31.3.2015
धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**681.88**	696.96

(एफ) व्यावसायिक अनुपात

क्र. सं.	मदें	2015-16	2014-15
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	**8.85**	9.29
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय *	**0.66**	0.67
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ *	**0.90**	1.25
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल **	**(0.48)**	0.21
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय *** (जमा + अग्रिम)	**1194.78**	1137.74
(vi)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ लाख में)	**(3.76)**	1.53

* कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितों को छोड़कर) शामिल है.

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितों को छोड़कर) शामिल है

*** कुल जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिम के आधार पर

जी. आस्ति देयता प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विविध परिपक्वता अवधि समूह के अंतर्गत दिनांक 31मार्च, 2016को कुल जमाओं, उधार, अग्रिमों एवं कुल निवेश का परिपक्वता पैटर्न

(रु. करोड़ में)

अवधि	कुल जमाएं	कुल अग्रिम	कुल निवेश	कुल घरेलू उधारियां ङ	विदेशी मुद्रा	
					आस्ति	देयताएं
एक दिन	1,006.00	5,787.65	-	825.86	303.70	201.73
2 दिन से 7 दिन	2,809.32	2,192.80	254.20	31.24	52.54	9.86
8 दिन से 14 दिन	2,962.22	1,626.94	4.20	-	16.96	8.54
15 दिन से 30 दिन	6,528.67	4,221.10	64.76	-	399.98	4.82
31 दिन से 2 माह	**9,016.54**	**1697.41**	**128.10**	-	**31.43**	**20.14**
2 माह से अधिक व 3 माह तक	**12678.63**	**2620.79**	**457.30**	-	**334.06**	**25.65**
3 माह से अधिक व 6 माह तक	**36,484.76**	**5,625.22**	**259.02**	**528.39**	**286.07**	**109.71**
6 माह से अधिक व 12 माह तक	**59,598.87**	**10,935.98**	**1,523.53**	**309.52**	**505.06**	**324.03**
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	**61,900.60**	**85,271.43**	**9,997.92**	**417.03**	**48.42**	**571.02**
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	**38,305.98**	**21,977.01**	**13,372.52**	**246.59**	**162.13**	**280.98**
5 वर्ष से अधिक	**34,892.58**	**38,053.26**	**62,806.00**	**22.17**	**39.88**	
कुल	**266,184.17**	**180,009.59**	**88,867.55**	**2,380.80**	**2,180.23**	**1,556.48**

नोट : -

*** टियर 2 पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा**

उपर्युक्त आंकडे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के प्रमुख अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है.

एच. एक्सपोजर

(i) स्थावर सम्पदा क्षेत्र सम्बंधी एक्सपोजर (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.3.2016	31.3.2015
प्रत्यक्ष निवेश		
(i) आवासीय मार्गेज - आवासीय सम्पत्ति पर बंधक के द्वारा ऋण पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है : (उपर्युक्त में शामिल व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र हैं)	17631.45 (11937.06)	14004.00 (10219.00)
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा के मॉर्गेज से प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेयर हाउस स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, निर्माण एवं विकास इत्यादि.) एक्स्पोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी :	6442.60	6769.96
(iii) मॉर्गेज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - - आवासीय, - वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	 0.00 0.00	 0.36 0.00
अप्रत्यक्ष निवेश (i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश.	6214.08	2412.59
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्स्पोजर	30288.13	23186.91

(ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर (रु. करोड़ में)

	31.3.2016	**31.3.2015**
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	811.31	706.11
(ii) वैयक्तिकों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूति आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम.	3.07	1.95
(iii) किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	210.82	0.00
(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात जहां पर शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिट अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	0.68	339.80

	31.3.2016	31.3.2015
(v) स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	85.04	376.88
(vi) कॉर्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण.	331.80	0.00
(vii) इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त.	0.00	0.00
(viii) शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	0.00	0.00
(ix) स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण	550.00	13.50
(x) जोखिम पूंजी निधि (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) सम्बंधित सभी एक्सपोजर.	0.00	145.81
पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर	1992.72	1584.05

(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर : (रु. करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31मार्च, 2016 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31मार्च, 2016 को धारित प्रावधान	दिनांक 31 मार्च, 2015 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31 मार्च, 2015 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	1557.90	निरंक	1241.23	निरंक
निम्न	597.39	निरंक	444.88	निरंक
मध्यम	94.78	निरंक	59.99	निरंक
उच्च	70.50	निरंक	6.27	निरंक
अत्यधिक	6.61	निरंक	7.49	निरंक
सीमित	2.25	निरंक	2.04	निरंक
त्रृणेतर	2.21	निरंक	17.43	निरंक
योग	**2331.64**	**निरंक**	**1779.33**	**निरंक**

चूंकि वर्ष हेतु बैंक का निवल निधि निवेश, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अत: प्रावधान आवश्यक नहीं है.

(iv) बैंक द्वारा अतिक्रमित उन एकल ऋणी सीमा/ समूह ऋणी सीमाओं का विवरण, जिनके लिए बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया.

ए. बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल ऋणी सीमा : निरंक

बी. बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह ऋणी सीमा : निरंक

(v) ऋण एवं अग्रिमों का विवरण जोकि अमूर्त आस्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन आदि द्वारा रक्षित है, जो कि अनुसूची-9 में आरक्षित किया गया है. रु. निरंक के ऋण (गत वर्ष निरंक), जिनका प्रभार अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन इत्यादि पर है, उन्हें अरक्षित माना गया है.

अमूर्त प्रतिभूतियों का मूल्य रु. निरंक करोड़ (गत वर्ष निरंक) है.

7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित दण्डों का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (I) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत बैंक को रु. 2.16 करोड़ (गत वर्ष रु. 4.92 करोड़) का दण्ड आरोपित किया है.

8. जमाओं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के संकेन्द्रण से सबंधित प्रकटीकरण:

8.1 जमाओं का संकेन्द्रीकरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(ए) बीस बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	25036.84	30872.95
(बी) बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	9.41%	12.08%

8.2 अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(ए) बीस बडे उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	37488.76	41427.39
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	15.00%	21.17%

ये अग्रिम भा.रि.बैं. के मानदंडों के अनुसार ऋण एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करते हैं.

8.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(ए) बीस बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	39347.29	44578.61
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	11.58%	17.83%

ये अग्रिम भा.रि.बैं. के मानदंडों के अनुसार ऋण और निवेश एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करते हैं.

8.4 एनपीए का संकेन्द्रीकरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(ए) शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	4870.77	1987.35

II. क्षेत्रवार अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	क्षेत्र	दिनांक 31 मार्च, 2016			दिनांक 31 मार्च, 2016		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एपपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	33885	1891	5.58	32083	1465	4.57
2	प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने हेतु पात्र उद्यम क्षेत्र को अग्रिम	11542	1605	13.90	10450	908	8.69
3	सेवाएं	17843	1911	10.70	15383	1346	8.75
4	व्यक्तिगत ऋण	15706	700	4.45	14208	518	3.65
	उपयोग (ए)	**78976**	**6107**	**7.73**	**72124**	**4237**	**5.87**
बी	**गैर प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	56193	7179	12.77	47744	3629	7060
4	सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	व्यक्तिगत ऋण	5982	216	3.61	5682	186	3.27
	उप-योग्य (बी)	**62175**	**7395**	**11.89**	**53426**	**3815**	**7.14**
	कुल (ए + बी)	**141151**	**13502**	**9.56**	**125550**	**8052**	**6.41**

III. एनपीए में संचलन

(ए) (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
*दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	**11873**			11500
वर्ष के दौरान जुड़ा (नया एनपीए)	**15145**			6579
उप योग(ए)		**27018**		**18079**
घटाएं:-				
(i) अपग्रेडेशन	**608**		2336	
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)*	**1287**		1365	
एनपीए की बिक्री	**1123**		1119	
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	**1245**		1368	
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे-खाते	**34**		18	
उप योग (बी)		**4297**		**6206**
31 मार्च, 2016 को सकल एनपीए (इति शेष) (ए-बी)		**22721**		**11873**

बी. तकनीकी बट्टे-खाते तथा वसूली : (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों का प्रारंभिक शेष	**3382.01**	2014.01
जुड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	**1300.00**	1413.49
उप-योग (ए)	**4682.01**	3427.50
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों में की गई वसूली (बी)*	**54.46**	45.49
दिनांक 31 मार्च को इति शेष (ए-बी)	**4627.55**	3382.01

* ₹ 24.23 करोड़ के नियमित बट्टे-खाते में संपरिवर्तन शामिल है (गत वर्ष ₹ 3.02 करोड़)

IV. ओवरसीज आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2016**	31.03.2015
कुल आस्तियां	**निरंक**	निरंक
कुल एनपीए	**निरंक**	निरंक
कुल राजस्व	**निरंक**	निरंक

V. इतर तुलन-पत्र एसपीवी प्रायोजित (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरुप समेकित करना आवश्यक है.)

एसपीवी प्रायोजित का नाम	
देशीय	विदेशी
निरंक	निरंक

VI. प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	**31.03.2016**	31.03.2015
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की सं. *	**निरंक**	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	**निरंक**	निरंक

3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन में रोके गए एक्सपोजर की राशि			**निरंक**	निरंक
	ए)	इतर तुलनपत्र एक्सपोजर		**निरंक**	निरंक
		प्रथम हानि		**निरंक**	निरंक
		अन्य		**निरंक**	निरंक
	बी)	तुलनपत्र एक्सपोजर		**निरंक**	निरंक
		प्रथम हानि		**निरंक**	निरंक
		अन्य		**निरंक**	निरंक
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए एक्सपोजर की राशि			**निरंक**	निरंक
	ए)	इतर तुलनपत्र एक्सपोजर		**निरंक**	निरंक
			स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
			प्रथम हानि	**निरंक**	निरंक
			हानि	**निरंक**	निरंक
			तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
			प्रथम हानि	**निरंक**	निरंक
			अन्य	**निरंक**	निरंक
	बी)	तुलनपत्र एक्सपोजर		**निरंक**	निरंक
			स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
			प्रथम हानि	**निरंक**	निरंक
			अन्य	**निरंक**	निरंक
			तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
			प्रथम हानि	**निरंक**	निरंक
			अन्य	**निरंक**	निरंक
* बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेनों से संबंधित एसपीवी को ही रिपोर्ट किया जाय.					

VII. अंतर्समूह एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	**31.03.2016**	31.03.2015
(ए)	अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**736.41**	939.73
(बी)	टॉप 20 अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि, इस श्रेणी में केवल 6 कम्पनियां हैं	**736.41**	939.73
(सी)	उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर एवं अंतर्समूह का प्रतिशत	**0.22%**	0.48%
(डी)	अंतर्समूह एक्सपोजर की सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं उस पर विनियामक कार्यवाई, यदि कोई हो	**निरंक**	निरंक

VIII. जमाकर्ता शिक्षण /जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2016**	**31.03.2015**
डीईएएफ में अंतरण का प्रारंभिक शेष	**25.12**	निरंक
जोड़ें - वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरण	**7.61**	25.12
घटाएं - दावों के लिए डीईएएफ द्वारा पुनर्भुगतान की राशि	**0.01**	-
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	**32.72**	25.12

9. **तरलता कवर**

एलसीआर प्रकटीकरण प्रारूप (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2015-16		वित्त वर्ष 2014-15	
	कुल अभारित 3 मूल्य (औसत)	कुल भारित 4 मूल्य (औसत)	कुल अभारित 3 मूल्य (औसत)	कुल भारित 4 मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां				
1 कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		**35470.80**		31395.34
नकद बहिर्वाह				
2 रिटेल जमाएं एवं लघु व्यवसायी ग्राहको से जमाएं जिनमें:				
(i) स्थिर जमाएं	**58359.64**	**2917.98**	55487.88	2774.39
(ii) कम स्थिर जमाएं	**140974.50**	**14097.45**	136215.43	13621.54
3 अरक्षित थोक निधियन जिनमें:				
(i) परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
(ii) गैर परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	**31964.92**	**15948.56**	16003.72	10958.02
(iii) अरक्षित कर्ज	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
4 रक्षित थोक निधियन		**0.00**		0.00
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं जिनमें				
(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्श्विक एक्सपोजर सम्बन्धी बहिर्वाह	**6681.27**	**6681.27**	6963.67	6963.67
(ii) कर्ज उत्पादों के निधियन पर हानि सम्बन्धी बहिर्वाह	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएँ	**19217.73**	**2332.39**	18985.49	2917.72
6 अन्य अनुबन्धीय निधियन दायित्व	**2221.08**	**2221.08**	53.00	53.00
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	**21960.95**	**1022.49**	20772.53	1038.63
8 कुल नकद बहिर्वाह		**45221.23**		**38326.97**
नकद अंतर्वाह				38326.97
9 रक्षित उधारियां (अर्थात रिवर्स रेपो)	**385.83**	**0.00**	157.33	0.00
10 पूर्णत: कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	**1779.17**	**1279.17**	2045.00	1545.00
11 अन्य नकद अंतर्वाह	**18369.74**	**13678.17**	19671.73	14216.86
12 **कुल नकद अंतर्वाह**	**20534.74**	**14957.34**	21874.06	15761.86
		कुल समायोजित 5 मूल्य		कुल समायोजित 5 मूल्य
21 कुल एचक्यूएलए		**35470.80**		31395.34
22 कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह		**30263.90**		22565.11
23 तरलता कवरेज अनुपात (%)		**117.20**		139.53

नोट - आंकड़ों की प्रविष्टि केवल खाली एवं हल्के धूसर (ग्रे सेल) सेल में की जाए.

एलसीआर गुणात्मक प्रकटीकरणे:

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) गुणात्मक प्रकटीकरण

	एलसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख मदें	व्याख्यात्मक टिप्पणियां
ए	एएलसीआर परिणामों के प्रमुख संचालक एवं एलसीआर की गणना की निविष्टियों के योगदान का मूल्यांकन	एलसीआर परिणामों के प्रमुख संचालक है 1) एलसीआर के संचालकों में उच्च गुणवत्ता तरल परिसम्पत्ति एक प्रमुख संचालक है. एचक्यूएलए का एक बड़ा घटक है- सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) एवं एलसीआर के अंतर्गत तरलता की सुविधा का उपयोग करना. एवक्यूएलए को प्रभावित करने वाले अन्य घटक है- सरकारी प्रतिभतियों / सरकार द्वारा गारंटीकृत में निवेश करना. 2) एलसीआर संचालक का एक अन्य प्रमुख घटक नकदी बहिर्वाह भी है. नकदी बहिर्वाह के प्रमुख घटकों में, कम स्थाई रिटेल जमा अन्य विधिक इकाईयों से निधियन एवं शुद्ध डेरिवेटिव नकद बहिर्वाह. 3) एलसीआर संचालन का एक अन्य प्रमुख घटक नकद अंतर्वाह भी है. नकद अंतर्वाह के मुख्य घटक है- अन्य पक्ष द्वारा अंतर्वाह तथा शुद्ध डेरिवेटिव नकद अंतर्वाह.
बी.	अंतरावधि परिवर्तन एवं समयान्तराल में परिवर्तन	आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देश, डीबीआर .नं. बीपी. बीसी.77/21.04.098/2015-16, दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार एलसीआर की कम्प्यूटिंग के उद्देश्य के लिए स्तर-1 उच्च गुणवत्ता तरल परिसम्पत्ति (एचक्यूएलए) के रूप में चिह्नित परिसंपत्ति परिवर्तन हो गया है. आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देश, डीबीआर. नं. बीपी. बीसी.86/21.04.098/2015-16, दिनांक 23 मार्च, 2016 के अनुसार तरलता मानक में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन हुए हैं- ● रिटेल ग्राहकों की परिभाषा बदल गई है. ● आकस्मिक वित्तपोषण देनदारियों, जैसे-गारंटी, साख पत्र एवं व्यापार वित्त के लिए बहिर्वाह कारकों में परिवर्तन हो गया है. ● एचक्यूएलए के स्टॉक के लिए संपार्श्विक संग्रहण के निरूपण में बड़ा परिवर्तन हुआ है. ● संपार्श्विक पूल से रक्षित सुरक्षित निधि लेनदेन (एसएफटी) के अंतर्गत नकद प्रवाह के निर्धारण सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ है. ● ''जिन जमाओं के विरुद्ध ऋण अनुमत किया गया है'' के बहिर्वाह कारकों में परिवर्तन हुआ है. दिनांक 1 फरवरी, 2016 से स्तर 2बीके अंतर्गत निर्धारित आस्तियों के अतिरिक्त, कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों (वाणिज्यिक पत्र सहित) को भी 50% की अल्प कटौती के अधीन स्तर 2बीएचक्यूएलए में परिगणित किया जा सकता है.
सी.	एचक्यूएलए की संरचना	एचक्यूएलए में निम्नलिखित होते है - 1. स्तर 1 परिसम्पत्तियां जिनमें एसएलआर निवेशों (रेपो, सीबीएलओ, एमएसएफ, सीआरओएमएस के विरुद्ध ऋणग्रस्त, आरटीजीएस, एसजीएफ, एमसीएक्स, एनएससीसीएल इत्यादि के लिए रेहन रखी अन्य प्रतिभूतियां) का आधिक्य, एमएसएफ के लिए लागू एनडीटीएल का 2% एवं भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार एनडीटीएल का 5% होता है. 2. स्तर 2 ए परिसम्पत्तियां जिनमें राज्य सरकारों द्वारा जारी पॉवर बॉंडस, राज्य उर्जा संवितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉंड्स, वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम. 3. स्तर 2ए परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर एए एवं उच्च श्रेणी के निजी कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी बॉंड भी होते है. 4. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर बीबीबी से ए+ श्रेणी के कॉर्पोरेट्स के बॉंड्स होते है. 5. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर निफ्टी /सेंसेक्स शेयर भी शामिल होते है.

एलसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख मदें	व्याख्यात्मक टिप्पणियां
डी. निधियन स्त्रोतों का संकेन्द्रीकरण	बैंक द्वारा अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी के निधियन, प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद /लिखत, प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर सतत निगरानी रखकर निधियन संकेन्द्रीकरण किया जाता है (''महत्त्वपूर्ण'' से तात्पर्य बैंक की देयताओं की 1% से अधिक राशि से है)
ई. डेरिवेटिव एक्सपोजर्स एवं सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल्स	बैंक के डेरिवेटिव एक्सपोजर में निम्नलिखित होते है - 1. ओटीसी डेरिवेटिव्स ए- फॉरवड्र्स बी- करेंसी स्वैप्स सी- ब्याज दर स्वैप्स 2. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरीवेटिव्ज ए- करेंसी फ्यूचर बी- ब्याज दर फ्यूचर सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल्स तब सक्रिय होते है जब लेनदेन एक्सचेंज में होता है अथवा उनका निपटान केन्द्रीय प्रतिपक्ष द्वारा किया जाता है और ये गारंटीकृत होने के साथ साथ प्रतिपक्षी पार्टियों में आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट का अनुलग्नक क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स हस्ताक्षरित किया होता है. हमारे करेंसी फ्यूचर्स एवं ब्याज दर फ्यूचर के अंतर्गत व्यापार के एक्सपोजर के लिए हम सम्पार्श्विक (जीसेक) के रूप में मार्जिन रखते है जो एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होता है. हमारे सभी अंतर बैंक यूएसडी /आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवड्र्स का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से किया जाता है जो एक केन्द्रीय काउंटर पार्टी (सीसीडी) है. हमारे अंतर बैंक यूएसडी /आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवड्र्स के गारंटीशुदा निपटान के लिए हम सीसीआईएल में हम सम्पार्श्विक (जीसेक) के रूप में मार्जिन रखते है. मार्जिन की राशि, एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होती है. जब भी कॉल आता है तब अतिरिक्त मार्जिन की राशि एक्सचेंज /सीसीडी में रखी जाती है. वर्तमान में किसी भी प्रतिपक्ष के साथ हमारा क्रेडिट सपोर्ट अनेक्स नहीं है. अत: कोई भी सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल उत्पन्न नहीं होगा.
एफ एलसीआर में मुद्रा का बेमेल होना	सम्भाव्य मुद्रा के बेमेल को रोकने के लिए एलसीआर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर नजर रखी जाती है. कोई मुद्रा ''महत्वपूर्ण'' तब कहलाती है जब उस मुद्रा में धारित कुल देयताएं बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक हो जाती है. बैंक में फिलहाल मुद्रा का कोई बेमेल नहीं है क्योंकि हमारा ''महत्वपूर्ण'' में एक्सपोजर नहीं है.
जी. तरलता प्रबंधन केन्द्रीकरण की मात्रा एवं ग्रुप की इकाइयों के बीच संबंध	बैंक का तरलता प्रबंधन केन्द्रीकृत है जिस पर एएलएम एवं ट्रेजरी टीम द्वारा निगरानी रखी जाती है. ट्रेजरी, सीबीएस, एएलएम टीम एवं अन्य कार्यमूलक ईकाइयों में सुचारु संबंध है.
एच एलसीआर की गणना में अन्य अंतर्वाह एवं बहिर्वाह जो साधारणतया एलसीआर की पकड़ में नहीं आते है परंतु संस्था द्वारा इन्हें अपनी तरलता प्रोफाइल के संबंध में संगत समझा जाता है.	कोई नहीं.

10. **अन्य प्रकटीकरण**

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंकाश्युरैन्स व्यवसाय के सम्बंध में शुल्क/परिलब्धियां निम्नानुसार रहीं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16		2014-15	
	पॉलिसियों की संख्या	राशि	पॉलिसियों की संख्या	राशि
जीवन	**35368**	**8.56**	63090	11.83
गैर-जीवन बीमा	**279241**	**10.54**	549187	13.06
योग		**19.10**		**24.89**

11. दि इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टड अकाउंटेंस ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की गई है:

ए) लेखांकन मानक - 5

i. लेखांकन नीति में परिवर्तन

नोट 4.3 में वर्णित आस्तियों, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, पर मूल्यह्रास प्रभारित करने के मामले को छोड़कर वर्ष के दौरान बैंक की लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

ii. पूर्व अवधि मद :

कर्मचारी लाभ (पेंशन निधि) से सम्बंधित बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पूर्व के वर्षों के लिए रु.300.52 करोड़ का प्रावधान है.

बी) लेखांकन मानक - 9

नई लेखांकन नीति क्र. 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की की गई है. तथापि, कथित आय को महत्त्वपूर्ण नहीं माना गया है.

सी) लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) मूल बैंक

वर्ष 2010-11 में, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी:बीसी:80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार, बैंक ने उन विद्यमान कर्मचारियों, जिन्होंने पूर्व में पेंशन का विकल्प नहीं लिया था, उन्हें पुन: पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया था एवं ग्रेच्युटी में अभिवृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त देयता को 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष से 5 साल की अवधि में परिशोधन करने का बैंक ने विकल्प चुना है. तदनुसार, 01 अप्रैल, 2014 को अपरिशोधित राशि रु.295.38 करोड़ में से बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2015 को शेष सम्पूर्ण राशि रु. 239.99 करोड़ पेंशन के लिए एवं ग्रेच्युटी के लिए रु. 55.40 करोड़ परिशोधित किए हैं.

चालू वर्ष के दौरान पेंशन निधि के लिए रु.300.52 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.

कर्मचारी लाभ :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
सारणी में सुपरिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन पर्दर्शित है :				
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	**1308.74**	**9713.80**	1063.63	8139.02
ब्याज लागत	**100.34**	**743.14**	93.98	734.00
चालू सेवा लागतू	**41.80**	**90.20**	24.27	120.08
गत सेवा लागत (अनिहित)	**0**	**0**	0	0
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	**0**	**0**	0	0
देयता अंतरण	**0**	**0**	0	0
देयता अंतरण बाह्य	**0**	**0**	0	0
प्रदत्त लाभ	**(167.28)**	**(912.59)**	(165.52)	(682.27)
बीमांकिक (लाभ)/हानि दायित्व	**206.74**	**1518.49**	292.38	1402.97
वर्ष के अंत में देयताएं	**1490.34**	**11153.04**	1308.74	9713.80

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
उचित मूल्य पर योजना आस्तियां की सारणी :				
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	**1212.31**	**9312.55**	1065.22	7862.67
कोोजना आस्तिकाों पर अपेक्षित पखतिपढल				
अंशदान	**128.08**	**899.78**	99.99	750.63
अन्य कंपनी से अंतरण	**343.50**	**1486.00**	166.90	1106.40
कंपनी से अंतरण	**0**	**0**	0	0
प्रदत्त लाभ	**0**	**0**	0	0
योजना आस्तियों की बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(167.28)**	**(912.59)**	(165.52)	(682.27)
समाप्त वर्ष पर उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	**(23.42)**	**(125.78)**	45.72	275.12
मान्यता प्राप्त कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**1493.19**	**10659.96**	1212.31	9312.55
	(230.16)	**(1644.26)**	(246.66)	(1127.85)
आय विवरण में स्वीकृत व्यय :				
ऍालू सेवा लागत	**41.80**	**90.20**	24.27	120.08
ब्याज लागत	**100.34**	**743.14**	93.98	734.00
कोोजना आस्तिकाों पर अपेक्षित पखतिपढल	**(128.08)**	**(899.78)**	(99.99)	(750.63)
स्वीकृत गत सेवा लागत (अनिहित)	**0**	**0**	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (निहित लाभ)	**0**	**0**	0	0
स्वीकृत संक्रमित देयता	**0**	**0**	0	0
बीमांकिक लाभ/हानि				
पी एवं एल में स्वीकृत व्यय				
	230.16	**1644.26**	246.66	1127.85
	244.22	**1577.83**	264.92	1231.30
मूल बीमांकिक पूर्वधारणा का प्रयोग (%)				
चालू छूट दर	**8.06**	**8.06**	7.92	7.95
चालू नियोजन आस्तियों पर प्रतिफल	**8.06**	**8.06**	8.70	8.70
वेतन वृद्धि दर	**5.00**	**5.00**	5.00	5.00
चालू क्षय दर	**0.50**	**0.50**	0.50	0.50

डी) लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग

i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है

व्यवसाय सेग्मेंट (₹ करोड़ में)

व्यवसाय सेग्मेंट	ट्रेजरी		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	**7,529.68**	7,375.64	**11,932.63**	13,114.63	**8,364.37**	7,812.40	-	-	**27,826.68**	28,303.01
परिणाम	**256.73**	824.61	**(3,321.33)**	(52.28)	**497.79**	239.56	-	-	**(2,567.80)**	1,012.89
अनाबंटित व्यय									**101.68**	121.50
परिचालन लाभ									**(2,669.48)**	890.39
आयकर									**(1,251.29)**	283.95
असाधारण लाभ / हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध लाभ									**(1,418.19)**	606.44
अन्य सूचना										

सेग्मेंट आस्तियां	**108,289.36**	109,736.17	**116,235.07**	120,997.18	**74,554.90**	76,744.76	-	-	**299,079.33**	307,478.11
अनाबंटित आस्तियां									**6,382.39**	4,462.39
कुल आस्तियां									**305,461.72**	311,940.50
सेग्मेंट देयताएं	**109,385.17**	109,916.82	**108,685.14**	112,794.64	**69,712.27**	71,542.14	-		**287,782.58**	294,253.60
अनाबंटित देयताएं									-	110.01
कुल देयताएं									**287,782.58**	**294,363.61**

* जहां भी प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं हुआ है, सेग्मेंट राजस्व एवं व्ययों को सेग्मेंट आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है. वर्तमान वर्ष में वर्गीकरण को नियंत्रित करने हेतु जहां भी आवश्यक गया है, वहां आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.

ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.

iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में रु. 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है.

iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.

v) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.

vi) सामान्य बैंकिग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियो के लिए पूरक का कार्य करता है.

ई) लेखा मानक 18 के अनुसार सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टी

1. **सम्बद्ध पार्टियों की सूची**

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

नाम	पदनाम
i) श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii) श्री आर. के. गोयल	कार्यपालक निदेशक
iii) श्री बी. के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक
iv) डॉ. आर.सी. लोढ़ा (दिनांक 11.05.2015 से)	कार्यपालक निदेशक

(ब) अनुषंगियां

(I) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.

(II) सेन्ट बैंक फाइनैन्शियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड.

(सी) सहयोगी

(I) **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -**

i) सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक

ii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

iii) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

(II) इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड.

2. **सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन** (₹ करोड़ में)

(ए)

मदें	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
	2015-16	**2014 -15**
प्रदत्त पारिश्रमिक	**1.00**	0.92

(बी) सम्बद्ध पार्टियों के लेनदेन का विवरण (₹ करोड़ में)

संबंद्ध पार्टियां	दिनांक	बकाया शेष		अंतरबैंक भागीदारी क्रेडिट (आईबीपीसी) के अंतर्गत भागीदारी				लाभांश आय
		ऋण	निवेश	स्पांसर बैंक को प्रत्यक्ष कृषि आस्तियों की बिक्री		स्पांसर बैंक से गैर प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियों की खरीद		
				राशि	देय ब्याज	राशि	प्राप्त ब्याज	
1. अनुषंगी	**31.03.16**	172.07	26.90	00.00	0.00	0.00	0.00	3.42
	31.03.15	150.43	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2. एसोशिएट्स	**31.03.16**	31.21	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.03.15	664.58	324.60	0.00	97.92	0.00	112.25	0.00

सम्बंधित पार्टियों के सम्बंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो एएस-18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार सरकारी नियंत्रणाधीन उद्यम हैं. साथ ही, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक एवं प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक रिश्तेदार सहित, बैंकर-ग्राहक सम्बंध की प्रकृति के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

एफ) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है :

	31.3.2016	31.3.2015
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	**(1418.19)**	606.45
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	**1658359086**	1421571789
प्रति शेयर मूल आय (रु.)	**(8.55)**	4.27
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (रु.)	**(8.55)**	4.27
प्रति शेयर सांकेतिक आय (रु.)	**10.00**	10.00

जी) लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन

आरबीआई द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2016 को रु.1088.28 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों के रूप में अभिचिह्नित किए गए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2016 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
व्यवसायिक हानि	**34.01**	0		
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	**12.59**	13.30		
निवेश पर मूल्यह्रास	**33.30**	87.61		
कर्मचारी लाभ	**5.52**	5.52		
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं			**517.19**	607.12
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**194.11**	148.43		
ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	**1360.55**	276.86		
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि			**34.61**	34.61
योग	**1640.08**	**531.72**	**551.80**	**641.73**
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**1088.28**			110.01

एच) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां है, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2015 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

आई) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29

(i) **ऋण के रूप में न माने गए दावों के प्रावधान में संचलन :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष वेढ दौरान विढए गए पखावधान	प्रत्यावर्तित/ समायोजित प्रावधान	दिनांक 01.04.2015 को प्रारंभिक शेष
उधार के रूप में पहचान न किए गए दावों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	1.66	निरंक	निरंक	1.66

(ii) **अतिरिक्त प्रकटीकरण**

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्रेक-अप	31.3.2016	31.3.2015
निवेश पर प्रावधान/ह्रास	**848**	(18)
एनपीए हेतु प्रावधान	**4913**	2062
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	**(15)**	39
कर हेतु किए गए प्रावधान	**(1251)**	284
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	**(1235)**	548
अन्य प्रावधान	**501**	38
कुल	**3761**	**2953**

(iii) **अस्थायी प्रावधान** (₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2016	31.3.2015
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	**100.56**	209.34
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	108.78
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	**100.56**	100.56

(iv) **प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर :**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2016	31.3.2015
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	**47.34**	94.67
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	47.33
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	**47.34**	47.34

(v) **देयताओं हेतु प्रावधान में कमी/बढ़ोत्तरी :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2016	31.3.2015
प्रारंभिक शेष	**1.66**	4.41
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	2.75
अंतिम शेष	**1.66**	1.66
परिणामी आउटफ्लो का समय	**लागू नहीं**	लागू नहीं

12. **शिकायतों का विवरण**

ग्राहकों की शिकायतें (एटीएम एवं सेन्ट्रल कार्ड को छोड़कर)	शिकायतों की संख्या	
	31.03.2016	31.03.2015
ए) वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	**396**	234
बी) वर्ष के दौरान प्राप्त	**12559**	11127
सी) वर्ष के दौरान निवारण	**12667**	10965
डी) वर्ष के अंत में लम्बित	**288**	396

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय	संख्या	
	31.03.2016	31.03.2015
ए) वर्ष की शुरुआत में लागू न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	**निरंक**	01
बी) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णयों की संख्या	**निरंक**	निरंक
सी) वर्ष के दौरान लागू अधिनिर्णयों की संख्या	**निरंक**	01
डी) वर्ष के अंत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	**निरंक**	निरंक

प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किए गए अनुसार.

निवेशकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
	31.03.2016	31.03.2015
ए) वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	**0**	0
बी) वर्ष के दौरान प्राप्त	**236**	169
सी) वर्ष के दौरान निवारण	**236**	169
डी) वर्ष के अंत में लम्बित	**0**	0

एटीएम लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें

ग्राहक शिकायत	31.03.2016	31.03.2015
ए) वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**144**	1077
बी) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्य	**79599**	51922
सी) वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	**79522**	52855
डी) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**221**	144

सेन्ट्रल कार्ड लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें

ग्राहक शिकायत	31.03.2016	31.03.2015
ए) वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**221**	0.00
बी) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**69992**	55997
सी) वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	**70202**	55776
डी) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**11**	221

13. **दिनांक 31.03.2015 को बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया राशि का विवरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन	**2137.83**	3187.97
वर्ष के दौरान परिपक्व/निरस्त चुकौती आश्वासन पत्र	**4146.44**	2226.91
समाप्त वर्ष पर बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	**1295.95**	3304.56

उपर्युक्त उल्लेखित चुकौती आश्वासन पत्र स्वीकृत व्यापार साख सीमा के तहत जारी किए गए हैं

14. **प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)**

पीसीआर (प्रावधान-सकल एनपीए अनुपात) 51.52% (गत वर्ष 55.16%).

15. प्रबंधतंत्र द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वे वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं. इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

16. **आरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोसर :**

दिनांक 31.03.2016 को आरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोजर रु.12,995.57 करोड़ हुआ था.	₹ 12,995.57 करोड़.
दिनांक 31.03.2016 को धारित प्रावधान :	₹ 23.29 करोड़

17. **धोखाधड़ी हेतु प्राव** (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
उधारकर्ता खातों में धोखाधड़ी हेतु प्रावधान	**207.59**	निरंक
शाखा स्तर पर संभावित धोखाधड़ी हेतु प्रावध	**84.75**	82.91

18. **ऋण चूक स्वैप**

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट स्वैप पर स्थिति तय नहीं की है..

19. **सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन**

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार सीबीएस में धोखाधड़ियों के लिए साइबर धोखाधड़ी नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की प्रबंधतंत्र द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है.

20. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुन:वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

(आर.सी.लोढ़ा) कार्यपालक निदेशक	**(बी.के. दिवाकर)** कार्यपालक निदेशक	**(आर.के.गोयल)** कार्यपालक निदेशक	**(राजीव ऋषि)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**सुप्रतिम बंद्योपाध्याय** निदेशक
केतुल पटेल निदेशक	**श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा** निदेशक	**गुरबख्श के.जोशी** निदेशक
कृते दूगड एंड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.000561एन	**कृते एन.सरकार एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर.सं.301075ई	**कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.321095ई
(सीएएम.के.दूगड़) भागीदार सदस्यता सं.080077	**(सीएजी. मुखोपाध्याय)** भागीदार सदस्यता सं.010534	(सीएबी.एन.मिश्रा) भागीदार सदस्यता सं.083927
कृते चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार एफ. आर सं.101647डब्लू	**कृते लोढा एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.301051ई	**कृते पाठक एच.डी. असोशिएट्स** सनदी लेखाकार एफ. आर सं.107783डब्लू
(सीए अम्बेश ए. दवे) भागीदार सदस्यता सं.049289	**(सीएआर.पी.सिंह)** भागीदार सदस्यता सं.052438	**(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं.015585

स्थान : दिल्ली
तारीख: 13 मई 2016

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31- 03- 2016	31- 03- 2015
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	**(2,669.48)**	890.40
I	**के समायोजन हेतु :**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	**239.43**	229.24
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	**850.61**	(18.56)
	बट्टेखाते अशोध्य ऋण/अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान	**5,397.47**	2,062.15
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**(1,250.42)**	586.95
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	**314.76**	38.18
	अचल आस्तयिों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	**(74.31)**	0.64
	गौण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान (पृथक माना गया)	-	696.03
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	**(10.03)**	(3.42)
	उप योग	**2,798.03**	**4,481.61**
II	**के समायोजन हेतु :**		
	जमा में वृद्धि (कमी)	**10,611.80**	15,503.40
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	**(16,766.24)**	3,894.35
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(978.09)**	1,744.77
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**4,320.89**	(13,811.46)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**21.81**	(9,273.39)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	**1,246.79**	669.03
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी का शुद्ध आदि)	**(946.83)**	(959.85)
	उप योग	**(2,489.87)**	**(2,233.15)**
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	**308.16**	**2,248.46**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	**117.07**	815.15
	अचल आस्तियों की खरीद	**(305.97)**	(1,099.77)

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31- 03- 2016	31- 03- 2015
	सहयोगी/अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	**10.03**	3.42
	सहयोगी/अनुषंगियों में निवेश	-	(46.83)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(178.87)**	**(328.03)**
सी	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी	**700.57**	1,207.85
	गौण ऋण की प्राप्तियां /पुन: प्राप्ति टियर II पूंजी	-	-
	अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	**(82.91)**	-
	लाभांश कर	**(16.18)**	-
	गौण कर्ज पर ब्याज	-	(696.03)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**601.48**	**511.82**
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (ए + बी + सी) या (एफ - ई) में शुद्ध वृद्धि**	**730.77**	**2,432.25**
ई	**वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबैं में शेष	**14,114.85**	11,926.63
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**695.43**	451.40
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	**14,810.28**	**12,378.03**
एफ	**वर्ष की समाप्ति में नकद एवं नकद समकक्ष**		
	नकद एवं भारिबैं में शेष	**14,069.51**	14,114.85
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**1,471.54**	695.43
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	**15,541.05**	**14,810.28**

आर.सी. लोढ़ा	**बी.के. दिवाकर**	**आर.के. गोयल**	**राजीव ऋषि**
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2016

सौरभ गर्ग निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**सुप्रतिम बंद्योपाध्याय** निदेशक
केतुल आर. पटेल निदेशक	**श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा** निदेशक	**गुरबख्श के.जोशी** निदेशक
कृते दूगड एंड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ. आर. सं. 000561एन	**कृते एन.सरकार एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर.सं. 301075ई	**कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं. 321095ई
(सीए एम.के.दूगड़) भागीदार सदस्यता सं. 080077	**(सीए जी. मुखोपाध्याय)** भागीदार सदस्यता सं. 010534	**(सीए बी.एन.मिश्रा)** भागीदार सदस्यता सं. 083927
कृते चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार एफ. आर सं. 101647डब्ल्यू	**कृते लोढा एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं. 301051ई	**कृते पाठक एच.डी.असोशिएट्स** सनदी लेखाकार एफ. आर सं. 107783डब्ल्यू
(सीए अम्बेश ए. दवे) भागीदार सदस्यता सं. 049289	**(सीए आर.पी. सिंह)** भागीदार सदस्यता सं. 052438	**(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 015585

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2016

तालिका डीएफ - 1

1. **संभावित प्रयोज्य क्षेत्र**

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ए. मूल बैंक: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है.

बी. समेकित खातों में, बैंक की अनुषंगी/सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार है:

(बी i) बैंक की अनुषंगी: बैंक की अनुषंगियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अनुषंगी का नाम	स्वामित्व
1	सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड	64.40%
2	सेन्ट बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड	100%

मूल बैंक की अनुषंगियों का समेकन, मूल बैंक की संबंधित मदों के समान अनुषंगियों की आस्तियों, देयताएं, आय एवं खर्चों के मदवार समामेलन में से लेखांकन नीतियों की पुष्टि करने के लिए अंतर्समूह शाखाओं/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानि आवश्यक समायोजनों, अनुषंगियों से संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर किया गया है. अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तारीख मूल बैंक के अनुसार ही अर्थात 31 मार्च, 2016 रखी गई है. अनुषंगियों के वित्तीय विवरणियों के समेकन में एएस-21 लेखांकन मानक अपनाए गए है.

(बी ii) सहयोगी संस्थाएं: बैंक की सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्वामित्व
I	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**	
1	सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा	35%
2	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर	35%
3	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार	35%
II	**इंडो-जाम्बिया बैंक लि., जाम्बिया.**	20%

समेकित वित्तीय विवरणियों में एसोशिएट्स में निवेशों के लेखाकरण के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मान एएस-23 अपनाए गए है.

इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक एसोशिएट के वित्तीय विवरण अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक एसोशिएट्स वित्तीय संस्थाओं की प्रकृति की है.

बैंक के सीआरएआर की गणना के लिए, अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, बैंक के निवेश को टियर I एवं टियर II पूंजी में से समान रूप से घटाया गया है.

सीआरएआर की गणना बैंक के एकल आधार पर की गई है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(सी) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

(डी) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है तथा उनके नाम, निगमन अथवा निवास के उनके देश, स्वामित्व हित का समानुपात और, यदि अलग है, इस संस्थानों में मताधिकार का समानुपात है: निरंक

तालिका डीएफ - 2

1. पूंजी विन्यास

गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) इक्विटी पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2016 को बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 5000.00 करोड़ है; बैंक द्वारा जारी ₹ 10 मूल्य के 1689714269 शेयरों के साथ, अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी ₹ 1689.71 करोड़ है.

दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति को उक्त में से 79.94% शेयरधारिता भारत सरकार के अधीन है, जिसमें कुल 1350827438 शेयर्स हैं.

2.1 ऋण पूंजी लिखत

2.2.1 टियर I पूंजी का विवरण

टियर I पूंजी	जारी तिथि	अवधि माह	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
आईपीडीआई	30.03.2009	अविरत	अविरत	583.00	सरकारी प्रतिभूति + 250 बीपीएस प्रति वर्ष, मार्च में पुनर्मूल्यांकित
पीडीआई (सीरीज़ II)	28.09.2012	अविरत	अविरत	500.00	9.40% वार्षिक
			कुल	1083.00	

2.2.2 अपर टियर II बॉण्ड का विवरण

सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
अपर टियर II (सी-I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 11.95%)
अपर टियर II (सी-II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.90%)
अपर टियर II (सी-III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.30%)
अपर टियर II (सी-IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.13%)
अपर टियर II (सी-V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.07%)
अपर टियर II (सी-VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20% प्र.व. प्रतिदेय तक
	कुल	**2885.00**		

2.2.3 गौण बॉण्ड का विवरण

न्यूनतर टियर II सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
XI	04.10.2006	04.10.2016	700.00	8.95% प्र.व.
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.10	9.20% प्र.व.
XIII	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35% प्र.व.
XIV	21.12.2011	21.12.2026	500.00	9.33% प्र.व.
	कुल		**1859.10**	

2.2.4 बासल III अनुपालित बांड का विवरण-टीयर 2

टीयर II सीरीज	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
एसआर I	08.11.2013	08.11.2023	1000.00	9.90% प्र.व.
	कुल		**1000.00**	

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

	₹ करोड़ में
(बी) टियर 1 पूंजी	**14743**
निम्न के अलग प्रकटीकरण के साथ:	
■ **प्रदत्त शेयर पूंजी**	**1689**
■ **आरक्षित निधियां**	**13211**
■ **नवोन्मेष लिखत: आईपीडीआई -**	**1083**
■ **टियर 1 पूंजी से घटाई गई राशि**	
निवेश -	**152**
अमूर्त आस्तियां - डीटीए	**1088**
(सी) टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी मे से कटौतियों का शुद्ध):	**7203**
(डी) अपर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत	
■ **कुल बकाया राशि-**	**2885**
■ **इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि -**	**निरंक**
■ **पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि -**	**2885**
(ई) लोअर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण	
■ **कुल बकाया राशि -**	**2859**
■ **इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि -**	
■ **पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि -**	**1686**
(एफ) पूंजी से अन्य कटौतियां -	**152**
(जी) कुल पात्र पूंजी	**21946**

तालिका डीएफ - 3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश:

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएं, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिलकुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रैस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

	₹ करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(बी) 9% ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो -	
■ निधि आधारित	13706
■ गैर-निधि आधारित	1094
■ प्रतिभूति एक्सपोजर	निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
■ मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण:	
- ब्याज दर जोखिम -	767
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) -	4
- इक्विटी जोखिम -	710
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
■ मूल संकेतक दृष्टिकोण -	1219
(ई) कुल पूंजी अनुपात -	11.07%
टियर 1 पूंजी अनुपात	7.44%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधतंत्र की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋणनीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते है.

केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ महाप्रबंधक हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते है. महाप्रबंधक को उप महाप्रबधंक, एवं सहायक महाप्रबन्धकों, मुख्य प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रबंधकों एवं प्रबधंकों की टीम द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

कुछ चिन्हित आंचलिक कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों को, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में नियुक्त किया जाता है. कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अधिकारियों को जोखिम प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाता है.

बैंक में विविध नीतियां है जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, समनवित जोखिम प्रबंधन नीति, स्ट्रैस टेस्ट नीति, प्रकटीकरण नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति तथा निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति.

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित है.

महाप्रबंधक द्वारा प्रशासित ऋण मॉनिटरिंग विभाग ऋण प्रस्तावों की गुणवत्ता, विशेष उल्लिखित खातों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय को मॉनिटर करते हैं. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत खातों की प्रसंस्करण एवं निगरानी के अलावा ऋण प्रस्ताव की समीक्षा प्रणाली भी विभाग द्वारा तैयार की जाती है.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरूआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउन्टर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा फिर समग्र रेटिंग, काउन्टर पार्टी को प्रदान की जाती है. ऋण सुविधा रेटिंग टूल भी रेटिंग टूल में ही शामिल है. यदि मूल संस्था से समर्थन उपलब्ध हो तो, रेटिंग में इसका अपर्वतन किया जाता है, बशर्ते उधारकर्ता को कॉर्पोरेट गारंटी उपलब्ध हो.

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

गत देय तथा अनर्जक की परिभाषाएं

अनर्जक आस्तियां वह है जहां ऋण या अग्रिम-

(i) मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;

(ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,

(iii) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,

(iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में

  ए) अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,

  बी) दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो.

(v) प्रतिभूतिकरण पर दिनांक 1 फरवरी 2006 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के सम्बन्ध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहती हो.

(vi) डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक बाज़ार चिन्हित् मूल्य को व्यक्त करती अतिदेय प्राप्तियां यदि ये भुगतान की निर्धारित तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती हों.

अनियमित:

कोई खाता तब ''अनियमित दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम - निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा,
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं,
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले.

(₹ करोड़ में)	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित:	293128
गैर-निधि आधारित:	32392
(बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:	
■ विदेशी	102
■ घरेलू	325418

(सी)

उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	333	48
ए.1 कोयला	149	42
ए.2 अन्य	184	6
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी1 से बी5 तक)	7528	1663
बी.1 चीनी	2735	433
बी.2 वनस्पति तेल एवं वनस्पति	1770	833
बी.3 चाय	192	3
बी.4 कॉफी	7	0
बी.5 अन्य	2823	393
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	217	33
सी.1 तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	14	3
सी.2 अन्य	203	30
डी. टेक्सटाईल	7273	480
डी.1 सूती	3514	21
डी.2 जूट	183	276
डी.3 मानव-निर्मित, जिनमें	61	0
डी.3ए. हस्तशिल्प/खादी (गैर-प्राथमिकता)	19	0
डी.3.बी. सिल्क	33	0
डी.3.सी. ऊनी कपड़ा	9	0
डी.4 अन्य	3381	136
डी में से (अर्थात, कुल कपड़ा) कताई मिल को	74	47
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	180	21
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	100	91
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	573	38
एच. पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईधन	1133	164
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (आई1 से आई4 तक)	3600	133
आई.1 उर्वरक	1383	21
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकलस	1463	63
आई.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	46	43

उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
आई.4 अन्य	707	6
जे. रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	204	68
के. कांच एवं कांच के सामान	66	0
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	1340	67
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	9558	1285
एम.1 लोहा एवं स्टील	8323	694
एम.2 अन्य धातु एवं धातु	1235	590
एन. सभी अभियात्रिंकी (एन.1 + एन.2)	4976	1314
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	748	177
एन.1 अन्य	4228	1137
ओ. वाहन, वाहन पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	1469	58
पी. रत्न एवं आभूषण	2009	220
क्यू. निर्माण	6830	716
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	47819	7304
आर.ए. परिवहन (ए.1 से ए.6 तक)	8216	1046
आर. ए.1 रेलवे एवं ब्रिज	5174	956
आर ए.2 बंदरगाह	703	0
आर ए.3 अंतरदेशीय जलमार्ग	281	39
आर ए.4 एयरपोर्ट	1396	30
आर ए.5 रेलवे ट्रैक, टनल, सेतु, ब्रिज	662	21
आर.ए.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी रोड यातायात के मामलों में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)		
	0	0
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6 तक)	29975	4861
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	13623	1911
बी.1.1 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	913	56
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	3232	88
बी.1.3 निजी क्षेत्र	9478	1767
बी.2 विद्युत (परिचालन)	523	336
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	420	208
बी.2.3 निजी क्षेत्र	103	128
बी.3 विद्युत (वितरण)	15496	564
बी.3.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	516	0
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	14824	521
बी.3.3 निजी क्षेत्र	157	43
आर.बी.4 तेल पाइप लाईन	73	2000
आर.बी.5 तेल/गैस/द्रवरूप प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संग्रहण सुविधा	96	0
आर.बी.6 गैस पाइप लाइन	163	50
आर.सी. जल एवं स्वच्छता (सी.1 से सी.7)	116	38
आर.सी.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0	0
आर.सी.2 जल आपूर्ति पाइप लाइन	0	0
आर.सी.3 जल शुद्धिकरण संयंत्रों	116	38

उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
आर.सी.4 सीवेज संग्रहण, शुद्धिकरण और निपटान प्रणाली	0	0
आर.सी.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध)	0	0
आर.सी.6 तूफानी जल निकासी व्यवस्था	0	0
आर.सी.7 पिच्छल पाइप लाइन	0	0
आर.डी. सम्प्रेषण (डी.1 से डी.3)	3209	1167
आर.डी.1 दूर-संचार (फिक्सड नेटवर्क)	0	0
आर.डी.2 दूर-संचार टॉवर	0	0
आर.डी.3 दूर-संचार एवं टेलीकॉम सेवाएं	3209	1167
आर.ई. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना (ई.1 से ई.9)	3813	114
आर.ई.1 शैक्षणिक संस्थान (कैपिटल स्टॉक)	1180	40
आर.ई.2 हॉस्पिटल	346	10
आर.ई.3 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बाहर स्थित तीन-स्टार अथवा उच्च श्रेणी में वर्गीकृत होटल	367	9
आर.ई.4 औद्योगिक पार्क, सेज, पर्यटन सुविधाओं एवं कृषि बाजार के लिए समान बुनियादी संरचना	1913	53
आर.ई.5 उर्वरक (पूंजी निवेश)	0	0
आर.ई.6 कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि एवं बागवानी उत्पादों के लिए कटाई पश्चात स्टोरेज हेतु बुनियादी संरचना	5	0
आर.ई.7 टर्मिनल मार्केट	0	0
आर.ई.8 मिट्टी परिक्षण प्रयोगशाला	3	3
आर.ई. कोल्ड श्रृंखला	0	0
आर.एफ. अन्य,यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें	2491	78
एस. अन्य उद्योग, कृपया उल्लेख करें	11418	2122
सभी उद्योग (ए से एस तक)	106625	15826
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	119430	8075
ए. शिक्षा ऋण	3768	0
बी. वैमानिकी क्षेत्र	1960	315
सी. अवशिष्ट अन्य अग्रिम	113702	7760
कुल	**226055**	**23900**

(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण:

1 दिन :	6091
02 दिनों से 07 दिनों तक:	2500
08 दिनों से 14 दिनों तक:	1648
15 दिनों से 30 दिनों तक:	4686
31 दिनों से 2 महीनों तक:	1857
2 महीनों से अधिक, परंतु 3 महीनों तक:	3412
3 महीनों से अधिक, परंतु 6 महीनों तक:	6170
6 महीनों से अधिक, परंतु 12 महीनों तक:	12964
12 महीनों से अधिक, परंतु 36 महीनों तक:	95318
36 महीनों से अधिक, परंतु 60 महीनों तक:	35512
60 महीनों से अधिक :	100899
कुल	**271057**

(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) -	**22721**
■ अवमानक	9396
■ संदिग्ध	12927
■ हानि	398
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां	**13242**
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
■ सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	11.95%
■ निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	7.36%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में संचलन	
■ प्रारम्भिक शेष	11873
■ परिवर्धन	15145
■ कमियां	4297
■ अनर्जक आस्तियां (सकल)	22721
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों (शुद्ध) में संचलन	
■ प्रारम्भिक शेष	4793
■ अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	5255
■ बट्टा खाता	1810
■ अपलिखत अतिरिक्त प्रावधान	-
■ अंतिम शेष	8238
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	**474**
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	**1027**
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यह्रास में परिवर्तन:	
■ प्रारम्भिक शेष	181
■ इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	912
■ बट्टा खाता	-
■ अपलिखत अतिरिक्त प्रावधान	66
■ अंतिम शेष	1027

तालिका डीएफ - 5

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है.

(बी) बैंक ने छ: बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों यथा, क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि., इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्रा.लि., समेरा रेटिंग लि. एवं ब्रिकवर्क को अपने ग्राहकों के ऋणों को रेटिंग हेतु अभिचिन्हित किया है.

(सी) ये एजेन्सियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं..

(डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की निर्गम विशिष्ट रेटिंग को जोखिम भारिता की गणना में लिया जाएगा.

	₹ करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है:	
■ 100% जोखिम भारिता से कम:	200734
■ 100% जोखिम भारिता:	80113
■ 100% जोखिम भारिता से अधिक:	44673
■ घटाई गई राशि - सीआरएम	11919

तालिका डीएफ - 6

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण 1 के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;**

  बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं.

- **बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;**

  बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं. नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है.

  ऋण जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक को मान्यता प्रदान की गई हैं इन दिशानिर्देशों में गारंटियों को भी ऋण जोखिम न्यूनीकारक माना गया है. इस प्रकार के तत्व हासिल करने के लिए बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं.

	₹ करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलियों के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर निम्नलिखित द्वारा कवर किया गया है:	
■ **पात्र वित्तीय संपार्श्विक-**	
निधि आधारित	10095
गैर-निधि आधारित	1824

तालिका डीएफ - 7

प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:		
निरंक		
		₹ करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:		
बैंकिंग बही		
(डी)	बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	निरंक
(ई)	एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिन्हित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ)	एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	निरंक
(जी)	उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच)	प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिन्हित लाभ या हानियां	निरंक
(आई)	निम्न की समेकित राशि :	
	- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	निरंक
	- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(जे)	रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभारों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	निरंक
	ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णत: घटाया गया है, कुल पूंजी में से वृद्धिगत ऋण आई/ओ एस बढाने वाले ऋणों की कटौती को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण		
ट्रेडिंग बही :		
(के)	बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(एल)	निम्न की समग्र राशि :	
	- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, अथवा	निरंक
	- एक्सपोजर के प्रकार से खरीद का विभाजन	निरंक
	- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एम)	निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	
	- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	निरंक
	- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एन)	निम्न की समग्र राशि :	
	- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
	- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णत: घटाया गया हैं, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया(एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक

तालिका डीएफ-8

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है. जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है.

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है.

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है, जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां है जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित है.

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है.

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है. बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है. बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगत्वा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं. यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि जटिलता, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है.

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है. बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है. बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई है. इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है.

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरित परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राक्कलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार
ब्याज दर जोखिम	₹ 767 करोड़
इक्विटी का स्थिति- जोखिम	₹ 710 करोड़
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹ 4 करोड़
योग	₹ 1481 करोड़

तालिका डीएफ - 9

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है. परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते. बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है. बैंक ने परिचालन जोखिम

के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम ''कोरडेक्स'' का सदस्य भी है.

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही आरबीआई से संपर्क साधा हुआ है और एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए सीधे प्रयासरत है.

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है. तदनुसार, दिनांक 31.03.2016 को परिचालन जोखिम के लिए ₹ 1219 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है.

तालिका डीएफ -10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां है:

1) जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)

   इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है. इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तिओं एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है.

2) इक्विटी का आर्थिक मूल्य:

   इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

परिवर्तन के पैरामीटर	₹ करोड़ में
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	342
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	-191

योगेश राय
उप महाप्रबंधक

रेवती त्यागराजन
उप. महाप्रबंधक - प्रभारी

(आर.सी. लोढ़ा)
कार्यपालक निदेशक

(बी.के दिवाकर)
कार्यपालक निदेशक

(आर.के.गोयल)
कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 26.05.2016

दिनांक 31.03.2016 को पिलर 3 (बासल III) का प्रकटीकरण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्य क्षेत्र

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है.

समेकित खातों (वार्षिकत: प्रकट) में बैंक की अनुषंगी/ सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार हैं:

ए. समेकन में शामिल समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है. (हां/ नहीं)	समेकन की विधि बताएं	क्या निकाय समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/ नहीं)	समेकन की विधि बताएं	समेकन की विधियों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	कारण बताएं यदि समेकन के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत समेकन किया गया है.
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	पूंजी से निवेशों की कटौती
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	पूंजी से निवेशों की कटौती
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्राबैं/भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
इन्डो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड/ जाम्बिया	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां

बी. समेकन की लेखांकन एवं नियामक दोनों ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकन हेतु स्वीकार न किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय के पूंजी साधनों में बैंक के निवेशों का नियमन	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)
ऐसा कोई निकाय नहीं					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी. समेकन हेतु स्वीकार की गई समूह इकाइयों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश (उक्त (i)ए. में दर्शाए अनुसार	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ मिलियन में	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ मिलियन में
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	कंपनी का प्रमुख उद्देश्य आवास ऋण प्रदान कर रहा है.	250	12030
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	कॉर्पोरेट ग्राहकों को निवेश बैंकिंग उत्पाद/सेवाएं प्रदान कर रहा है.	50	481
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्राबैं/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2464*	73303*
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4545*	172616*
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	908	26653

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

ई. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है: निरंक

एफ. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतर या नियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध या रूकावट: निरंक

* मार्च 2016 के लिए अलेखापरीक्षित आंकड़े

तालिका -2: पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश:

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रखकर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आनेवाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा

निर्धारण करना जो पिलर में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएं, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रैस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए नवीनतम दृष्टिकोण की ओर जाने हेतु पहल की है, आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही बैंक ने एक परामर्शदाता एवं एक सिस्टम इंटिग्रेटोर वेंडर को नियुक्त किया है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण (बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं : * मानक दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो @ 9% * प्रतिभूति एक्सपोजर	₹ 152449 मिलियन निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं: * मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण: - ब्याज दर जोखिम - विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) - इक्विटी जोखिम	 ₹ 7724 मिलियन ₹ 41 मिलियन ₹ 7097 मिलियन
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं: मूल संकेतक दृष्टिकोण	 ₹ 12188 मिलियन
(ई) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी अनुपात सामान्य इक्विटी टियर 1 टियर 1 कुल पूंजी अनुपात	 8.03% 8.20% 10.41%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/ कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधतंत्र की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋण नीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते है.

केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ महाप्रबंधक हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते है. महाप्रबंधक को सहायक महाप्रबधंक, मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रबधंकों की टीम के साथ उप महाप्रबंधक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

आंचलिक कार्यालय स्तर पर ये अभिनिर्धारित जोखिम प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे. कुछ क्षेत्रीय कार्यालय स्तरों के अधिकारी भी जोखिम प्रबंधकों के तौर पर चिन्हित किए हैं.

बैंक में विविध नीतियां है जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, समंवित जोखिम प्रबंधन नीति, स्ट्रैस टेस्ट नीति, बाजार अनुशासन एवं प्रकटीकरण नीति, अंतर्समूह लेनदेन एवं विस्तार नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति तथा निवेश एवं बाजार जोखिम नीति.

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद्ध मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित है.

ऋण मॉनिटरिंग विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक हैं, जो ऋण पोर्टफोलियो, विशेष उल्लिखित खातों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय को मॉनिटर करेंगे. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत खातों के प्रसंस्करण एवं निगरानी के अलावा ऋण प्रस्ताव की समीक्षा भी विभाग द्वारा की जाएगी.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरूआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउन्टर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा फिर समग्र रेटिंग, काउन्टर पार्टी को प्रदान की जाती है. सुविधा रेटिंग मॉड्यूल भी रेटिंग टूल में ही उपलब्ध है. जहां मूल संस्था से समर्थन उपलब्ध है, रेटिंग में यह भी एक घटक है, यदि उधारकर्ता को कॉर्पोरेट गारंटी उपलब्ध है.

तालिका डीएफ - 3

ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

गत देय तथा अनर्जक की परिभाषाएं

अनर्जक आस्तियां वह है जहां ऋण या अग्रिम-

(i) मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;

(ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,

(iii) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,

(iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में

ए) अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज, दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,

बी) दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज, एक फसल मौसल तक अतिदेय रहती हो.

(v) दिनांक 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहेगी.

(vi) डेरिवेटिव परिचालन के संबंध में अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक दैनिक बाजार मूल्य को व्यक्त कर रही है यदि ये भुगतान की निर्धारित तय तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती है.

अनियमित:

कोई खाता तब ''अनियमित'' दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम - निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा,
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले.

	(₹ मिलियन में)
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारितङ:	**2931280**
गैर-निधि आधारित:	**323920**
** बैंक, निवेश इत्यादि में नकद शेष सहित*	
बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:	
• विदेशी	**1023**
• घरेलू	**3254177**

(सी)

उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	3327	481
ए.1 कोयला	1490	424
ए.1 अन्य	1837	57
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी1 से बी5 तक)	75277	16627
बी.1 चीनी	27354	4332
बी.2 वनस्पति तेल एवं वनस्पति	17701	8334
बी.3 चाय	1922	33
बी.4 कॉफी	70	0
बी.5 अन्य	28230	3928
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	2171	330
सी.1 तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	140	29
सी.2 अन्य	2031	301
डी. टेक्सटाईल	72729	4798
डी.1 सूती	35140	207
डी.2 जूट	1829	2755
डी.3 मानव-निर्मित, जिनमें	607	0
डी.3.ए. हस्तशिल्प/खादी (गैर-प्राथमिकता)	194	0
डी.3.बी. सिल्क	327	0
डी.3.सी. ऊनी कपड़ा	86	0
डी.4 अन्य	33807	1361
डी में से (अर्थात, कुल कपड़ा) कताई मिल को	739	475
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	1804	212
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	995	912
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	5726	384
एच. पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईंधन	11329	1642
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि)(आई1 से आई4 तक)	35997	1328
आई.1 उर्वरक	13835	208
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकलस	14631	628
आई.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	463	433
आई.4 अन्य	7069	60

उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
जे. रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	2042	682
के. कांच एवं कांच के सामान	659	3
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	13404	669
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	95582	12848
एम.1 लोहा एवं स्टील	83233	6944
एम.2 अन्य धातु एवं धातु	12349	5904
एन. सभी अभियात्रिंकी (एन.1 + एन.2)	49755	13141
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	7475	1766
एन.1 अन्य	42280	11375
ओ. वाहन, वाहन पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	14694	581
पी. रत्न एवं आभूषण	20087	2200
क्यू. निर्माण	68300	7157
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	478192	73039
आर.ए. परिवहन (ए.1 से ए.6तक)	82160	10464
आर.ए.1 रेलवे एवं ब्रिज	51737	9565
आर ए.2 बंदरगाह	7030	0
आर ए.3 अंतरदेशीय जलमार्ग	2809	391
आर ए.4 एयरपोर्ट	13962	300
आर ए.5 रेलवे ट्रैक, टनल, सेतु, ब्रिज	6622	209
आर.ए.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी रोड यातायात के मामलों में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	0	0
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6तक)	299750	48609
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	136226	19112
बी.1.1 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	9125	563
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	32323	882
बी.1.3 निजी क्षेत्र	94777	17667
बी.2 विद्युत (परिचालन)	5233	3361
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	4200	2081
बी.2.3 निजी क्षेत्र	1034	1280
बी.3 विद्युत (वितरण)	154965	5636
बी.3.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	5155	0
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	148242	5206
बी.3.3 निजी क्षेत्र	1567	430
आर.बी.4 तेलपाइप लाईन	730	20000
आर.बी.5 तेल/गैस/द्रवरूप प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संग्रहण सुविधा	963	0
आर.बी.6 गैस पाइप लाइन	1634	500
आर.सी. जल एवं स्वच्छता (सी.1 से सी.7)	1158	380
आर.सी.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0	0
आर.सी.2 जल आपूर्ति पाइप लाइन	0	0
आर.सी.3 जल शुद्धिकरण संयंत्रों	1158	380
आर.सी.4 सीवेज संग्रहण, शुद्धिकरण और निपटान प्रणाली	0	0

उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
आर.सी.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध)	0	0
आर.सी.6 तूफानी जल निकासी व्यवस्था	0	0
आर.सी.7 पिच्छल पाइप लाइन	0	0
आर.डी. सम्प्रेषण (डी.1 से डी.3)	32086	11667
आर.डी.1 दूर-संचार (फिक्सड नेटवर्क)	0	0
आर.डी.2 दूर-संचार टॉवर	0	0
आर.डी.3 दूर-संचार एवं टेलीकॉम सेवाएं	32086	11667
आर.ई. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना (ई.1 से ई.9)	38133	1141
आर.ई.1 शैक्षणिक संस्थान (कैपिटल स्टॉक)	11800	400
आर.ई.2 हॉस्पिटल	3457	98
आर.ई.31 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बाहर स्थित तीन-स्टार अथवा उच्च श्रेणी में वर्गीकृत होटल	3668	88
आर.ई.4 औद्योगिक पार्क, सेज, पर्यटन सुविधाओं एवं कृषि बाजार के लिए समान बुनियादी संरचना	19131	525
आर.ई.5 उर्वरक (पूंजी निवेश)	0	0
आर.ई.6 कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि एवं बागवानी उत्पादों के लिए कटाई पश्चात स्टोरेज हेतु बुनियादी संरचना	49	0
आर.ई.7 टर्मिनल मार्केट	0	0
आर.ई.8 मिट्टी परिक्षण प्रयोगशाला	28	30
आर.ई. कोल्ड श्रृंखला	0	0
आर.एफ. अन्य,यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें	24906	779
एस. अन्य उद्योग, कृपया उल्लेख करें	11418	2122
सभी उद्योग (ए से एस तक)	1066251	158256
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	1194300	80747
ए. शिक्षा ऋण	37679	0
बी. वैमानिकी क्षेत्र	19598	3150
सी. अवशिष्ट अन्य अग्रिम	1137023	77597
कुल	2260551	239003

कुल एक्सपोजर के 5% से अधिक वाले एक्सपोजर

	वित्त पोषित	गैर वित्त पोषित
बुनियादी संरचना	478192	73039
अन्य उद्योग	24906	779

(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण :

1दिन :	60914
02दिनों से07दिनों तक:	24995
08दिनों से14दिनों तक:	16481
15दिनों से30दिनों तक:	46858
31दिनों से2महीनों तक:	18569
2महीनों सेअधिक, परंतु 3महीनों तक:	34121
3महीनों सेअधिक, परंतु 6महीनों तक:	61703
6महीनों सेअधिक, परंतु 12महीनों तक:	129646
12महीनों सेअधिक, परंतु 36महीनों तक:	953178

36महीनों सेअधिक, परंतु 60महीनों तक:	355117
60 महीनों से अधिक :	1008991
कुल	**2710573**

(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) -	227209
▪ अवमानक	93963
▪ संदिग्ध 1	53772
▪ संदिग्ध2	57753
▪ संदिग्ध 3	17735
▪ हानि	3983
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां	132418
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
▪ सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	11.95%
▪ निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	7.36%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल)में संचलन	
▪ प्रारम्भिक शेष	118730
▪ परिवर्धन	151450
▪ कमियां	42970
▪ अनर्जक आस्तियां (सकल)	227210
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों (शुद्ध)में संचलन	
▪ प्रारम्भिक शेष	47930
▪ अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	52550
▪ बट्टा खाता	18100
▪ अवलिखत अतिरिक्त प्रावधान	-
▪ इति शेष	82380
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	4740
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	10272
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यह्रास में परिवर्तन:	
▪ प्रारम्भिक शेष	1806
▪ इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	9123
▪ बट्टा खाता	-
▪ अवलिखत अतिरिक्त प्रावधान ह	657
▪ इति शेष	10272

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है.

(बी) बैंक ने छ:बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों यथा, क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि., इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्रा.लि.समेरा एवं ब्रिकवर्क को अपने ग्राहकों के ऋणों को रेटिंग हेतु अभिचिन्हित किया है.

सी) ये एजेन्सियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं.

(डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की निर्गम विशिष्ट रेटिंग को भारिता की गणना में लिया जाएगा.

₹ मिलियन में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है:	
▪ 100% जोखिम भारिता से कम:	2007337
▪ 100% जोखिम भारिता	801135
▪ 100% जोखिम भारिता से अधिक	446728
▪ घटाई गई राशि - सीआरएम	119188

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियाएं;**

  बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं.

- **बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;**

  बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं. नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है.

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं, साथ ही, ये दिशानिर्देश गारंटी को एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिये बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं.

₹ मिलियन में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलिया के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर कवर किया गया है:	
▪ पात्र वित्तीय संपार्श्विक-	
▪ निधि आधारित	100945
गैर-निधि आधारित	18243

तालिका डीएफ -6

प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

निरंक

₹ मिलियन में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
बैंकिंग बही	
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	निरंक
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादित अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिह्नित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिह्नित लाभ या हानियां	निरंक
(आई) निम्न की समेकित राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(जे) रोकी गई अथवा क्रया की गई तथा सहायक पूंजी प्रभारों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	निरंक
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णत: घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्विगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
ट्रेडिंग बही :	
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(एल) निम्न की समग्र राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	निरंक
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित विशिष्ट जोखिम के लिए संरचना के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णत: घटाया गया हैं, कुल पूंजी से वृद्विगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया(एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक

तालिका डीएफ -7

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है. जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है.

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है.

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है., जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां है जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित है.

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है.

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है. बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है. बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगतवा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं. यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि - जटिलता, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है.

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है. बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है. बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई है. इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है.

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरित परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राक्कलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार(रु.मिलियन में)
ब्याज दर का जोखिम	₹ 7724
इक्विटी का स्थिति- जोखिम	₹ 7097
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹ 41
योग	**₹ 14862**

तालिका डीएफ-8

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है. परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते. बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है. बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम ''कोरडेक्स'' का सदस्य भी है.

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही आरबीआई से संपर्क साधा हुआ है और एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए सीधे प्रयासरत है.

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है. तदनुसार, दिनांक 31.03.2016को परिचालन जोखिम के लिए रु.12188 मिलियन की पूंजी की आवश्यकता है.

तालिका डीएफ -9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं

1) जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)

इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है. इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तिओं एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है.

2) इक्विटी का आर्थिक मूल्य:

इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

परिवर्तन के पैरामीटर	₹ मिलियन में
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	3424
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	-1913

तालिका डीएफ-10

प्रतिपक्षीय साख जोखिम से संबंधित ऋण के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	(ए)	बैंक प्रतिपक्षीय ऋणों के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, आय उपार्जन, तरलता एवं प्रबंधन गुणवत्ता के आधार पर ऋणी सीमा का निर्धारण करता है. बैंक की निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति अच्छी तरह से परिभाषित है. बैंक विविध डेरिवेटिव उत्पादों एवं ब्याज दरस्वाप में व्यवहार करता है. बैंक अपनी तुलन-पत्र मदों, साथ ही व्यवसाय उद्देश्य से बचाव-व्यवस्था हेतु डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करता है.

<table>
<tr><td rowspan="2">मात्रात्मक प्रकटीकरण</td><td>(बी)</td><td>

₹ मिलियन में

विवरण	राशि
संविदा का सकल सकारात्मक मूल्य	491
शुद्ध लाभ	0
शुद्ध चालू साख ऋण	1793
संपार्श्विक प्रतिभूति	0
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्पोजर	1793

</td></tr>
<tr><td>(सी)</td><td>

₹ मिलियन में

मद	काल्पनिक राशि	वर्तमान ऋण एक्सपोजर
फारवर्ड विदेशी विनिमय संविदा	64522	1779
क्रास करेंसी ब्याज दरस्वाप सहित क्रास करेंसी स्वाप	0	0
ब्याज दर संविदाएं	2000	14

</td></tr>
</table>

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संयोजन

भाग II: दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व उपयोग किया जाने के लिए टेम्पलेट (अर्थात् बासल III विनियामक समायोजनों की परिचालन अवधि के दौरान)

₹ मिलियन में

बासल III विनायामक समायोजनों के परिचालन के दौरान उपयोग किया जाने वाला सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात् दि. 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2017 तक)			बासल III पूर्व के अधीन राशि	संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान				
1	प्रत्यक्ष निर्गमित अर्हक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित स्टाक अधिशेष	16897		ए1
2	प्रतिधारित उपार्जन	-24410		
3	संचित अन्य व्यापक उपार्जन (एवं अन्य प्रारक्षित निधि)	171333		
4	प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी जो सीईटी 1 से बाहर की गई (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों 1 हेतु लागू)	0		
	दि.1 जनवरी, 2018 तक के लिए प्रविष्टि सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी	0		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	0		
6	**विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी**	**163820**		
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन				
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	0	0
8	गुडविल (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	0	0
9	मॉरगेज के अलावा अमूर्त - सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	0	0
10	आस्थगित कर आस्ति 2	340	0	0
11	नकद-प्रवाह बचाव प्रारक्षित	0	0	0
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी	0	0	0
13	विक्रय पर प्रतिभूति वृद्धि	0	0	0

14	शुद्ध मूल्यांकित देयताओं पर अधिलाभ एवं हानि स्वयं के साख जोखिम में परिवर्तन के कारण	0	0	0
15	परिभाषित - लाभ पेंशन निधि शुद्ध आस्तियां	0	0	0
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र पर चुकता पूंजी से पहले ही कम न की गई हो)	0	0	0
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिता	6	1	0
18	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	0	0
19	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिवक्रय की स्थिति (10% सीमा से अधिक की राशि)	215	54	0
20	मॉरगेज सर्विसिंग राइट्स 4 (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	0	0
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर देयताएं (10% की सीमा से अधिक की राशि, संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	0	0
22	15% सीमा से अधिक की राशि	0	0	0
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	0	0
24	जिसमें से: मॉरगेज सर्विसिंग राइट	0	0	0
25	जिसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0	0	0
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बा+26सी+26डी)	0	0	0
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	0	0
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर वित्तीय की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	0	0
26सी	जिसमें से: बहुसंख्य मालिकाना वित्तीय निकायों की इक्विटी पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित न की गई हो.	0	0	0
26डी	जिसमें से: अमूर्तिकृत पेंशन निधि व्यय	0	0	0
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में सामान्यइक्विटी टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	0	0	0
	जिसमें से: (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें)	0	0	0
	जिसमें से: (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें)	0	0	0
	जिसमें से: (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें)	0	0	0
27	कटौती को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0	0	0
28	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु विनियामक समायोजन**	**561**		
29	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)**	**163259**		
	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी :			
30	टीयर 1 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखत एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	0		
31	जिसमें से लागू लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमानी शेयर)			
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थाई उधार लिखत)			
33	अतिरिक्त टीयर 1 से बाहर किए गए प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखत	3498		बी1+बी2
34	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (एवं सीईटी 1 लिखते जो रो 5 में शामिल नहीं है) (समूह एटी 1 में अनुमत राशि)			

35	जिसमें से: बाहर किए जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखते			
36	विनायामक समायोजनो के पहले अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	3498		
	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0	0	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति धारिता	0	0	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	0	
40	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शुद्ध अधिवक्रय की स्थिति)	27		
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	76		
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश			
41बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी			
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	0	0	
	जिसमें से: अमूर्त आस्तियां एवं परिभाषित लाभ पेंशन निधि	0		
	जिसमें से:अर्थात् सामान्य इक्विटी के संबंध में बासल III पूर्व के अधीन पारस्परिक प्रति धारिता, अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2	76	0	
	जिसमें से: (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें)	0		
42	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन			
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**103**		
44	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1)**	**3395**		
45	**टीयर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	**166654**		
	टीयर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	टीयर 2 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखतें एवं संबंधित स्टाक अधिशेष	10000		सी3
47	टीयर 2 से बाहर किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखते	22475		सी1+सी2
48	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित टीयर 2 लिखते (एवं सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखते, जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) (टीयर 2 समूह में अनुमत राशि)	0		
49	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा बाहर किए जाने के अधीन जारी लिखते	0		
50	प्रावधान (मूल्यांकन प्रारक्षित, मानक आस्तियों पर प्रावधान, अनर्जक आस्तियों की बिक्री आदि)	13026		
51	**विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी**	45500		
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश			
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिता	679		
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	0	

55	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश 13, पात्र शुद्ध अधिवक्रय की स्थिति (10% सीमा से अधिक की राशि)	27	0	
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	7		
56ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश			
56बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में कमी			
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टीयर 2हेतु लागू विनियामक समायोजन	7		
	जिसमें से: पारस्परिक प्रति-धारित सामान्य इक्विटी	7	0	
	जिसमें से: टीयर 1 एवं टीयर 2 में सामान्य इक्विटी के 10% से अधिक निवेश	0		
57	**टीयर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**707**		
58	**टीयर 2 पूंजी (टी2)**	**44793**		
58ए	**पूंजी पर्याप्तता हेतु मान्य टीयर 2 पूंजी**	**44793**		
58बी	**टीयर 2 पूंजी के रूप में मान्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी का अधिक्य**	**0**		
58सी	**पूंजी पर्याप्तता के लिए अनुमत कुल टीयर 2 पूंजी (58ए + 58बी)**	**44793**		
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)**	**211447**		
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां			
	जिसमें से: (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें)			
	जिसमें से : ...			
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**2031987**		
60ए	**जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां**	**1693875**		
60बी	**जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां**	**185768**		
60सी	**जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां**	**152344**		
	अनुपात			
61	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**8.03%**		
62	**टीयर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**8.20%**		
63	**कुल पूंजी(जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**10.41%**		
64	**संस्था विशेष बफर आवश्यकताएं (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकताओं के साथ पूंजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं)**	**6.125%**		
65	**जिसमें से: पूंजी संरक्षण न बफर आवश्यकता**	**0.625%**		
66	**जिसमें से: बैंक विशेष प्रतिचक्री बफर आवश्यकता**	**0.00%**		
67	**जिसमें से: जी-एस.आईबी बफर आवश्यकता**	**0.00%**		
68	**बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	**0.00%**		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासल III सेअलग हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	6.125%		
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	7.625%		

71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	9.625%		
	कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारिता से पहले)			
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश			
73	वित्तीय निकायों की सामान्य पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश			
74	मॉरगेज सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)			
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित शुद्ध कर देयता)			
	टीयर 2 में प्रावधानों की समाविष्टि पर लागू उच्चतम सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)			
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा			
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)			
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा.			
	फेस-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखते (केवल दि.31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के मध्य लागू)			
80	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन सीईटी लिखतों पर वर्तमान सीमा	ला.न.		
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	ला.न.		
82	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन एटी1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	ला.न.		
83	सीमा के कारण एटी1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	ला.न.		
84	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन टी2 लिखतों पर वर्तमान सीमा	ला.न.		
85	के कारण टी2 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	ला.न.		

तालिका डीएफ-12: पूंजी का संघटन- समायोजन अपेक्षाएं

(राशि मिलीयन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र
		दि. 31.03.2016	दि. 31.03.2016 को
	पूंजी एवं देयताएं		
i	चुकता पूंजी	16897	
	जिसमे से: सीइटी 1 हेतु पात्र राशि	16897	ए1
	जिसमे से: एटी 1 हेतु पात्र राशि	0	बी1
	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	175002	
	अल्पसंख्यक हित	0	
	कुल पूंजी	**191899**	
ii	**जमाराशियां**	**2661842**	
	जिसमे से: बैंकों से जमा	60828	
	जिसमे से: ग्राहकों से जमा	2601014	
	जिसमे से: अन्य जमाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
iii	**उधारराशियां**	**92079**	
	जिसमे से: आरबीआई से	8250	
	जिसमे से: बैंकों से	8	
	जिसमे से: अन्य संस्थाओं एव संस्थानों से	15549	
	जिसमे से: अन्य (भारत से बाहर)	0.00	
	जिसमे से:गौण ऋण	18591	सी1
	जिसमे से:अपर टीयर 2	28850	सी2
	जिसमे से: असुरक्षित मोचनीय एनसी बासल छ्छ बाण्ड्स (टीयर2)	10000	सी3
	जिसमे से: नवोन्मेष स्थायी उधार लिखत	10830	बी2
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**108841**	
	कुल	**3054661**	
बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	140695	
	बैंकों में जमा एवं भाग व अल्प सूचना पर राशि	14715	
ii	निवेश:	888675	
iii	ऋण एवं अग्रिम	1800096	
	जिसमे से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	2	
	जिसमे से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1800094	
iv	अचल आस्तियां	43593	
v	अन्य आस्तियां	166887	
	जिसमे से: गुडविल एवं अमूर्त आस्तियां	0	
	जिसमे से: आस्थगित कर देयताएं	0	
vi	समेकन पर गुडविल		
vii	लाभ-हानि खाते में नामे शेष	0	
	कुल आस्तियां	**3054661**	

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

टीयर-1 पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

विवरण इक्विटी	इक्विटी
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता	INE483A01010
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
परिवर्तन पश्चात बासल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	सामान्य शेयर
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलियन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	16583
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 10 प्रति शेयर
लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक की इक्विटी
जारीकरण की मूल तिथि	विविध
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	ला.न.
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थायी
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	ला.न.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्णत: विवेकाधिकार
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	ला.न.
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषताला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ताओं एवं अन्य ऋणियों, बाण्ड एवं पीएनसीपीएस
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	

श्रृंखला वर्णन	आईपीडीआईश्रृंखला. II पीडीआई	श्रृंखला. छ पीडीआई
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09237	INE483109252
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार		
परिवर्ती बासल III नियम	अतिरिक्त टीयर 1	अपात्र
परिवर्तन पश्चात बासल III नियम	अपात्र	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत	स्थायी उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	3498	0
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	30.03.2009	28.09.2012
स्थायी या दिनांकित	स्थायी	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	ला.न.	ला.न.
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	28.09.2022
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश		
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	जी.सेक + 250 बीपीएस, प्रतिवर्ष मार्च के पुनर्मूल्य	9.40% प्र.व.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषतालागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	पूर्णत: अमान्य, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

उच्च टीयर-2 पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है

श्रृंखला विवरण	उच्च टीयर II (श्रृंखला I)	उच्च टीयर II (श्रृंखला IV)	उच्च टीयर II (श्रृंखला V)	उच्च टीयर II (श्रृंखला VI)
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया			
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09179	INE483A09211	INE483A09229	INE483A08015
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार				
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	1800	3000	6000	1800
लिखत की सममूल्य राशि	रु.1.00 मिलियन	रु.1.00 मिलियन	रु.1.00 मिलियन	रु.1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	14.11.2008	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	14.11.2023	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	14.11.2018	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश				
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	11.45%	8.63%	8.57%	9.20%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.

यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषताला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

गौण उधार पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

श्रृंखला	निम्न टीयर II श्रृंखला XI	निम्न टीयर II श्रृंखला XII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIV
जारीकर्ता				
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09153	INE483A09161	INE483109187	INE483A09245
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार				
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	0	545	1620	3000
लिखत की सममूल्य राशि	रु.1.00 मिलियन	रु.1.00 मिलियन	रु.1.00 मिलियन	रु.1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	04.10.2006	03.03.2008	10.02.2009	21.12.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	04.10.2016	03.05.2017	10.04.2018	21.12.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	ला.न.	ला.न.	21.12.2021

अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश				
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	8.95%	9.20%	9.35%	9.33%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषतालागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

बासल III अनुपालन टीयर 2 बाण्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाड्स
	श्रृंखला I
जारीकर्ता	
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09260
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	पात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	10000

लिखत की सममूल्य राशि	रु.1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	08.11.2013
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	08.11.2023
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.90%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	हाँ
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर (''पीओएनवी ट्रिगर'') कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	अंशत:
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	अस्थायी
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	1) पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाएगा. 2) एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. 3) एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	-

तालिका डीएफ-14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम

क्र.सं.	पूंजी का प्रकार	लिखतपूर्ण नियम एवं शर्तें	पूर्ण नियम एवं शर्तें
1.	इक्विटी	इक्विटी	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
2.	अतिरिक्त टीयर 1	आईपीडीआई जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
3.	टीयर 2	उच्च टीयर 2 बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
4	टीयर 2	गौण बाण्ड जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
5.	टीयर 2	बासल III कम्प्लाएंट बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
	टीयर 2	बासल III कम्प्लाएंट बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है

टेबल डीएफ-16:इक्विटीज़ - बैंकिंग बही हेतु प्रकटीकरण संबंधी दिनांक 31.03.2016 को

गुणात्मक प्रकटीकरण

1	निम्नलिखित सहित इक्विटी जोखिम के मामले में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकताएं (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1) : ▪ जिन पर पूंजीगत लाभ अपेक्षित है उस धारित राशि तथा पारस्परिक संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित जिन्हें व्याप्तियों के अंतर्गत लिया गया है, उनमें भिन्नता; एवं ▪ बैंकिंग बहियों में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन एवं लेखांकन को समाहित करते हुए महत्त्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा. इनमें मूल्यांकन के साथ साथ इनकी प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों सहित प्रमुख मान्यताओं एवं प्रथाओं सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकी एवं मूल्यांकन प्रविधि शामिल है.	सभी इक्विटी एचटीएम निवेश, विदेशी सहयोगी, भारतीय अनुषंगी, संयुक्त उद्यम, असोसिएटस्, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के रणनीतिक निवेशमें हैं. जैसे ही संव्यवहार होता है (चाहे वह पूरा हो अथवा नहीं), आवश्यक वाउचर पारित किए जाते हैं. ये वाउचर प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा ब्रोकर पुष्टिकरण प्राप्त करने पर/ ब्रोकर का संविदा नोट प्राप्त कर (यदि व्यवहार ब्रोकर के माध्यम से न किया गया हो) फ्रंट ऑफिस से व्यवहार टिकट आधार पर पारित किए जाते हैं.

गुणात्मक प्रकटीकरण

₹ मिलियन में

		बही मूल्य 31.03.2016	उचित मूल्य 31.03.2016
1	उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए,तुलनपत्र में निवेश का प्रदर्शित मूल्य और उन निवेशों का उचित मूल्य; यदि शेयर की कीमत और उसके उचित मूल्य में काफी अंतर हो तो सार्वजनिक उद्धृत शेयर मूल्यों से तुलना.	17920	16200
	शेयर की कीमत और उसके उचित मूल्य में काफी अंतर हो तो सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों से तुलना. (25% से अधिक की कमी/बढ़त).	6320	2380
2	निवेशों का प्रकार एवं प्रकृति, ऐसी राशि सहित, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:		
	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	7570	3530
	निजीतौर पर धारित	6770	9070
	भारत में संयुक्त उद्यम (सेन्ट बैंक होम फाइनैंस)	220	220

	भारत के बाहर, असोसिएट (इंडो जाम्बिया बैंक लि. में संयुक्त उद्यम)	470	470
	क्षेत्रीका गखामीण बैंवढ	2770	2770
	अनुषंगियां (सेन्ट बैंक फाइनैन्शियल सर्विसेज लि.)	50	50
	कार्यनीतिक निवेश सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	20	20
	कार्यनीतिक निवेश वित्तीय संस्थान (आईएफसीआई, जीएसएफसी, जेकेएफसी, डब्ल्यूबीएफसी)	50	50
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	310	शून्य
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानियां)* कुल अप्राप्त लाभ (हानियां)*	(3870)	शून्य
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियां)**	शून्य	शून्य
6	टियर I एवं/अथवा टियर II पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त की कोई राशि	**50**	**50**
7	नियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में पर्यवेक्षी संक्रमण अथवा ग्रांडकादरिंग' प्रावधानों के अधीन बैंक की क्रियाविधि के साथ साथ इक्विटी निवेशों के प्रकार एवं उनकी कुल राशि के संगत इक्विटी समूहन द्वारा विक्षत पूंजीगत आवश्यकताएं.	शून्य	शून्य

* तुलनपत्र में चिन्हित अप्राप्त अभिलाभ (हानियां) किंतु लाभ एवं हानि खाता (पीआई और एनपीआई में प्रावधान) के माध्यम से नहीं दर्शाएं.

** न तो तुलनपत्र में दर्शाए गए और न ही लाभ एवं हानि खाता के माध्यम से दर्शित अप्राप्त अभिलाभ (हानियां).

दिनांक 31.03.2016 को लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण

टेबल डीएफ 17 - लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय की संक्षिप्त तुलना		
	मद	**(₹ मिलियन में)**
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार, कुल समेकित आस्तियां	3055601
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेशों के लिए समायोजन, जिनका लेखांकन प्रयोजनार्थ समेकन किया जाता है, परंतु जो विनियामक समेकन के क्षेत्र के बाहर हैं	511
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में प्रत्ययी आस्तियों के समायोजन को दर्शाया गया है, किंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से बाहर हैं	0
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	1793
5	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेनों (अर्थात रेपो एवं इसी तरह की रक्षित उधारी) के लिए समायोजन	12557
6	तुलनपत्र इतर मदों के लिए (अर्थात तुलनपत्र इतर एक्सपोजर के ऋण समतुल्य राशि में परिवर्तन) समायोजन	202340
7	अन्य समायोजन	0
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोजर**	**3271780**

	डीएफ-18 : लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण टेम्पलेट	
		(₹ मिलियन में)
	तुलनपत्र एक्सपोजर	
1	तुलनपत्र मदें (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर, परंतु संपार्श्विक शामिल है)	3055601
2	(बासल III टियर I पूंजी सुनिश्चित करने में आस्ति राशि को घटाया)	511
3	**कुल तुलनपत्र एक्सपोजर (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर)**	3055090
	व्युत्पन्नी एक्सपोजर	
4	सभी व्युत्पन्नी लेनदेनों (अर्थात पात्र नकदी विचलन मार्जिन घटाकर)	491
5	सभी व्युत्पन्नी लेनदेनों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए वर्धित राशियां	1302
6	प्रदत्त व्युत्पन्नी संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप	0
7	(व्युत्पन्नी लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(क्लाइंट-क्लियरड ट्रेड एक्सपोजर का छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न की समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी आनुमानिक प्रतितुलन तथा वर्धित कटौतियां)	0
11	**कुल व्युत्पन्नी एक्सपोजर (मद 4 से 10 तक की राशि)**	1793
	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेन एक्सपोजर	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (निवल राशि ज्ञात किए बगैर), बिक्री लेखांकन लेनदेन के लिए समायोजन के पश्चात	12000
13	(सकल एसएफटी आस्तियों का देय नकदी और प्राप्य नकदी की शुद्ध राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	557
15	एजेन्ट लेनदेन एक्सपोजर	0
16	**कुल प्रतिभूतियां वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (मद 12 से 15 की राशि)**	**12557**
	अन्य तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	
17	सकल आनुमानिक राशि पर तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	813236
18	(ऋण समतुल्य राशि में परिवर्तन के लिए समायोजन)	(610896)
19	**तुलनपत्र इतर मदें (मद 17 और 18 की राशि)**	202340
	पूंजी एवं कुल एक्सपोजर	
20	**टियर 1 पूंजी**	169195
21	**कुल एक्सपोजर (मद 3,11,16 एवं 19 की राशि)**	3271780
	लीवरेज अनुपात	
22	**बासल III लीवरेज अनुपात (प्रतिशत)**	5.17%

योगेश राय
उप महाप्रबंधक

रेवती त्यागराजन
उप महाप्रबंधक (प्रभारी)

(आर.सी. लोढ़ा)
कार्यपालक निदेशक

(बी.के. दिवाकर)
कार्यपालक निदेशक

(आर.के. गोयल)
कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 02.06.2016

दूगड़ एंड असोशिएट्स 13, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश **नई दिल्ली - 110 065**	**एन. सरकार एंड कं.** 21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट, द्वितीय तल **कोलकाता - 700 072** **पश्चिम बंगाल**	**बी.एन. मिश्रा एंड कं.** एस-29, मैत्री विहार, फेस - II सत्यम डवलपमेंट सेंटर के सामने **भुवनेश्वर - 751 023 (ओडिसा)**
चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय 208, फीनिक्स हाउस, ए विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, **मुम्बई - 400013 (महाराष्ट्र)**	**लोढ़ा एंड कं.** 14 गवर्नमेंट प्लेस पूर्व, **कोलकाता-700069** **प. बंगाल**	**पाठक एच.डी. एंड असोशिएट्स** 814-815, तुलसियानी चैम्बर्स, 212, नरीमन प्वाइंट, **मुम्बई - 400021 (महाराष्ट्र)**

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण :

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (''द बैंक''), इसकी अनुषंगियों और एसोशिएट्स (सामूहिक रूप से इन्हें ''समूह'' के रूप में संबोधित किया गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाता एवं उस वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात इन्हें ''समेकित वित्तीय विवरणियां'' से संबोधित किया गया है) शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें निम्नलिखित समाहित है :
   (i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (द बैंक) के लेखापरीक्षित लेखे.
   (ii) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी 2 अनुषंगियों के लेखांकित खाते एवं 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लेखापरीक्षित खाते,
   (iii) नौ माह की अवधि के लिए एक एसोशिएट्स का अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए उक्त असोशिएट के अलेखापरीक्षित लेखे.

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

2. प्रबंधतंत्र इन समेकित वित्तीय विवरणियों, जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य- निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्रण करती हैं, तथा जो भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुसरण में तैयार की गई हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है तथा जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा जो किसी भी प्रकार के कपट अथवा त्रुटिवश महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3.1 हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा ''इंन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया'' द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन विदित हो सके

3.2 एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. उन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक, प्रदत्त परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण हेतु, उन समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण में बैंक की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता है. लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं. एक लेखा परीक्षा में, अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ, समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है

3.3 हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एवं नीचे पैरा 6 में ''अन्य मामलों'' में सन्दर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित विवरणियों पर हमारे सशर्त लेखा परीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं.

अभिमत

4. हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा अनुषंगियों व एसोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की नीचे दी गई रिपोर्टों के अवलोकन के आधार पर ये समेकित विवरणियां भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक सही व निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती हैं:
   i. समेकित तुलन-पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2016 को समूह के क्रियाकलापों की स्थिति,
   ii. समेकित लाभ-हानि खाता के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि; एवं
   iii. समेकित नकद प्रवाह विवरणी के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

विषय का महत्व

5. हम आपका ध्यान आकर्षित करते है:
   (i) उदय योजना के अनुसरण में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कं. (डिसकॉम) संबंधी ऋणखंड /बॉंड्स को एसडीएल बॉंड्स में कल्पित/ अकल्पित संपरिवर्तन के प्रावधान संबंधी अनुसूची 18 के नोट सं. 4.5.3 (I एवं II);

(ii) भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के अग्रिमों पर प्रावधान संबंधी अनुसूची 18 के नोट सं. 4.5.4;

(iii) भा.रि.बैं. से प्राप्त आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के दिशानिर्देशों के अनुसरण में कुछ उधार खातों के लिए किए गए प्रावधान संबंधी अनुसूची 18 के नोट सं.4.5.5 बनाया गया है.

(iv) गैर निष्पादक आस्तियों पर प्रावधान पर आस्थगित कर आस्तियों के संबंधी अनुसूची 18 के नोट सं. 5.7.1;

(v) आवास वित्त पोषण कम्पनियों द्वारा बनाए गए विशिष्ट आरक्षित निधि पर एक अनुषंगी द्वारा आस्थगित कर देयता की पहचान के संबंध में अनुसूची 18 के नोट सं. 5.7.2.

इस मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट सीमित नहीं है.

6. अन्य मामले

(i) हमने (i) दो अनुषंगियों, जिनकी वित्तीय विवरणियों में दिनांक 31 मार्च, 2016 को कुल आस्तियां रु.1,251.11 करोड़ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.125.70 करोड़ तथा शुद्ध नकद प्रवाह रु.17.49 करोड़ दर्शाया गया है; तथा (ii) एक एसोशिएट का उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ रु. 43.89 करोड़ (बैंक की हिस्सेदारी रु. 8.78 करोड़) दर्शाया गया है. ये वित्तीय विवरणियां अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं तथा जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई है, तथा हमारी राय उन अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर पूर्णत: आधारित है. इस मामले में हमारी रिपोर्ट सीमित नहीं है.

(ii) तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय विवरणियां, जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है, का दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ रु. 16.59 करोड़ (बैंक की हिस्सेदारी रु. 5.81करोड़) दर्शाई गई है. हमारी रिपोर्ट इन तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित है. उपर्युक्त मामलों में हमारा अभिमत सापेक्ष नहीं है.

7. अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(i) तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किए गए हैं;

(ii) उपर्युक्त पैरा 1 से 3 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम, 1970 की आवश्यकताओं तथा उनमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे अभिमत एवं संपूर्ण विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें सतोषजनक पाया है;

बी) हमारे संज्ञान में आए बैंक के लेनदेन, बैंक की शक्तियों के अन्दर हैं. और;

सी) प्रबन्धतंत्र द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुपूरक के रूप में बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गई हैं.

(iii) इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते, खाता बहियों एवं विवरणियों के संगत है;

(बी) बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत की गई बैंक की शाखाओं की लेखापरीक्षा की लेखा रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इसका यथोचित उपयोग किया है;

(सी) हमारे अभिमत में, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकद प्रवाह विवरणी, लागू लेखांकन मानकों से अनुपालित हैं.

कृते दूगड एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.000561एन

(सीए मुकुल मारवाह)
भागीदार
सदस्यता सं.511239

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.301075ई

(सीए एम.रे)
भागीदार
सदस्यता सं.012940

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.321095ई

(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं.083927

कृते चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.101647डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं.049289

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.301051ई

(सीए प्रशांत खंडेलवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.056652

कृते पाठक एच.डी. एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 27 मई, 2016

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन-पत्र

(000' छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	16,897,143	16,582,732
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	162,828,564	160,766,951
अल्पसंख्यक हित	2ए	350,698	327,308
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित		5,350,000	-
जमा राशियां	3	2,666,863,037	2,559,415,992
उधार राशियां	4	95,031,181	260,985,873
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	118,890,830	129,579,267
कुल		**3,066,211,453**	**3,127,658,123**
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	**6**	**140,702,036**	**141,163,743**
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	14,994,534	7,216,549
निवेश	8	890,866,809	899,214,016
ऋण एवं अग्रिम	9	1,808,951,840	1,890,675,267
अचल आस्तियां	10	43,601,348	28,340,606
अन्य आस्तियां	11	167,005,990	160,959,046
समेकन पर गुडविल		88,896	88,896
कुल		**3,066,211,453**	**3,127,658,123**
आकस्मिक देयताएं	12	768,034,422	908,932,783
संग्रहण हेतु बिल		118,375,835	110,608,049
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		-
लेखांकन को नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

आर.सी. लोढ़ा	**बी.के. दिवाकर**	**आर.के. गोयल**	**राजीव ऋषि**
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 27 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000' छोड़कर)

विवरण	अनुसूची संख्या	समाप्त वर्ष 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015
I. आय			
अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	259,876,567	264,759,775
अन्य आय	14	19,444,718	19,003,942
कुल		**279,321,285**	**283,763,717**
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	188,892,984	191,996,537
परिचालन व्यय	16	63,776,909	55,966,419
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		37,708,130	29,617,806
कुल		**290,378,023**	**277,580,762**
III. लाभ/हानि			
अल्पांश ब्याज एवं पूर्वावधि मद के पूर्व, वर्ष का मूल एवं अनुषंगियों का समेकित शुद्ध लाभ / (हानि)		(11,056,738)	6,182,955
घटायें: पूर्वावधि मद		(3,004,923)	-
घटायें : अल्पांश ब्याज		(47,853)	(43,094)
अल्पांश ब्याज एवं पूर्वावधि मद को घटाने के पश्चात, वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ / (हानि)		(14,109,514)	6,139,861
जोड़ें: असोशिएट्स की आय में हिस्सेदारी		145,863	520,731
समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष का समेकित लाभ		(13,963,651)	6,660,592
जोडें: समूह के स्रोतजन्य वर्ष का आगे लाया गया समेकित लाभ		(7,389,809)	(10,718,733)
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		(21,353,460)	(4,058,141)
IV. विनियोजन			
निम्न को अंतरण :			
सांविधिक आरक्षित निधि		10,000	1,516,100
निवेश आरक्षित निधि		925,930	538,300
राजस्व आरक्षित निधि		9,541	9,300

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000' छोड़कर)

विवरण	अनुसूची संख्या	समाप्त वर्ष 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015
कर्मचारी कल्याण निधि		-	181,900
बीमा के स्थान पर निधि		-	20,000
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी शेयर पूंजी		-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी शेयर पूंजी		-	829,100
लाभांश पर कर		17,849	177,693
धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित		28,710	36,220
एनएचबी के निर्देशों के अनुसार विशिष्ट निधियों पर डीटीएल का विनियोजन		21,128	21,128
कम्पनी अधिनियम के अनुसार सीएसआर निधियाँ		2,456	1,927
तुलन पत्र में लाया गया शेष		(22,369,074)	(7,389,809)
कुल		**(21,353,460)**	**(4,058,141)**
प्रति शेयर आय (₹ में) - मूल		(8.42)	4.69
प्रति शेयर आय (₹ में) - डाल्यूटेड		(8.42)	4.69
विशेष लेखांकन नीतियां	17		
लेखा की टिप्पणियां	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का आवश्यक भाग है.

आर.सी. लोढ़ा	**बी.के. दिवाकर**	**आर.के. गोयल**	**राजीव ऋषि**
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 27 मई, 2016

दिनांक 31 मार्च 2016 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000' छोड़कर)

विवरण	31/03/2016 को		31/03/2015 को	
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		**50,000,000**		50,000,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 500,00,00,000 शेयर				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :	**16,897,143**		16,582,732	
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के 1,68,97,14,269 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1,65,82,73,181 इक्विटी शेयर) (सहित केद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 135,08,27,438 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 135,08,27,438 इक्विटी शेयर)				
कुल		**16,897,143**		**16,582,732**
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**20,749,131**		19,233,031	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**10,000**		1,516,100.00	
		20,759,131		20,749,131
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**18,141,601**		18,401,205	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन से वृद्धि	**15,861,477**		-	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	**(242,973)**		-	
वर्ष के दौरान कटौती	**(836,649)**		(259,604)	
		32,923,456		18,141,601
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**5,409,385**		4,871,085	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**925,930**		538,300	
		6,335,315		5,409,385
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**99,554,023**		74,383,893	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	**1,341,277**		25,170,130	
		100,895,300		99,554,023
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**23,195,883**		23,186,583	
जोड़े: पूंजी राजस्व से अंतरण	**242,973**		9,300	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**103,220**		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	**(393,087)**		-	
		23,148,989		23,195,883
V. विशेष प्रारक्षित निधियां आयकर अधिनियम के यू/एस 36 (1)(viii)		**1,135,447**		1,106,737
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		**(22,369,074)**		(7,389,809)
कुल		**162,828,564**		**160,766,951**

दिनांक 31 मार्च 2016 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000' छोड़कर)

विवरण	31/03/2016 को		31/03/2015 को	
अनुसूची 2ए : अल्पसंख्यक हित	₹	₹	₹	₹
अल्पसंख्यक हित उस दिनांक को जब मुख्य / अनुषंगी संबंध स्थापित हुआ	**24,500**		24,500	
अनुवर्ती वृद्धि/कमी	**326,198**		302,808	
तुलन पत्र के दिनांक को अल्पसंख्यक हित	**350,698**		**327,308**	
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	**2,703,264**		9,161,917	
ii) अन्य से	**116,741,263**		122,761,539	
		119,444,527		131,923,456
II. बचत बैंक जमाराशियां		**824,849,145**		738,098,898
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	**59,876,105**		56,900,366	
ii) अन्य से	**1,662,693,260**		1,632,493,272	
		1,722,569,365		1,689,393,638
कुल		**2,666,863,037**		**2,559,415,992**
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**2,666,863,037**		2,559,415,992
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-
अनुसूची 4 : उधार राशि				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	**8,250,000**		142,071,241	
ii) अन्य बैंक	**2,670,829**		-	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	**15,549,352**		38,934,132	
iv) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	**18,881,000**		24,363,000	
v) अपर टियर II बॉन्ड्स	**28,850,000**		28,850,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	**10,830,000**		10,830,000	
vii) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्डस (टीयर II)	**10,000,000**		10,000,000	
		95,031,181		255,048,373
II. भारत के बाहर उधारराशियां		-		5,937,500
कुल		**95,031,181**		**260,985,873**
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां		***1,851,909**		*1,014,743

* अनुषंगी एवं उनके बही ऋणों पर प्रभार से रक्षित संबंधी

दिनांक 31 मार्च 2016 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000' छोड़कर)

विवरण		31/03/2016 को		31/03/2015 को
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	6,624,509			8,682,760
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-			-
III. उपचित ब्याज	15,276,239			15,544,730
IV. आस्थगित कर देयता		-		1,102,716
V. अन्य (प्रावधान सहित)	96,990,082	118,890,830	104,249,061	129,579,267
कुल		118,890,830		129,579,267
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		16,591,496		22,653,265
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	124,110,540		118,510,478	
अन्य खातों म	-		-	
		124,110,540		118,510,478
कुल		140,702,036		141,163,743
अनुसूची 7 : बेंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	1,676,097		3,036,061	
बी) अन्य जमा खातों में	295,800		271,139	
		1,971,897		3,307,200
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	12,000,000		2,000,000	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
		12,000,000		2,000,000
कुल I		13,971,897		5,307,200
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	1,022,637		1,909,349	
बी) अन्य जमा खातों में	-		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
कुल II		1,022,637		1,909,349
कुल (I + II)		14,994,534		7,216,549
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	665,614,484		754,157,878	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	10,533,842		12,834,462	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	172,776,411		100,454,377	
v) अनुषंगियां में निवेश	4,215,494		4,157,419	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड आदि)	36,523,356		26,494,446	
		889,663,587		898,098,582

दिनांक 31 मार्च 2016 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000' छोड़कर)

विवरण	31/03/2016 को		31/03/2015 को	
अनुसूची 8 : निवेश *(जारी है)*				
II. भारत के बाहर निवेश**				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
ii) असोशिएट्स में निवेश	1,203,221		1,115,434	
	1,203,221		1,115,434	
कुल		890,866,809		899,214,016
* **भारत में निवेश :**				
निवेश का सकल मूल्य	899,935,472		899,905,030	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	10,271,885		1,806,448	
शुद्ध निवेश		889,663,587		898,098,582
** **भारत के बाहर निवेश :**				
निवेश का सकल मूल्य	1,203,221		1,115,434	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध निवेश		1,203,221		1,115,434
कुल		890,866,809		899,214,016
अनुसूची 9 : ऋण एवं अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गऐ बिल	17,819,792		20,953,233	
ii) मांग पर देय नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं ऋण	748,150,651		728,035,416	
iii) मीयादी ऋण	1,042,981,397	1,808,951,840	1,141,686,618	1,890,675,267
कुल		1,808,951,840		1,890,675,267
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,644,934,067		1,646,215,830	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	5,150,950		93,403,474	
iii) अरक्षित	158,866,823	1,808,951,840	151,055,963	1,890,675,267
कुल		1,808,951,840		1,890,675,267
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता क्षेत्र	767,051,114		703,390,285	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	99,953,724		208,996,695	
iii) बैंक	1,445		8,689	
iv) अन्य	941,945,557	1,808,951,840	978,279,598	1,890,675,267
कुल		1,808,951,840		1,890,675,267
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-

दिनांक 31 मार्च 2016 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000' छोड़कर)

विवरण	31/03/2016 को		31/03/2015 को	
अनसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकि लागत पर)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	24,850,974		24,747,330	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुनर्मूल्यांकन सहित)	16,521,255		103,644	
कुल	41,372,229		24,850,974	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	1,265,633		0	
कुल	40,106,596		24,850,974	
इस दिनांक को मूल्यह्रास	4,980,991		5,074,659	
कुल.... I		35,125,605		19,776,315
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एव जुडनार सहित)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	22,949,060		20,458,603	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	2,403,413		10,897,438	
कुल	25,352,473		31,356,041	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	635,809		8,406,990	
कुल	24,716,664		22,949,051	
इस दिनांक को मूल्यह्रास	16,240,921		14,384,760	
कुल.... II		8,475,743		8,564,291
कुल.... (I + II)		43,601,348		28,340,606
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	14,957,064		18,429,806	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्त्रोत पर काटा गया कर				
(शुद्ध प्रावधान)	40,164,905		30,461,212	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	180,736		186,236	
IV. आस्थगित कर आस्तियां	10,849,098		-	
V. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	35,311,345		35,396,476	
VI. अन्य	65,542,842		76,485,316	
		167,005,990		160,959,046
कुल		167,005,990		160,959,046

अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं

I.	(ए)	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		**1,310,319**		1,094,250
	(बी)	अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		**24,762,801**		18,137,660
II.		आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		**249,303**		-
III.		बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		**507,501,883**		667,746,178
IV.		ग्राहकों की आरे से प्रदत्त गारंटी				
	ए)	भारत में	**103,472,432**		104,223,884	
	बी)	भारत के बाहर	**7,676,745**		10,854,478	
				111,149,177		115,078,362
V.		स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		**121,103,911**		99,123,833
VI.		अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		**2,000,000**		7,752,500
कुल				**768,077,394**		**908,932,783**

दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000' छोड़कर)

विवरण	समाप्त वर्ष 31-मार्च-16	समाप्त वर्ष 31-मार्च-15
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	₹	₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	**190,737,578**	195,836,392
II. निवेशों पर आय	**64,775,511**	67,078,887
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	**953,046**	314,608
IV. अन्य	**3,410,432**	1,529,888
कुल	**259,876,567**	**264,759,775**
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	**9,113,436**	8,832,126
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (शुद्ध)	**5,868,186**	6,176,583
III. विनमय लेन देनों पर लाभ / (हानि) (शुद्ध)	**1,649,588**	2,020,268
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि)	**743,181**	(6,430)
V. निवेशों के पुनर्मूल्याकन पर लाभ / (हानि)	**-**	-
VI. भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभाशं इत्यादि के रूप में अर्जित आय	**66,131**	10
VII. विविध आय	**2,004,196**	1,981,385
कुल	**19,444,718**	**19,003,942**
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	**176,497,091**	175,485,924
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	**2,775,487**	3,574,178
III. अन्य	**9,620,406**	12,936,435
कुल	**188,892,984**	**191,996,537**
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**44,721,541**	38,306,122
II. किराया, कर एवं बिजली	**4,023,231**	3,696,991
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	**445,079**	502,222
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	**309,973**	255,434
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	**2,397,889**	2,296,207
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	**12,071**	11,282
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों, प्रभारों एवं खर्चों सहित)	**253,403**	225,047
VIII. विधि प्रभार	**196,606**	207,312
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	**748,134**	653,778
X. मरम्मत एवं रखरखाव	**695,869**	744,313
XI. अशोध्य कर्ज बट्टा खाता	**14,197**	15,634
XII. बीमा	**2,700,012**	2,445,557
XIII. अन्य व्यय	**7,258,904**	6,606,520
कुल	**63,776,909**	**55,966,419**

अनुसूची 17 - समेकित खातों की महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार :

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पूनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं. एवं सभी तात्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान(जहां लागू हों) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987, आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) अनुदेश 2010, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं.

2. प्राक्कलनों का उपयोग :

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है. प्रबंधतंत्र को विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं.

आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो. वास्तविक परिणामों एवं प्राक्कलनों के बीच के अंतर को उस वर्ष अभिचिन्हित किया जाता है, जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं / पूरे कर लिए जाते है.

3. समेकन प्रकिया :

3.1 समूह (2 अनुषंगियों एवं 4 असोशिएट्स के साथ [3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित]) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है:

ए. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

बी. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण अंत:समूह शेषों/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदोंके साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है.

सी. असोशिएट्स में निवेश, जहां समूह के पास 20% अथवा उससे अधिक का मतदान अधिकार प्राप्त है और इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-23 ''समेकित वित्तीय विवरणों में असोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन'' के अनुसार इक्विटी प्रणाली का उपयोग करके निकाला गया है. इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक असोशिएट्स, की वित्तीय विवरणियां स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं. इन असोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समकित विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं

डी. असोशिएट्स अर्थात इंडो जांबिया बैंक लि. का लेखांकन वर्ष कैलेन्डर वर्ष है. यदि असोशिएट्स का लेखांकन वर्ष अगर मूल बैंक से भिन्न होने के मामलों में, लेखापरीक्षित अवधि के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लाभ का आनुपातिक हिस्सा लिया जाता है एवं गैर लेखापरीक्षित अवधि के लिए, गैर लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लाभ का हिस्सा लिया जाता है.

3.2 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी इन्ट्रेस्ट में निम्न शामिल है

i) अनुषंगी में किए गए निवेश की तिथि को माइनॉरिटी को आरोप्य इक्विटी की राशि,

ii) मूल बैंक एवं अनुषंगी के सम्बंध अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में माइनॉरिटी के हिस्से में संचलन.

4. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

ए. विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई)द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

बी. आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है.

सी. विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व, वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं.

डी. बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ / हानि का लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

5. **निवेश -**

(ए) **मूल बैंक :**

5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित', 'व्यापार हेतु धारित' तथा 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

i सरकारी प्रतिभूतियां

ii अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

iii शेयर्स

iv डिबेंचर्स एवं बॉण्डस्

v अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश, एवं

vi अन्य (यूटीआई शेयरों, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स).

5.2 **वर्गीकरण का आधार :**

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है.

बी) व्यापार के लिए धारित :

प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुन: बिक्री के लिए रखी जाती हैं.

सी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

वे निवेश, जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

5.3 **श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :**

निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव, अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत / बही मूल्य तथा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम है, पर लेखागत किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है.

5.4 **मूल्यांकन :**

ए) परिपक्वता तक धारित:

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत / बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिप वार बाजार के लिए अंकित निम्नवत किया जाता है :

i	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज / एफआईएमएमडीए / पीडीएआई द्वारा कोटेशन के अनुसार नियत बाजार मूल्य पर
ii	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	परिपक्वता आधार पर विनियोजन प्रतिफल पर
iii	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर

iv	इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत	बाजार मूल्य पर
v		बी) अनुद्धृत	प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या रु. 1.00 प्रतिकंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो.
vi	अधिमानीशेयर	ए) उद्धृत बी) अनुद्धृत	बाजार मूल्य पर परिपक्वता पर उचित आय
vii	डिबेंचर एव ंबॉण्ड	ए) उद्धृत बी) अनुद्धृत	बाजार मूल्य पर परिपक्वता पर उचित आय
viii	म्युच्युअल फंड	ए) उद्धृत बी) अनुद्धृत	बाजार मूल्य पर पुन: क्रय मूल्य पर या शुध्द आस्ति मूल्य (जहां पुन: क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
ix	उद्यम पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए रु.1/-.	

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई है, को गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि, यदि कोई है, को गणना में नहीं लिया गया है

5.5 लागत निर्धारण :

भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है.

5.6 आय निर्धारण

i निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि, 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि 'पूंजी आरक्षित निधि' में विनियोजित की गयी है.

ii निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहा ंआय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेक पूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यह्रास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.

iii राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के रुप में वर्गीकृत किया जाता है यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है तो विवेक सम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य व्यवस्था की गई हैं.

iv प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गंया है.

v. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है.

vi. प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है.

बी. अनुषंगियां :

5.7 अनुषंगियों के मामलों में, निवेशों को चालू एवं गैर चालू निवेशों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेश निम्न लागत अथवा बाजार मूल्य पू किए जाते हैं एवं गैर चालू निवेश लागत पर किए जाते है. यदि मूल्य में ह्रास स्थायी प्रकृति की है तो ह्रास के लिए प्रावधान, यदि है तो, गैर चालू निवेश के मूल्य पर ही किया जाता है.

6. डेरिवेटिव्ज :

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है.

i. जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार के लिए चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

ii. जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्यको चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

iii. स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

7. अग्रिम :

ए. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो.

बी. वाद दायर, डिक्रीकृत खातों तथा समझौता मामलों, जहां वसूली पहले मूलधन में अथवा डिक्री/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाती है, को छोड़ कर एनपीए खाते में वसूलियों को पहले मूल धन में समायोजित किया जाता है.

सी. अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधार कर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सी जीटीएस आई/ईसीजीसी सेवसूलकी गई राशि को घटाकरअग्रिम दर्शाये गये हैं.

डी. मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावदान - अन्य में शामि है.

ई. बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

यदि बिक्री प्राप्तियां निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है

यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनबीवी (अर्थात बही मूल्य मे से रखा गया प्रावधान घटा कर) कीमत से कम पर बेचा गया है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है.

यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य राशी को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है.

यदि एससी/एआरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली तक के प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एससी/एआरसी को बेचे जाने वाली अंन्य वितीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है.

एफ. सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लि. के मामले में, ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रावधान, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है.

जी. सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड के मामले में, आवास ऋणों, होम इक्विटी ऋण, टॉप-अप ऋण तथा संपत्ति के विरुद्ध ऋण की अदायगी मूलधन एवं ब्याज को मिलाकर समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के द्वारा की जाती हैं. स्थिर दर वाले ऋणों के सम्बंध में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाती है; अस्थिर दर वाले ऋणों के मामले में, पिछले माह के अंतिम दिन के बकाया शेष राशि पर प्रत्येक माह की 1 ली तारीख को ब्याज की गणना की जाती है. जैसे ही संपूर्ण ऋण संवितरित हो जाता है, ईएमआई शुरू हो जाती है.

ईएमआई शुरू होने के लंबित रहते, पूर्व-ईएमआई ब्याज प्रत्येक माह देय होता है.

8. अचलआस्तियां/मूल्यह्रास

ए. अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यह्रास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यह्रास, मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है.

i.	परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii.	फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii.	वाहन	20%
iv.	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v.	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%
(अधिग्रहण वर्ष के दौरान, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है)		

बी. उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यह्रास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है एवं ''राजस्व एवं अन्य आरक्षित'' में जमा किया गया.

सी. 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

डी. 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है एवं 99 या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टे वाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है. पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है और 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है एवं ''राजस्व एवं अन्य आरक्षित'' में जमा किया गया.

ई. जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यह्रास लगाया गया है.

एफ. अनुषंगियों के मामले में, अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी लाइन प्रणाली पर लगाया जाता है. सेन्ट बैंक वित्तीय सेवाएं लि. के मामलों के अतिरिक्त, अमूर्त आस्तियों के परिशोधन लिए प्रबंधन द्वारा उनके आर्थिक जीवन को 5 वर्ष मान कर तदानुसार परिशोधन किया जाता है.

9. कर्मचारी लाभ :

ए. वर्ष में कर्मचारी द्वारा दी गयी सेवाओं के कर्मचारी के लाभ उपचित होते हैं. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ,वे होते हैं जो उस वर्ष लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माने जाते हैं. के लिए जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गयी हैं,

बी. परिभाषित अंशदान योजना जैसे भविष्य निधि योजना में जब कभी अंशदान लिया जाता है तभी उसे लेखागत माना जाता है. भविष्य निधि का विकल्प लिए कर्मचारियों के संबंध में है, समतुल्य अंशदान दिया जाता है.

सी. दीर्घ कालिक लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटि में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ को बीमांकित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर वर्ष की समाप्ति पर देय राशि के वर्तमान मूल्य के आधार पर निर्धारण किया जाता है. बीमांकित लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है.

डी. सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि. के मामले में ग्रेच्युइटी राशि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह परिपक्वता योजना में निवेश किया गया है. अनुषंगियों के कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण संबंधी प्रावधान की गणना, वर्ष के दौरान अवकाश पात्रता के आधार पर की जाती है.

10. आय एवं व्यय की पहचान:

10.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/व्यय की मदों को सामान्यत: उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है.

10.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 89/21.4.018.2002-03 दिनांक 29.03.2003 के दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई मद कुल आय / कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया जाता है.

10.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किए जाते हैं.

10.4 सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लि. के मामले में, ऋणों एवं अग्रिमों पर आय का निर्धारण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है.

10.5 सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लि. के मामले में, फीस एवं अन्य प्रभारों जैसे लॉगिन फीस, अतिदेय पर दंडस्वरूप ब्याज, पूर्वभुगतान प्रभार इत्यादि से प्राप्त आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है.

11. आय कर

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो एक समय में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय तथा लेखा आय को पश्चवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तित करने में सक्षम समय अंतराल को भी ध्यान में रखते हैं. आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होने की तर्कसंगत सुनिश्चितता हो. आगे लाए गए अनवशोषित मूल्यह्रास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा. आस्थगित कर आस्तियों की धारित राशि की वसूली के पुनरआंकलन के कारण

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

12. प्रति शेयर आय :

बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटि शेयरधारक को पात्र अवधि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ / हानि को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बकाया शेष शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है.

13. विविध अनाबंटित आय एवं प्राप्त राशियां

सेन्ट बैंक वित्तीय सेवाएं लि. के मामले में, जिन लाभार्थियों का विवरण प्राप्त न किया जा सके उन लाभार्थी की प्राप्त राशियों को सांकेतिक खाते के ''विविध लेनदार अदावाकृत लाभांश/ ब्याज'' एवं ''प्रतिभूतियों के मोचन पर अदावाकृतप्राप्त राशियों'' में जमा की जाती हैं.भुगतानकर्ता से जैसे ही जब लाभार्थी के बारे में विवरण प्राप्त होते हैं उस राशि को लाभार्थी के संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाता है.

14. प्रावधान, आकस्मिकताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

पिछले कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित समय अथवा राशि के ऐसे वर्तमान दायित्वों, जिनका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो एवं उन दायित्वों के समाधान के लिए आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों का बहिर्गमन संभव हो, के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान मान्य किए जाते हैं जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता संभावित न हो अथवा राशि का विश्वस्त आकलन नहीं किया जा सकता हो तो आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के अत्यन्त क्षीण रहने तक ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है.

वित्तीय विवरणियों में अनुषंगी आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

(आर.सी.लोढ़ा) कार्यपालकनिदेशक	**(बी.के.दिवाकर)** कार्यपालक निदेशक	**(आर.के.गोयल)** कार्यपालक निदेशक	**(राजीव ऋषि)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**गुरबख्श के.जोशी** निदेशक	**श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा** निदेशक	**सुप्रतिम बंद्योपाध्याय** निदेशक

कृते दूगड एंड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.000561एन	**कृते एन.सरकार एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर.सं.301075ई	**कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.321095ई
(सीए एम.के.दूगड़) भागीदार सदस्यता सं.080077	**(सीए एम.रे)** भागीदार सदस्यता सं.012940	**(सीए बी.एन.मिश्रा)** भागीदार सदस्यता सं.083927
कृते चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार एफ. आर सं.101647डब्लू	**कृते लोढा एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफ. आर. सं.301051ई	**कृते पाठक एच.डी. एंड असोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफ. आर सं.107783डब्लू
(सीए अम्बेश ए. दवे) भागीदार सदस्यता सं.049289	**(सीए प्रशांत खंडेलवाल)** भागीदार सदस्यता सं.056652	**(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं.015585

स्थान : दिल्ली
तारीख: 27 मई, 2016

अनुसूची 18 : समेकित लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल अनुषंगियाँ एवं असोशिएट्स

1.1 समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियाँ एवं 4 असोशिएट्स, जिनमें मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (जिन्हें सम्मिलित रूप से ''दि ग्रुप'' के नाम से संदर्भित किया गया है) का विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/असोशिएट का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च, 2016 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च, 2015 को स्वामित्व हित
सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	64.40%	64.40%
सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (असोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (असोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (असोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (असोशिएट)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

1.2 अनुषंगियों एवं असोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों, जो समेकित में उपयोग किए गए हैं, को उसी तारीख को तैयार किया गया है, जिस तारीख को मूल बैंक की तैयार की गई हैं अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2016 को सिवाय इंडो जाम्बिया बैंक लि. के जिसकी रिर्पोटिंग अवधि कैलेन्डर वर्ष है. तदापि लाभ की राशि 9 माह की लेखापरीक्षित एवं 3 माह के अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर ली गई है.

1.3 असोशिएट्स में मूल बैंक के लाभ / हानि का संचित शेयर, समूह के संचित आरक्षित निधियों में सदृश समायोजन के साथ निवेश के रखाव लागत सहित जोड़ा/ घटाया जाय.

1.4 अन्य आवास वित्त संस्थानों की तरह सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, जबकि जमाएं/ देयताएं लघु अवधि के लिए प्राप्त की जाती है, जिससे असंगतता उत्पन्न होती है. इसे पर्याप्त ऋण सुविधा की उपलब्धता कराई जा रही है.

2. पिछले वर्ष के दौरान, इंडो जाम्बिया बैंक लि. ने 12124763 बोनस शेयर मूल बैंक को आबंटित किए. मूल बैंक ने भी इंडो जाम्बिया बैंक में रु. 46.83 करोड़ (4.86 करोड़ इक्विटि शेयर) का निवेश किया था. इसके अतिरिक्त स्वामित्व हित का प्रतिशत उतना ही 20% रहा.

3. समेकित वित्तीय विवरणी बनाने में, कुछ मामलों में, अनुषंगियों द्वारा एक ही प्रकार के लेन देन के लिए अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गयी हैं, जिसके लिए, आवश्यक जानकारी के अभाव में समुचित समायोजन नहीं किए गए. प्रबंधन के विचार से यह कोई बड़ी बात नहीं है.

4. मूल बैंक

4.1 **पूंजी**

4.1.1 दिनांक 31.03.2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर ₹ 42.66 प्रीमियम पर ₹ 10.00 प्रति शेयर ₹ 31.44 करोड़ के 3,14,41088 नये इक्विटि शेयर आबंटन से बैंक की चुकता इक्विटि पूंजी पिछले वर्ष ₹ 1658.27 करोड़ से बढ़क़र दिनांक 31.03.2016 को ₹ 1689.71 करोड़ हो गयी.

बैंक ने शेयर पूंजी, लंबित शेयर आबंटन के सापेक्ष ₹ 535.00 करोड़ प्राप्त किए, यह राशि शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन के अंतर्गत दिखाई गयी है.

4.2 **बहियों का समतुलन / मिलान :**

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है :

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए दर्पण खाते

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होगा.

4.3 आय कर / आस्थगित कर :

4.3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

4.3.2 अन्य आस्तियां अनुसूची 11 (ii).में ₹ 2472.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1813.41 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयो के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.

4.4 परिसर:

बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ निरंक मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 32.06 करोड़) की प्रापर्टी शामिल है जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन हैं.

बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों की रिपोर्ट एवं निदेशक मंडल द्वारा उसके अनुमोदन के आधार पर दिनांक 31.03.2016 के बाजार मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए बैंक के परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में हुई ₹ 1586.15 करोड़ की शुद्ध वृद्धि को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित राशि खाते में जमा कर दी गई है.

परिसरों की पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है जिसे पूर्व की प्रथानुसार पुनर्मूल्यांकित आरक्षित राशि खाते में प्रभारित किया जाता था. तथापि तदनुरूपी राशि पुनर्मूल्यांकित आरक्षित राशि खाते से समायोजित कर उसे राजस्व एवं अन्य आरक्षित राशि में जमा कर दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप, मूल्यह्रास के खाते में वार्षिक हानि और राजस्व एवं अन्य आरक्षित राशि में ₹ 24.30 करोड़ अधिक प्रभारित किए गए है.

4.5 अग्रिम / प्रावधान :

4.5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.

4.5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान ₹ 100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान की राशि ₹ 47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 47.34 करोड़) की शुद्धि की गई है.

4.5.3 (i) उदय योजना (उज्ज्वल डिसकॉम एश्योरेंस योजना) के अनुसरण में विद्युत संवितरण कम्पनियों (डिसकॉम) को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक में 30 मार्च 2015 को डिसकॉम के बकाया देयों के निपटान के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी ₹ 9232 करोड़ के गैर एसएलआर एसडीएल बॉन्ड्स एवं रुपए 2538 करोड़ के राज्य सरकार गारंटीकृत डिसकॉम बॉन्ड्स अभिदत्त किए हैं. भा.रि.बैं. के पत्र सं. डीबीआर.बीपी.नं.11657/21.04.132/2015-16 दिनांक 17 मार्च 2016 के साथ सहपठित स्पष्टीकरण दिनांक 21 अप्रैल, 2016 एवं दिनांक 11 मई, 2016 के अनुसार:

ए एसडीएल बॉन्ड्स में संपरिवर्तन करने के लिए अकल्पित ₹ 3506.08 करोड़ के ऋणखंड /बॉन्ड्स के संबन्ध में ₹ 525.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बी. एसडीएल बॉन्ड्स में संपरिवर्तन किए जाने के लिए कल्पित ₹ 668.31 करोड़ के ऋण खंड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

सी. ऋण के उचित मूल्य के ह्रास के लिए ₹ 74.51 करोड का प्रावधान किया है.

डी. दिनांक 31 मार्च, 2016 को बाजार भाव के आधार पर डिसकॉम एवं एसडीएल बॉन्ड्स के मूल्यों पर कोई ह्रास नहीं होने के कारण कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया.

4.5.3 (ii) ₹ 1591.73 करोड़ के डिसकॉम ऋण के संबंध में (जिसमें पंजाब सरकार, डिसकॉम एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ₹ 1021.11 करोड़ के हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन शामिल हैं) यद्यपि संबंधित राज्य सरकार ने उदय योजना में सहभागीता की है परंतु बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 को उसे क्रियान्वित किया जाना शेष है. अत: उन्हें आईआरएसी के सामान्य मानदंडों के अनुसार मानकर वर्गीकृत किया गया है. इन ऋणों के संबंध में उदय योजना के अनुसरण में आवश्यक समायोजन का निर्धारण और प्रभावन इसका कार्यान्वयन किए जाने पर किया जाएगा.

4.5.4 दिनांक 16 अप्रैल, 2016 को (कॉनसोर्टियम लीडर) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त पत्र में यथा सन्दर्भित भा.रि.बैं. के पत्र सं. डीआरबी.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में पंजाब सरकार द्वारा लिए गए खाद्य ऋण (एफसी) खाते एवं अन्य संबद्ध मुद्दों का नियमन लम्बित रहते एफसी के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा लिए गए ₹ 1274.80 करोड़ (एसबीआई द्वारा यथासूचित) के बकाया शेष के सम्बन्ध में 15% अर्थात ₹ 191.22 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

4.5.5 बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भा.रि.बैं. द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अनुसार कथित समीक्षा सन्दर्भित अग्रिमों के वर्गीकरण एवं उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आवश्यकताओं के लिए ₹ 1727.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसे इन वित्तीय विवरणियों में प्रभावित किया गया है.

4.6 आरबीआई द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत बैंक को ₹ 2.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.92 करोड़) से दण्डित किया है.

5. लेखांकन मानकों का अनुपालन

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है :

5.1 लेखांकन मानक - 5

(i) **लेखांकन नीति में परिवर्तन:** नोट 4.4 में वर्णित आस्तियों, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, पर मूल्यह्रास प्रभारित करने के मामले को छोड़कर वर्ष के दौरान बैंक की लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

(ii) **पूर्व अवधि मद :** कर्मचारी लाभ (पेंशन निधि) से सम्बंधित बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पूर्व के वर्षों के लिए रु.300.52 करोड़ एवं एक अनुषंगी में पूर्व अवधि आय ₹ 0.03 करोड़ का प्रावधान मूल बैंक द्वारा एवं किया गया.

5.2 लेखांकन मानक - 9

मूल लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के क्रम 10 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है. तथापि कथित आय को महत्त्वपूर्ण नहीं माना गया है.

5.3 लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) मूल बैंक

5.3.1 वर्ष 2010-11 में, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी:बीसी:80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार, बैंक ने उन विद्यमान कर्मचारियों, जिन्होंने पूर्व में पेंशन का विकल्प नहीं लिया था, उन्हें पुन: पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया था एवं ग्रेच्युटी में अभिवृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त देयता को 31.03.2011 को समाप्त वर्ष से 5 साल की अवधि में परिशोधन करने का बैंक ने विकल्प चुना है. तदनुसार, 01.04.2014 को अपरिशोधित राशि ₹ 295.38 करोड़ में से बैंक ने ₹ 239.98 करोड़ पेंशन के लिए एवं ग्रेच्युटी के लिए ₹ 55.40 करोड़ दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान आनुपातिक आधार पर परिशोधित की है.

चालू वर्ष के दौरान पेंशन निधि के लिए ₹ 300.52 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.

5.3.2 कर्मचारी लाभ : मूल बैंक

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
सारणी में सुपरिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन प्रदर्शित है:				
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	1308.74	9713.80	1063.63	8139.02
ब्याज लागत	100.34	743.14	93.98	734.00
चालू सेवा लागत	41.80	90.20	24.27	120.08
गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0

विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	0	0
देयता अंतरण	0	0	0	0
देयता अंतरण बाह्य	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(167.28)	(912.59)	(165.52)	(682.27)
बीमांकिक (लाभ)/हानि दायित्व	206.74	1518.49	292.38	1402.97
वर्ष के अंत में देयताएं	1490.34	11153.04	1308.74	9713.80
उचित मूल्य पर योजना आस्तियां की सारणी:				
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	1212.31	9312.55	1065.22	7862.67
योजना अस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	128.08	899.78	99.99	750.63
अंशदान	343.50	1486.00	166.90	1106.40
अन्य कंपनी से अंतरण	0	0	0	0
कंपनी से अंतरण	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(167.28)	(912.59)	(165.52)	(682.27)
योजना आस्तियों की बीमांकिक (लाभ)/हानि	(23.42)	(125.78)	45.72	275.12
समाप्त वर्ष पर उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	1493.19	10659.96	1212.31	9312.55
मान्यता प्राप्त कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(230.16)	(1644.26)	(246.66)	(1127.85)
आय विवरण में स्वीकृत व्यय :				
चालू सेवा लागत	41.80	90.20	24.27	120.08
ब्याज लागत	100.34	743.14	93.98	734.00
योजना अस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(128.08)	(899.78)	(99.99)	(750.63)
स्वीकृत गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	0	0
स्वीकृत संक्रमित देयता	0	0	0	0
बीमांकिक लाभ/हानि	230.16	1644.26	246.66	1127.85
पी एवं एल में स्वीकृत व्यय	244.22	1577.83	264.92	1231.30
मूल बीमांकिक पूर्वधारणा का प्रयोग (%)				
चालू छूट दर	8.06	8.06	7.92	7.95
योजना अस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	8.06	8.06	8.70	8.70
वेतन वृद्धि दर	5.00	5.00	5.00	5.00
आकर्षक दर	0.50	0.50	0.50	0.50

5.4 लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए खंडवार रिपोर्ट

Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Revenue	7,529.68	7,375.64	11,932.63	13,114.97	08,469.82	7,885.76	-	-	27,932.13	28,376.37
Result	256.73	824.61	(3,321.33)	(52.28)	529.70	311.18	-	-	(2,534.90)	1,084.51
Unallocated Expenses									106.46	125.82
Operating Profit									(2,641.35)	957.69
Income Taxes									(1,244.98)	291.63
Extraordinar y profit/ loss									-	-
Net Profit									(1,396.37)	666.06
Other Information:										
Segment Assets	108,289.36	109,736.17	116,235.07	120,997.18	75,714.33	77,570.07	-	-	300,238.76	308,303.42
Unallocated Assets									6,382.39	4,462.39
Total Assets									306,621.15	312,765.81
"Segment Liabilities"	109,385.17	109,916.82	108,685.14	112,794.64	70,543.19	72,176.64	-	-	288,613.50	294,888.10
Unallocated Liabilities									-	110.01
Total Liabilities									288,613.50	294,998.11

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रुप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

(ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.

(iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन है.

(iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.

(v) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.

(vi) सामान्य बैंकिग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियो के लिए पूरक का कार्य करता है.

(vii) लागत का आबंटन :

ए एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं.

बी किसी विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न किए जा सकने वाले खर्चों को विवेकपूर्ण आधार आबंटित किया गया है.

5.5 लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण - संबद्ध पार्टी

1. संबद्ध पार्टियों की सूची

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

क्र. स.	नाम	पद
1	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री आर के गोयल	कार्यपालक निदेशक
3	श्री. बी. के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक
4	श्री आर. सी. लोढ़ा	कार्यपालक निदेशक

बी. असोशिएट्स

I. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

(i) सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा, म.प्र.

(ii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर,बिहार

(iii) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल

II. **इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड,**

2. संवद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन **(₹ करोड़ में)**

ए.

मद	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
	2015-16	2014-15
प्रदत्त पारिश्रमिक	1.00	0.92

बी. संबंधित पार्टियों के साथ लेन देन विवरणी

सम्बद्ध पार्टियां	दिनांक को	बकाया		अंतरबैंक भागीदारी क्रडिट (आईबीपीसी) के अंतर्गत भागीदारी				लाभांश आय
		ऋण	निवेश	प्रवर्तक बैंक को प्रत्यक्ष कृषि आस्तियों की बिक्री		प्रवर्तक बैंक से गैर-प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलिओ क्रय		
				राशि	व्याज भुगतान किया	राशि	व्याज प्राप्त किया	
1. असोसिएट्स	31.03.16	31.21	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.03.15	664.58	324.60	0.00	97.92	0.00	112.25	0.00

सी. सम्बंधित पार्टियों के सम्बद्ध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो एएस - 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार सरकारी नियंत्रणाधीन उद्यम हैं. साथ ही, एएस - 18 के पैरा 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक एवं प्रमुख प्रबंध तंत्र कार्मिक रिश्तेदार सहित, बैंकर-ग्राहक सम्बद्ध की प्रकृति के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

5.6 लेखांकन मानक 20 - समूह का प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है :

	31.3.2016	**31.3.2015**
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(1396.37)	666.06
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	1658359086	1421571789
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(8.42)	4.69
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	(8.42)	4.69
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10.00	10.00

5.7 लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

5.7.1 आरबीआई द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2016 को ₹ 1088.28 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों के रूप में अभिचिह्नित किए गए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2016 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
व्यावसायिक हानि	34.01	0	0	0
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	12.60	13.30	0	0.13
निवेश पर मूल्यहास	33.30	87.61	0	0
कर्मचारी लाभ	5.52	5.52	0	0
उपचित ब्याज, परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	0	0	517.19	607.12
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	194.12	148.43	0	0
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	1365.08	279.73	0	0
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0	0	40.70	37.61
अन्य	0	0	1.83	0
योग	**1644.63**	**534.59**	**559.72**	**644.86**
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**1084.91**			**110.27**

5.7.2 वर्तमान वर्ष के दौरान सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लि. ने राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा परिपत्र सं. एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/पॉलिसी परिपत्र 65/2014-15 दिनांक 22 अगस्त 2014 को जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में ₹ 3.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.00 करोड) को अनुकूल बनाने के लिए विशेष आरक्षित पर आस्थगित कर देयता निर्मित की है.

5.8 मूल एवं अंनुषंगियों द्वारा अपनी वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गयी अतिरिक्त सांविधिक जानकारी का समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं उचित अवलोकन से कोई संबंध नहीं है एवं आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में ऐसे मद से संबंधित जानकारी जोकि महत्वपूर्ण नहीं है समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रकट नहीं की गयी है.

5.9 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक-28 लागू नहीं है. प्रबंधतंत्र के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2016 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है, जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

5.10 लेखांकन मानक - 29 : प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों (मूल बैंक)

1. उधार के रूप में पहचान न किये गए दावों के विरुद्ध प्रावधान संचालन

विवरण	दिनांक 31.03.2016 को बकाया शेष	दिनांक 31.03.2015 को बकाया शेष
उधार के रूप में पहचान न किए गए दावों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	1.66	1.66

6. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

वर्ष के दौरान सेन्ट बैंक होम फायनेन्स ने कंपनी अधिनियम 2013 एवं इसके नियमों के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए ₹.0.19 करोड़ खर्च किए एवं ₹ 0.25 करोड़ उपलब्ध कराए (जोकि 12 अप्रैल 2016 में खर्च किए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार, चालू वर्ष के लाभ विनियोजन से सीएसआर आरक्षित निर्मित किया गया है.

7. सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसेज लि. के मामले में, विविध देनदार / लेनदार बकाया शेष एवं वैयक्तिक न्यास खाता संपुष्टि के अधीन हैं.

8. सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि. शेयर्स, प्रतिभूतियों एवं अचल संपत्तियों की प्रकृति में अपने ग्राहक के पक्ष में न्यासी लाभार्थी संबंध में प्रत्ययी के रूप में निवेश करता है, जोकि निदेशक मंडल की दृष्टि में पर्याप्त सुरक्षित है एवं उचित अभिलेखित है एवं इस प्रत्ययी संबंध से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से निवर्हन किया जाता है.

9. वर्ष के अंत तक सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसेज द्वारा लघु एवं / अनुषंगी औद्योगिक आपूर्तिकर्ताओं को मूल एवं / अथवा ब्याज के संबंध में कोई भी राशि अतिदेय नहीं है भुगतान के लिए शेष नहीं है. यह प्रकटीकरण कंपनी में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ''लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रम अधिनियम 1993'' के अंतर्गत परिभाषित आपूर्तिकर्ता की स्थिति के संबंध में है.

10. एक समयावधि में विभिन्न कंपनियों / उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, ब्याज एवं अन्य कॉर्पोरेट लाभ ₹ 1.26 करोड़ की राशि सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसेज लि. ने न्यास / लाभार्थियों को अंतरित / आबंटित नहीं की हैं जिनके निवेश पोर्टफोलियो न्यासधारिता सेवाओं के अंतर्गत उनके पक्ष में है. उक्त राशि दिनांक 31.03.2015 को ₹ 1.39 करोड़ थी एवं दिनांक 31 मार्च 2016 को यह घटकर ₹ 1.26 करोड़ हो गयी. इसी प्रकार, ₹ 0.16 करोड़ की बिक्री / शेयर्स के मोचन की आगम राशि / लाभांश की राशि संबंधित न्यास / लाभार्थी को अंतरित / आबंटित नहीं की गयी है. यह वर्ष 2005-06 से बकाया शेष है. इसने यह राशि अपने बैंक के चालू खाता में रखी है.

11. प्रबंधन के द्वारा एकत्र की गयी जानकारी के अनुसार, वेन्डर्स, जिनकी सेवाएं ली गयी हैं एवं जिनसे मूल बैंक द्वारा खरीदी की गयी है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं. यह लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

12. सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई / 2010-11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के अनुसार सीबीएस में धोखाधड़ियों के लिए साइबर-धोखाधड़ी नीतियां तैयार की है. इन नीतियों की प्रबंधतंत्र द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है.

13. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकडों को पुनर्समूहित/पुन:वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरुपण हो सके.

(आर.सी.लोढ़ा)	**(बी.के.दिवाकर)**	**(आर.के.गोयल)**	**(राजीव ऋषि)**
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग	**शेखर भटनागर**	**गुरबख्श के.जोशी**	**श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा**	**सुप्रतिम बंद्योपाध्याय**
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

कृते दूगड़ एंड असोशिएट्स	**कृते एन.सरकार एंड कं.**	**कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.000561एन	एफ. आर.सं.301075ई	एफ. आर. सं.321095ई
(सीए मुकुल मारवाह)	**(सीए एम.रे)**	**(सीए बी.एन.मिश्रा)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.511239	सदस्यता सं.012940	सदस्यता सं.083927
कृते चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय	**कृते लोढा एंड कंपनी**	**कृते पाठक एच.डी. असोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.101647डब्ल्यू	एफ. आर. सं.301051ई	एफ. आर सं.107783डब्ल्यू
(सीए अम्वेश ए. दवे)	**(सीए प्रशांत खंडेलवाल)**	**(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.049289	सदस्यता सं.056652	सदस्यता सं.015585

स्थान : मुम्बई
तारीख : 27 मई 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31- 03- 2016	31-03-2015
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर पूर्व लाभ	**(2,651.15)**	909.93
	ध **समायोजन हेतु :**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	**239.79**	229.62
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	**850.61**	(18.56)
	गैर अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	**5,399.92**	2,061.98
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**(1,247.97)**	588.55
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	**314.76**	38.18
	आयकर पर ब्याज (शुद्ध)	**-**	-
	अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	**(74.32)**	0.64
	गौण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान (पृथक माना गया)	**-**	696.03
	निवेश की पुनर्भुनाई पर हानि	**-**	-
	जेएनवाई कूपन पर ब्याज	**-**	-
	उप योग	**2,831.64**	**4,506.37**
	छ **निम्न के समायोजन हेतु :**		
	जमा में वृद्धि/(कमी)	**10,744.70**	15,597.07
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	**(16,595.47)**	3,962.03
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(965.22)**	1,853.26
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**4,020.39**	(13,963.45)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(30.48)**	(9,379.63)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	**1,246.10**	665.80
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की शुद्ध राशि आदि)	**(970.37)**	(967.74)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद(ए)	**(2,550.35)**	(2,232.66)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**281.29**	**2,273.71**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	**157.35**	815.27
	अचल आस्तियों की खरीद	**(306.32)**	(1,100.11)
	सहयोगी/आरआरबी में निवेश	**-**	(46.83)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(148.96)**	**(331.67)**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31- 03- 2016	31-03-2015
सी	**वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी	**700.57**	1,207.85
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	**(84.25)**	(1.34)
	लाभांश कर	**(17.03)**	(0.81)
	जेएनवाई स्वैप कूपन पर ब्याज	-	-
	गौण कर्ज पर ब्याज	-	(696.03)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**599.29**	**509.67**
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ -ई) में शुद्ध वृद्धि**	**731.62**	**2,451.71**
ई	**वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	**14,116.37**	11,926.63
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**721.66**	459.69
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समतुल्य	**14,838.03**	**12,386.32**
एफ	**वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य**		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	**14,070.20**	14,116.37
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	**1,499.45**	721.66
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समतुल्य	**15,569.65**	**14,838.03**

उपर्युक्त संदर्भित लाभ एवं हानि खाते का आवश्यक भाग है

आर.सी. लोढ़ा	**बी.के. दिवाकर**	**आर.के. गोयल**	**राजीव ऋषि**
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2016

Notes

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

9वीं वार्षिक सामान्य बैठक

पन्ना सं. या डीपी आईडी # /ग्राहक आईडी #	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम ______________________ निवासी ______________________

जिला ______________ राज्य ______________ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से श्री/सुश्री ______________________

निवासी ______________________

जिला ______________ राज्य ______________ को अथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री. ______________ निवासी ______________ जिला

______________ राज्य ______________

को गुरुवार, 30 जून, 2016 पूर्वाह्न 11.00 बजे, स्थान: चन्दरमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय की 9वीं मंजिल में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली 9वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

तारीख ______________ माह ______________ वर्ष 2016 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

कृपया रेवेन्यू स्टैप चिपकाएं

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम ______________________

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता ______________________

____

____

प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;

   (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

   (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

   (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे, यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्योरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.

3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैद्य नहीं मानी जाएगी, जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 24 जून, 2016 को सायं: 5.00 बजे, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस शनिवार, 25 जून, 2016 को छुट्टी है, से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.

4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.

5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.

6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.

7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.

8. प्रॉक्सी फार्म की सभी काट-छांट पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

9. प्रॉक्सी का प्रपत्र ''फार्म बी'' में न होने पर वैद्य नहीं माना जाएगा.

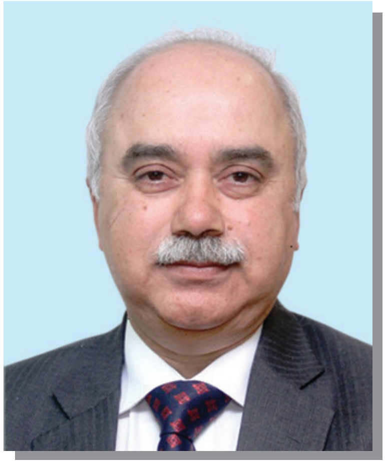

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR's MESSAGE

Dear Shareholder,

The Financial Year 2015-16 has been a year of consolidation as well as challenges for the Bank. Growth has been moderated to align it with the market scenario. The Bank strategized its focus on business segments like Agriculture, SME & Retail Advances, which has started yielding results during the year.

Signals from the global economy continued to be muted in the year 2015-16. The lacklustre of growth of 1% of US economy in the last quarter of 2015, a mere 0.3% growth in Eurozone mainly because of the low growth in Germany and France, and shrinking of Japanese economy are the disappointing signs of the global economic trend.

Notwithstanding such a bleak external scenario and successive poor monsoons, Indian economy offered reasons to cheer up. Inflation was under control. The CPI-New Series inflation has been around 5.50% and WPI has been negative as a result of fall in international oil and other commodity prices. The Current Account Deficit has been at comfortable levels, Forex Reserves have risen to such levels which are well above reserve adequacy norms. The economic policy interventions initiated by the Government of India like Power Sector reforms through UDAY scheme, Make in India Mission, Smart Cities Mission etc., would certainly add colour to our economic growth story.

Banks in India, especially PSBs, continue to face the vagaries of economic downturn, despite the signs of hope discussed above. Asset Quality continues to be the major cause of worry.

Our Bank, with its pan-India presence accentuated by a huge network of branches and ATMs has drawn up realistic business goals and strategies, which would certainly enable us to capitalize on the positive economic indicators of the country.

During the Financial Year 2015-16, Business of the Bank increased to ₹ 4,56,337 crore from ₹ 4,50,539 crore in Financial Year 2014-15 registering a Y-o-Y growth of 1.29%. The Deposit of the Bank has grown by 4.15% however Credit has declined by 2.47%. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 35.48% as against 34.05% in Financial Year 2014-15. To ensure profitable growth in Business, ***High Cost Deposits*** have been shed considerably. The share of high cost deposits as a proportion of Total deposits has been reduced to 5.56% as on Mar-2016 from as high as 10.73% as on March-2015. This is well reflected in growth of Aggregate Core Deposits at 10.19 %.

The operating profit of the Bank reduced to ₹ 2643 crore from ₹ 3559 crore in Financial Year 2014-15. Further, Bank posted Net loss of ₹ 1418 crore as against a Net profit of ₹ 606 crore in previous year.

The Bank's Cost of Deposits reduced to 6.86% from 7.22% in Financial Year 2014-15, the Net Interest Income of the Bank reduced to ₹ 7066 crore from ₹ 7247 crore in Financial Year 2014-15 registering a decline of 2.50%. The Other Income or Fee – based Income of the Bank has increased to ₹ 1939 crore from ₹ 1894 crore in Financial Year 2014-15.

Asset Quality has been the concern of the Bank for last couple of years. The percentage of Gross NPA to Gross Advances increased to 11.95% from 6.09% in Financial Year 2014-15 and percentage of Net NPA to Net Advances increased to 7.36% from 3.61% in Financial Year 2014-15. This is on account of stress in some sectors like Infrastructure,

Textiles, Iron & Steel, Engineering & Manufacturing, Gems & Jwellery etc. Your Bank has been proactive in respect of NPA Management and shall continue its effort to reduce the NPA level.

Bank is fully engaged in inclusive growth through various Financial Inclusion initiatives to reach 'the last mile' of economy. The ***Direct Benefit Transfer (DBT)*** programme of the government is being implemented in various districts out of which we are lead bank in 51 districts in 7 states. Further progress in these districts and in new districts will be made during the FY-2016-17. This programme paves the way for the Bank to canvass more CASA Deposits and also for Credit Expansion. Further, Bank has successfully implemented 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna' and have opened 74.18 lac accounts as on 31st March, 2016.

A Bank with 4728 branches as on March 2016, of which 2/3 rd of the Branches are in rural and semi urban areas and 3677 Ultra Small Branches shall continue to position itself as a ***Retail Bank***. Your Bank shall be ensuring that the retail and priority sector portfolios grow much faster than they have been so far.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended 31st March 2016.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-

Rajeev Rishi

Place : Mumbai

Date : May 27, 2016

NOTICE

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Thursday, 30th June, 2016 at 11.00 A.M. on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 to transact the following business :

1) To discuss, approve and adopt the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2016, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.

2) To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of ₹ 3,000/- crore (Rupees Three Thousand Crore Only)(including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central

Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations:

A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution."

B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s),Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

A K DAS

Place : Mumbai
Date : 27.05.2016

Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 24th June, 2016 being the immediate preceding working day to Saturday, 25th June 2016 which is holiday.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 5.00 PM on Friday, 24th June, 2016 being the immediate preceding working day to Saturday, 25th June 2016 which is holiday.

5. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is enclosed with this notice. Shareholders/ proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / Authorised Representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "Proxy or Authorised Representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

7. **CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:**

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June, 2016 (Saturday) to 30th June, 2016 (Thursday) (both days inclusive).

8. **VOTING RIGHTS**

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

9. **EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS**

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

10. **Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.**

11.1 **Intimation to shareholders holding shares in physical form:**

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- Address of the Branch
- Bank Account Number
- 9 digit MICR code of the branch
- IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/ copy of a cheque leaf).

Please note that the bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.

11.2 **Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:**

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the addresses maintained by them with Depositories.

It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend

amount (as and when declared) directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft , etc.

12. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF**.

13. Voting through electronic means

I. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting.

The process and instructions for remote e-voting are as under :

(i) The remote e-voting period begins on Monday, 27th June 2016 at 10.00 AM and ends on Wednesday, 29th June 2016 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 24th June 2016, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/ NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xix) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. 24th June 2016. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 24th June, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting/poll at AGM.

IV. Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 24th June, 2016 , may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.

V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.

VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.

VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

EXPLANATORY STATEMENT

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.5% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 1. 25% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 8. 25% and overall CRAR of 10.25% by March 31, 2016. To comply with the Basel III requirement, future expansion plans of the Bank and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

Based on the growth estimates your Directors have decided to raise equity capital up to ₹ 3000 crore (Rupees Three Thousand Crore) and the Bank may use equity capital raising options such as through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placements and/ or any other mode(s) subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be , pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;

ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;

iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.

v. The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;

vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.

vii. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

A K DAS

Place : Mumbai
Date : 27.05.2016

Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

TOTAL BUSINESS

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16
Total Business	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,337
YoY Growth		35.48 %	18.10 %	23.49 %	15.43 %	11.63 %	15.96 %	5.25 %	6.41 %	1.29 %
Total Deposits	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184
YoY Growth		33.28 %	18.99 %	23.49 %	10.64 %	9.38 %	15.22 %	6.21 %	6.46%	4.15 %
Total Loans & Advances	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152
YoY Growth		38.88 %	16.76 %	23.49 %	22.67 %	14.70 %	16.92 %	4.02 %	6.35%	(2.47 %)
Investments	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895
YoY Growth		12.43 %	36.14 %	17.02 %	5.46 %	8.62 %	21.96 %	18.88 %	10.73%	(6.02 %)
CD Ratio	64.62 %	67.34 %	66.08 %	66.08 %	73.27 %	76.83 %	77.97 %	76.36 %	76.29	71.44
Return on Assets	0.62 %	0.54 %	0.45 %	0.66 %	0.70 %	0.26 %	0.44 %	(0.47 %)	0.21%	(0.48 %)

PROFITABILITY

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16
Gross Income	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,826
YoY Growth		30.94 %	31.17 %	19.73 %	19.47 %	24.62 %	14.52 %	11.99 %	7.41%	(1.69 %)
Gross Expenses	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183
YoY Growth		38.10 %	34.18 %	16.38 %	18.35 %	27.60 %	14.81 %	13.54 %	7.06%	1.77 %
Operating Profit	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3559	2643
YoY Growth		0.20 %	13.28 %	43.24 %	25.90 %	8.65 %	12.72 %	2.05 %	9.91%	(25.74 %)
Net Profit	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1418)
YoY Growth		10.47 %	3.83 %	85.36 %	18.24 %	(57.43 %)	90.43 %	(224.43 %)	147.98	–
NIM (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.75
Net Interest Income	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,066
YoY Growth		(10.16 %)	0.22 %	14.23 %	109.27 %	(2.95 %)	11.01 %	13.16 %	11.60%	(2.50 %)
Non Interest Income	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,939
YoY Growth		66.31 %	35.26 %	62.15 %	(27.09 %)	10.28 %	19.50 %	15.35 %	(1.51 %)	2.38

DIRECTORS' REPORT 2015-16

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2016.

1. **PERFORMANCE HIGHLIGHTS**

- Total Business of the Bank increased by ₹ 5798 crore to ₹ 456337 crore from ₹ 450539 crore in previous year, registering y-o-y growth of 1.29 per cent.
- Total Deposits increased by ₹ 10612 crore to ₹ 266184 crore, registering y-o-y growth of 4.15 per cent.
- Total Advances of the Bank decreased by ₹ 4815 crore to ₹ 190152 crore, registering y-o-y decline of 2.47 per cent.
- Operating Profit decreased to ₹ 2643 crore from ₹ 3559 crore in FY 2014-15, registering y-o-y decline of 25.74 per cent.
- Net loss stood at ₹ 1418 crore in 2015-16 as against net profit of ₹ 606 crore in FY 2014-15.
- Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 11.07 per cent with Tier I at 7.44 percent as against 11.89 per cent in previous year. Capital Adequacy Ratio (as per Basel III) stood at 10.41 per cent with Tier I at 8.20 percent as against 10.90 per cent in previous year.
- Net worth stood at ₹ 14921.76 crore.
- Gross NPA of the Bank increased by ₹ 10848 crore to ₹ 22721 crore from ₹ 11873 crore in previous year. In percentage term, Gross NPA stood at 11.95%.
- Net NPA increased to ₹ 13242 crore from ₹ 6807 crore in previous year. In percentage term, Net NPA stood at 7.36%.
- Provision Coverage Ratio (PCR) stood at 51.52 per cent in March 2016.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 2.75 per cent in FY 2015-16.
- Business per Employee increased to ₹ 1195 lakh from ₹ 1138 lakh in previous year.
- Return on Assets (ROA) is (0.48) per cent for the current financial year.
- Credit to Priority Sector increased to ₹ 83030 crore from ₹ 75997 crore in previous year, recording y-o-y growth of 9.25 per cent.
- Agriculture Advance of the Bank increased to ₹ 36833 crore from ₹ 35,957 crore in FY 2014-15 registering y-o-y growth of 2.44 per cent.
- Advances to Micro & Small Enterprises (MSE) increased to ₹ 27800 crore during the year under review from ₹ 26503 crore in previous year.
- Education Loan grew by 8.72 per cent during the year and the total loan reached to ₹ 3742 crore.
- Bank has established 46 Rural Self Employment and Training Institute (RSETIs) in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). During the year 2015-16, the RSETIs conducted 1050 training programmes and imparted training to 28244 candidates. Out of this, 18926 (i.e.67%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance.
- Bank has 3 RRBs as on 31st March 2016 in 3 states covering 47 districts with a network of 1629 branches.
- Under Financial Inclusion Bank has covered **4,330** villages with population above 2000 and **18,376** villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through **6,387** BC Agents. We have opened **41** Urban Financial Inclusion centres in NCR and Bhopal Region. Bank has opened all its **3677** Ultra Small Branches attached to **1427** Base Branches. Bank has opened **157.26** lacs Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is **1277.92 crores** as on 31st March, 2016.

- Under **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana** our Bank has opened 74.18 **lacs** BSBD accounts and increased business with a deposit of ₹ **870.60 Crores.**
- The corporate credit of the Bank decreased to ₹ 87,014 crore from ₹ 97,568 crore in previous year registering y-o-y reduction of 10.82 per cent.
- The retail credit grew by 10.21 per cent from ₹ 34,939 crore in FY 2014-15 to ₹ 38505 crore in FY 2015-16.
- Total earning from Bancassurance business is ₹ 19.48 crore for FY 2015-16.
- As on 31st March 2016, Bank has a network of 4728 branches, 3677 ultra-small branches (USBs), 5254 ATMs, 29 Satellite Offices & 4 Extension Counters across the country.

2. **INCOME & EXPENDITURE**

Details of income and expenditure for the period 2015-16 are given hereunder:

₹ In Crores

		31.03.2016	31.03.2015	Variation	%
1	INTEREST INCOME	25888	26409	- 521	- 1.97
	– Advances	18978	19517	- 539	- 2.76
	– Investments	6474	6707	- 233	- 3.47
	– Others	436	185	251	135.68
2	OTHER INCOME	1939	1894	45	2.38
3	TOTAL INCOME (1+2)	27826	28303	- 477	- 1.69
4	INTEREST EXPENDED	18822	19162	-340	-1.77
	– Deposits	17653	17520	133	0.76
	– Others	1169	1642	- 473	- 28.81
5	OPERATING EXPENSES	6361	5582	779	13.96
	– Establishment	4465	3825	640	16.73
	– others	1896	1757	139	7.91
6	TOTAL EXPENSES (4+5)	25183	24744	439	1.77
7	SPREAD (1-4)	7066	7247	- 181	- 2.50
8	OPERATING PROFIT (3-6)	2643	3559	- 916	- 25.74
9	PROVISIONS-NPA/INVST./OTHERS	5313	2669	2643	99.03
10	PROVISIONS FOR TAX	(1252)	284	(968)	(340.85)
11	NET PROFIT	(1418)	606	(812)	(134)

- Interest Income declined by 1.97 per cent during the year
- Interest expenses on Deposits increased by 0.76 per cent to ₹ 17653 crore in March 2016 from ₹ 17520 crore in previous year.
- Expenses on employees increased by ₹ 640 crore during the year to ₹ 4465 crore from ₹ 3825 crore in previous year.

3. **PROVISIONS**

Details of Total Provisions of ₹ 4061 crore charged to the Profit and Loss Account during the year 2015-16 vis-a-vis previous year are detailed as under:

(₹ in crore)

	31.03.2016	31.03.2015	Variation
Provisions for Standard Assets	316	39	277
Provisions for NPAs	3828	2610	1218

Provision on Investments	849	(21)	828
Provisions for Taxes	(1252)	284	(968)
Others	320	41	279
TOTAL	4061	2953	1108

4. **PROFITABILITY RATIO**

(In percentage)

	31.03.2016	31.03.2015
Cost of Deposits	6.86	7.22
Cost of Funds	6.95	7.34
Yield on Advances	10.09	10.75
Yield on Investments	8.14	8.22
Net Interest Margin	2.75	2.79
Cost Income Ratio	70.65	61.07

5. **BANKING RATIOS**

(In percentage)

	2015-16	2014-15
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	8.85	9.29
Non-Interest Income to AWF	0.66	0.67
Operating Profit to AWF	0.90	1.25
Return on Average Assets	(0.48)	0.21
Business Per Employee (₹ in lakh)	11.95	11.38
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	(3.76)	1.53

6. **CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)**

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2016		31.03.2015	
	Basel-II	Basel-III	Basel-II	Basel-III
Tier-I	7.44	8.20	8.46	8.05
Tier-II	3.63	2.21	3.43	2.85
Capital Adequacy Ratio	11.07	10.41	11.89	10.90

7. **NET LOSS**

The Bank has incurred net loss amounting to ₹ 1418 crore during the financial year ended March 31, 2016. Accordingly, Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2015-16.

8. **CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR**

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- Shri M.P.Shorawala ceased to be the Part-Time Non-official Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 02.01.2016 consequent upon completion of his three years' tenure.
- Shri Krishan Sethi ceased to be the Part-Time Non-official Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 27.02.2016 consequent upon completion of his three years' tenure.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri M.P.Shorawala and Shri Krishan Sethi, who ceased to be the directors of the Bank during Financial Year 2015-16.

9. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to

facilitate reporting malpractices by employees and directors without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee on need basis. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

10. **DIRECTORS' RESPONSIBILTY STATEMENT**

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2016:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the financial year ended March 31,2016;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India ; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.
- Internal Financial Control are adequate and were operating effectively.
- Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems were adequate and operating effectively.

11. **CORPORATE GOVERNANCE**

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

12. **ACKNOWLEDGEMENT**

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Rajeev Rishi
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : May 27, 2016

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A: ECONOMIC SCENARIO

Global and Indian Economic Scenario

Signals from the global economy continued to be muted in the year 2015-16. The lacklustre of growth of 1% of US economy in the last quarter of 2015, a mere 0.3% growth in Eurozone mainly because of the low growth in Germany and France, and shrinking of Japanese economy are the disappointing signs of the global economic trend.

Notwithstanding such a bleak external scenario and successive poor monsoons, Indian economy offered reasons to cheer up. To quote from the Economic Survey of Government of India, “India stands out as a haven of stability and an outpost of opportunity. Its macro-economy is stable, founded on the government’s commitment to fiscal consolidation and low inflation. Its economic growth is amongst the highest in the world.” Inflation was under control. The CPI-New Series inflation has been around 5.50% and WPI has been negative as a result of fall in international oil and other commodity prices. The Current Account Deficit has been at comfortable levels, Forex Reserves have risen to such levels which are well above reserve adequacy norms. Even so, the perils of further weakening of global economy adversely affecting India’s economic growth cannot be ignored.

The economic policy interventions initiated by the Government of India like Power Sector reforms through UDAY scheme, Make in India Mission, Smart Cities Mission etc., would certainly add colour to our economic growth story.

Banking Scenario

Banks in India, especially PSBs, continue to face the vagaries of economic downturn, despite the signs of hope discussed above. Asset Quality continues to be the major cause of worry. The Asset Quality Review initiated by RBI, as part of the strategies for withdrawing Regulatory Forbearance, prompted the Banks to clean up their balance sheets, albeit with severely dented bottom lines. The profit margins are getting thinner with muted credit demand and capital constraints continue to stifle business growth.

Our Bank, with its pan-India presence accentuated by a huge network of branches and ATMs has drawn up realistic business goals and strategies, which would certainly enable us to capitalize on the positive economic indicators of the country.

Part- B- PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on 31st March 2016, the Total Business of the Bank was ₹ 456337 crore, registering a growth of 1.29 per cent from the previous year figure of ₹ 450539 crore. There was a reduction of High Cost + CODs to the extent of ₹ 12347 crores and ₹ 12021 crores DISCOM advances converted into Bonds, resuting in reduction of Business by ₹ 24,368 crores during FY 2015-16. Otherwise, the Business growth over March 2015 would have been 6.70%.

The Operating Profit reached to ₹ 2643 from previous year figure of ₹ 3559 crore, showing a negative growth of 25.74 per cent, mainly because of lower yield on Advances on account of compliance of AQR given by RBI, wherein the Bank was required to declare certain accounts as NPA. The Bank has posted a Net loss of ₹ 1418 crore in 2015-16 as against ₹ 606 crore profit in previous year.

RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2016 stood at ₹ 266184 crore, registering a growth rate of 4.15 per cent over previous year, after reduction of High Cost + CODs to the extent of ₹ 12347 crores, otherwise, the growth would have been 8.98%. Saving Bank Deposits increased to ₹ 82485 crore with a growth of 11.75% in 2015-16 from ₹ 73810 crore in last year. However, Current Deposits decreased to ₹ 11970 crore in 2015-16 from ₹ 13202 crore in 2014-15. The share of CASA Deposits to Total Deposits has increased to 35.48 per cent as against 34.05 % during the last year. Total Core Deposits increased to ₹ 251376 crore in 2015-16 with Y-o-Y growth of 10.18 per cent from ₹ 228137crore in 2014-15 whereas Core Term Deposits grew by 11.19 per cent to reach a level of ₹ 156921 crore in 2015-16 from ₹ 141125 crore in 2014-15.

CREDIT

As of 31.03.2016, the gross credit of the Bank stood at ₹ 190152 crore as against ₹ 194967 crore in the previous year, registering y-o-y decline of 2.47 per cent after conversion of DISCOM advances of ₹ 12021 crores into Bonds, otherwise, the growth would have been 3.70%.

The details of credit is diversified in all segments as under:

₹ in crore

	As on 31.03.2015	As on 31.03.2016	Growth (%)
Corporate Credit	97568	87014	(10.82)
Agriculture	35957	36833	2.44
MSE	26503	27800	4.89
Retail Lending	34939	38505	10.21

Credit Monitoring Department

- Bank has introduced a well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up Measures and Reporting System.
- The policy was approved by the Board in May 2011 and implemented across the Bank with effect from 1st July 2011. Modifications to the policy are being carried out from time to time with the approval of the Board.
- An independent vertical under the charge of General Manager has been created for Credit Monitoring w.e.f. 1st August 2011.
- As per Monitoring Policy guidelines, Monitoring Committee has been formed at Central Office level as well as at the field level at all Zonal/Regional Offices and Corporate Finance Branches, to review and monitor Standard irregular/ SMA accounts every month and entire gamut of credit monitoring is reviewed on monthly basis in a structured manner.
- Several workshops and training sessions have been conducted for field functionaries including Deputy Regional Managers/Loan Review Officers with a view to develop monitoring skills/awareness.
- Locational Meetings were conducted at different Regional Offices/Zonal Offices and/or meetings held with the SMA borrowers by field recovery team/Regional Manager/Zonal Manager/Central Office, depending upon the size of the exposure, to chalk out strategies for asset quality management of the stressed accounts.
- The Bank has also implemented Centralized Loan Appraisal System & Supervision **(CLASS)** Monitoring Module software for monitoring Corporate, SME, Retail and Priority Sector advances on real-time basis.
- Steps have also been initiated for offsite monitoring surveillance mechanism to ensure intensive credit monitoring.
- Pre-release audit for fresh/enhancement of ₹ 5 crore and above advances is carried out and credit audit for fresh/ enhancement of ₹ 1 Crore and above advances within 30 days of disbursement is introduced.
- CIBIL consumer and commercial data acceptance level has improved to 87% and 95% respectively during the year.

PRIORITY SECTOR CREDIT

As per RBI directives, 40% of adjusted net bank credit or credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to priority sector. Lending under this sector is therefore, the thrust area of the Bank. We have focused on the growth in lending to Agriculture, MSME, Housing, Education and others which are the major constituents of Priority Sector. As a result, our growth under Priority Sector lending has been quite impressive.

The performance of the Bank under various segments of priority sector as on 31.03.2016 is as under:-

₹ In crore

S No.	Particulars	March 2015	March 2016	Growth (%)
	Adjusted Net Bank Credit (ANBC)	188738	199535	5.72
1	Priority Sector Advance **Percent to ANBC**	75997 40.27	83030 41.61	9.25
2	Total Agriculture Advance **Percent to ANBC**	35957 19.05	36834 18.46	2.44
3	MSME	26503	30526	15.17
4	Education Loan	2882	3082	6.94
5	Housing Loan (upto ₹ 25.00 lacs)	10449	12370	18.38
6	Other Priority Sector	206	169	- 17.96
7	Renewal Energy	–	22	–
8	Social Infrastructure	–	11	–
9	Export credit	–	16	–

PRIORITY SECTOR

The credit deployment under priority sector increased from ₹ 75997 crores to ₹ 83030 crores during 2015-16, recording a growth of 9.25 % over previous year.

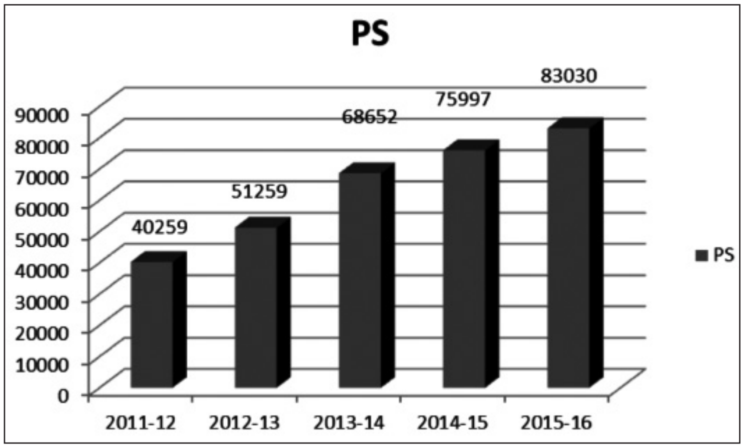

AGRICULTURE

Total Agricultural credit increased by 2.44 % from the level of ₹ 35957 crore as on 31.03.2015 to ₹ 36834 crores as on 31.03.2016. The percent of agricultural credit to adjusted net bank credit (ANBC) is 18.46% as against the stipulated target of 18%.

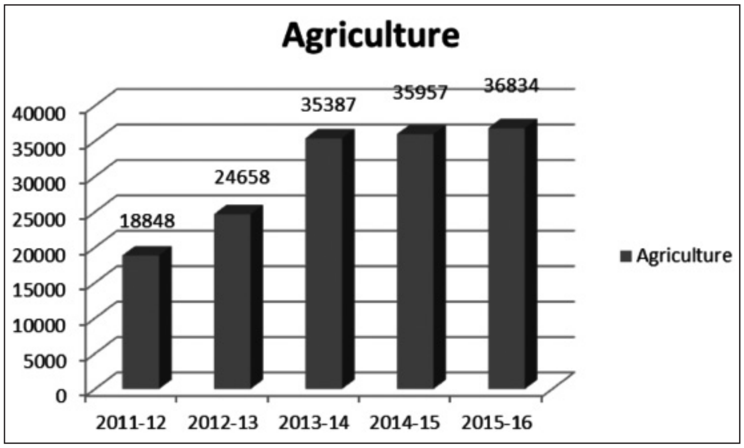

INITIATIVES TAKEN TO ACCELERATE FLOW OF CREDIT TO AGRICULTURAL SECTOR:

Special Credit Campaigns:

- All the Rural and Semi-urban branches organised minimum one Mega Credit camp each month to canvass and sanction new agricultural loans. In the credit camps, ₹ 2469 crore were sanctioned and disbursed to 227383 farmers during the year.
- Special Credit Campaign “Kisan Jodo Abhiyan” was organized during 21.12.2015 to 20.01.2016 at all the rural and Semi-urban branches and agricultural loans of ₹ 415 crores were sanctioned and disbursed to new borrowers.

Updation of Master Circulars

All the Agricultural Lending Schemes and other important guidelines were updated and issued in the form of Master Circulars on 01.01.2016. The same has also been uploaded on bank’s intranet site for ready reference of the field functionaries.

Updation of Manual of Instruction

Department have updated the Manual of Instruction on agriculture advances in 2015-16 and uploaded at for staff only site.

FINANCIAL INCLUSION (FI)

- Bank has covered **4,330** villages with population above 2000 and **18,376** villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through **6,387** BC Agents.

1. Bank has opened all its **3677** Ultra Small Branches attached to **1427** Base Branches.
2. We have opened **41** Urban Financial Inclusion centres in NCR and Bhopal Region.
3. **No. Of Transactions:**

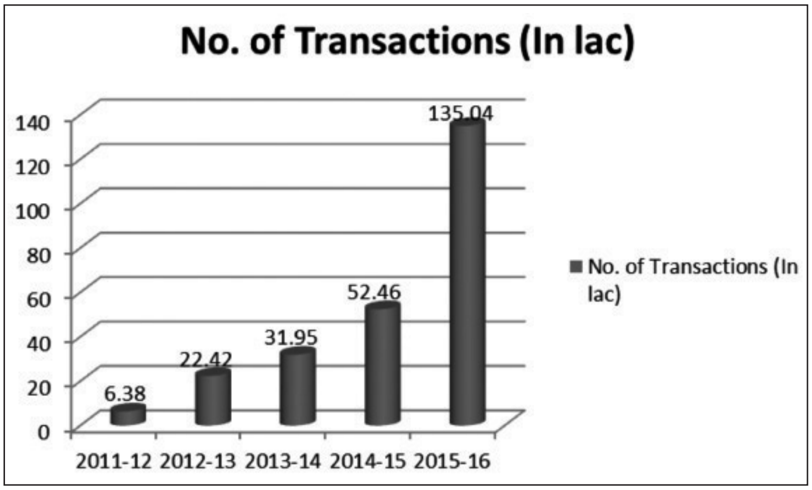

Transactions in FI Accounts opened through BCs have increased to 135.04 lacs in FY 2015-16 from 52.46 lacs in FY 2014-15 (YoY growth of 157%).

4. **Business through BCs:**

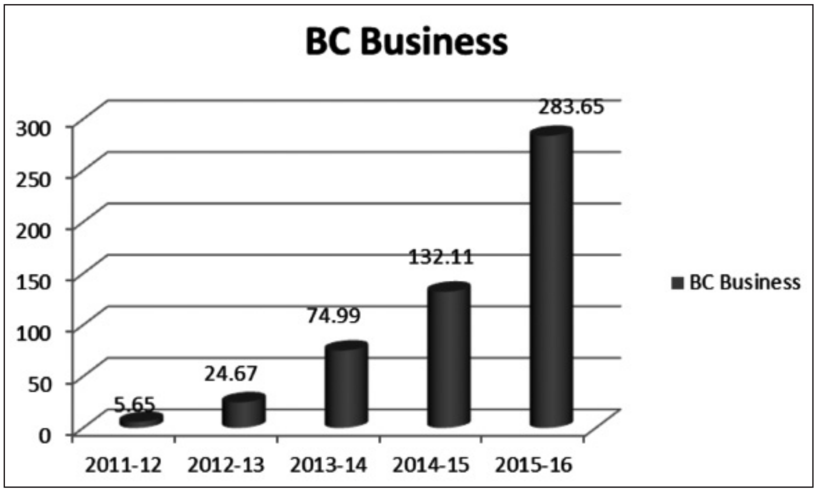

Business through BCs increased from ₹ 132.11 Crores on 31 March 2015 to ₹ 283.65 Crores on 31 March 2016: **an increase of 114.71%.**

5. **Account Opening through BCs:**

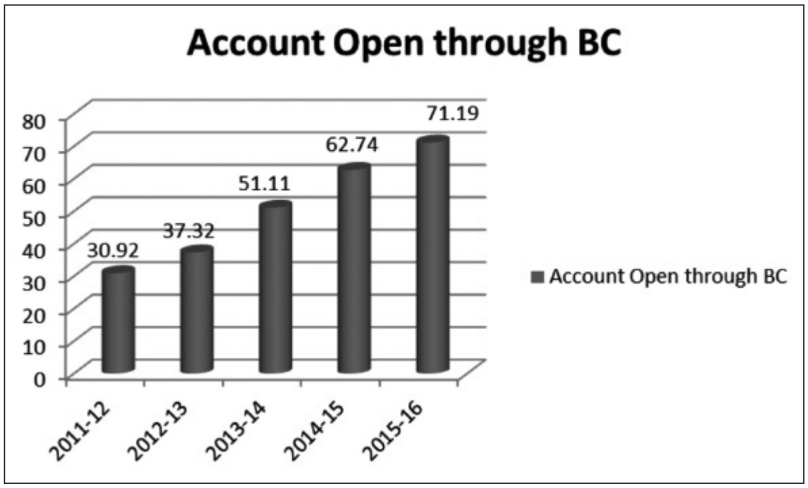

No. of accounts opened through BCs increased from 62.74 lacs on 31 March 2015 to 71.19 lacs on 31 March 2016 :**increase of 13%.**

6. Bank has opened **157.26** lacs Basic Saving Bank Deposit Account (BSBDA) accounts through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is **1277.92 crores**.

- **Social Security Schemes (Jan-Dhan se Jan-Suraksha)**

  After getting huge success under PMJDY, under the tagline of **Jan-Dhan se Jan-Suraksha** three social security schemes namely Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) both under micro insurance sector and Atal Pension Yojana (APY) under micro pension sector have been launched by Government of India on 09th May, 2015. These schemes are targeted especially to the unorganized sector and economically weaker section of population but others can enroll themselves as well.

Major Achievements under FI-PMJDY during F.Y.2015-16

- IBA awarded our Bank as Runner Up for **"Best Financial Inclusion Initiative"** in the category of Medium banks.
- We have been awarded a certificate securing **First Rank** in **Maximum Percentage Achievement of Identified Household coverage from 16.08.2014 to 26.01.2015** under PMJDY from DFS.
- Our LDM, Muzaffarpur, Bihar has been awarded a certificate securing **First Rank** in **Maximum total number of Aadhaar enrolment done during camp from 16.08.2014 to 26.01.2015** under PMJDY by DFS.
- **Business** increased by **67.27%**, from ₹ 763.98 Crores to ₹ 1277.92 Crores.
- **Business through BC Outlets** increased by **114.71%**, from ₹ 132.11 Crores to ₹ 283.65 Crores.
- **No. of Transactions through BC-Outlets** increased by **157.42%**; from 52.46 lacs to 135.04 lacs.
- No. of BSBD Accounts increased by 7.18%; from 146.72 lacs to 157.26 lacs.
  Converted 758 **BC-Outlets into Profit Centres (**having business more than ₹ 10 lacs).
- Our Bank has opened more than 74 lacs accounts.
- The business worth ₹ 870 Crores have been mobilised through our Bank under PMJDY.
- Zero Balance accounts have been reduced to 9.74% against the SoI (Statement of Intent) target i.e.30%.
- Aadhaar have been seeded in 49% PMJDY accounts and 28% seeding in all SB accounts.
- Started Centralised Payment to TSPs from 01.01.2016.
- Created Dashboard for daily monitoring of BC performance thereby improved the FI Monitoring Mechanism by giving importance for FI monitoring at all levels i.e. Branches/RO/ZO level.

Launched BC BF Passbook and provided the same to all BCAs for monitoring daily performance as well as their remuneration

Performance under Lead Bank.

- We have the Lead Bank responsibility in 51 districts spreading in seven States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(4), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (4). More than 50% and about 25% of our total branches are located in these States and Lead Districts respectively.
- For effective implementation of Lead Bank Scheme, the office of Lead District Managers has been sufficiently equipped and empowered with right kind of staffing supplement and infrastructure like independent/good premises, vehicle, computers/laptops (with skype installed) & printers, telephone, internet connections, e-mail id, mobile, fax, establishing websites.
- To make the public/masses aware of various products of bank, we have displayed some products relating to Kisan Credit Card, Central Artisan Credit Card, Swabhiman/Aadhar etc. relevant to the rural masses on the vehicle provided to LDMs.
- The overall achievement under Annual Credit Plan by our branches is 93% comparing to the achievement of 84% by all banks in Lead Districts.
- We have selected one village in each Lead District for inclusive growth through empowerment, training skill development of youth and credit linkages. All developmental activities like complete implementation of Financial Literacy/Financial Inclusion Programmes, Training unemployed rural youth in RSETIs, Formation of SHG/Farmers Club/JLG, Lending activities have been implemented to bring complete socio-economic change. This is being replicated in other selected villages also in lead districts.

State Level Bankers Committee:

- Our bank is the convenor of SLBC in the State of Madhya Pradesh. During the year 2015-16, three regular SLBC meeting were held to review and monitor the progress made in the State under various parameters including Government sponsored programmes by different agencies.
- Our vision for the State is “An all-round and all-inclusive development of the State through which the life of citizens can become prosperous and they should have opportunities for putting in their best efforts according to their potential and contributing to the nation’s development”.
- We are the pioneer to hold Review Conference/Workshop of all Lead District Managers of the State to discuss various strategies to achieve the target of ACP, action plan relating to implementation of Financial Inclusion and integrating their roles & responsibilities in achieving the objectives.
- We are the first bank to enter in to MOU with State Govt. under Chief Minister Rural Housing Scheme.
- Despite various adversities in some of districts, the CD Ratio of the State has been above 63%.
- During 2015-16, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India launched financial literacy programme in three states Gujarat, Madhya Pradesh & Maharashtra on pilot basis. Financial literacy imparted in 5100 schools across the State. Around six lakhs students were benefitted through this programme.
- Through the constant follow ups with banks and LDMs, enrolments under social security schemes could reach in the State around 1 crore.

Financial Literacy and Credit Counseling Centre (FLCC)

- We have opened 48 FLCCs in 7 States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (2).
- All these centres have conducted 8100 outdoor visits to the villages extending literacy/counselling to 525610 persons. Both mass campaigning and individual counselling are being done.
- Bank has provided them vehicle fitted with Public Address System and LCD for displaying various products/schemes being launched by banks for bringing awareness among the masses and opportunities to them for availing benefits to uplift their economic status and standard of living. Besides, we provide literacy material, kits, books etc while extending counselling as also visiting villages.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

- Bank has established 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1).

- During the year 2015-16, the RSETIs conducted 1050 training programmes and imparted training to 28244 candidates. Out of this, 18926 (i.e.67%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance
- 25 RSETI centres are graded A,AA,16 centres graded AB,BA and only 4 centres graded B,BB. There is no RSETI Centre graded C & D.

Other Initiatives

- Our bank has established one Society/Trust in the name of "Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS)" to control & supervise the operations and functioning of RSETIs and FLCCs.
- We have formed Governing Council at Apex Level with Chairman & Managing Director as Patron, Executive Director as President and General Managers as members for overall control and supervision of the affairs & functions of RSETIs and FLCCs.
- We have engaged a retired General Manager having vast experience and exposure in the Agriculture & Rural Development, to act as Chief Executive Officer-RSETI/FLCC at apex level.
- We have started engaging retired senior bank officials with requisite competencies to act as Director, RSETI and Counsellor, FLCC with adequate man power support.
- Local Advisory Committee and Training Committee have been formed at District level with the representatives from all local development bodies.
- We have developed a model plan common to all 46 RSETI for construction of building. We are in process for creation of web based data of beneficiaries to keep track on the status of self employment of RSETI trainees.

RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes increased from ₹ 34939 Crore as on 31.03.2015 to ₹ 38505 crore as on 31.03.2016 by registering absolute growth of ₹ 3566 Crore and rate of growth of 10.21% over March 2015. The retail portfolio of the Bank was over 20% per cent of total advances.

₹ in crores

	31-03-2014	31-03-2015	31-03-2016
RETAIL CREDIT	28811	34939	38505
TOTAL CREDIT	1,83,321	1,94,967	1,90,152
% OF TOTAL CREDIT	15.72%	17.92%	20.25%

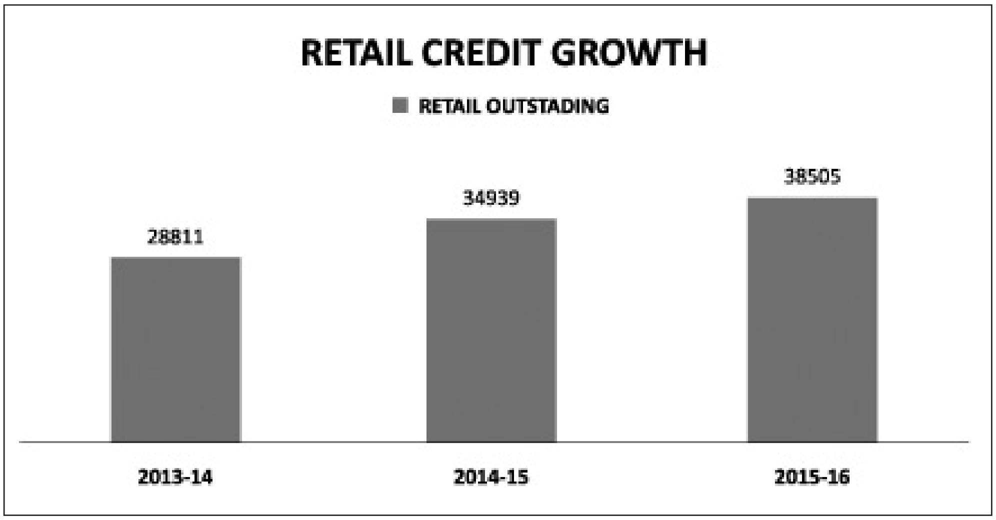

DEPARTMENT INITIATIVES

PRODUCTS/ SERVICES:

1. Product positioning- Considering the distinctive requirements of the potential customers with clear cut differentiation, the Bank has 29 full-fledged products for general public:

Sr. No	NAME OF SCHEME
1	Cent Home Loan Scheme.
2	Cent Home Double Plus Scheme.
3	Special Housing Loan Scheme for Employees of Central/State Governments & PSUs of Central Government under Direct Housing Finance Scheme.
4	Cent Home –CRGFTLIH Scheme
5	Cent Home Loan Plus.
6	Cent Earnest Money Finance Scheme.
7	Pradhan Mantri Awas Yojna.
8	Cent Mortgage.
9	Cent Mortgage for Educational Institutions.
10	Cent Trade.
11	Cent Rental.
12	Cent Shop
13	Cent Vidyarthi.
14	Educational Loan Scheme for Financing Executives to pursue MBA.
15	Scheme for Education Loan to the students of IIMS & 4 Reputed Institutions.
16	Cent Vehicle Scheme.
17	Cent Sahyog.
18	Cent Doctor.
19	Cent Personal Loan.
20	Cent Corporate Loan.
21	Personal Loan to Pensioners.
22	Cent Suvidha.
23	Cent Personal Gold loan Scheme.
24	Personal Loan to Teachers and Employees of Educational Institutions.
25	Comprehensive Scheme on Channel Financing.
26	Loan Against Future Fees Receivable.
27	Reverse Mortgage Loan – 'Cent Swabhiman.'
28	Cent Param
29	Cent Ratna

These products are having product differentiation for different target groups and for specified niche markets.

2. Considering the overlapping and life cycles of the products and to avoid overlapping target groups Bank has merged Cent Vyapari with Cent Trade and Cent Udan with Cent Vidyarthi and Cent Dentist with corresponding general schemes. Further, thirteen products have been discontinued considering their low demand and delinquency ratios. These are i. Cent Buy, ii. Cent Competitive Exam, iii. Cent Computer, iv. Cent Jewel, v. Cent Multipurpose, vi. Cent Safar, vii. Cent School, viii.Cent Vivah, ix.Personal Loans to LIC Agents, x. Cent Upfront Housing Loan – Advance Disbursement Facility, xi. Personal Loan to employees of Corporates, xii. Personal Loan to employees of Non Corporates and xiii.Cent Dentist (includes retail loan products: IDA-Cent Dentist ,IDA-DHFS, IDA-Cent Vehicle, IDA-Cent Vidyarthi.

3. For speedy product/service delivery the Bank has made processing of Retail products through Computerized Loan Appraisal System and Supervision (CLASS) module.

4. Data related to products and services are being analyzed for its effectiveness from customer's point of view. Where there are requirements for deviations from general deviation proposals are being placed to the authorized committee for approval on the basis of merit considering liquidity and other relevant facts of the customers. The suggestions related to products/services received from the field functionaries are being analyzed at the corporate office of the Bank and after considering its viability; cost benefit analysis and compliances the concerned products and services are modified and placed in public domains for the information of general public. The policy broadly addressed revitalizing the existing products besides introduction of new products to compete in the industry, improve appraisal, processing and delivery mechanisms and above all to mitigate the risks associated with the exposures. While developing and modifying new products the long term perspective are being considered so that they shall not be technologically obsolete in short term. The longer product life cycle have been given due importance and at the suitable time the product may be reinforced considering the requirement of the customers due to their changed preferences over a period of time.

5. Web generated online leads have been duly followed up and converted by the offices of the Bank.

6. Bank has taken steps to curb delinquency in the retail asset accounts by consistent monitoring and follow up. The exact reason and corrective steps for the account becoming delinquent are being addressed to ensure qualitative & quantitative improvement.

7. For qualitative improvement in lending we have identified 48 centers and established Centralized Credit Processing Centers (CCPCs) for the processing of mortgage based products. This has helped the branches to spare more time for marketing of products & services and reducing Turn around Time (TAT) of proposals.

INTERNATIONAL DIVISION

- Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 90 Authorized Dealer ('B" category) Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience.
- During the current Financial Year, the Export Credit portfolio of the Bank increased from ₹ 5571 crore as on 31.03.2015 to ₹ 5628 crore as on 31.03.2016.
- Merchant trade foreign exchange turnover was ₹ 44,027 crore in FY 2015-16 as against ₹ 44,166 crore in FY 2014-15.
- NRE Deposits increased from ₹ 3,079 crore as on 31.03.2015 to ₹ 3,819 crore as on 31.3.2016; an increase of 24% over the previous year.
- FCNR Deposits increased from USD 174.85 million as on 31.3.2015 to USD 204.21 million as on 31.03.2016; an increase of 17% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- The investment portfolio of the Bank has decreased to ₹ 89895 crore as on 31st March 2016 as against ₹ 89921 crore (₹ 95655 crore was reported as RIDF was under investment then) as on 31st March 2015 thereby recording an decrease of 0.03% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 7.42% as on 31st March 2016 vis-à-vis 7.74% on 31.03.2015.
- RBI took a slew of measures to provide stable liquidity by bringing in variants of repo, term repo, variable term and reverse repo during the FY 2015-16. The Repo rates were reduced twice in FY 2015-16 by .75 % (.25% in June 2015 and 0.50% in October 15).
- The Repo borrowing limit was reduced to 0.25% of NDTL and term repo to 0.75 % of NDTl, along with discretionary variable term repo and reverse repo over and above the 1% NDTL, aiming to keep the rates closer to repo rate. Banks are required to bid in the auction to borrow in term LAF.
- Overnight repo was reduced from 7.50% in March 2015 to 6.75% in March 16.
- In the volatile market and critical liquidity management situations, treasury recorded trading profit of ₹ 587 crore which is considerably higher as compared to previous year trading profit of ₹ 617 crore. This was due rate cut by RBI was partly offset by rate hike by US Fed. The yield on investment decreased from 8.22 % to 8.14 %.
- In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on shifting of securities, the Bank has transferred Govt. and State Govt. securities amounting to ₹ 2098.49 crore from AFS to HTM and booked depreciation of ₹ 34.47 crore.

- The composition of investment portfolio of the Bank as on 31st March 2016 is as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Composition	31.03.2015	31.03.2016
1.	**SLR**	75413.59	66532.69
2.	**Non-SLR**	14507.01	23362.06
	TOTAL	89920.61	89894.75

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

- At operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Policy Committee (CRPC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORCO) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team.
- These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.
- The Bank has identified officers in the rank of Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Zonal/ Regional Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal/Regional Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officers' to look into various aspect of control & management of risk in the Bank.

Market Risk Management

- The Mid Office reviews the market position, funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter party limits and various sensitive parameters and the reports are presented at regular intervals to the top management.
- The tools such as VaR and Duration analysis are used on an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's NII in the short run and equity value in the long run.
- A model to estimate Capital charge on trading portfolio on ongoing basis is developed and being implemented as per the Basel II guidelines on the Market Risk.
- The Bank has board approved Market Risk Management Policy to monitor the market risk in the portfolio. Counter party limits for Treasury operation have been fixed / reviewed as per their latest standing of the counterparties.

Credit Risk Management

- Bank has a well-documented Integrated Risk Management Policy, which was last reviewed by the Board on 09/02/2016
- The Bank has procured the Facility Rating Module with Risk Adjusted Return on Capital (RAROC), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD) assessment tools from CRISIL Ltd. The Facility Rating Module is in use from 01.04.2012.
- The Bank has also developed Rating Models (score card) for grading retail loans, and same is in use.
- The developments in credit risk management are being reported and monitored by the Credit Risk Policy Committee headed by the Executive Director.
- As preparedness for moving to advanced approaches, bank is in the process of developing models for calculating PD, EAD & LGD for both Corporate & Retail portfolio.

CREDIT RISK PROFILE / RATING MIGRATION

The Credit Risk Profile of the Bank as of 31st of March 2016 is presented below in comparison to the previous year.

Amt: ₹ in Cr

Risk Gradation	March 2015		March 2016	
	Exposure-Amt	% of Rated Exposure	Exposure-Amt	% of Rated Exposure
Low Risk	86052	46.81%	85065	50.46%
Medium Risk	77921	42.39%	66742	39.59%
High Risk	5232	2.85%	4907	2.91%
Total of Rated Exposure	169205	**92.04%**	156714	**92.96%**
Unrated Exposure	14631	**7.96%**	11860	**7.04%**
Total Standard Advances	183836	**100.00%**	168574	**100.00%**

- It may be observed that during the F.Y.2015-16, there has been some migration of accounts from Medium Risk to the Low Risk category & marginally from Medium Risk to High Risk category. The overall share of rated accounts has increased from 92.04% as on 31/3/15 to 92.96% as on 31/3/16. The unrated exposure comprises mainly loans to staff as well as those against term deposits and NSC/KVP/Insurance policies etc which are exempted from rating.

Operational Risk Management

- The Operational Risk Management in the Bank is guided by a well laid down Operational Risk Management Policy.
- Operational Risk Management Committee (ORCO) reviews the risk profile of the Bank on quarterly intervals and the oversight by the Board of directors strengthens the qualitative aspects related to Operational Risk.
- Bank is developing models and building up qualitative and quantitative information for applying to RBI towards graduating to Advanced Measurement Approach. New Product Approval Policy Framework guides the Bank in mitigating the risks associated with new products or activities.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in place. Bank has framed its risk appetite framework and intends to maintain capital ratios over and above the minimum requirements as per Basel III norms. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

Asset & Liability Management Systems

- ALM mainly deals with measuring and managing the liquidity and Interest rate risk of the bank with an objective of profit maximization. ALCO (Asset & Liability Committee) met 22 times during the year to review the position of the bank with regard to liquidity and other related matters.
- Besides regulatory reporting, ALM is also engaged in Interest determination on Deposits as well as Base rate and BPLR fixation. During the year 2015-16, revision was made eight(8) times in deposit interest rates and two(2) times in Base Rate for advances.
- Bank is in the process of implementing MCLR based lending rates from 01/04/2016.
- In terms of new RBI guidelines Bank has started calculating LCR (Liquidity Coverage Ratio) effective from 1st Jan'2015 on a monthly basis & the ratio is well above the threshold limit (i.e. 70% for 2016) fixed by RBI. The average LCR for FY 2015-2016 is 117.20
- ALM department presents different analysis to the top management to decide rate of interest for Deposits & Advances.

Implementation of Basel II Guidelines

- Reserve Bank of India has issued updated master circular on implementation of the New Capital Adequacy Framework in July 2013. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel II norms with effect from 31.03.2009 and provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.
- Bank is in the process of implementation of IRMS (Integrated Risk Management Solution) for moving to Advanced Approaches.

- All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Market Discipline and Disclosures Policy, ICAAP etc are in place duly approved by the Board.
- Bank is undertaking the necessary steps to graduate to IRB (Internal Rating Based) Approach.

Our Bank's preparedness for Basel - III

RBI has come out with the final guidelines on Implementation of Basel III on 2nd May 2012; Accordingly, Bank has started computing CRAR as per BASEL III NORMS from June 2013 and is complying with all requirements as laid down in the guidelines.

RECOVERY DEPARTMENT

The bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, Appointment of Recovery/Enforcement Agencies, Sale of assets to ARCs, Willful Defaulters, One Time settlement Schemes and MIS. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in Economy and trends in NPA Resolution/Management.

1. During the year 2015-16, though Cash Recovery of ₹ 1287 crore, Upgradation of ₹ 608 crore and Sale of NPAs ₹1123 crores, aggregating to ₹ 3018 crore, the performance was impacted by the fresh accretion of some high ticket accounts. (30 accounts of ₹ 50.00 crore and above amounting to ₹ 8202 crores).
    - Gross NPA level has gone up from ₹ 11873 crore to ₹ 22721 crore.
    - Net NPA has increased from ₹ 6807 crore to ₹ 13242 crore.
    - Gross NPA and Net NPA Ratios have increased from 6.09% to 11.95% and 3.61% to 7.36% respectively.
    - Cash Recovery has decreased from ₹ 1365 crore to ₹ 1287 crore.(5.71%).
2. Under One Time Settlement (OTS) scheme for NPA accounts proposals settled for an amount of ₹ 658 crores and cash recovery made for ₹ 249 crores.
3. Besides this, OTS proposals aggregating to ₹ 397 crores have been sanctioned at Central Office and against which, ₹ 70 crore has already been recovered during the FY 2015-16.
4. During the year Bank has sold NPAs to ARCs for sale consideration of ₹ 1142 crores, where the outstanding is ₹1294 crores.
5. All NPA accounts have already been classified into 3 categories i.e Very critical, critical, manageable for monitoring of recovery in these accounts.
6. NPA Borrowers having outstanding of ₹ 50 lacs & above are being contacted individually by RO recovery team along with branch staff for recovery of loan.
7. Wilful defaulter exercise is being done in a very systematic way and all NPA accounts of above 25 lacs are being examined for identifying & declaration as willful defaulter.
8. The movement of NPA is being strictly monitored on monthly basis by our Executives and our thrust for the year is as of 31.03.2016 recovery in NPA accounts by legal action/ sale of properties under SARFAESI as well as small loan accounts recovery through one time settlement schemes. In the review meetings of RMs / ZMs main thrust is given for recovery in NPA accounts with special emphasis for recovery in agriculture and SME loan accounts.
9. With the purpose of closely monitoring of NPA of each zone and Region as well as small loan a/cs Recovery & 4 OTS Scheme's performance, video conference is being held every month. All accounts of ₹ 1 crore and above discussed with all RO/ZO/ARB Officials.
10. Recovery Camps are being conducted every month. In such camps recovery in written off accounts and JMFARC accounts will also be part of this Recovery Drive.
11. We are closely monitoring ARB Branches across the country to improve the Recovery performance.
12. We are vigorously following up SARFAESI action for all the eligible accounts and will ensure that SARFAESI action is complete for all NPA accounts in the bracket of ₹ 1 Crore and above. We will also ensure that entire process of SARFAESI action is concluded within six months of account turning in to NPA.

13. Special Lok Adalat at District level being organized on quarterly basis with active participation of RO/ZO and Law Officer.
14. SPBT College, CBOTC Bhopal & Kolkata are conducting one week training programme on NPA Recovery Management. Executives from Recovery Department are closely coordinating such training programmes.
15. Vigorous follow up with DRTs by the Legal Officers /Co-ordinators is being made to dispose off the pending cases.
16. Separate targets for recovery in write off accounts have been allotted to Regions / Zones to improve the position of recovery in write off accounts.
17. High value NPA accounts of ₹ 5.00 crores and above are assigned to Zonal Co-ordinators at Central Office for ensuring the accounts are upgraded/adjusted on or before 31.03.2017.
18. All the Field General Managers/Zonal Managers were advised to identify NPA accounts of ₹ 10 lacs and above and assign such accounts to officers for regular follow-up as also for ensuring all these accounts are upgraded/adjusted on or before 31.03.2017.

BANCASSURANCE

Insurance services are provided by our bank under corporate agency of LIC of India for life insurance and Chola MS General Insurance Company for non-life insurance products.

The performance highlights for the year ended on 31.03.2016 :

- Bank stood 2nd in canvassing number of life insurance policies and in mobilizing insurance premium amongst all Bancassurance partners of LIC. Bank has canvassed 35368 policies with premium of ₹153 Crores.
- Under General Insurance business, Bank has mobilized 279241 policies with premium collection of ₹ 99 Crores.
- Total earning from Bancassurance business is ₹ 19.48 crores.
- Augmented number of Specified Persons (SP) by 424 during the year. Now we have 2425 Specified Persons to carry Bancassurance Business.
- Released comprehensive policy document on Bancassurance Business.
- Carved out ‘Bancassurance & Mutual Fund’ vertical out of New Initiatives Department to handle propose multi insurance tie ups as per new IRDAI Regulations, 2015.

DEPOSITORY SERVICES

Bank is a Depository Participant with arrangement with Central Depository Services Limited (CDSL). All the operations are centralized and the services are offered through the nodal branch, Capital market Services Branch located at Fort Mumbai. The branches in major centres facilitate opening of the accounts, buying & selling, pledge of shares and dematerialization of physical securities. Bank is having around 24000 Demat account holders.

ON- LINE TRADING

Bank is offering “On-Line Trading” facility with Trade name “Cent –e-trade”. Customers maintaining bank account and Demat account with the bank are offered on-line-trading facility for trading in Equity Shares and Derivatives under arrangement with leading broking firm, M/s. Angel Broking Ltd. As on 31.03.2016, Bank is having 250 accounts for On-Line Trading.

Capital Market Services Branch opened in Mumbai exclusively for offering capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank, Payment of Dividend Warrants and Credit/Guarantee facilities to Brokers etc. and is the controlling branch for on-line trading and ASBA.

INFORMATION TECHNOLOGY

1. **CORE BANKING SOLUTION:**
   - The bank achieved 100% coverage of branches under Centralised Banking Solution (CBS) in December 2010. The Bank has put in place state of the Art IT infrastructure and automated the business processes to ensure operational efficiency and promptness of the service to customers. Updation/augmentation of existing computing resources viz. hardware, networking, software, security and other associated requirements are done in tune with future business projections and other statutory and security obligations. The entire set up is now geared to cope up with the Bank’s requirement till September 2017 and renewals are done for next 5

years as per practice in line with the business requirement.

- Bank has setup a Disaster Recovery Centre and is conducting regular DR Drills as per regulatory guidelines in line with Bank's policy. All Policies and Procedures are also introduced to safeguard the assets of the bank to safeguard interests of the customers.
- Bank has implemented Near Site to ensure Business continuity with Zero Data loss.
- Many new functionalities are being implemented as per requirement on an ongoing basis.

2. NETWORK & CONNECTIVITY

- Bank's Corporate Network covers 4923 locations consisting of branches, extension counters, ARBs, completed for procurement of 2 Mbps Backup Link at 4000 Branches from Services provider other than BSNL. Based on the financial approval from Board.
- Bank has also tied up with M/s TATA communication Ltd, M/s Bharti Airtel Ltd and M/s Reliance communications Ltd for procurement of Wired/Wireless Link as backup. At all the 4000 locations link will be commissioned by 30th September 2016 as per feasibility.
- Constant monitoring and controls are introduced for maintaining almost 100% uptime during branch working hours.
- IPv6 Implementation for internet facing applications completed.

ALTERNATE DELIVERY CHANNELS:

2. **INTERNET BANKING**

- The Internet Banking (INB) facility is capable of catering to 10000 users concurrently.
- Internet banking facility with new look and feel has been extended for our customers with a wide array of products and facilities. They include On line password generation for Retail & Corporate customers, funds transfer, On line Tax credit view, Utility bill payments, On line Tax payment for various Govt., Airlines / Movie ticketing, shopping, temple donations, Prime Minister's National Relief fund donations, Fees collection for various Institutions/ Universities, Govt. e-payments/receipts, customized account statements in addition to regular statement of account, On line time deposits including NRE/NRO deposit creation.
- New facilities such as:
  1. Deposit and loan modelling,
  2. Standing instruction creation,
  3. credit card bill payment,
  4. View of FCNR Deposits in Internet Banking,
  5. E-filing of Income tax through Internet Banking,
  6. Security option to set up customer induced limits, marking accounts for view only etc. has been introduced.
  7. Faster Beneficiary activation facility has been enabled wherein the beneficiary added will get active for fund transfer after 4 Hours (reduced from earlier 24 Hrs cooling period), also instant activation through Branch has been provided.
- Following functionalities has been launched for the first time in our Bank based on customer demand:
  1. Patent & Design integration through payment gateway,
  2. Modification in Multi-utility fee collection to make it fully configurable and instantly deployable,
  3. Foreign inward remittance through IMPS,
  4. Fee collection through NEFT,
  5. Facility to receive SMS alert for all relationship holders of an account.
  6. Favourite menu for customers for easy access to frequently used items.

- IMPS transactions, IRCTC ticket booking, e-Freight for on-line Railway Freight booking by corporate customers etc. RTGS/NEFT facility is also available through Internet Banking and NEFT functionality is currently available 24*7 through INB including Bulk upload for Corporate (Non personal) INB customers. The facility of a light weight payment page has been introduced to facilitate faster online transaction processing.
- Bank has deployed entirely new module through Payment aggregator, for tax collection for Odisha, Bihar Govt. and Prime Minister National Relief Fund where customers of more than 40 banks can pay taxes. Bank has also implemented payment systems for Ministry of civil services, Food and other e-PAO's.
- Central Bank is one of the first bank to integrate with e-biz, mission project launched by DIPP for facilitating online payments.
- Additional facility of customized statement of account for corporate customers is available. Facility for bulk upload through NEFT is also available under Corporate Internet Banking. Corporate customers can choose various options while availing Internet Banking as per the requirement of customer.
- Corporate customers can now be offered INB with view only / INB with tax & Utility Bill payment only facility in line with the facility already available for personal INB customers.

M-Passbook:

- M-Passbook has been introduced for customers as a mobile application which has been highly rated by our customers in Google play store.

4. SMS BANKING / ALERTS:

- SMS banking setup provides account information to the customers with real-time alerts on business transactions carried out by them. Presently, SMS alerts are sent to customers in 15 different Indian languages as per their choice for the 1) Debit / Credit in account above ₹ 1000/- in saving account and ₹ 10,000/- in Current / OD accounts 2) clearing Cheque is bounced. 3) Account balance is below the prescribed minimum level 4) fixed deposit maturity before 7 days.
- SMS alerts are also sent for maintaining control and monitoring, to Branch Managers and higher officials to enable them to monitor critical activities of branches for better housekeeping and maintenance of accounts including monitoring of NPA.

5. MOBILE BANKING:

- Cent Mobile is a Mobile Banking Application which has been re-launched recently with enhanced features. Users can access most of the banking services anywhere any time through internet enabled handsets. Cent Mobile is available for Android, Apple (iOS), Windows and Blackberry platforms. It can be downloaded from respective Play store/app store. Pre login options are accessible to all. Post login options can be accessed by customers of Central Bank of India after completing one time registration process.
- Bank has launched new Mobile Banking solution with enhanced functionalities as follows:-

Pre Login Options:

- Contact details of Central Office/Zonal/Regional Offices/Branches including- office address, phone number, email address, MICR Code, Pin Code, IFSC Code.
- Branch and ATM Locations - mobile handset GPS based list of nearby ATMs or Branches. State, District, Centre or Pin code based pan India search option is also available.
- Map showing distance/driving directions for ATM/Branch/Admin Offices.
- Touch dial to display phone numbers of Branches/Admin Offices/Call center.
- Link for Corporate website, Official social media pages (Facebook, Twitter), email address.
- Information banners related to products and services of Bank with zoom option.
- Interest rates on Savings and Time Deposit for different maturity periods.
- Interest rates on selected Retail Loan Schemes.
- Buying/Selling Forex rates (for Cash, TT and Bills) for selected currencies.

- Touch dial to Missed Call service of Bank for getting Account Balance or last few transactions over SMS (available to Customers registered for this service).
- Real time Notifications/Alerts regarding new launch/offers/modification in schemes etc.
- Search FAQ content based on key words.

Post Login Options:

- Account Related Features: Account Balance Enquiry (For SB/CD/OD/CC/Fixed Deposit/Loan/PPF Accounts), Account Details (For SB/CD/OD/CC/Fixed Deposit/Loan/PPF Accounts), Mini Statement, Fund transfer to accounts with Central Bank of India, Fund transfer to other banks through NEFT, Fund transfer to other banks through IMPS, Donation to selected Institutions and Open New Time Deposit Account (RDS, FDR and MMDC Accounts).
- Request: ATM (Debit) Card Blocking, Link Account to Aadhar Number, Request for personalized ATM (Debit) Card, Request for Cheque Book, Request for Stop Payment, Request to Revoke Stop Payment, Cheque Status Enquiry, Registration for getting Account Statement over Email and NEFT Status Enquiry.
- Option to Submit feedback/suggestion/rating for Cent Mobile Application.
- Bill Payment services: Utility Bill payment, Mobile/DTH Recharge.
- Credit Card Services : Central Bank Card related information such as Available Limit, Billed Amount, Unbilled Amount, Last bill summary, Card Statement, Reward Points, Central Card contact details and Central Card Bill payment and Request for Credit Card Blocking.

6. MISSED CALL ALERTS:

- This facility is available to our CASA customers, whereby customers can get balance and last three transactions free of cost by giving missed call to specific number. Bank is also in receipt of appreciation from Indian Banks' Association for this new customer initiative.
- The facility has been upgraded to accommodate account balances and mini-statement for multiple accounts of the same account holder.

7. APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA):

- Securities and Exchange Board of India has streamlined the existing process of Initial Public offer of shares by companies and introduced a supplementary process called as Application supported by Blocked amount (ASBA). We offer ASBA facility to all our customers by which an investor can subscribe to public issues (IPO) through the Bank by authorizing the Bank to block the application from his/her Bank account and thereafter remit the allotment amount. The facility is also extended to syndicate ASBA and e-IPO.

8. KIOSK BANKING:

Bank has implemented 250 self-service kiosk machines with facilities viz. cash deposit, balance enquiry and 400 Multi-function Kiosks with facilities viz. cash deposit, balance enquiry, mini statement, passbook printing, Cheque deposit and Internet Banking.

OTHER PROJECTS

9. WEB SITE:

- Sensing the need of customers, look and feel of the website is undergoing constant change. Website also provides apply online facility for Retail Loans , Deposit Accounts etc . Grievance can be logged by the customer. Bank has taken all measures to ensure security on Internet Banking and Bank's official website. Security Audit is done on quarterly basis. Revamping / redesigning of existing Website of the Bank is underway.

10. RBI PAYMENT GATEWAY SYSTEMS:

- As on 31st March 2016, 4,811 Branches/ECs/SSBs/Offices have been enabled for RTGS and 4,823 Branches/ECs/NBOs/offices enabled for NEFT. Both NEFT & RTGS are under Straight through Processing (STP) in our Bank.
- RTGS/ NEFT facility is also available through Internet Banking System for Retail and Corporate Customers. RRBs

have also been provided NEFT facility through our Bank's Payment Gateway. Additionally, bank has extended NEFT facility to 40 Co-operative Banks under Sub-membership arrangement.

- Next Generation RTGS (NG-RTGS) is functional in our Bank since its launch by RBI

11. PAYMENT INTEGRATOR SOLUTION (FTM) :

Capacity building exercise has been done to avoid delays in payment processes due to queue up and introduced multi thread processing to meet timelines. Bank has put in place a Payment Integrator solution (FTM) for effective functioning of various batch processing functionalities like Electronic Clearing System (NECS), Govt. Payments (GEPG), Pension Processing, EFMS –Account No. Based, Lien Lifting and Transaction processing (source app ASBA), HRMS Integration for salary payments, Integration of Inward SWIFT Message (MT103), Co-operative Bank NEFT, Speed Remittance, NGRTGS, CPSMS – Digital signature validation, PAN validation (at the time of CIF creation in CBS), E- Remittance (Flash Remittance), Integration of Treasury, RTGS for DDA, Aadhar Based EFMS, MNREGA Aadhar Seeding, CTS, CMS with core banking System etc.

12. CHEQUE TRUNCATION SYSTEM (CTS)

As per RBI guidelines, Cheque Truncation System has been successfully implemented at:

- Southern Grid at all identified Centers viz. Hyderabad, Vijayavada, Vishakapatnam, Guwahati, Bangalore, Belgaum, Hubli, Mangalore, Mysore, Ernakulam, Kozhikode, Trichur, Trivandrum, Bhubaneshwar, Cuttack, Pondicherry, Chennai, Coimbatore, Erode, Kannur, Madurai, Salem, Tiruchirappally, Tirunelveli, Triupur, Kolkata, Vellore, Tiruvannamalai, Kollam etc
- Northern Grid at CTS is operational at all the identified Centers viz. Agra, Dehradun, Chandigarh, Amritsar, Jammu, Jalandhar, Ludhiana, Delhi, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Bhilwara, Kota, Gorakhpur, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Jamshedpur, Ranchi, Ajmer, Bikaner, Panipat, Patiala etc.,
- Western Grid at CTS has been successfully implemented and operational at all the identified Centers including Ahmedabad-SSB, Station Road-Baroda, Anand, Jamnagar, Bhavnagar, Rajkot, Surat, Bhopal-SSB, Gwalior, Indore-SSB, Jabalpur, Mumbai-SSB, Panaji (Goa), Nagpur-SSB, Aurangabad, Nasik, Kolhapur (Laxmipuri), Pune-SSB, Sholapur, Raipur-SSB, Vapi, Dewas, Ratlam, Ujjain, Bhilai, Bilaspur, Durg, Porbander, Sahar, Mill Area Indore, Ankleshwar etc.,

12. CALL CENTRE

- Bank has established a Call Centre since July 6, 2011 and is functioning smoothly.
- Presently the Call Centre is offering various services like Information on Bank's products and services, Information on Branch/ ATM Location, Information on Interest Rates and Services Charges, Balance Enquiry, Transaction Enquiry, Enquiry on Cheque Number, Debit Card Hot-listing, Enquiry on Interest Earned / Interest Paid, TDS Enquiry, Transaction Details, Status of Cheque issued or deposited, CD/CC/OD limit and Interest enquiry, Recording of grievances and feeding it in Bank's Customer Grievances system for its redressal at an appropriate level.
- Bank has implemented CRM at Call Center.
- Taking into account the increased expectation of the customers and to reach out to them in a most effective way, a new Call Centre is being established. With this , Bank will be making outbound calls to create awareness of products offered.
- Bank is in the process of upgrading to an advanced call centre with more seats and covering more functional areas.

13. SINGLE DATA REPOSITORY (SDR):

Bank has set up a Single Data Repository which will be the source to provide information/reports across the bank. This will ensure consistency in reporting maintaining single version of truth providing various Dashboards to Top Management thus enhancing the Decision Support System. Static ALM, Analytical CRM and Corporate Performance Management (Planning & Budgeting) modules are already implemented. Bank's ADF reports/MIS reports/Dashboards, Dynamic ALM, Fund Transfer Pricing modules are in advanced stage of implementation.

14. HRMS:

Bank has implemented a State of the Art HRMS solution (SWADARPAN) from Peoplesoft, covering functionalities such as Employee Self Service, Performance Appraisal Management, Payroll Management, Tour Approval and Claim Processing, Management of LFC, Leave and attendance administration, Employee Information System, Staff Loan Processing, Management of Medical¬ Aid, HRD / Legal Department, Disciplinary Action Division (DAD), Gratuity Management/ Payment, Provident Fund Data Management and Payment, NRW Payment Processing, Allotment of Residential Quarters, Newspaper/Conveyance, Reimbursement, Reports (Staff Strength, Payroll, Form 16, Leave, Union ,Increment Report), Training Management and Manpower Training(MPT), Investment, Promotion Exam Request Form, Annual Performance Appraisal Form and related reports, Brief case, Silver Jubilee Award Reimbursement. Bilingual facility in HRMS is implemented.

Bank is currently in the process of setting up a DR Facility for HRMS.

15. INHOUSE DEVELOPMENT :

- Bank has a robust IT development Team which effectively handles software requirements of the Bank thus avoiding outsourcing of developmental activities wherever possible. Bank has developed a Centralised Pension module for Railway, Defense, Civil, Telecom, Postal, Central Silk Board, DUSIB, DDA etc which is a major achievement of the team. The in-house team also caters to the requirement of various departments and administrative offices thus reducing dependency on outsider vendors.
- **Following Inhouse development completed** ;
- Vigilance – complaints Monitoring System (V-CMS)
- OROP- One Rank One Pension- Arrears for Defense pensioners
- e-VRS (Electronic Visit Reporting System) For Zonal/Regional Manager
- Portal for PMJBY, PMSBY and APY schemes
- Lease Deed Portal: Revamped the portal with changes suggested by user department.
- DBTL: Development of DBTL for enabling branches for seeding Gas consumer number is available.
- Jeevan Praman portal:- Updation of Life Certificate in Pension database
- CFSL: - FDR and Share module developed. Modules like Merger, Amalgamation, Demerger are made live
- Customer Service Committee Meeting Portal: made available to Branches/ RO/ZO for creation of details of customer meeting.
- LDM portal:- Portal for Lead Districts Manager is developed from creation of related data to various MIS Reports.

Projects under Development:-

- E-channel Manager:- Development completed, Generation of some reports under development and will be completed by end of month
- Education Subsidy: Development completed for data cleansing. Report Generation is under development.
- Disciplinary Inquiry Module for Vigilance Department to register and track the progress of disciplinary inquiry cases.
- Inventory Maintenance System: Portal for capturing assets and purchase order details are put for testing to regions and zones, feedback awaited.

16. RRBs SPONSORED BY THE BANK:

- Currently Bank has 3 RRBs with 1629 branches. All the branches are under Core Banking solution and efforts have been made to bring up the technology initiatives of RRBs at par with the initiatives undertaken in the Bank. The entire system is revamped to take on the requirement of the bank till August 2020. Hardware, Network and Security equipment etc. are being procured through RFP process. Renewal is being done envisaging expansion of branches and business growth of the RRBs. At present RRB branch network is primarily on VSATs. Therefore, implementation of MPLS Leased Lines has also been considered for all the branch locations in the renewal process. Leased Lines will be commissioned at the locations which are found feasible.

- Efforts has been made to implement all technical initiatives of the sponsor bank and major initiatives are as under:-
  - ATM card facility for RRB customers
  - SMS alert introduced at RRBs
  - Online interface for FI transactions
  - Introduction of Kisan Credit Cards
  - Implementation of CPSMS
  - Ultra Small Branches functionality
  - Introduction of APBS/ACH
  - CIBIL data extraction
  - Implementation of Biometric Authentication solution for branch CBS users.
  - POS facility through Rupay Debit Card
  - Implementation of AEPS (on us).
  - Comprehensive IS Audit of RRB is completed
  - DBTL/ ACH is implemented in all 3 RRBs
  - Implementation of eKYC
  - Implementation of Rupay Card transactions through MicroATMs.

17. FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES :

Our Bank was awarded Best Technology initiatives in Financial Inclusion Runner Up by IBA.

All financial inclusion initiatives are implemented as directed by the government by providing required technology support.

- Aadhaar Payment Bridge System (APBS) is live.
- DBT for LPG Consumer implemented and monitored for lowering rejections
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) is live.
- Facility for Bulk Aadhaar Seeding for seeding of MNREGA beneficiaries aadhaar
- Aadhaar seeding through alternate channels also – ATM, SMS and Internet Banking
- Total of 144 lakh Aadhaar seeded till 31st March 2016
- Central Biometric authentication for FI customers
- CSC Kiosk Banking Model in FI implemented by replacing TCS' KIOSK Banking model
- E-KYC - implemented at all branches
- Demographic Authentication – Live into production environment and performing DemoAuth transactions via NPCI
- Introduction of 3 Social Security Schemes in CBS viz. Atal Pension Yojana, PM Suraksha Bima Yojana and PM JeevanJyoti Bima yojana.
- RuPay card transactions via BC devices is live in production
- New RFP Technical Service Provider, M/s Atyati has been made live.

18. IT GOVERNANCE.

- The necessary structure for IT Governance in the bank has been set up with the formation of IT Strategy, IT Steering & IT Risk management committees in the Bank. Approval of IT policy and Hardware disposal policy for disposal of PC, Printers, ATM, etc was approved by the IT Steering Committee.
- Electronic Gadget Policy was adopted to provide clarity regarding to allotting electronic gadgets to the executives, surrendering/carrying the same on transfer/ reallocating the same in case of surrender and retaining the same at the time of superannuation. In course of time, procurement of these gadgets may be required for various user groups/individuals and hence it is essential to have clarity for the entire procedure.

- I T Policy Version 1.3 was approved and adopted by the Board. The IT organizational structure should commensurate with the size, scale and nature of business activities carried out by the bank and the underlying support provided by information systems for the business functions. The broad areas or functions considered for IT organizational structure will include 'technology and development', 'IT operations', 'IT assurance', and 'supplier and resource management'. IT Department should ideally be headed by a Top Executive in the Rank of General Manager supported by Deputy General Managers. Each functional vertical of IT department should be headed by suitably experienced and trained senior officials, preferably not less than the rank of Assistant General Manager.
- Bank has also approved and adopted Patch Management Policy and Anti Piracy Policy for better Management.
- Preparation and submission of Balance Scorecard is carried out on regular basis and Performance rating under various parameters of IT projects are being done as per the advice of IT Strategy committee. Internal Audit and Surveillance for ISO-27001 certification and BSMS-25999 certification was conducted.

19. INFORMATION SECURITY.

- Bank has migrated to latest version of ISMS Certification (ISO 27001 : 2013) for our Data Centre, Disaster Recovery Centre & Near Site.
- Bank has completed renewal of ISO 23001 : 2012 BCMS Certification for our Data Centre, Disaster Recovery Centre & Near Site.
- Introduced Information Security Balanced Score Card to ascertain/measure the effectiveness of various information security controls/activities. Our CISO has been selected for an award by Dynamic CISO for such a valuable initiative in the field of information security.
- Participated in Cyber Drill conducted by CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team).
- Initiatives have been taken to declare Bank's critical assets as Protected System under section 70 of I.T.Act 2000 (Amended 2008). Letter sent to NCIIPC as well as Government of India.
- Initiated procurement process of Privilege Identity Management (PIM) solution to manage the activities of privileged users of various systems at DC/DR. Presently implementation process is under progress.
- Initiated steps for implementation DLP (Data Loss Prevention) in more effective manner.
- CISO has received Infosec Maestro Award and also an award from Dynamic CISO for outstanding performance in Information Security space. Further, second man (CM - Information Security) has received the CSO Next award instituted by CIO & Leader.

20. BIOMETRIC AUTHENTICATION FOR CBS USERS (STAFF):

- Bank has completed implementing Biometric authentication system (BAS) as an additional security measure.
- All the branches and offices enabled for biometric authentication and all the users with transaction capability have been made mandatory to login on CBS through Biometric Authentication

21. JEEVAN PRAMAAN

Jeevan Pramaan application for Digital Life Certificate Generation for Pensioners has been installed at all the RO/ZO/ branches of our bank. Central Govt/ Defense/State Govt pensioners can be enroll for Digital Life certificate from any ZO/RO/Branch Location.

22. **MISCELLANEOUS PROJECTS.**

- Implementation of new e-Treasury Solution
- Implementation of New AML Solution
- Implementation of e-TDS System.
- Automation of regression testing
- Implementation of NACH
- Procurement of Hardware for Market Risk.
- Implementation of Host 2 Host connectivity for NACH products

- Implementation of Leveraging SFMS Platform for domestic LCs
- Implementation of System Driven IBR
- Mail Messaging System & Video Conferencing through NIC
- Review of existing IT related policies
- Implementation of Digital signature for Corporate INB customers
- Regularization of usage of licensed products like Microsoft Office
- Implementation of Ku Band VSAT on OPEX model at all feasible locations as the backup link
- Implementation of OTP as a second factor of Authentication for Debit Cards
- CPSMS - Digital Signature & POS Certification
- Wide usage of Video Conferencing facility which is made available on Bank's corporate network, Internet & iPads
- All regulatory compliance requirement that came up during the period.
- Off-site Monitoring: 66 reports have already been provided to Audit department for Off-site monitoring.
- Bank is in the process of Digitalisation of DMS and print management solution.

23. CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS):

- Under CMS, we are providing Collection and Payment solutions to our customers with tailor-made schemes to suit their requirements.
- The advanced CMS Application designed and developed by M/s Aurionpro has gone live on 01st January 2015. The application has two main modules viz Payments and Collections.

24. CLASS:

- CLASS system is a Loan Originating Software and the acronym for CLASS is Centralized Loan Appraisal System and Supervision.
- This is implemented with Monitoring Module for Retail, Agriculture, MSME and Corporate modules.
- After the introduction of this system, the enforcement of credit rules for sanctioning of loans has become easy and the procedures have become uniform across the branches.
- At present, this software is used by all the branches for Loan origination of Retail Loans etc.
- A facility for online submission of retail Loan applications under this software is available.
- Both online and offline loan applications tracking facility is also available through this software over the internet.
- Newly Launched NSDL Vidyalakshmi Portal for education Loans is linked with CLASS already.
- This software is capable of displaying RBI defaulters list.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. There were 2300 branches with Medium Risk Rating, 2296 branches with Low Risk Rating and 64 branches with High Risk Rating as on 31.03.2016. No branch of the Bank is rated under Very High Risk or Extremely High Risk.

During FY 2015-16, 32 Regional Offices, 13 Zonal Offices and 13 Central Office Departments were subjected to Management Audit.

Bank has covered 994 Branches/SSB/CO Depts. under Concurrent Audit by the Firms of Chartered Accountants. All 7 Corporate Finance branches are under concurrent audit by Bank's official of Senior Management Grade. Around 56% of aggregate deposits and 77% of aggregate advances as of 31.03.2016 are covered under Concurrent Audit. 330 firms are RBI Category I, 260 are category II, 216 are category III and 188 are RBI Category IV firms.

Out of these, 761 firms are those whose partners/employees have undergone Certificate Course on Concurrent Audit of banks, conducted by the ICAI. This helps in improving coverage and quality of reporting by the Concurrent Auditors.

Bank has also introduced Offsite Monitoring system as per the guidelines of Dept. of Financial Services, Ministry of Finance Govt. of India and presently alerts are generated on 58 scenarios.

BRANCH EXPANSION

- As on 31st March 2016, Bank has network of 4728 branches, 3677 Ultra Small Branches, 5254 ATMs, 29 satellite offices and 4 Extension Counters. Bank is having pan India presence covering all 28 States, 6 out of 7 Union Territories, 561 District Head Quarters and 568 Districts out of 642 districts in the country.

DISTRIBUTION OF BRANCHES

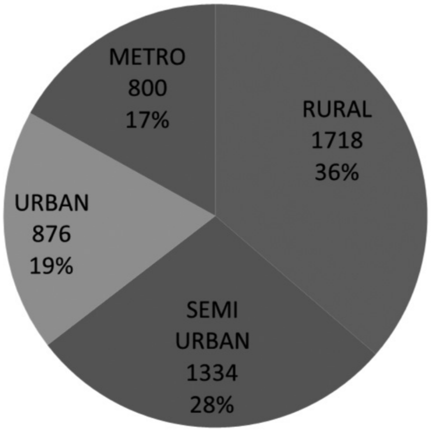

OPERATIONS

- All the customers related policies i.e. Cheques Collection Policy, Compensation Policy, Bank Deposit Policy, Grievances Redressal Mechanism were revised and updated during the year.
- Bank's new, expended and modernized call Centre with added facilities will be functional by 30/06/2016.
- Bank has introduced the concept of Mystery Shopping in Branches to know the ground realities in vogue at branches and to assess the level of customer service rendered by branches.
- Centralized remittance of TDS introduced w.e.f. September 2015.
- Customer Right policy has been updated.
- Customer service committee portal may developed and made live.

Customer Grievances

Bank is having a new Grievance Portal with user friendly features as a part of Internal Grievance Redressal Mechanism. To have zero tolerance for customer complaints against staff misbehavior bank is having a panel of retired General Managers of other PSBs for independent and impartial investigation in the misbehavior incidents.

RAJBHASHA

- During the financial year 2015-16, our Bank was awarded with **First prize** in linguistic region 'C' and **Third prize** in linguistic region 'A' under '**Reserve Bank of India Governor Shield'** for the year 2013-14 for the best Implementation of Official Language Policy in the bank. These awards were received by Shri Rajeev Rishi, Chairman and Managing Director from Shri Raghuram G. Rajan, Governor, RBI.
- During the year 2015-16, our Bank has also received **'First'** prize for the best performance in implementation of Official Language Policy in state of Maharashtra by the State Level Bankers' Committee and **'Second'** prize for the best performance in implementation of Official Language Policy in state of Gujrat by the State Level Bankers' Committee.
- During this financial year, our Raipur and Guwahati Zonal Offices have been awarded **'First'** prizes and Regional Offices, Panaji-Goa, Barpeta Road got **'Second'** prizes and Regional Office, Upper Assam has been awarded **'Third'**

prize by Govt. of India, Ministry of Home, Rajbhasha Vibhag for the best performance in the field of Rajbhasha implementation.

- During this financial year, more than 30 Zonal Offices/Regional Offices/Branches were honoured with prizes by various Town Official Language Implementation Committees (TOLICs) working under the Government of India, Ministry of Home Affairs, Official Language Department. We are also the convener Bank for Town Official Language Implementation Committee of Bhopal, Gwalior, Raipur and Madurai.
- E-Magazines' are being published in hindi by most of the Rajbhasha Cells of our Zonal Offices and Regional Offices.
- Parliamentary Committee on Official Language had inspected our Regional Office, Agra on 13.02.2016 and Bangluru on 07.01.2016 as well as Branch Offices, Kalimpong on 09.04.2015 and appreciated our efforts in implementation of Official Language Policy of the Govt.
- Under Core Banking Solutions also facilities have been provided by our bank to work in Hindi. We have provided the facility to print Passbooks, DDs, FDRs and statement of Accounts in Hindi to our customers. We are also providing the facility of use of hindi in Internet Banking. Provisions have been made to send SMSs in Hindi as well as other Regional Languages to our customers. Our bank's website is bilingual and it is being updated time to time. Besides, M-passbook, ATM slips are being provided in hindi to our customers. Our official home page of Facebook is in bilingual and each of its post is displayed in hindi and English. Customers can also write their suggestions in hindi too.
- All India Seminar of Rajbhasha Officers was organized in Varanasi under Lucknow zone on 5th and 6th February, 2016 during the year.
- Reserve Bank of India has announced three **'First'** prizes to our Bank for the excellent performance in implementation of Official Language Policy of Government in the linguistic regions 'A', 'B' and 'C'.

CORPORATE COMMUNICATIONS

It continued to be our endeavor this year to make consistent efforts with thrust on Low cost advertising to generate public awareness about our products & services through print, electronic, outdoor and other mass communication vehicles, to sustain and enhance our brand image while adopting go-green measures and to augment the business of our Bank with active engagement/involvement of field staff. For enhancement of visibility on pan India basis various publicity activities such as branding on Traffic barricades, No Parking Boards, Police booth, Utility Kiosks, Wall painting, Auto rickshaw, Bus & Train branding were done in addition to the sponsorship of Local sports/Yatras/Events/Kisan camps/conferences at the field level. To support these activities Local cable, FM Radio, Mobile app, UFO movies, PVR cinemas were also used.

- Bank has organized 188 health check-up camps cum blood donation camps for the customers and staff members during the year.
- Road Indicator Board at Sidhivinayak Temple, placement of traffic barricades at important locations attracted the attention of masses.
- Due to branding activities carried out using print, electronic and outdoor media vehicles, Bank's Brand was at 9th Rank amongst PSU Banks in India and 376th Rank amongst the Banks in the world as per annual ranking of most valuable 500 brands published by Brand Finance.
- Bank stood at 6th position as Trusted Brand under PSU Bank category as per Economic Times survey.
- Bank has been awarded Brand Excellence Award in Banking by ABP News for innovative Branding.

VIGILANCE

- To facilitate faster disposal of vigilance related complaints, on line complaints module was introduced in the Bank to track complaints on a real time basis. As a result, pendency has come down by more than 20% on YOY basis.
- Due to close follow up, number of vigilance cases has come down by 10% on YOY basis.
- Vigilance awareness week was conducted across the Bank in all branches to spread the culture of preventive vigilance. A quarterly news bulletin is being published to create awareness amongst all the staff members.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

1. **MANPOWER:**

At the end of March 2016 the staff strength of the Bank stood at 37,685 as against 39,039 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	March 2016	March 2015
Officers	16115	16,247
Clerks	13103	14,098
Sub-staff	8467	8,694
Grand Total	37685	39,039

2. **HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:**

(i) **Executive development Programme for 5 star rated Branch Managers**

The objective of the Scheme is to encourage the spirit of competition among the employees towards achieving the targets and to promote performance differentiation by recognizing and rewarding the performing officers for their contribution to Business development management . The 5 star rated Branch Managers were given executive development training in abroad.

(ii) **Enhancement of quantum of loan of House Building Advance to Officers and Award Staff.**

The existing ceiling on quantum of House Building Loan has been revised w.e.f. 8.8.2015 for officer from ₹ 20 lakh to ₹ 50 lakh, and for Clerk from ₹ 12 lakhs to ₹ 25 lakh for clerk and for sub-staff from ₹ 8 lakh to ₹ 15 lakh.

(iii) **Revised Salary and Allowances and arrears to employees (Officers & award Staff) as per 10 th Bipartite Settlement/ Joint Note dtd. 25.05.2015.**

All employees are exhorted to invest the incremental salary and amount of arrears arising out of the recent 10th Bipartite settlement/ Joint Note dated 25.05.2015 as saving for future under recurring/fixed deposits with our bank. Such an endeavor on part of employees enable them to utilized incremental salary and arrears (with accumulated interest) as source of financial avenue to them and their families when it is most needed in future, besides improving deposit portfolio of the bank business.

(iv) **Increase in limit of Conveyance Loan to Officers for purchase of Motor Car.**

The limits of conveyance loan to Officers for purchase of motor car has been increased from the existing ₹3.50 lakhs to ₹ 7.00 lakhs. Also the rate of interest, take home pay norms and provision for second conveyance loan were also revised.

(v) **Relief loan to our pensioners affected by unprecedented floods and massive devastation caused to lives and property in northern parts of the state of Tamilnadu and the Union Territory of Puducherry during December 2015.**

Relief Loan (Demand Loan) to all our pensioners suffered loss/ damage to household/ property due to devastating floods in the in northern parts of the state of Tamilnadu and the Union Territory of Puducherry to the extent of ₹ 75000/- or amount of loss whichever is less.

(vi) **Implementation of Medical Insurance Scheme for serving Employees (Officers and Award staff) in terms of 10th BPS/Joint note dated 25th May 2015.**

In terms of 10th Bipartite Settlement & Joint Note dated 25.05.2015 a new Medical Insurance Scheme (MIS) has been introduced in lieu of existing scheme for reimbursement of Hospitalization expenses for serving employees. Also one time option for retired employees, family pensioners have been given for joining the Medical Insurance Scheme The scheme is implemented in association with United India Insurance Company Ltd.

(vii) **Amendment in Careerpath-cum-promotion policy for Mainstream officers & Specialist category officers.**

Certain changes have been approved by the Board of Directors in its meeting held on 19.02.2016 in Careerpath-cum-promotion policy for Mainstream officers & Specialist category officers such as weightage marks for various processes rationalized , provision for refusal of promotion when selected dispensed with, uniformity in ratio of 70:30 of vacancies between Written Test and Normal Channel process from Scale I to Scale IV etc.

(viii) **Updated version of Central Bank of India (Officers) service Regulations, 1979 (OSR) as on 31st December, 2015.**

An updated version of Central Bank of India (Officers) service Regulations, 1979 by incorporating major provision of joint note dated 25.05.2015 various changes/additions, etc were brought out in major HR policies/ schemes/ rules/procedure etc up to 31.12.2015.

(ix) **Scheme for grant of Silver Jubilee Awards to the employees under Central Bank of India Silver Jubilee Award Scheme- enhancement in ceiling of the Award.**

The cost ceiling of the Award under Central Bank Of India Silver Jubilee Award Scheme stands enhanced to ₹ 5000/- from existing ₹ 2000/- w.e.f. 9.2.2016

3. **TRAINING:**

Training Calendar has been prepared for the year 2015-16. In the approved training plan, priority is given to training on Credit (Retail, MSME and agriculture), Recovery, Forex, and Risk Management and Behavioral aspects**.**

Special Training initiative taken during the year 2015-16 are as under:-

- Advanced Leadership Management Programme for all General Managers at IIM, Ahmedabad was held during the year.
- Leadership Development Programme for Dy. General Manager/Sr. Regional Managers and Regional Managers was conducted at ASCI Hyderabad during the year.
- As per recommendations of Succession Planning, Advanced Credit Management Programme was conducted at IDBP Noida for 25 Asst. General Managers & for 24 Chief Managers a customised training programme was conducted at NIBM, Pune.
- Executive Development programme for twenty 5 star rated Branch Managers was conducted during the year at NIBM Pune and IMT Dubai.
- "MANTHAN", a specially designed soft skill training Programme has been started during the year. The Programme will run till September 2016 and cover all the employees up-to Scale V of the Bank. The Programme aims to bring attitudinal change amongst the employees.
- Project on Succession Planning, Talent Hunt and Leadership Positions etc. for Officers in Scale IV was entrusted to NIBM Pune during the year, as per the recommendations of HR Committee of the Board. The same exercise has been started internally for Officers in Scale III. The process involves identification of all key positions and future potential candidates and developing them through appropriate training, job rotation and mentoring.
- Initial shortlisting was done by us on the basis of residual period of service of not less than 05 years for Scale IV and not less than 10 Years for Scale III & average APAR marks for last three years not less than 80. Accordingly two batches of 65 and 93 Scale IV Officers were shortlisted and their APAR for last three years and service record summary was handed over to NIBM. For Scale III Officers 1st Batch of 90 Officers was shortlisted and their APAR for last three years along with service record summary was handed over to the three committees (3 General Managers in each committee), specially constituted for the purpose.
- All the shortlisted Officers were recommended for next phase i.e. GD, Psychometric Test and Personal Interview which was held at NIBM Pune for Scale IV Officers and SPBT College for Scale III Officers.
- Reports of the exercise were received from NIBM Pune for both batches and training has been given to the first batch participants as per the recommendation of NIBM.
- Grading of participants as given by NIBM for Scale IV Officers and that for Scale III Officers given by internal committee have been utilized in the recent promotion process and their posting suggestions were also sent to Regional/Zonal Offices for giving them suitable posting as per recommendations.
- For enhancing awareness among staff members 17 Quiz competition organized by various departments in which 21058 staff participated.

During the year 2015-16, 1463 Programme including class room, Locational and Special Training were conducted covering 33779 participants and 1, 26,436 man days by three training colleges and 16 Zonal Staff Training Centers. These apart 564 Officers in various scales were nominated for specialized training programme conducted by external training agencies like NIBM, CAB, and IDRBT etc. Further 43 Officers have been sent for foreign training programme / workshop/summits/exposure visit in the year 2015-16.

3. **RECRUITMENT & PROMOTIONS**:

In the year 2015-16, recruitment process was held for 1060 posts encompassing Probationary Officers, Agriculture Finance Officers, Law Officers, Rajbhasha Adhikhari Security Officers, Clerical staff and Sub- Staff.

Due to pending review petition in Supreme Court on reservation in Inter Scale promotion, only promotion process from Scale VI to VII and clerical to officer was conducted in year 2015-16. 513 clerks were promoted as officers in this process and 4 Scale VI officers were promoted to Scale VII.

After the outcome of the review petition, the vacancies for all remaining Promotion process of 2015-16 were clubbed together with the vacancies of Promotion Process 2016-17 and Promotion Process 2016-17 were conducted in March/ April 2016.

4. **IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY** :

The Bank has been implementing the guidelines/instructions received from Govt. of India/Indian Banks' Association on Reservation Policy and concessions and relaxations are extended to SCs/STs/OBCs/PWDs as admissible in the Reservation Policy.

During year 2015-16, the Parliamentary Committee on Welfare of SCs/STs visited Ahmedabad on 11.06.2015. The committee had a discussion with member of welfare association and with Executives of our bank and discussed on various issues of reservation policies.

Dr.Lata Omprakash Mahanto,Honorable Member National Commission for Safai Karmachari visited Pune on 07.03.2016 and had discussion with Welfare Association members and Executives of our Bank on various issues of Safai Karmacharis.

5. **STAFF WELFARE SCHEMES** :

(i) **The following staff welfare schemes for the year 2015-16 implemented as per staff welfare committee meeting held on 7.7.2015:**

- Reimbursement of college/school & tuition fees to sons/daughters of the employee.
- Rewarding the children of the employees who passed SSC/HSC Meritoriously.
- Relief to the family of the employee who died in harness.
- Reimbursement for additional hospitalization expenses to staff members and/or dependence
- Reimbursement incurred on health check up in respect of employees and their dependence who are aged 40 plus.
- Canteen subsidy for branches
- Reimbursement of hospitalization expenses to retired employees
- Holiday home and transit home/flats
- Sports and cultural activities.
- Provision of medical facilities to staff by appointing part time doctors and cost of medicines.

6. **INDUSTRIAL RELATIONS** :

The Industrial Relations during the year remained generally cordial.

CREDIT CARD OPERATIONS:

- The bank has Credit Card base of 114446 & Prepaid Card base of 704232 as on 31st March 2016.
- The bank issues Credit Cards with major Card Association's viz. MasterCard & Visa. Prepaid Cards are issued in association with MasterCard.
- Bank issues only EMV Chip based Credit Cards for customers.
- Bank has launched dedicated Web Portal for Credit card.
- Credit Card functionality is also developed on mobile banking.
- EMI option for on line purchases by Credit Card is developed and implemented.

ATM /DEBIT CARD OPERATIONS

- Total number of ATMs as on 31.03.2016 is 5254. During FY 2015-16, 455 ATMs are installed & 36 low hit Offsite ATMs

are closed.

- Out of 4624 branches opened up to 31.03.2015, 4454 branches are linked with ATM as on 31.03.2016.
- 60 % of the Bank's ATMs are located in Rural & Semi-Urban areas.
- Uptime at present is 97 % and aiming to improve it to 99 %.
- Average hits per day is on the rise due to increase in cards, relocation & closing of low hit ATMs.

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

i. **CENTBANK HOME FINANCE LIMITED**

- Owned funds have increased from Rs 88.19 crores as on March 2015 to Rs 91.12 crores as on March 2016 due to consistent growth in profits.
- During the year the total advances of the company improved from ₹ 803.53 Crores in March, 2015 to ₹ 1110.21 Crores as on March, 2016, Y-o-Y growth of 38.17%. Housing loans have increased from Rs 628.77crores in March 2015 to Rs 881.04 crores as on March 2016 registering growth of 40.12%. Non Housing loans increased to Rs 229.29 crore from ₹ 171.68crore registering growth of 33.56%.
- The retails deposits and institutional deposits have increased from Rs 413.08 crore in March 2015 to Rs 562.61 crore in March 2016, a Y-o-Y growth of 36.20%.
- The Net Profit of the Company stood at ₹ 13.44 Crores for full year 2015-16, as against the level of ₹ 12.10 Crores for full year 2014-15. The reason for increase in profit is due to increase in Interest income on account of fresh disbursements.
- Earning per Share is ₹ 5.38 (₹10 per share) [Previous Year ₹ 4.84].
- NPA stands at ₹ 23.30 crores in March 2016 as against Rs 15.59 crores in March 2014.
- Net NPA to Net Advances is at 2.09% as on March 2016.
- Return on Assets is 1.34%. [Previous year 2.79%].
- CAR works out at 17.98% as on 31st March 2016.

ii. **CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED**

- Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship activities; while the Company has discontinued carrying on Mutual Fund Advisor activity.

Financial Update:

- The company earned a Net Profit of ₹ 2.00 crore for the year ended 31 March 2016 against Net Profit of ₹ 3.15 crore in the previous year,
- Segment-wise earnings:

(*Amounts in Rupees*)

Particulars	FY 2015-16	FY 2014-15
Fees from Executor Trusteeship	40,97,743	35,78,295
Fees from Debenture & Security Trusteeship	2,56,73,602	2,06,85,035
Syndication Fees	-	1,14,29,650
Advisory Fees		2,38,63,480
Arranger Fees For Capital Market	-	
Brokerage from Mutual Fund	-	
Total	**2,97,71,345**	**5,95,56,460**

iii **INDO-ZAMBIA BANK LTD.**

- The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity.
- Bank's financial year is the calendar year.
- The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- As at the end of December 2015, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwatcha 1 each value of which in INR terms stood at ₹ 47.48 crore.
- During the year the Bank declared dividend for the year 2014. Accordingly, our Bank received dividend of USD 430,000/- equivalent to ₹ 2,80,38,996/-.

iv. **Regional Rural Banks :**

- We have 3 RRBs as on 31st March 2016 in 3 states covering 47 districts with a network of 1629 branches.
- Being sponsor Bank, we have invested ₹ 277.11 crore as 35 % of capital of RRBs. Besides this we have invested ₹ 69.35 crore as perpetual Bonds in these RRBs

(Amount in ₹ Crore)

Name of RRBs with its HO & State	No. of Dist. & Branches	Total Deposits	Total Advance	Gross NPA	Net Profit
Central Madhya Pradesh GB. Chhindwara (M.P).	25/455	6284.52	3851.84	387.91	2.54
Uttar Bihar GB. Muzaffarpur (Bihar)	18/1032	11759.31	6801.03	123.11	10.31
Uttarbanga Kshetriya GB. Coochbehar (W.B.)	4/142	2309.76	1142.21	210.86	3.22
Total	**47/1629**	**20353.59**	**11795.08**	**721.88**	**16.07**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- CSR is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.
- It is our continuing commitment to donate under CSR through the organization/Trust working for poor, downtrodden people of society for their upliftment for education, health, natural calamities and overall social welfare of the society
- CSR Budget for the financial year 2015-2016 was 6.06 crores.
- During financial year 2015-2016 Rs 74,86,309/- were disbursed by Central Office and ₹ 42,95,253/- by Zonal and Regional offices under CSR.

ACHIEVEMENTS

- During the year Bank has added 419 ATMs to reach 5254 ATMS.
- Our bank was the 3rd amongst the PSBs to launch MUDRA Card. Our Bank was the first branch to issue live MUDRA Card on NPCI Platform.
- During the year, Priority Sector Department had launched following new products :

  i. Credit Guarantee Scheme for Scheduled Castes.

  ii. Cent Hosiery

  iii. CENT MUDRA- MUDRA CARD.

iv. **NATIONAL URBAN LIVELIHOOD MISSION- CENT SAHARI JEEVIKA**

- **Key Achievements under Mudra Scheme :**

  As our bank has implemented **MUDRA Scheme** which has helped many borrowers in improving their livelihood. Among the borrowers who have benefitted by improving their livelihood are:

  - Success story of Ms. **Mamata Sharma** , who had taken **MUDRA loan** for making Bhopalibatua , from our Imami gate branch, Bhopal was taken up in "Mann Ki Baat" speech by Prime Minister on 29.11.2015..
  - Success stories of two **MUDRA loan** borrowers, viz. , MS. **Renu Devi**, of Pranpur Branch, Khatihar, Purnea R.O and **MR. Rakesh Kumar** of D.S. College , Khatihar, Purnea R.O have been selected by DFS , Govt. of India for publicity AD in Kurushetra & other Govt. Sponsored Media 'BLITZ' for MUDRA loans in February 2016.
  - Further our branches are extending finance to borrowers under **Micro Enterprises segment**: Due to this support one of the Women entrepreneurs of **Mandvi branch , MRO** was awarded First Prize under Productivity and Innovation was awarded by Union Minister for MSME , Shri Kalraj Mishra to Micro Enterprise unit: M/s Archana Corporation,- **Mrs. Archana Gaikwad, proprietor**.

WAY FORWARD

- To achieve 50% growth in the fee based income through Bancassurance Business in FY 2016-17.
- To create pool of 4000 Specified Persons to carry Bancassurance Business.
- To identify additional insurance partners and to have tie ups with two companies in each segments i.e. Life, General and Health insurance during the year.
- To establish full-fledged Grievance Redress Cell for Bancassurance Business to comply with new IRDAI guidelines.
- To put system in place for MIS requirement as per new IRDAI guidelines with the help of insurance partners.
- SHARE OF CASA deposits to be IMPROVED.
- We have implemented "Stand Up India" Scheme in our bank with existing available schemes. We intend to prepare a separate product for "Stand Up India" in FY 2016-17.
- We are insisting on online filing of applications in the webportal www.standupmitra.in by all branches in order to have transparency in sanction of loan to borrowers and online reporting to Govt. of India and SIDBI.

AWARDS & ACCOLADES

- During the Financial Year 2015-16, Bank received first prize in "RBI Rajbhasha Shield Scheme."
- Bank was awarded with Excellence for RSETI functioning.
- Bank was awarded first prize for Excellent Implementation of Official Language Policy of Government of India.
- Bank received the "Banking Technology Award" for Best Technology Initiative for Financial Inclusion in the Runner Up Category.

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy of Corporate Governance

- Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.
- The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.
- ICRA Limited has reaffirmed the "CGR3+" (pronounced CGR Three plus) rating to the Corporate Governance practices of our Bank. This rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, conventions and codes as would provide its financial stakeholders a high level of assurance on the quality of Corporate Governance.

Board of Directors

- The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.
- The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.
- During the year under review i.e. 2015-16, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2016	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India as on 31.03.2016		Directorship of other Companies as on 31.03.2016	Whether attended last AGM held on 30.06.2015
						Member	Chairman		
1.	Shri Rajeev Rishi	Chairman and Managing Director	From 01.08.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS. SRC, IFRS, VIG CAC, HR, MRC, CRC	MCB, RMC, LVFC, CSC, IFRS, VIG, CAC, HR, MRC, CRC	-Indo Zambia Bank Ltd. -India Infrastructure Finance Co. Ltd.	Yes
2.	Shri R.K.Goyal	Executive Director	From 11.01.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	-Cent Bank Home Fin. Ltd. -Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2016	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India as on 31.03.2016		Directorship of other Companies as on 31.03.2016	Whether attended last AGM held on 30.06.2015
						Member	Chairman		
3.	Shri B.K. Divakara	Executive Director	From 23.01.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd. -Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes
4.	Shri R. C. Lodha	Executive Director	From 11.03.2015	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	NIL	Yes
5.	Dr. Saurabh Garg	Government of India Nominee Director	From 19.02.2014	NIL	Administration	ACB, RMC, LVFC, RC, VIG, MRC, HR	RC	NIL	No
6.	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RC, VIG	NIL	NIL	No
7.	Shri M.P. Shorawala	Part Time Non-official Director	From 03.01.2013 To 02.01.2016	NIL	Lawyer	MCB, RMC, ITS, CSC, HR	ITS	Vishwa Lakshmi Exports (P) Ltd.	Yes
8.	Shri Krishan Sethi	Part Time Non-official Director	From 28.02.2013 To 27.02.2016	NIL	Professional	ACB, RMC, LVFC,	ACB	NIL	Yes
9.	Shri S.B. Rode	Officer Employee Director	From 02.04.2013	133	Banker	MC, LVFC, CSC, SRC	NIL	NIL	Yes
10.	Shri Gurbax Kumar Joshi	Workmen Employee Director	From 10.07.2013	NIL	Banker	MCB, CSC, ITS, SRC	NIL	NIL	No
11.	Smt. N.S. Rathnaprabha	Part Time Non-official Director	From 19.12.2013	NIL	Social Service	ACB RMC, SRC, CSC, RC,	SRC	NIL	Yes
12.	Shri S. Bandyopadhyay	Share-holders' Nominee Director	From 01.07.2015	100	Administration	ACB, RMC, ITS, SRC	NIL	IL&FS Ltd.	Not a Director on the date of AGM
13.	Shri K.R. Patel	Share-holders' Nominee Director	From 01.07.2015	163	Professional	MCB, LVFC, ITS, SRC,	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM

The Chairman and Managing Director and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

MCB	-	Management Committee of the Board
ACB	-	Audit Committee of the Board
RMC	-	Risk Management Committee
LVFC	-	Large Value Fraud Committee
CSC	-	Customer Service Committee
ITS	-	Information Technology Strategy Committee
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
RC	-	Remuneration Committee
IFRS	-	International Financial Reporting Standards Committee
VIG	-	Vigilance Committee
CAC	-	Credit Approval Committee
HR	-	Human Resources Committee
MRC	-	Monitoring of Recovery Committee
CRC	-	Capital Raising Committee

Brief Profile of the New Directors

1. **Shri Supratim Bandyopadhyay, Shareholder Director (D.O.B. 17.01.1958)**

   Shri Supratim Bandyopadhyay is a Science Graduate in Chemistry from Kolkata University and an Associate Member of the Institute of Chartered Accountants of India.

   He joined LIC of India in the year 1985 as a Direct Recruit Officer and has handled various portfolios/responsibilities including Treasury functions, Fixed Income & Corporate Bond Investments, Equity Market Investments and Back Office functions etc. in his career span of over 30 years. With effect from June 2014 he took charge as MD & CEO of LIC Pension Fund Ltd. He is also on the board of Infrastructure Leasing & Financial Services Limited.

2. **Shri Ketul R. Patel, Shareholders' Nominee Director (D.O.B. 10.08.1974)**

   Shri Ketul Patel is a Commerce & Law Graduate from Gujarat University and a member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He also holds Diploma in Information Systems from ICAI.

   Shri Patel is presently the Managing Partner of R.S. Patel & Co., a 47 year old accounting & consulting firm.

   He was professional director on the board of largest Multi State Scheduled Coop. Bank of Gujarat. He was secretary to Chartered Accountants Association., Ahmedabad (CAA) from 1999-2001. He was also a member on the committee of Banking, Finance & Insurance of Gujarat Chamber of Commerce & Industry for a period of two years.

Details of other Directors

1. **Shri Rajeev Rishi, Chairman & Managing Director (D.O.B.30.08.1959)**

   Shri Rajeev Rishi has been a University Rank holder, National Merit Scholar and is a Law Graduate from Punjab University, Chandigarh. He is also a Sport Enthusiast and represented his college in Table Tennis and Chandigarh in National Roller Skating Meet.

   Prior to his present assignment, as CMD of the Bank w.e.f. 01.08.2013 he was Executive Director in Indian Bank which responsibility he was holding since October 2010.

   He started his banking career with Oriental Bank of Commerce as a Probationary Officer on 12.05.1979 and served for 3 decades in various positions and geographies. He has 25 years of field exposure in branches and regions. He was General Manager-Human Resources, Third Party Product Marketing & Board Secretariat from 2005 to 2010. He has successfully handled the HR integration in Global Trust Bank's merger with Oriental Bank of Commerce. He is a member of IBA Standing Committee on HR.

2. **Shri R.K. Goyal, Executive Director (D.O.B. 01.01.1957)**

   Shri Raj Kumar Goyal joined Bank of India (BOI) on 12.05.1977. A career Banker and a thorough professional, he has worked in various capacities during the last 37 years. His diverse assignments at various stages include General Operations, Credit, International Banking and HR. He has worked extensively in Credit, particularly Large Credit and

has successfully headed three Large Corporate Banking branches of BOI. During his tenure of 4 years at BOI"s London Branch, he handled many important portfolios including Loan Syndication and Investments. He is known for his administrative capabilities and believes in team work.

Shri Goyal joined as Executive Director, Central Bank of India w.e.f. 11th January 2013.

3. **Shri B.K.Divakara, Executive Director – (D.O.B. 17.07.1960)**

Shri Divakara is a chartered accountant, cost accountant and a Company Secretary. He started his career as a Chartered Accountant in Corporation Bank in 1986. He was promoted as Chief Manager in 1997, AGM in 2000, DGM in 2007 and GM in 2010. He joined Central Bank of India as ED w.e.f. 23.01.2013. He has worked as a Zonal Head and also handled various portfolios such as Corporate Sanctions, Printing & Stationery, Official Language Policy Implementation, Support Services, ATM Mgt, Credit Rating, Fee Income, CDR, Loan Syndication etc.

4. **Shri R.C. Lodha, Executive Director (D.O.B. 14.02.1957)**

Shri R.C. Lodha before his elevation as an Executive Director of Central Bank of India w.e.f. 11.03.2015, was General Manager in Union Bank of India – on deputation to Oriental Bank of Commerce as Chief Vigilance Officer at HO, Gurgaon.

The path of his banking journey is enriched with varied experience of every banking department. He has worked at different locations pan India and has headed rural, semi urban and metro branches. He has headed Regional Office, Delhi and had a successful tenure as FGM at Pune & Delhi Zones. He also had the opportunity to work as the Board Secretary at MDO at Union Bank's Central Office, Mumbai.

He has been conferred many internal awards, notable being the twice won Super Achiever Award for 2006-07 & 2007-08 for all round performance at Baroda & Ahmedabad branches. He also had the privilege of being Chairman's Club Member three times.

Outside the Bank, he has been conferred the C.H. Bhabha Research and Scholarship Award 2000-2001 from the Indian Banks' Association, Mumbai, besides other awards.

5. **Dr. Saurabh Garg, Government Nominee Director – (28.07.1964)**

Dr. Saurabh Garg is an eminent scholar. He has completed B. Tech from IIT-Delhi in Chemical Engg-Bio Technology. He has done MBA (Mgt. Finance) from IIM-Ahmedabad. He has received certification in Globalisation & Urban Development from London School of Economics & Political Science, London, UK. He has completed his Ph. D. from Paul Nitze School of International Studies, Hopkins University, Washington, USA.

Dr. Garg is also an IAS 1991 Orissa Cadre. After serving in Orissa State Cadre, he joined as Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi in April, 2002. During his tenure in State Cadre, he held various important portfolios like Project Director, DRDA, Kalahandi & Project Director, Energy Dept., during 1993-1996. He also held the post of MD, IDCOL Cement Ltd. during 1996-98. He worked as a Collector of Bargarh & Keonjhar Districts and also as a Director, Watershed Dev Deptt. He has been working as a Joint Secretary in Dept. of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 04.05.2012.

Details of awards received by Dr. Garg :

1988 – Gold Medal for Academic Excellence

1993 – Best All round probationer of 1991 IAS Batch

Details of Publications:-

2000 (Public Administration)

Some intervention and experiences in improving service through Government Delivery Systems 2010 (Finance)

Indian Infrastructure Vision – Financing challenges.

6. **Shri Shekhar Bhatnagar, RBI Nominee Director – (17.07.1958)**

Shri Bhatnagar is B.Sc., M.A. (Lucknow University) and MBA (In Finance) from FMS, New Delhi. He joined Reserve Bank of India (RBI) in 1984 as officer (Grade "B') and worked in different capacities, in different departments of RBI like Currency Management, Banking, Department of Banking Supervision and Department of Non-Banking Supervision. He also worked as Regional Director, Reserve Bank of India in Kanpur, Uttar Pradesh. He is presently working as Chief General Manager-Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai.

7. **Shri M.P. Shorawala, Part Time Non Official Director (D.O.B. 15.10.1947),** is an Advocate-on-Record, Supreme Court of India, New Delhi, practicing for the last 27 years having assisted the Attorney General, Solicitor General and other Law Officers as well as Senior Advocates for the Union of India and also representing various local bodies in the Supreme Court. Apart from handling specific cases in Supreme Court, he has also handled the matters relating to Arbitration, Drafting of Contracts/Agreements, Patents and Trademarks, Cyber Law, Foreign Investments, FERA, Criminal cases, Customs, Corporate Cases, Company Law Board, Joint Ventures, Property cases, Banking, ITAT, Electricity, Taxation, Industrial & Labour Disputes and all other legal & criminal matters.

   Shri M.P. Shorawala was nominated by Government of India as Director on the Board of our Bank w.e.f. 03.01.2013 for a period of 3 years and ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 02.01. 2016 consequent upon completion of his tenure.

8. **Shri Krishan Sethi, Part Time Non Official Director (D.O.B. 10.05.1954),** is a Chartered Accountant in practice for the last 33 years. He has been practicing Financial Management, Audit, Tax Advisory, Arbitration work for Cooperative Banks and Cooperative Societies. His firm, M/s. Gupta Verma & Sethi, has been conducting concurrent audit/ inspection/stock audit/revenue audits of various nationalized banks during the last 32 years.

   Shri Krishan Sethi was nominated by Government of India as Director on Board of our Bank w.e.f. 28.02.2013 for a period of 3 years and ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 27.02. 2016 consequent upon completion of his tenure..

9. **Shri S. B.Rode, Officer Employee Director – (D.O.B.15.03.1957)**

   Shri Rode has been nominated by Government of India as a Officer Employee Director under clause (f) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years with effect from the date of notification (02.04.2013) or until he ceases to be an Officer Employee of the Bank

10. **Shri Gurbax Kumar Joshi, Workmen Employee Director-(D.O.B.10.07.1958)**

    Shri Joshi has been nominated by Government of India as a Workmen Employee Director under clause (e) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years with effect from the date of notification (10.07.2013) or until he ceases to be a Workmen Employee of the Bank.

    Shri Joshi joined the Bank on 27.07.1981 and has held the position of Vice President, All India Central Bank Employees Federation.

11. **Smt. N.S. Rathnaprabha, Non-Official Part Time Director (D.O.B. 19.07.1962)**

    Smt. Rathnaprabha is an eminent social worker & member of AICC. She holds the post of General Secretary of KPCC. She was former Chairperson of Karnataka State Handicraft Development Corporation Ltd., a Government of Karnataka Undertaking.

    She is actively engaged in social work. Her participation in public welfare works includes organization of eye donation camps, blood donation camps, family planning camps, mass marriages and workshops for women on various legal awareness.

Conduct of Board Meetings

During the year, 13 Board Meetings were held on the following dates:

18.04.2015	11.05.2015	12.05.2015	25.05.2015	20.06.2015
29.06.2015	08.08.2015	28.09.2015	08.10.2015	09.11.2015
22.12.2015	09.02.2016	26.02.2016		

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Rajeev Rishi	13	13	01.04.2015–31.03.2016
Shri R.K. Goyal	13	13	01.04.2015–31.03.2016
Shri B.K. Divakara	13	13	01.04.2015–31.03.2016
Shri R.C. Lodha	13	13	01.04.2015–31.03.2016

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Dr. Saurabh Garg	08	13	01.04.2015–31.03.2016
Shri Shekhar Bhatnagar	11	13	01.04.2015-31.03.2016
Shri M.P. Shorawala	10	11	01.04.2015-02.01.2016
Shri Krishan Sethi	13	13	01.04.2015-27.02.2016
Shri S.B. Rode	13	13	01.04.2015-31.03.2016
Shri Gurbax K. Joshi	13	13	01.04.2015-31.03.2016
Smt. N.S. Rathnaprabha	13	13	01.04.2015-31.03.2016
Shri S. Bandyopadhyay	07	07	01.07.2015-31.03.2016
Shri K.R. Patel	07	07	01.07.2015-31.03.2016

Management Committee of the Board:

- The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2016, it comprised 8 members consisting of the Chairman & Managing Director, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, and 3 other Directors which include 1 Shareholders' Nominee Director, 1 Workmen Employee Director and 1 Officer Employee Director. The Part-Time/Workmen directors are rotated every six months.

The Management Committee of the Board met 16 times during the year on the following dates:

18.04.2015	11.05.2015	25.05.2015	20.06.2015	29.06.2015
07.08.2015	22.08.2015	18.09.2015	28.09.2015	28.10.2015
07.12.2015	22.12.2015	29.12.2015	09.02.2016	26.02.2016
22.03.2016				

Attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Management Committee (From – To)
Shri Rajeev Rishi	16	16	01.04.2015 – 31.03.2016
Shri R.K. Goyal	16	16	01.04.2015 – 31.03.2016
Shri B.K. Divakara	16	16	01.04.2015 – 31.03.2016
Shri R.C. Lodha	15	16	01.04.2015 – 31.03.2016
Shri Shekhar Bhatnagar	14	16	01.04.2015 – 31.03.2016
Shri M.P. Shorawala	10	11	01.04.2015 - 21.12.2015
Shri S.B. Rode	12	12	01.04.2015 - 15.09.2015 22.12.2015 – 31.03.2016
Shri Gurbax K. Joshi	12	12	01.04.2015 – 21.12.2015 10.01.2016 – 31.03.2016
Shri S. Bandyopadhyay	06	06	29.09.2015 – 27.02.2016
Shri K.R. Patel	03	05	22.12.2015 – 31.03.2016

Credit Approval Committee:

- Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals upto ₹ 400.00 crore, compromise / write off proposals upto

₹ 10.00 crore, premises proposals upto ₹ 15.00 lacs per annum (Rural Area), upto ₹ 25.00 lacs per annum (Semi-urban Area), upto ₹ 50.00 lacs per annum (Urban Area) and upto ₹ 1.00 crore per annum (Metro Area). The Present Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors and General Managers in charge of Risk Management, Credit, Credit Monitoring, and Recovery.

- The Credit Approval Committee met 27 times during the year on the following dates:

17.04.2015	28.04.2015	19.05.2015	06.06.2015	22.06.2015
27.06.2015	14.07.2015	20.07.2015	29.07.2015	14.08.2015
29.08.2015	11.09.2015	24.09.2015	29.09.2015	08.10.2015
19.10.2015	06.11.2015	20.11.2015	30.11.2015	17.12.2015
30.12.2015	14.01.2016	22.01.2016	01.02.2016	29.02.2016
15.03.2016	30.03.2016			

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

- Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
- Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;
- Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- Following-up, in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interacting with the External Auditors before finalisation of the quarterly/half yearly/annual financial accounts and reports;
- Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
- Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;
- Qualifications in the Draft Audit Report;
- To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;
- Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.

The Audit Committee of the Board shall comprise of Executive Directors, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB.

Composition of the Audit committee as on 31.03.2016 is as under:

1	Shri B.K. Divakara	Member
2	Dr. Saurabh Garg	Member
3	Shri Shekhar Bhatnagar	Member
4	Smt. N.S. Rathnaprabha	Member
5	Shri S. Bandyopadhyay	Member

During Financial Year 2015-16, Shri Krishan Sethi, Part Time Non-official Director had been acting as Chairman of the Audit Committee from 01.04.2015 to 27.02.2016 when he retired as a Director; thereafter, Shri S. Bandyopadhyay was selected as Chairman of the Committee from amongst the Part-Time Non-Official members.

During the year, the Audit Committee met 15 times on the following dates:

18.04.2015	11.05.2015	12.05.2015	25.05.2015	20.06.2015	07.08.2015
22.08.2015	28.09.2015	28.10.2015	09.11.2015	07.12.2015	14.12.2015
18.01.2016	09.02.2016	26.02.2016			

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Shri Krishan Sethi	15	15	01.04.2015-27.02.2016
Shri R.K. Goyal	08	08	01.04.2015-28.09.2015
Shri B.K. Divakara	15	15	01.04.2015-31.03.2016
Shri R.C. Lodha	08	08	01.04.2015-28.09.2015
Dr. Saurabh Garg	09	15	01.04.2015-31.03.2016
Shri Shekhar Bhatnagar	13	15	01.04.2015-31.03.2016
Smt. N.S. Rathnaprabha	15	15	10.01.2015-31.03.2016
Shri S. Bandyopadhyay	00	00	27.02.2016-31.03.2016

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

Risk Management Committee

In terms of Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda N.BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and vide Board Agenda No.BM/09/2002-03/3.9 of meeting dated 25.11.2002, the Risk Management Committee of the Board is formed. The committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors, GOI Nominee Director, RBI Nominee Director and three Non Official Part Time Directors. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

20.06.2015	28.09.2015	22.12.2015	26.02.2016

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri Rajeev Rishi	04	04	01.04.2015-31.03.2016
Shri R.K. Goyal	04	04	01.04.2015-31.03.2016
Shri B.K. Divakara	04	04	01.04.2015-31.03.2016
Shri R.C. Lodha	04	04	01.04.2015-31.03.2016
Dr. Saurabh Garg	01	04	01.04.2015-31.03.2016
Shri M. P. Shorawala	03	03	01.04.2015-02.01.2016
Shri Krishan Sethi	04	04	01.04.2015-27.02.2016
Shri S. B. Rode	01	01	03.01.2016-31.03.2016
Shri Gurbax K. Joshi	01	01	10.01.2016-31.03.2016
Smt. N.S. Rathnaprabha	03	03	01.04.2015-09.01.2016

Remuneration Committee and Remuneration of Directors:

- The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholetime Directors. The Committee consists of Govt. of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 Independent Directors.
- The Remuneration Committee met on 25.05.2015 & 28.09.2015 for considering the performance-linked incentive to wholetime directors for the Financial Year 2015-16.
- The Non Official Independent Directors / Non- Executive Director were paid sitting fees of ₹ 20,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and ₹ 10,000/- for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board, apart from the Bank incurring the usual travelling and stay expenses. Sitting fees before July 2015 was ₹ 10,000/- for every meeting of the Board of Directors and ₹ 5,000/- for every meeting of sub-committees of the Board. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India / Reserve Bank of India.
- During the financial year 2015-16, the following amounts have been paid to the Chairman & Managing Directors and Executive Directors as total salary, allowances, incentives and perks:

Sr	Name	Rupees in lacs
1.	Shri Rajeev Rishi (CMD)	29.64
2.	Shri Raj Kumar Goyal (ED)	25.62
3.	Shri B K Divakara (ED)	23.15
4.	Shri R C Lodha (ED)	17.76

- During the year under review, the Bank has paid ₹ 12,20,000/- (Rupees Twelve lac twenty thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹ 12,75,000/- (Rupees Twelve lac seventy five thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non- receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two Independent Directors. Smt. N.S. Rathnaprabha was chairperson of the Committee during financial year 2015-16. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

25.05.2015	28.09.2015	07.12.2015	09.02.2016

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Smt. N.S. Rathnaprabha	04	04	01.04.2015-31.03.2016
Shri Rajeev Rishi	04	04	01.04.2015-31.03.2016
Shri R.K. Goyal	04	04	01.04.2015-31.03.2016
Shri B.K. Divakara	04	04	01.04.2015-31.03.2016
Shri R.C. Lodha	04	04	01.04.2015-31.03.2016
Shri S.B. Rode	02	03	01.04.2015-31.03.2016
Shri Gurbax K. Joshi	03	03	01.04.2015-31.03.2016
Shri S. Bandyopadhyay	01	01	22.12.2015-31.03.2016
Shri K.R. Patel	01	01	22.12.2015-31.03.2016

The details of Investor Grievances for the year 2015-16 (01.04.2015 to 31.03.2016) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	NIL
2	Letters Non Receipt of Share Certificate (s)	NIL
3	Non Receipt of Dividend Warrants	174
4	Not Receipt of Annual Report/EGM Notice	43
5	Non Receipt of Refund Order	7
6	Correction in Refund Instrument	NIL
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	12
8	Total Grievances received	236
9	Total Grievances attended/resolved	236
10	Total complaints pending at the end of the year	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.

Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Assistant General Manager-MBD/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges besides acting as the Compliance Officer for activities pertaining to Bankers to issue, Merchant Banking and Debenture Trusteeships.

Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the year, Bank has raised ₹ 165.57 crore (including premium) from Life Insurance Corporation of India on 31st March, 2016 by allotment of 3,14,41,088 equity shares on preferential basis. The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose. Further, the Bank has also received ₹ 535/- crore from Government of India on 30.03.2016 towards capital infusion by way of proposed preferential allotment of equity in favour of the Government of India and the same has been kept in the newly opened Bank Account namely,- "Central Bank of India Share Application Money Account". Bank vide its letter dated 28th March 2016 sought approval of Reserve Bank of India (RBI) to treat the said Capital funds as part of Common Equity Tier 1 (CET 1) Capital for the financial year ended 31st March 2016 pending allotment of equity shares to Government of India, which was granted by RBI vide its letter dated April 06, 2016.

Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also displayed on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

Code of Conduct

- The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management. Text of the same is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relation". All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.
- The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prevention of insider trading in Bank's security, copy of the same is also available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relation" .

Other Disclosures

- Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.

- It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed. During the year, there was no materially significant related party transactions that may have potential onflict with the interests of the Bank at large.
- The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the year under review.
- Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees. "Cent Vigil" is also available for Directors. Further, Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee subject to his/her prior approval on need basis. During the year 2015-16, no personnel has approached the Audit Committee on the subject-matter. This is further to affirm that no personnel has been denied access to the Audit Committee.
- The Bank has complied with the stipulated requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 read with Listing Agreement to the extent that the requirements of these regulations and agreements do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.
- Policy for determining 'material' subsidiaries is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relation"
- Policy on dealing with related party transactions is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relation"

Discretionary Requirements (Part E of Schedule II of SEBI Listing Regulations)

Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at entity's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has sent financial results for the half year ended 30.09.2015 and the financial year ended 31.03.2016 to Stock Exchanges & published in Newspapers. Besides this, the financial results were also posted on Bank's website.
3.	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank is having unqualified financial statements
4.	Separate posts of Chairman and CEO	Composition of the Board of our Bank is governed under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) read with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. As of now, the Bank is having one post of Chairman & Managing Director.
5.	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is accountable to the Audit Committee of the Board.

General Shareholder Information

9th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Thursday, 30th June, 2016 at 11:00 AM at 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021.

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2015-16
2. Date of Book Closure: 25th June 2016 to 30th June, 2016 (Both days inclusive)
3. No dividend was recommended for the financial year 2015-16

General Body Meetings:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Eighth Annual General Meeting	30th June, 2015 11:00 AM	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital / Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056
2.	Seventh Annual General Meeting	30th June, 2014 11:00 AM	------ Same as above ------
3.	Sixth Annual General Meeting	29th June, 2013, 11:00 AM	------ Same as above ------

In eighth annual general meeting, one special resolution was passed according thereby consent of the shareholders to the Board of Directors of the Bank and its committee namely-Capital Raising Committee to raise the capital upto the value of ₹ 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only)(including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank.

No special resolution was required to be passed last year through postal ballot. Also, no resolution has been proposed to be conducted through postal ballot in the ensuing AGM.

Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2016-17 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Bonds-Tier-II Capital position as on 31.03.2016

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series XI	04.10.2006	700.00	INE483A09153
Lower Tier II-Series XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Total		**5744.10**	

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2015-16 to the Exchange.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

NSE					
Month	**High Price (₹)**	**Low Price (₹)**	**No. of Shares**	**NSE Nifty**	
				High	**Low**
April 2015	110.15	101.60	25280576	8844.80	8144.75
May 2015	114.90	104.25	18975884	8489.55	7997.15
June 2015	107.00	95.10	13906944	8467.15	7940.30
July 2015	113.65	92.70	15471809	8654.75	8315.40
August 2015	110.95	60.10	19440168	8621.55	7667.25
September 2015	84.00	63.60	6299962	8055.00	7539.50
October 2015	88.20	81.05	3957817	8336.30	7930.65
November 2015	84.40	65.70	10015464	8116.10	7714.15
December 2015	72.90	66.50	4476738	7979.30	7551.05
January 2016	71.95	60.15	3226873	7972.55	7241.50
February 2016	62.50	47.90	6648588	7600.45	6825.80
March 2016	75.30	58.10	16028556	7777.60	7035.10

The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

BSE					
Month	**High Price (₹)**	**Low Price (₹)**	**No. of Shares**	**SENSEX**	
				High	**Low**
April 2015	109.95	101.65	12900313	29094.61	26897.54
May 2015	114.80	103.00	4635579	28071.16	26423.99
June 2015	107.00	96.00	4501315	27968.75	26307.07
July 2015	113.70	99.00	14201443	28578.33	27416.39
August 2015	110.85	60.10	7851042	28417.59	25298.42
September 2015	83.90	63.50	1796758	26471.82	24833.54
October 2015	88.45	81.35	1290394	27618.14	26168.71
November 2015	84.35	65.75	2516104	26824.3	25451.42
December 2015	72.70	67.50	1055989	26256.42	24867.73
January 2016	71.90	60.00	873728	26197.27	23839.76
February 2016	62.90	48.20	1475317	25002.32	22494.61
March 2016	75.20	58.50	5996145	25479.62	23133.18

Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/ grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-13, Pannalal Silk Mills Compound
LBS Marg, Bhandup (West)
Mumbai – 400 078
Tel: 022-25946970
Fax: 022-25946969
Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:
AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India
9th Floor, Chandermukhi
Nariman Point
Mumbai 400 021
Contact No. 022- 6638 7818
Fax No.: 022- 2283 5198
Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

Distribution of shareholdings as on 31.03.2016

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	**Number of shareholders**	**Percentage of Total**	**Shares**	**Percentage of Total**
1-500	141822	93.73	16075969	0.95
501-1000	5544	3.66	4290715	0.25
1001-2000	2192	1.45	3256842	0.19
2001-3000	591	0.39	1491595	0.09
3001-4000	312	0.21	1117760	0.07
4001-5000	184	0.12	864282	0.05
5001-10000	325	0.21	2391425	0.14
10001 and above	336	0.23	1660225681	98.26
Total	**151306**	**100.00**	**1689714269**	**100.00**

Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	**No. of Shares**	**%**
Life Insurance Corporation of India	245008569	14.50

Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 5% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	**No. of Shares**	**%**
Life Insurance Corporation of India	245008569	14.50

Shareholding pattern as on 31.03.2016

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2016						
Category of Shareholders	**No. of Shares**		**No. of Shareholders**		**Total Shares**	**% of holding**
	Demat	**Physical**	**Demat**	**Physical**		
Central Government	1350827438	0	1	0	1350827438	79.94
Clearing Member	1544241	0	251	0	1544241	0.09
Other Bodies Corporate	38504297	90	847	1	38504287	2.28
Directors	396	0	3	0	396	0.00
Financial Institutions	245008569	0	1	0	245008569	14.50
FII's	2850782	0	19	0	2850782	0.17
Government Companies	700	0	1	0	700	0.00
Hindu Undivided Family	1561885	0	4457	0	1561885	0.09
Mutual Fund	3316	0	1	0	3316	0.00
Nationalized Banks	245242	0	4	0	245242	0.01
Non Nationalized Banks	262527	0	4	0	262527	0.02
Non Resident Indians	475263	121600	755	1	596863	0.04
Non Resident (Non Repatriable)	161565	0	297	0	161565	0.01
Public	38596351	14926	144508	115	38611277	2.29
Trusts	116146	0	17	0	116146	0.01
G I C & Its Subsidiaries	6857218	0	4	0	6857218	0.41
Foreign Portfolio Investor (Corporate)	2561717	0	19	0	2561717	0.15
Total	**1689577653**	**136616**	**151189**	**117**	**1689714269**	**100.00**

Statement showing details of locked-in shares

Sr. No.	**Name of the Shareholder**	**Number of locked-in shares**	**Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)**
1	PRESIDENT OF INDIA	1350827438	79.94
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	245008569	14.50
	TOTAL	**1595836007**	**94.44**

Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr. No.	**Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)**	**Number of outstanding DRs**	**Number of shares underlying outstanding DRs**	**Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)**
	NIL	NIL	NIL	NIL

Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	**Name of the DR holder**	**Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)**	**Number of shares underlying outstanding DRs**	**Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)**
	NIL	NIL	NIL	NIL

Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2016 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	117	136616	0.01
NSDL	96685	310284777	18.36
CDSL*	54504	1379292876	81.63
Total	**151306**	**1689714269**	**100.00**

* Including 1350827438 (79.94%) held IN DEMAT form by the Central Government.

There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "***Unclaimed Suspense Account***" as on 31st March, 2016 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	255	34,299
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	15	1080
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	15	1080
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	240	33,219

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

Annexure I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2015-16.

Place: Mumbai
Date : May 27, 2016

[Rajeev Rishi]
Chairman and Managing Director

Certification under Clause 49 of the Listing Agreement

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Central Bank of India for the year 2015-16 and to the best of our knowledge and belief:

I. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading

II. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2015-16, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee

I. Significant changes in internal control over financial reporting during the year 2015-16

II. There is no significant changes in accounting policies during the year 2015-16 and the same have been disclosed in the notes to the financial statement and

III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or any employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(B.K.SINGAL)
General Manager & CFO

(RAJEEV RISHI)
Chairman and Managing Director

Place : Delhi
Date : May 13, 2016

CERTIFICATE

To the Members of Central Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2016 as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of Central Bank of India with stock exchanges.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement and or stipulated in SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations,2015.

We state that no investor grievance is pending against Central Bank of India as per the records maintained by the Stakeholders' Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA M.K.DOOGAR)
PARTNER
M.No.080077

For N.SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

(CA G.MUKHOPADHYAY)
PARTNER
M.No.010534

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA B.N.MISRA)
PARTNER
M.No.083927

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301051E

(CA R.P.SINGH)
PARTNER
M No.052438

For PATHAK H D & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)
PARTNER
M No.015585

Place : Delhi
Date : May 13, 2016

DOOGAR & ASSOCIATES 13, Community Centre, East of Kailash, **New Delhi - 110065**	**N SARKAR & CO** 21 PrafullaSarkar Street 2nd floor **Kolkata- 700072,** **West Bengal**	**B N MISRA & CO** S-29 , MaitriVihar, Phase – II In front of Satyam Development Centre **Bhubaneshwar- 751023 Orissa**
CHANDABHOY & JASSOOBHOY 208,Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, **Mumbai-400013** **Maharashtra**	**LODHA & CO** 14 Government Place East, **Kolkata-700069,** **West Bengal**	**PATHAK H D & ASSOCIATES** 814-815,Tulsiani Chambers, 212 Nariman Point, **Mumbai-400021** **Maharashtra**

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Central Bank of India

Report On the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Central Bank of India as at March 31, 2016 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016 and Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies, notes and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of **20** Branches, **24** Regional Offices audited by us out of a total of **4728** branches, **59** Regional Offices, and **1958** branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns of **2750** branches, **35** Regional Offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for **11.43%** of advances, **31.35%** of deposits, **6.95%** of interest income and **26.45%** of interest expense.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India Guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   (a) the Balance Sheet read with significant accounting policies and the notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(b) the Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

We invite your attention to:

a) Note no. 5.3 (I & II) of Schedule 18 regarding provision in respect of segment of loan/ bonds non envisaged / envisaged to be converted into SDL Bonds in relation to Power Distribution Cos. (DISCOM) pursuant to UDAY Scheme;

b) Note no. 11 (g) of Schedule 18 regarding recognition of deferred tax asset on provision on Non Performing Assets;

c) Note no.5.4 of Schedule 18 regarding provision on advances to Food Corporation of India in terms of directions issued by Reserve Bank of India.

d) Note no. 5.5 of Schedule 18 regarding provision made against certain borrowal accounts pursuant to directions on asset quality review received from Reserve Bank of India.

Our opinion is not qualified in respect of above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank, as supplemented with the information furnished by the Management, have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report that:

   (a) the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

   (b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

   (c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For DOOGAR & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000561N	**For N.SARKAR & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301075E	**For B.N.MISRA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.321095E
(CA M.K.DOOGAR) PARTNER M.No.080077	**(CA G.MUKHOPADHYAY)** PARTNER M.No.010534	**(CA B.N.MISRA)** PARTNER M.No.083927
For CHANDABHOY & JASSOOBHOY CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.101647W	**For LODHA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301051E	**For PATHAK H D & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.107783W
(CA AMBESH A. DAVE) PARTNER M.No.049289	**(CA R.P.SINGH)** PARTNER M No.052438	**(CA B.P.CHATURVEDI)** PARTNER M No.015585

Place : Delhi
Date : May 13, 2016

BALANCE SHEET
as at March 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	As at 31-Mar-16	As at 31-Mar-15
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	**16,897,143**	16,582,732
Reserves and Surplus	2	**159,894,264**	157,986,391
Share application Money pending allotment		**5,350,000**	–
Deposits	3	**2,661,841,873**	2,555,723,949
Borrowings	4	**92,078,934**	259,741,335
Other Liabilities and Provisions	5	**118,598,782**	129,370,581
TOTAL		**3,054,660,996**	**3,119,404,988**
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**140,695,075**	141,148,487
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**14,715,384**	6,954,343
Investments	8	**888,675,375**	897,399,645
Advances	9	**1,800,095,880**	1,884,775,325
Fixed Assets	10	**43,592,873**	28,331,615
Other Assets	11	**166,886,409**	160,795,573
TOTAL		**3,054,660,996**	**3,119,404,988**
Contingent Liabilities	12	**768,034,422**	908,926,711
Bills for Collection	-	**118,375,835**	110,608,049
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

R. C. LODHA	**B.K. DIVAKARA**	**R. K. GOYAL**	**RAJEEV RISHI**
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

Place : Delhi
Date : May 13, 2016

SAURABH GARG Director	**SHEKHAR BHATNAGAR** Director	**SUPRATIM BANDYOPADHYAY** Director
KETUL R. PATEL Director	**SMT. N.S.RATHNAPRABHA** Director	**GURBAX K.JOSHI** Director
For DOOGAR & ASSOCIATES Chartered Accountants F.R. No.000561N	**For N.SARKAR & CO** Chartered Accountants F.R. No.301075E	**For B.N. MISRA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.321095E
(CA M.K.DOOGAR) Partner M.No.080077	**(CA G.MUKHOPADHYAY)** Partner M.No.010534	**(CA B.N.MISRA)** Partner M.No.083927
For CHANDABHOY & JASSOOBHOY Chartered Accountants F.R. No.101647W	**For LODHA & CO** Chartered Accountants F.R.No.301051E	**For PATHAK H D ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W
(CA AMBESH A.DAVE) Partner M.No.049289	**(CA R.P.SINGH)** Partner M.No.052438	**(CA B.P.CHATURVEDI)** Partner M.No.015585

Place : Delhi
Date : May 13, 2016

PROFIT AND LOSS ACCOUNT
For the year ended March 31, 2016

(000's Omitted)

	PARTICULARS	Schedule No.	Year Ended 31-Mar-16	Year Ended 31-Mar-15
I.	**INCOME**			
	Interest Earned	13	**258,878,971**	264,087,794
	Other Income	14	**19,387,857**	18,942,315
	TOTAL		**278,266,829**	**283,030,109**
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	**188,222,689**	191,617,105
	Operating Expenses	16	**63,614,691**	55,821,792
	Provisions and Contingencies		**37,606,149**	29,526,730
	TOTAL		**289,443,529**	**276,965,627**
	PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR BEFORE PRIOR PERIOD ITEM		**(11,176,700)**	**6,064,482**
	Less: Prior period Item		**3,005,200**	–
	Net Profit /(Loss) for the year after Prior period item		**(14,181,900)**	6,064,482
	Profit brought forward		**(10,227,726)**	(13,038,008)
	TOTAL		**(24,409,626)**	**6,973,526**
IV.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to :			
	Statutory Reserve		**–**	1,516,100
	Investment Reserve		**925,930**	538,300
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		**–**	–
	Staff Welfare Fund		**–**	181,900
	Revenue Reserve		**–**	–
	Fund in lieu of Insurance		**–**	20,000
	Proposed Dividend - Preference Capital		**–**	–
	Proposed Dividend - Equity Capital		**–**	829,100
	Dividend Tax		**–**	168,800
	Balance Carried Over to Balance Sheet		**(25,335,556)**	**10,227,726**
	EPS (Basic & Diluted)		**(8.55)**	4.27
	Principal Accounting Policies	17		
	Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

R. C. LODHA	B.K. DIVAKARA	R. K. GOYAL	RAJEEV RISHI
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

Place : Delhi
Date : May 13, 2016

SAURABH GARG Director	**SHEKHAR BHATNAGAR** Director	**SUPRATIM BANDYOPADHYAY** Director
KETUL R. PATEL Director	**SMT. N.S.RATHNAPRABHA** Director	**GURBAX K.JOSHI** Director
For DOOGAR & ASSOCIATES Chartered Accountants F.R. No.000561N	**For N.SARKAR & CO** Chartered Accountants F.R. No.301075E	**For B.N. MISRA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.321095E
(CA M.K.DOOGAR) Partner M.No.080077	**(CA G.MUKHOPADHYAY)** Partner M.No.010534	**(CA B.N.MISRA)** Partner M.No.083927
For CHANDABHOY & JASSOOBHOY Chartered Accountants F.R. No.101647W	**For LODHA & CO** Chartered Accountants F.R.No.301051E	**For PATHAK H D ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W
(CA AMBESH A.DAVE) Partner M.No.049289	**(CA R.P.SINGH)** Partner M.No.052438	**(CA B.P.CHATURVEDI)** Partner M.No.015585

Place : Delhi
Date : May 13, 2016

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2016

SCHEDULE 1 : CAPITAL

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
Authorised Capital		**50,000,000**		50,000,000
500,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
(previous year 500,00,00,000 shares) of ₹ 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares	**16,897,143**		16,582,732	
1,68,97,14,269 Equity Shares (previous year 1,65,82,73,181 equity shares) of ₹ 10/- each (includes 135,08,27,438 equity shares (previous year 135,08,27,438 equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.) (Refer note - 1 in Schedule - 18)				
TOTAL		**16,897,143**		**16,582,732**

SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**20,635,979**		19,119,879	
Additions during the year	**-**		1,516,100	
		20,635,979		20,635,979
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**18,141,600**		18,401,204	
Additions on account of revaluation during the year	**15,861,477**		-	
Less : Transfer to Revenue and Other Reserves	**242,973**		-	
Deductions during the year	**836,649**		259,604	
		32,923,455		18,141,600
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**5,409,385**		4,871,085	
Additions during the year	**925,930**		538,300	
		6,335,315		5,409,385
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	**99,554,023**		74,383,893	
Additions/ Adjustments during the year	**1,341,277**		25,170,130	
		100,895,300		99,554,023

(000's Omitted)

PARTICULARS		AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
IV. Revenue and Other Reserves					
i) Revenue Reserves					
Balance as per last Balance Sheet		**23,473,130**		23,473,130	
Add : Transfer from Capital Reserves		**242,973**		-	
Additions during the year(SWFund)		**116,755**		-	
Less: Deductions during the year		**393,087**		-	
			23,439,771		23,473,130
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act			**1,000,000**		1,000,000
VI. Balance in Profit and Loss Account			**(25,335,556)**		(10,227,726)
TOTAL			**159,894,264**		**157,986,391**

SCHEDULE 3 : DEPOSITS

(000's Omitted)

PARTICULARS		AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
A. I. Demand Deposits					
i) From Banks		**2,703,264**		9,161,917	
ii) From Others		**117,000,456**		122,862,383	
			119,703,720		132,024,300
II. Savings Bank Deposits			**824,849,145**		738,098,898
III. Term Deposits					
i) From Banks		**58,124,654**		54,173,510	
ii) From Others		**1,659,164,354**		1,631,427,241	
			1,717,289,008		1,685,600,751
TOTAL			**2,661,841,873**		**2,555,723,949**
B. i) Deposits of Branches in India			**2,661,841,873**		2,555,723,949
ii) Deposits of Branches outside India			**-**		-

SCHEDULE 4 : BORROWINGS

(000's Omitted)

PARTICULARS		AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
I. Borrowings in India					
i) Reserve Bank of India		**8,250,000**		142,071,241	
ii) Other Banks		**8,582**		-	
iii) Other Institutions & Agencies		**15,549,352**		37,679,594	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)		**18,591,000**		24,373,000	
v) Upper Tier II bonds		**28,850,000**		28,850,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument		**10,830,000**		10,830,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)		**10,000,000**		10,000,000	
			92,078,934		253,803,835
II. Borrowings outside India			**-**		5,937,500
TOTAL			**92,078,934**		**259,741,335**
Secured Borrowings included in I & II above			**Nil**		Nil

SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016	AS AT 31/03/2015
I. Bills Payable	**6,624,509**	8,682,760
II. Inter Office Adjustments (Net)	–	–
III. Interest Accrued	**15,325,153**	15,519,233
IV. Deferred Tax Liability	–	1,100,100
V. Others(including provisions)	**96,649,120**	104,068,488
TOTAL	**118,598,782**	**129,370,581**

SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		**16,584,535**		22,638,009
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	**124,110,540**		118,510,478	
In Other Accounts	–		–	
		124,110,540		118,510,478
TOTAL		**140,695,075**		**141,148,487**

SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	**1,676,098**		3,033,855	
b) In Other Deposit Accounts	**16,650**		11,139	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	**12,000,000**		2,000,000	
b) With Other Institutions	**–**		–	
		13,692,747		**5,044,994**
II. Outside India				
a) In Current Accounts	**1,022,637**		1,909,349	
b) In Other Deposit Accounts	**–**		–	
c) Money at Call & Short Notice	**–**		–	
		1,022,637		1,909,349
TOTAL		**14,715,384**		**6,954,343**

SCHEDULE 8 : INVESTMENTS

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	**665,326,894**		754,101,488	
ii) Other approved Securities	–		–	
iii) Shares	**10,533,842**		12,834,462	
iv) Debentures and Bonds	**172,776,411**		100,454,377	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	**3,039,987**		3,039,987	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	**36,523,356**		26,494,446	

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
		888,200,490		896,924,760
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		474,885		474,885
TOTAL		**888,675,375**		**897,399,645**
* Investments in India				
Gross Value	**898,472,375**		898,731,208	
Less:Provision for Depreciation	**10,271,885**		1,806,448	
Net Value		**888,200,490**		**896,924,760**
** Investments outside India				
Gross Value	**475,100**		474,885	
Less:Provision for Depreciation	**215**		–	
Net Value		**474,885**		**474,885**

SCHEDULE 9 : ADVANCES

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
A. i) Bills Purchased and Discounted	**17,819,792**		20,953,233	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	**746,950,803**		728,496,913	
iii) Term Loans	**1,035,325,285**		1,135,325,179	
TOTAL		**1,800,095,880**		**1,884,775,325**
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	**1,636,078,107**		1,648,180,533	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	**5,150,950**		85,551,934	
iii) Unsecured	**158,866,824**		151,042,858	
TOTAL		**1,800,095,880**		**1,884,775,325**
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	**756,054,399**		697,307,405	
ii) Public Sector	**99,953,724**		208,996,695	
iii) Banks	**1,445**		8,689	
iv) Others	**944,086,313**		978,462,536	
TOTAL		**1,800,095,880**		**1,884,775,325**
(II) Advances outside India		-		-

SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	**24,850,974**		24,747,330	
Additions during the year (including Revaluation)	**16,521,255**		103,644	
Total	**41,372,229**		**24,850,974**	
Deductions / Adjustments during the year	**1,265,633**		–	
Depreciation to date	**4,980,991**		5,074,659	

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
Total		**35,125,605**		**19,776,315**
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31st March of the preceding year	**22,920,838**		20,430,426	
Additions / Adjustments during the year	**2,400,009**		10,894,019	
Total	**25,320,847**		**31,324,445**	
Deductions / Adjustments during the year	**634,954**		8,403,607	
Total	**24,685,893**		**22,920,838**	
Depreciation to Date	**16,218,626**		14,365,538	
Total		**8,467,268**		**8,555,300**
TOTAL (I & II)		**43,592,873**		**28,331,615**

SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
I. Interest accrued	**14,944,334**		18,397,719	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	**40,116,339**		30,392,928	
III. Stationery and Stamps	**180,736**		186,236	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	–		–	
V. Deferred Tax Assets	**10,882,800**		–	
VI. Inter Office Adjustments (Net)	**35,311,345**		35,396,476	
VII. Others	**65,450,855**		76,422,214	
TOTAL		**166,886,409**		**160,795,573**

SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		**1,307,819**		1,094,250
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc		**24,722,329**		18,134,088
II. Liability for partly paid Investments		**249,303**		
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		**507,501,883**		667,746,178
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	**103,472,432**		104,223,884	
b) Outside India	**7,676,745**		10,854,478	
		111,149,177		115,078,362
V. Acceptances, Endorsements a nd Other Obligations		**121,103,911**		99,123,833
VI. Other item for which the bank is contingently liable		**2,000,000**		7,750,000
TOTAL		**768,034,422**		**908,926,711**

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-16	YEAR ENDED 31-Mar-15
I. Interest / Discount on Advances / Bills	**189,777,092**	195,172,825
II. Income on Investments	**64,738,502**	67,064,618
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank funds	**953,046**	314,608
IV. Others	**3,410,331**	1,535,743
TOTAL	**258,878,971**	**264,087,794**

SCHEDULE 14 : OTHER INCOME

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-16	YEAR ENDED 31-Mar-15
I. Commission, Exchange and Brokerage	**9,083,665**	8,772,569
II. Profit on Sale of Investments (Net)	**5,868,186**	6,176,583
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	**-**	-
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	**743,145**	(6,430)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	**1,649,588**	2,020,268
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	**100,269**	34,150
VII. Miscellaneous Income	**1,943,004**	1,945,175
TOTAL	**19,387,857**	**18,942,315**

SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-16	YEAR ENDED 31-Mar-15
I. Interest on Deposits	**176,533,417**	175,203,052
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	**2,074,637**	3,478,463
III. Others	**9,614,635**	12,935,590
TOTAL	**188,222,689**	**191,617,105**

SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-16	YEAR ENDED 31-Mar-15
I. Payments to and Provisions for employees	**44,656,742**	38,249,398
II. Rent, Taxes and Lighting	**4,004,397**	3,679,008
III. Printing and Stationery	**443,730**	501,251
IV. Advertisement and Publicity	**309,297**	254,425
V. Depreciation on Bank's property	**2,394,338**	2,292,421
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	**8,478**	7,358
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**252,030**	224,376
VIII. Law Charges	**180,140**	194,871
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	**745,660**	651,628
X. Repairs and Maintenance	**695,128**	743,899
XI. Insurance	**2,699,881**	2,445,502
XII. Other Expenditure	**7,224,869**	6,577,655
TOTAL	**63,614,691**	**55,821,792**

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. a) **Basis of Preparation:**

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

b) **Use of Estimates:**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/materialised.

2. **Transactions involving Foreign Exchange:**

2.1 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.

2.2 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.

2.3 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the year end rates notified by FEDAI.

2.4 Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/ loss is recognized in Profit and Loss Account.

3. **Investments:**

3.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are classified into “Held to Maturity”, “Held for Trading” and “Available for Sale” categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

i) Government Securities
ii) Other Approved Securities
iii) Shares
iv) Debentures and Bonds
v) Subsidiaries and sponsored institutions and
vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds.)

3.2 **Basis of Classification:**

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i) Held to Maturity
These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.

ii) Held for Trading
Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

3.3 **Transfer of Securities between categories :**

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.4 **Valuation:**

a) Held to Maturity:

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

b) Available for sale :

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i) Central Government Securities

At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI.

ii) State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds

On appropriate yield to maturity basis.

iii) Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper

At carrying cost.

iv) Equity Share

a) Quoted:

At market price.

b) Unquoted:

At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.

v) Preference Share

a) Quoted:

At market price.

b) Unquoted:

On appropriate yield to maturity.

vi) Debentures and Bonds

a) Quoted:

At market price.

b) Unquoted:

On appropriate yield to maturity.

vii) Mutual Fund

a) Quoted:

At market price.

b) Unquoted:

At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).

viii) Venture Capital

Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading :

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 **Determination of Cost:**

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

3.6 **IIncome Recognition :**

i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.

ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.

iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.

iv) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.

v) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.

vi) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4. Derivatives

Derivatives used for hedging are accounted as under :

i) In cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market ,resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.

ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.

iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

5. Advances:

5.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or otherwise required in term of RBI directions issued from time to time.

5.2 Recoveries in NPA account is first appropriated towards the principal except in case of suit filed, decreed accounts and compromise cases where recovery is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.

5.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.

5.4 Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

5.5 Financial Assets sold are recognized as under:

5.5.1 In case the sale is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account.

5.5.2 If the sale to Securitisation Company(SC)/Assets Reconstruction Company(ARC) is at a price below the NBV (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account of that year.

5.5.3 In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

5.5.4 If the sale to SC/ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

6. Fixed Assets/Depreciation:

6.1 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i)	Premises At varying rates based on estimated life	
ii)	Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii)	Vehicles	20%
iv)	Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v)	Computers including Systems Software	33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

6.2 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

6.3 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.

6.4 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve'and credited to "Revenue and Other Reserves".

6.5 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7. Employee Benefits:

Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees. Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.

Contribution to defined contribution scheme such as provident fund scheme are recognised as and when incurred. In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.

Long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.Acturial gain/losses are recognised in the year when they arise.

8. Recognition of Income and Expenditure:

8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

8.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide circular No. DBOD.No.BP. BC.89/21.4.018/2002-03 dated 29.03.2003, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

8.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guideline

9. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future taxable profits. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess realization.Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

10. **Provisions, Contingencies and Contingent assets**

Provisions are recognized for present obligations, of uncertain timing or amount, arising as a result of a past event where a reliable estimate can be made and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as a contingent liability unless the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

R.C. LODHA	**B.K. DIVAKARA**	**R.K. GOYAL**	**RAJEEV RISHI**
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

SAURABH GARG Director	**SHEKHAR BHATNAGAR** Director	**SUPRATIM BANDYOPADHYAY** Director
KETUL R. PATEL Director	**SMT. N.S.RATHNAPRABHA** Director	**GURBAX K.JOSHI** Director
For DOOGAR & ASSOCIATES Chartered Accountants F.R. No.000561N	**For N. SARKAR & CO** Chartered Accountants F.R. No.301075E	**For B.N. MISRA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.321095E
(CA M.K. DOOGAR) Partner M.No.080077	**(CA G. MUKHOPADHYAY)** Partner M.No.010534	**(CA B.N. MISRA)** Partner M.No.083927
For CHANDABHOY & JASSOOBHOY Chartered Accountants F.R. No.101647W	**For LODHA & CO** Chartered Accountants F.R.No.301051E	**For PATHAK H.D. ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W
(CA AMBESH A. DAVE) Partner M.No.049289	**(CA R.P. SINGH)** Partner M.No.052438	**(CA B.P. CHATURVEDI)** Partner M.No.015585

Place : Delhi
Date : May 13, 2016

SCHEDULE-18 : NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. Capital:

Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2016 is ₹ 1689.71 crore increased from ₹ 1658.27 crore of previous year by issue of fresh 31441088 equity shares of ₹ 10 each for ₹ 31.44 crore at a premium of ₹ 42.66 per share on 31st March,2016 allotted to LIC of India on preferential basis. Bank has also received ₹. 535.00 Crore from Government of India on 31.03.2016 towards Share Capital. Pending allotment of shares there-against, the amount is shown under Share Application Money pending allotment.

2. Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- System Suspense Account
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3. Income Tax:

3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 2472.23 crore (previous year ₹ 1813.41 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

4. Premises:

4.1 Premises owned by the Bank include properties costing ₹ Nil (previous year ₹ 32.06 crore) for which registration formalities are still in progress.

4.2 The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2016 based on the reports of external independent values and approved by the Board of Directors and ₹ 1586.15 crore being the net increase in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.

4.3 Depreciation on the revalued amount of premises has been charged to the Profit and Loss Account as against the earlier practice of charging the same to Revaluation Reserve. Corresponding amount has however been adjusted from Revaluation Reserve and credited to Revenue and Other Reserve. Consequently, the charge on account of Depreciation, the Loss for the year and Revenue and Other Reserve is higher by ₹ 24.30 crores.

5. Advances / Provisions

5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 100.56 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 Crore (previous year. ₹ 47.34 Crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

5.3 (I) In order to provide assistance to Power Distribution Companies (DISCOMS), pursuant to UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) scheme, the Bank has subscribed to Non SLR SDL bonds of ₹ 9232 crore issued by respective State Governments and State Government Guaranteed DISCOMS Bonds of ₹ 2538 crores against settlement of outstanding dues of DISCOMS as on 30th September 2015. In terms of RBI letter No. DBR.BP.NO. 11657/21.04.132/2015-16 dated 17th March 2016 read with further clarification dated 21st April 2016 and 11th May, 2016:

a. Provision of ₹ 525.90 crores in respect of segment of loan/bonds of ₹ 3506.08 crores not envisaged to be converted into SDL Bonds has been made.

b. No provision has been made for the segment of loan of ₹ 668.31 crores envisaged to be converted into SDL Bonds.

c. Provision of ₹ 74.51 crores has been made for diminution in fair value of loan.

d. There was no diminution in value of the DISCOM and SDL bonds on mark to market basis as at 31st March 2016 and as such no provision has been considered necessary

(II) In respect of DISCOM loans of ₹ 1591.73 crore (including ₹ 1021.11 crores where MOU has been signed by the Punjab State Government, DISCOM & Ministry of Power), though the respective State Government has participated in the UDAY scheme, the same remains to be implemented by the Bank as on 31st March 2016. Accordingly, loans have been classified and treated as per usual IRAC norms. Adjustments required pursuant to the UDAY scheme with respect to these loans will be ascertained and given effect to on implementation thereof.

5.4 In compliance with the RBI letter No. DRB.NO.13018/21.04.048/2015-16 dated 12th April, 2016 as referred in the letter dated 16th April 2016 received from State Bank of India (SBI) (Consortium Leader) pending regularization of Food Credit (FC) account availed by Government of Punjab (GOP) and resolution of other related issues, provision of 15% amounting to ₹ 191.22 Crore has been made in respect of outstanding balance of ₹ 1274.80 Crore (as advised by SBI) availed under FC by GOP.

5.5 Pursuant to Asset Quality Review (AQR) under section 35 of Banking Regulation Act, 1949 carried out by RBI, classification of advances referred to in the said review and consequential additional provision of ₹ **1727.12** crore as required thereof has been done and given effect to in these financial statements.

6. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India :

a. **Capital**

(₹ in crore)

Sl. No	Items	31.03.2016	31.03.2015
1	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	**8.03%**	7.86%
2	Tier 1 capital ratio (%)	**8.20%**	8.05%
3	Tier 2 capital ratio (%)	**2.20%**	2.85%
4	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	**10.41%**	10.90%
5	Percentage of the shareholding of the Government of India in Public Sector Banks	**79.94%**	81.46%
6	Amount of equity capital raised	**700.57***	2824.85**
7	Amount of Additional Tier 1 capital raised; *of which* *Perpetual Non Cumulative Preference Share* (PNCPS): *Perpetual Debt Instruments* (PDI):	**NIL**	NIL
8	Amount of Tier 2 capital raised; *Of which* Debt capital instruments: Preference Share Capital Instruments:[*Perpetual Cumulative Preference Share* (PCPS) / *Redeemable Non Cumulative Preference Share* (RNCPS) /*Redeemable Cumulative Preference Share* (RCPS)]	**NIL**	NIL

* Includes capital funds of ₹.535.00 crore received from Government of India on 30.03.2016 and the same has been kept in the newly opened Bank account namely, " Central Bank of India Share Application Money Account". Bank vide its letter dated 28th March 2016 sought approval of Reserve Bank of India (RBI) to treat the said Capital Funds as part of Common Equity Tier1 (CET 1) Capital for the financial year ended 31st March 2016 pending allotment of equity shares to Government of India, which was granted by RBI vide its letter dated April 06, 2016.

** Includes ₹ 1617.00 crore raised by conversion of entire Perpetual Non–cumulative Preference Shares(PNCPS) held by Government of India (GOI) into 15,38,68,113 equity shares at a conversion price of ₹ 105.09 (including premium of ₹ 95.09) and allotted to GOI on 24th March 2015.

The above data has been compiled on the basis of guidelines of Reserve Bank of India and estimates in respect of certain Off Balance Sheet items, made by the Management and relied upon by the Auditors.

b. (i) Investments

(₹ in crore)

			Items	31.3.2016	31.3.2015
1)	**Value of Investments**				
	i)		Gross Value of Investments	**89894.75**	95654.55
		a)	In India	**89847.24**	95607.07
		b)	Outside India	**47.51**	47.48
	ii)		Provisions for Depreciation	**1027.21**	180.64
		a)	In India	**1027.19**	135.51
			Excess provision for depreciation (held at shifting) over current valuation	**0.00**	45.13
		b)	Outside India	**0.02**	0.00
	iii)		Net Value of Investments	**88867.53**	95473.91
		a)	In India	**88820.05**	95426.43
		b)	Outside India	**47.49**	47.48
2)	**Movement of Provisions held towards depreciation on Investments**				
	i)		Opening Balance	**180.64**	248.64
	ii)		Add: Provisions made during the year	**912.26**	96.07
	iii)		Less: Write off Prov./ Write Back Prov. during the year	**65.69**	164.07
	iv)		Closing Balance	**1027.21**	180.64

Note:

In terms of RBI's Master Circular on Classification, Valuation and Operation of Investment portfolio dated 1st July 2015, the depreciation on the instruments acquired by way of conversion of outstanding advances has not been offset against the appreciation in any other securities held under the AFS category. This has resulted in increase in provision by ₹ 229.83 crores for the year.

(ii) Investments includes ₹ 47.30 Crore being share application money given to following companies. pending allotment.

Amount Outstanding in Application Money on 31st March 2016 (₹ in crore)

31.03.2016			31.03.2015
Value date	Description	Debit (INR)	
26-May-2014	Investment in CWC	0 *	0*
31-Mar-2015	Shiv Vani Oil & Gas (Conversion of debt to equity)	2.89	2.89
30-Mar-2016	EARC TRUST 208	27.62	
31-Mar-2016	LIC HFL Urban Development Fund	0.55	
31-Mar-2016	JMFARC-IRIS	16.24	

* Denoted figures less than crore

(iii) **Repo Transactions** (in face value terms)

(₹ in crore)

PARTICULARS	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2016
Securities sold under Repo				
I. Government Securities	0.00	12561.97	2435.46	825.00
II. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under Reverse Repo				
I. Government Securities	0.00	4351.76	457.48	1200.00
II. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

(iv) **Non SLR Investment Portfolio**

Issuer wise composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placem-ent	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	State Govt Special Bond	9346				
ii)	PSUs	5253	13	0	4412	3460
iii)	FIs	1040	127	0	131	143
iv)	Banks	517	0	0	24	0
v)	Private Corporates	3017	90	354	1157	719
vi)	Subsidiaries/ Joint Ventures/ RRB/ Indo-Zambia	421	421	0	421	421
vii)	Others	3768	0	0	3498	2921
TOTAL		**23362**	**651**	**354**	**9643**	**7664**
Less: Provision held towards depreciation		712	0	133	579	442
Net		22650	651	221	9064	7222

Note: Amounts reported under Columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive

(v) **Non Performing Non-SLR Investments (including Matured Investments)**

(₹ in crore)

PARTICULARS	31.3.2016	31.3.2015
Opening Balance	**304.63**	125.90
Additions during the year	**215.28**	195.31
Reductions during the year	**45.88**	16.58
Closing balance	**474.03**	304.63
Total provisions held	**315.55**	113.29

c. **Derivatives**

(i) **Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap**

(₹ in crore)

	Items	31.3.2016	31.3.2015
i)	The Notional Principal of Swap agreements	**200.00**	775.00
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	**0.23**	0.06
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**NIL**	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps -- Foreign Bank	**NIL**	NIL
	-- Domestic Bank	**NIL**	NIL
v)	The fair value of the swap book	**-0.49**	-1.56

(ii) **Exchange Traded Interest Rate Derivatives:**

(₹ in crore)

Sr. No.	PARTICULARS	Amount 31.03.2016	Amount 31.03.2015
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)		
	a) IRF	**8318.97**	5505.90
	b) CURRENCY FUTURE	**NIL**	NIL
	c) CURRENCY OPTIONS	**NIL**	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2016 (instrument-wise)		
	a) IRF	**NIL**	NIL
	b) CURRENCY FUTURE	**NIL**	NIL
	c) CURRENCY OPTIONS	**NIL**	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)		
	a) IRF	**NIL**	NIL
	b) CURRENCY FUTURE	**NIL**	NIL
	c) CURRENCY OPTIONS	**NIL**	NIL
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)		
	a) IRF	**NIL**	NIL
	b) CURRENCY FUTURE	**NIL**	NIL
	c) CURRENCY OPTIONS	**NIL**	NIL

Disclosures on risk exposure in Derivatives

iii) Qualitative Disclosures

- Risk Management Policy approved by the Board of Directors for the use of derivative instruments to hedge/trade is in place.
- Policy for Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Currency Futures and Interest Rate Futures for Hedging the Interest Rate Risk in the Investment Portfolio and also for Market Making is in place.
- The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counter party exposure limits etc. as approved by the Board of Directors are in place. The risks are monitored and reviewed regularly. MIS reports are submitted periodically to Risk Management Committee.

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/income on the IRS are accounted and recognized as income/expense.
- If the swap is terminated before maturity, the Mark to Market (MTM) loss/gain and accrual till such date are accounted as expense/income under interest paid/received on IRS.

Trading positions

- Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit & loss account on final settlement.
- Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head

iv) Quantitative Disclosures

(₹ in crore)

Sr. No.	PARTICULARS	31.03.2016		31.03.2015	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	**32925.84**	**0**	30498.67	525.00
	b) For trading	**17074.50**	**200**	35449.04	250.00
ii)	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)	**567.23**	**0.23**	365.33	0.06
	b) Liability (-)	**537.49**	**0.72**	301.65	1.62
iii)	Credit Exposure [1]	**–**	**–**	–	–
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	**–**	**0.01**	–	0.06
	a) On hedging derivatives	**–**	**0.00**	–	0.02
	b) On trading derivatives	**–**	**0.01**	–	0.04
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) On hedging	**–**	**Max-0.00**	–	Max-0.10
		–	**Min-0.00**	–	Min-0.02
	b) On trading	**–**	**Max-0.04**	–	Max-0.06
			Min-0.01		Min-0.04

d. **Asset Quality**

(a) **Non Performing Assets**

(₹ in crore)

Items	31.3.2016	31.3.2015
i) Net NPAs to Net Advances (%)	**7.36**	3.61
ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening balance	**11873**	11500
b) Additions during the year *(i)	**15145**	6579
c) Reduction during the year	**4297**	6206
d) Closing balance	**22721**	11873
iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening balance	**6807**	6649
b) Additions during the year	**9890**	4517
c) Reduction during the year (*ii)	**3455**	4359
d) Closing balance	**13242**	6807
iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on Standard Assets)		
a) Opening balance *(iii)	**4793**	4454
b) Provisions made during the year	**5255**	2062
c) Write off/ write back / Transfer	**1810**	1723
d) Closing balance **	**8238**	4793

* (i) Inclusive of opening FITL of ₹ 384 crore which was deducted last year.

* (ii) After netting ₹ 185.71 crores (Previous year ₹ 124.78 crore) held in nominal towards amount received from ECGC and Court Borrowers pending adjustment.

* (iii) Excluding floating provision of ₹ 100.56 crore (previous year ₹ 100.56crore) & Countercyclical provision of ₹ 47.34crore (previous year ₹ 47.34 crore).

(b) **Particulars of Accounts Restructured:**

(₹ in crore)

Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
Asset Classification		Stan-dard	Sub-Stan-dard	Doubt-ful	Loss	Total	Stan-dard	Sub-Stan dard	Doubt-ful	Loss	T otal	Stan-dard	Sub-Stan-dard	Doubt-ful	Loss	T otal	Stan-dard	Sub-Stan-dard	Doubt-ful	Loss	Total
Details1																					
1 Restructured Accounts as on April 1 of the FY 2015-16 (Opening figures)*	"No.of bon-owers"	53	13	4	0	70	317	38	134	7	496	17499	1093	10114	954	29660	17869	1144	10252	961	30226
	Amount outst-anding	7247.	1063.	216.	0.00	8526.	94.	13.	102.	4.	213.	22277.30	439.	971.	48.	23736.	29617.70	1515.	1290.	52.	32475.
	Provision there on	735.	80.	8.	0.00	823.	5.	0.00	0.52	0.00	5.	637.	26.	4.	0.03	667.	1377.	106.	12.	0.03	1495.
2 Fresh restructuring during theyar	"No.of bon-owers"	0	1	0	0	1	4	0	0	0	4	906	12	10	0	928	910	13	10	0	933
	Amount outst-anding	0.00	143.	0.00	0.00	143.	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	218.	22.70	46.	0.00	287.	219.	166.	46.	0.00	430.
	Provision there on	0.00	11.	0.00	0.00	11.	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	13.	0.79	6.	0.00	20.	13.	12.	6.	0.00	32.
3 Upgradations to restructured standard category during the FY 2015-16	"No.of bon-owers"	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0
	Amount outst-anding	69.	0.00	-69.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.	0.00	-69.	0.00	0.00
	Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or "addthonal nak weight at the end of the FY 2015-16 and hence need not be shown as restructured standard d t the be j nning g of the next FY 2016-17"	"No.of bon-owers"	3	1111			3	1				1	3					7				7
	Amount outst- -	1077.				1077.	3.				3.	574.				, 1 -4	1654.40				1654.40
	"Provision there 015"	200.	I								0.00	1535					215.	,			215.
5 Down-gradations of restructured accmmts during the FY 2015-16	"No.of bon-owers"	-20	8	12	0	0			0	0	0	-41	35	6	0	0	-64	46	18	0	0
	Amount outst-anding	-2191.	906.	1285.	0.00	0.00	-12.	12.	0.00	0.00	0.00	-2705.	2447.	258.	0.00	0.00	-4908.	3365.	1543.	0.00	0.00
	Provision there on	-123.	75.	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89.	89.	0.00	0.00	0.00	--212.60	164.50	48.10	0.00	0.00
6 Write-offs of restructured accounts during the FY 2015-16	"No.of bon-cowers"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amount outst-anding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 "Restructured Accountsas on March 31,2016 of the FY (closing figures*)"	"No.of bon-owers"	28	8	18	0	54	312	39	125	0	476	18602	956	10066	0	29624	18942	1003	10209	0	30154
	Amount must_ anding	3608.10	906.	1784.	0.00	6298.	114.	50.	33.90	0.00	198.	7248.	2538.	810.	0.00	10595.	10970.	3494.	2628.	0.00	17091.
	Provision there on	232.	75.	72.	0.00	379.	3.	0.17	0.97	0.00	4.	429.	92.	28.	0.00	550.	663.90	168.	101.	0.00	932.70

• Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or k weight (if appcable).

NOTE: Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.27/21.04.048/2015-16 dated 2nd July 2015, the bank has changed the basis of calculation of provision for diminution in fair value from Base Rate/PLR as on date of restructuring plus appropriate term/credit risk premium to the actual interest charged before restructuring for the purpose of discounting future cash flows. Consequent to this change, as a one time measure to implement the said circular, bank has written back a provision of ₹ 570.95 crores during the year.

(c) Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A. Details of Sales

(₹ in Crore)

	Items	31.3.2016	31.3.2015
i)	No. of accounts	**17**	13
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	**1040.40**	798.66
iii)	Aggregate consideration	**1142.35**	869.89
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	**NIL**	NIL
v)	Aggregate gain/ loss( ) over net book value	**101.95**	71.23

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

The details of the book value of investments in security receipts is as under:

(₹ Crore)

	PARTICULARS	31.3.2016	31.3.2015
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	**3330.14**	2366.04
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	**33.51**	39.72
Total		**3363.65**	**2405.76**

(d) Details of Non Performing Financial Assets purchased/ sold from/to other Banks

a. Details of Non Performing Financial Assets purchased:

(₹ in Crore)

		PARTICULARS	31.3.2016	31.3.2015
1	a	No. of accounts purchased during the year	**NIL**	NIL
	b	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL
2	a	Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
	b	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL

b. Details of Non Performing Financial Assets sold:

(₹ in Crore)

	Items	31.3.2016	31.3.2015
1	No. of accounts	**NIL**	NIL
2	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL
3	Aggregate consideration received	**NIL**	NIL

(e) Provision on Standard Assets

(₹ in Crore)

Items	31.3.2016	31.3.2015
Provisions towards Standard Assets held	**681.88**	696.96

(f) Business Ratios

Sr. No.	Items	2015-16	2014-15
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds *	**8.85**	9.29
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds*	**0.66**	0.67
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds *	**0.90**	1.25
(iv)	Return on Assets **	**(0.48)**	0.21
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee*** (₹ in lacs)	**1194.78**	1137.74
(vi)	Profit per employee (₹ in lacs)	**(3.76)**	1.53

* Working Funds comprise average of Total Assets (excluding Revaluation Reserve) during the 12 months of the Financial Year.

** Working Funds comprise average Total Assets (excluding Revaluation Reserve)

*** Based on aggregate Deposits (other than Inter Bank Deposits) plus Advances.

(g) **Asset Liability Management**

Maturity pattern of Total Deposits, Borrowings, Advances & Total Investments under various maturity buckets prescribed by Reserve Bank of India as of March 31, 2016

(₹ in crore)

Period	Total Deposit	Total Advances	Total Investment	Total Domestic Borrowings *	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
Day 1	1,006.00	5,787.65	–	825.86	303.70	201.73
2 days to 7 days	2,809.32	2,192.80	254.20	31.24	52.54	9.86
8 days to 14 days	2,962.22	1,626.94	4.20	–	16.96	8.54
15 days to 30 days	6,528.67	4,221.10	64.76	–	399.98	4.82
31 days to 2 months	9,016.54	1697.41	**128.10**	–	**31.43**	**20.14**
Above 2 months to 3 months	12678.63	2620.79	**457.30**	–	**334.06**	**25.65**
Above 3 months to 6 months	**36,484.76**	**5,625.22**	**259.02**	**528.39**	286.07	109.71
Above 6 months to 12 months	59,598.87	10,935.98	1,523.53	309.52	505.06	324.03
Above 1 years to 3 years	61,900.60	85,271.43	9,997.92	417.03	48.42	571.02
Above 3 years to 5 years	38,305.98	21,977.01	13,372.52	246.59	162.13	280.98
Over 5 years	34,892.58	38,053.26	62,806.00	22.17	39.88	
Total	**266,184.17**	**180,009.59**	**88,867.55**	**2,380.80**	**2,180.23**	**1,556.48**

Note:

* Excluding those considered under Tier II Capital.

The above data has been complied on the basis of the Guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management and has been relied upon by the Auditors.

h. Exposures

(i) Exposure to Real Estate Sector (₹ in crore)

Category	31.3.2016	31.3.2015
a) **Direct Exposure**		
(i) Residential Mortgages -		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented:	**17631.45**	14004.00
(individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances included above)	**(11937.06)**	(10219.00)
(ii) Commercial Real Estate –		
Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limit:	**6442.60**	6769.96
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
- Residential,	**0.00**	0.36
- Commercial Real Estate.	**0.00**	0.00
b) **Indirect Exposure**		
(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	**6214.08**	2412.59
TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR	**30288.13**	**23186.91**

(ii) Exposure to Capital Market (₹ in crore)

Items	31.3.2016	31.3.2015
i) Direct Investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	**811.31**	706.11
ii) Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	**3.07**	1.95
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equities-oriented mutual funds are taken as primary security.	**210.82**	0.00
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i,e, where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.68**	339.80

Items		31.3.2016	31.3.2015
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	**85.04**	376.88
vi)	Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**331.80**	0.00
vii)	Bridge Loans to the companies against expected equity flows/ issues.	**0.00**	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	**0.00**	0.00
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	**550.00**	13.50
x)	All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered)	**0.00**	145.81
Total Exposure to Capital Market		**1992.72**	**1584.05**

(iii) Risk Category-wise Country Exposure :

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2016	Provision held as at March 31, 2016	Exposure (net) as at March 31, 2015	Provision held as at March 31, 2015
Insignificant	**1557.90**	**Nil**	1241.23	Nil
Low	**597.39**	**Nil**	444.88	Nil
Moderate	**94.78**	**Nil**	59.99	Nil
High	**70.50**	**Nil**	6.27	Nil
Very High	**6.61**	**Nil**	7.49	Nil
Restricted	**2.25**	**Nil**	2.04	Nil
Off-credit	**2.21**	**Nil**	17.43	Nil
Total	**2331.64**	**Nil**	**1779.33**	**Nil**

As the Bank's exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.

(iv) Details of Single borrower limit/Group Borrowers Limit exceeded by the Bank for which necessary Board approval has been obtained.

a. Single Borrower Limit exceeded by Bank : NIL

b. Group Borrower Limit exceeded by Bank : NIL

(v) Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz., Rights, Licenses, Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9.

Advances amounting to ₹ Nil (previous year ₹ Nil) against charge over intangible security such as Rights, Licences, Authorization etc. are considered as unsecured.

The value of intangible security is ₹ Nil (previous year ₹ Nil)

7. Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 2.16 crore(pevious year ₹ 4.92 crore) in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

8. **Disclosure regarding concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:**

8.1 Concentration of Deposits (₹ in Crore)

PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
(a) Total Deposits of twenty largest depositors	**25036.84**	30872.95
(b) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	**9.41%**	12.08%

8.2 Concentration of Advances (₹ in Crore)

PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
(a) Total Advances to twenty largest borrowers	**37488.76**	41427.39
(b) Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	**15.00%**	21.17%

Advances represents credit exposure as per RBI norms

8.3 Concentration of Exposures (₹ in Crore)

PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
(a) Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	**39347.29**	44578.61
(b) Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	**11.58%**	17.83%

Advances represents credit and investment exposure as per RBI norms

8.4 Concentration of NPAs (₹ in Crore)

PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
(a) Total Exposure to top four NPA accounts	**4870.77**	1987.35

II. **Sectorwise advances:** (₹ in Crore)

S. No	Sector*	March 31, 2016			March31, 2015		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**33885**	**1891**	**5.58**	32083	1465	4.57
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	**11542**	**1605**	**13.90**	10450	908	8.69
3	Services	**17843**	**1911**	**10.70**	15383	1346	8.75
4	Personal loans	**15706**	**700**	**4.45**	14208	518	3.65
	Sub-total (A)	**78976**	**6107**	**7.73**	**72124**	**4237**	**5.87**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2	Industry	**56193**	**7179**	**12.77**	47744	3629	7060
4	Services	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
5	Personal loans	**5982**	**216**	**3.61**	5682	186	3.27
	Sub-total (B)	**62175**	**7395**	**11.89**	**53426**	**3815**	**7.14**
	Total (A+B)	**141151**	**13502**	**9.56**	**125550**	**8052**	**6.41**

III. Movement of NPAs

A. (₹ in crore)

PARTICULARS	31.03.2016		31.03.2015	
Gross NPAs *as on 1st April 2015 (opening Balance)	**11873**			11500
Additions (Fresh NPAs) during the year	**15145**			6579
Sub Total (A)		**27018**		**18079**
Less:-				
(i) Upgradation	**608**		2336	
(ii) Recovery (excluding recoveries made from upgraded accounts)*	**1287**		1365	
Sale of NPA	**1123**		1119	
(iii) Technical/Prudential Write-Offs	**1245**		1368	
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	**34**		18	
Sub-total (B)		**4297**		**6206**
Gross NPAs as on 31st March 2016 (closing balance) (A-B)		**22721**		**11873**

B. Technical write-off and the recoveries: **(₹ in crore)**

PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1	**3382.01**	2014.01
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	**1300.00**	1413.49
Sub-total (A)	**4682.01**	**3427.50**
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B) *	**54.46**	45.49
Closing balance as at March 31 (A-B)	**4627.55**	**3382.01**

***includes conversion to Regular write off of** ₹ 24.33 **crores (Previous year** ₹ 3.02 crore**)**

IV. Overseas Assets, NPAs and Revenue (₹ in crore)

PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
Total Assets	**NIL**	NIL
Total NPAs	**NIL**	NIL
Total Revenue	**NIL**	NIL

V. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)
Name of the SPV sponsored

Domestic	Overseas
NIL	NIL

VI. Disclosures relating to Securitisation: (₹ in crore)

S. No.	PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*	**NIL**	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	**NIL**	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	**NIL**	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	**NIL**	NIL
	First loss	**NIL**	NIL
	Others	**NIL**	NIL
	b) On-balance sheet exposures	**NIL**	NIL
	First loss	**NIL**	NIL
	Others	**NIL**	NIL
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	**NIL**	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	**NIL**	NIL
	i) Exposure to own securitizations	**NIL**	NIL
	First loss	**NIL**	NIL
	Loss	**NIL**	NIL
	ii) Exposure to third party securitisations	**NIL**	NIL
	First loss	**NIL**	NIL
	Others	**NIL**	NIL
	b) On-balance sheet exposures	**NIL**	NIL
	i) Exposure to own securitisations	**NIL**	NIL
	First loss	**NIL**	NIL
	Others	**NIL**	NIL
	ii) Exposure to third party securitisations	**NIL**	NIL
	First loss	**NIL**	NIL
	Others	**NIL**	NIL

*Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions may be reported here

VII. **Intra-Group Exposures:** (₹ in crore)

	PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
(a)	Total amount of intra-group exposures	**736.41**	939.73
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures (there are only 6 companies in this category)	**736.41**	939.73
(c)	Percentage of intra-group- exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	**0.22%**	0.48%
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	**Nil**	Nil

VIII. **Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**: (₹ in crore)

PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**25.12**	Nil
Add: Amount transferred to DEAF during the year	**7.61**	25.12
Less: Amount reimbursement by DEAF towards claims	**0.01**	–
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**32.72**	25.12

9. **Liquidity Cover**

LCR Disclosure Template (₹ in crore)

PARTICULARS	FY 2015-16		FY 2014-15	
	Total Unweighted 3 Value (average)	Total Weighted 4 Value (average)	Total Unweighted 3 Value (average)	Total Weighted 4 Value (average)
High Quality Liquid Assets				
1 Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		**35470.80**		31395.34
Cash Outflows				
2 Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
(i) Stable deposits	**58359.64**	**2917.98**	55487.88	2774.39
(ii) Less stable deposits	**140974.50**	**14097.45**	136215.43	13621.54
3 Unsecured wholesale funding, of which:				
(i) Operational deposits (all counterparties)	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	**31964.92**	**15948.56**	16003.72	10958.02
(iii) Unsecured debt	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
4 Secured wholesale funding		**0.00**		0.00
5 Additional requirements, of which				
(i) *Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements*	**6681.27**	**6681.27**	6963.67	6963.67
(ii) *Outflows related to loss of funding on debt products*	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
(iii) *Credit and liquidity facilities*	**19217.73**	**2332.39**	18985.49	2917.72
6 Other contractual funding obligations	**2221.08**	**2221.08**	53.00	53.00
7 Other contingent funding obligations	**21960.95**	**1022.49**	20772.53	1038.63
8 Total Cash Outflows		**45221.23**		**38326.97**
Cash Inflows				38326.97
9 Secured lending (e.g. reverse repos)	**385.83**	**0.00**	157.33	0.00
10 Inflows from fully performing exposures	**1779.17**	**1279.17**	2045.00	1545.00
11 Other cash inflows	**18369.74**	**13678.17**	19671.73	14216.86
12 **Total Cash Inflows**	**20534.74**	**14957.34**	21874.06	15761.86

PARTICULARS	FY 2015-16		FY 2014-15	
	Total Unweighted 3 Value (average)	Total Weighted 4 Value (average)	Total Unweighted 3 Value (average)	Total Weighted 4 Value (average)
		Total Adjusted5 Value		Total Adjusted5 Value
21 TOTAL HQLA		**35470.80**		31395.34
22 Total Net Cash Outflows		**30263.90**		22565.11
23 Liquidity Coverage Ratio (%)		**117.20**		139.53

Note – Data to be entered only in blank and light grey cells

LCR Qualitative Disclosures:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Qualitative Disclosures

	Line items significant to LCR	Explanatory Notes
a	The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation	The main drivers of LCR results are : 1) High Quality Liquid Asset (HQLA) is one of the major drivers of LCR, the major portion of HQLA consists of facility to avail liquidity under Marginal Standing Facility (MSF) & LCR. Other major heads impacting HQLA are investment in government securities/ guaranteed by government. 2) Cash Outflow is another major driver of LCR. The main components of cash outflows are less stable retail deposit, funding from other legal entity and net derivative cash outflow. 3) Yet another major driver of LCR is Cash Inflow.The main components of cash inflows are inflows by counterparty and net derivative cash inflow.
b	Intra-period changes as well as changes over time	The definition of Small Business Customer has changed as per RBI revised guidelines DBR.No.BP.BC.26/21.04.098/2015-16 dated July 2,2015. Asset recognized as the Level 1 High Quality Liquid Assets (HQLAs) for the purpose of computing LCR has changed as per RBI revised guidelines DBR.No. BP.BC.77 / 21.04.098 /2015-16 dated February 11, 2016. As per RBI revised guidelines DBR.No.BP.BC.86/21.04.098/2015-16 dated March 23, 2016 on liquidity standards following are major changes: • The definition of Retail Customer has changed. • Outflow factor for contingent funding liabilities like Guarantees, Letters of credit and Trade finance has changed: • Treatment of a Pool of Collateral towards Stock of HQLAs changed. • Principles for determining Cash flow under Secured Funding Transactions (SFTs) secured with a Pool of • Outflow factor for "Deposits against which a loan has been allowed" is changed. In addition to the assets prescribed under Level 2B, with effect from February 1, 2016, Corporate debt securities (including commercial paper) can also be reckoned as Level 2B HQLAs, subject to a 50% haircut.

	Line items significant to LCR	Explanatory Notes
c	The composition of HQLA	The HQLA comprises of the following: 1. Level 1 assets comprises of surplus SLR investments(net of encumbered against REPO,CBLO,MSF,CROMS, other securities pledged for RTGS, SGF, MCX, NSCCL etc) 2% of NDTL applicable for MSF and 5% of NDTL as per RBI guidelines 2. Level 2A assets comprises of Power Bonds issued by State Governments, Bonds issued by State Power Distribution Companies, Central Government PSUs excluding the finance companies. 3. Level 2A assets also comprises of bonds of private corporates having rating of AA- and above excluding the finance companies. 4. Level 2B assets comprises of bonds of corporates having rating of BBB- to A+ excluding the finance companies. 5. Level 2B assets also comprises of NIFTY/SENSEX shares excluding the finance companies.
d	Concentration of funding sources	Bank addresses the funding concentration by monitoring their funding from each significant counterparty, each significant product / instrument and each significant currency (‘significant’ is defined as aggregate amount is more than 1% of the bank’s liabilities).
e	Derivative exposures and potential collateral calls	Derivative exposure of our bank consists of the following: 1. OTC Derivatives a) Forwards b) Currency Swaps c) Interest Rate Swap 2. Exchange Traded Derivatives a) Currency Futures b) Interest Rate Futures Potential collateral call comes into question if the trades take place on the Exchange or the settlement takes place through Central Counterparty and is guaranteed and also if the Credit Support Annex(CSA) which is an attachment to the ISDA Master Agreement , is signed the with the counterparties. For our exposure of trades under Currency Futures and Interest Rate Futures we are maintaining margins in the form of collaterals (GSecs) and the same is being maintained depending on the amount of exposure and the volatility in the market. All our Interbank USD/INR Swaps and forwards are being settled through CCIL which is a Central Counterparty (CCP). We are maintaining margins in the form of collaterals (GSecs) with CCIL for guaranteed settlement of our Interbank USD/INR Swaps and Forwards. The amount of margin depends on the amount of exposure and the volatility in the respective markets. The additional margin is being maintained with the Exchange/ CCP as and when the call is made for the same. At present, we do not have in place the Credit Support Annex with any counterparty. As such, no potential collateral call will arise.

	Line items significant to LCR	Explanatory Notes
f	Currency mismatch in the LCR	To capture potential currency mismatches, the LCR in each significant currency is monitored.A currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities.Bank doesn't have currency mismatch as bank does not have exposure in 'significant' currency.
g	Degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group's units	Liquidity management in the bank is centralized and monitored by ALM & Treasury team. Interaction between treasury, CBS, ALM team & other functional units are seamless.
h	Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.	None

10. **Other Disclosures**

Fees/ remunerations received in respect of the Bancassurance Business during the current year is as under:

(₹ in crore)

PARTICULARS	2015-16		2014-15	
	No. of policies	Amount	No. of policies	Amount
Life	**35368**	**8.56**	63090	11.83
Non Life	**279241**	**10.54**	549187	13.06
Total		**19.10**		**24.89**

11. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

a) Accounting Standard - 5

i. Change in Accounting Policy:

There is no change in the accounting policy of the Bank during the year except in case of charging of depreciation on assets which have been revalued as stated in Note 4.3.

ii. Prior Period Items:

Provision of ₹ 300.52 crore relating to earlier years based on the actuarial valuation report pertaining to Employee Benefit (Pension Fund).

b) Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy No. 8. However, the said income is not considered to be material.

c) Accounting Standard - 15 (Revised)

In the year 2010-11, in accordance with circular No. DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011 issued by Reserve Bank of India, the Bank had opted to amortize the additional liability on account of re-opening of Pension option for existing employees who had not opted for pension earlier, as well as the liability on enhancement in Gratuity limit, over a period of five years beginning with the financial year ended 31st March, 2011. Accordingly, out of the unamortized amount of ₹ 295.38 crore as on 1st April, 2014, the Bank had fully amortized ₹ 239.98 crore for Pension and ₹ 55.40 crore for Gratuity being the balance amount during the year ended March 31, 2015.

Additional provision of ₹ 300.52 crores has been made for Pension Fund during the year.

Employee Benefits:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in crore)

PARTICULARS	31.03.2016		31.03.2015	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table showing change in Defined Benefit Obligation:	**1308.74**	**9713.80**	1063.63	8139.02
Liability at the beginning of the year	**100.34**	**743.14**	93.98	734.00
Interest Cost	**41.80**	**90.20**	24.27	120.08
Current Service Cost	**0**	**0**	0	0
Past Service Cost(Non Vested Benefit)	**0**	**0**	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit)	**0**	**0**	0	0
Liability Transfer in	**0**	**0**	0	0
Liability Transfer out	**(167.28)**	**(912.59)**	(165.52)	(682.27)
Benefit Paid	**206.74**	**1518.49**	292.38	1402.97
Actuarial (gain)/loss on obligations	**1490.34**	**11153.04**	1308.74	9713.80
Liability at the end of the year				
Table of Fair Value of Plan Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	**1212.31**	**9312.55**	1065.22	7862.67
Expected return on Plan Assets	**128.08**	**899.78**	99.99	750.63
Contributions	**343.50**	**1486.00**	166.90	1106.40
Transfer from Other Company	**0**	**0**	0	0
Transfer from to Company	**0**	**0**	0	0
Benefit paid	**(167.28)**	**(912.59)**	(165.52)	(682.27)
Actuarial Gain/(loss)on Plan Assets	**(23.42)**	**(125.78)**	45.72	275.12
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**1493.19**	**10659.96**	1212.31	9312.55
Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	**(230.16)**	**(1644.26)**	(246.66)	(1127.85)
Expenses recognized in the Income Statement:	**41.80**	**90.20**	24.27	120.08
Current Service Cost	**100.34**	**743.14**	93.98	734.00
Interest Cost	**(128.08)**	**(899.78)**	(99.99)	(750.63)
Expected Return on Plan Assets	**0**	**0**	0	0
Past Service Cost(Non Vested Benefit) recognized	**0**	**0**	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit) recognized	**0**	**0**	0	0
Recognition of Transition Liability				
Actuarial Gain or Loss				
Expenses Recognized in P & L	**230.16**	**1644.26**	246.66	1127.85
	244.22	**1577.83**	264.92	1231.30
Principal actuarial assumption used (%)				
Discount Rate Current	**8.06**	**8.06**	7.92	7.95
Rate of return on Plan Assets Current	**8.06**	**8.06**	8.70	8.70
Salary Escalation Current	**5.00**	**5.00**	5.00	5.00
Attrition Rate Current	**0.50**	**0.50**	0.50	0.50

d) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

i) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognised Treasury Operations, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

BUSINESS SEGMENTS (₹ in Cr)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking 0perations		Total	
PARTICULARS	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Revenue	**7,529.68**	7,375.64	**11,932.63**	13,114.63	**8,364.37**	7,812.40	**–**	–	**27,826.68**	28,303.01
Result	**256.73**	824.61	**(3,321.33)**	(52.28)	**497.79**	239.56	**–**	–	**(2,567.80)**	1,012.89
Unallocated Expenses									**101.68**	121.50
Operating Profit									**(2,669.48)**	890.39
Income Taxes									**(1,251.29)**	283.95
Extraordinary profit/loss	**–**	–	**–**	–	**–**	–	**–**	–	**–**	–
Net Profit									**(1,418.19)**	606.44
Other Information:										
Segment Assets	**108,289.36**	109,736.17	**116,235.07**	120,997.18	**74,554.90**	76,744.76	**–**	–	**299,079.33**	307,478.11
Unallocated Assets									**6,382.39**	4,462.39
Total Assets									**305,461.72**	311,940.50
Segment Liabilities	**109,385.17**	109,916.82	**108,685.14**	112,794.64	**69,712.27**	71,542.14	**–**		**287,782.58**	294,253.60
Unallocated Liabilities									**–**	110.01
Total Liabilities									**287,782.58**	**294,363.61**

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.

iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures

iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms, Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.

v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.

vi) General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.

e) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

1. **List of Related Parties:**

(a) **Key Managerial Personal**

Name	Designation
i) Mr. Rajeev Rishi	Chairman & Managing Director
ii) Mr. R.K. Goyal	Executive Director
iii) Mr. B.K. Divakara	Executive Director
iv) Dr. R.C. Lodha	Executive Director

(b) **Subsidiaries**

(I) Cent Bank Home Finance Ltd.

(II) Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.

(c) **Associates**

(I) **Regional Rural Banks –**

i) Central Madhya Pradesh Gramin Bank

ii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur

iii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(II) Indo – Zambia Bank Ltd.

2. (a) **Transactions with Related Parties:** (₹ in crore)

Items	Key Management Personnel	
	2015-16	2014 -15
Remuneration paid	**1.00**	0.92

(b) **Statement of Related Parties Transaction** (₹ in crore)

Related Parties	As on	Outstanding		Participation under Inter Bank Participatory Credit (IBPC)				Dividend Income
		Loan	Investment	Sale of Direct Agri. Assets to Sponsor Bank		Purchase of Non Priority Sector Portfolio from Sponsor Bank		
				Amt.	Intt. Paid	Amt.	Intt. received	
1. Subsidiaries	**31.03.16**	172.07	26.90	00.00	0.00	0.00	0.00	3.42
	31.03.15	150.43	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2. Associates	**31.03.16**	31.21	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.03.15	664.58	324.60	0.00	97.92	0.00	112.25	0.00

No disclosure is required in respect of related parties, which are state controlled enterprises as per Paragraph 9 of AS-18. Further, in terms of Paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of banker-customer relationship have not been disclosed including those with Key Managerial Personnel & relatives of Key Managerial Personnel.

(f) **Accounting Standard 20 – Earnings per Share**

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

PARTICULARS	31.3.2016	31.3.2015
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	**(1418.19)**	606.45
Weighted Average number of Equity Share (No.)	**1658359086**	1421571789
Basic Earnings per Share (₹)	**(8.55)**	4.27
Diluted Earnings per Share (₹)	**(8.55)**	4.27
Nominal Value per Share (₹)	**10.00**	10.00

g) **Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income**

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI, tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 1088.28 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2016. Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2016 are as under:

(₹ in crore)

PARTICULARS	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
Business Loss	**34.01**	0		
Depreciation on Fixed Assets	**12.59**	13.30		
Depreciation on Investments	**33.30**	87.61		
Staff Benefits	**5.52**	5.52		
Interest accrued but not due on investments			**517.19**	607.12
Provision for Leave Encashment	**194.11**	148.43		
Provision for Loans and Advances	**1360.55**	276.86		
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961			**34.61**	34.61
TOTAL	**1640.08**	**531.72**	**551.80**	**641.73**
Net Deferred Tax Asset/Liability	**1088.28**			110.01

h) **Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets**

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2016, requiring recognition in terms of the Standard.

i) **Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

(i) **Movement of Provision for claims not acknowledged as debts:**

(₹ in crore)

PARTICULARS	Opening Balance as on 01.04.2015	Provision made during the year	Provisions reversed/ adjusted	Closing Balance as on 31.3.2016
Contingencies Provisions against claim not acknowledged as debt	1.66	NIL	NIL	1.66

(ii) **Additional Disclosures**

Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.3.2016	31.3.2015
Provisions/Depreciation on Investment	**848**	(18)
Provision towards NPA	**4913**	2062
Provision towards Standard Asset	**(15)**	39
Provision made for Taxes	**(1251)**	284
Provision for Restructured Advances `	**(1235)**	548
Other Provisions	**501**	38
TOTAL	**3761**	**2953**

(iii) **Floating Provisions** (₹ in crore)

	PARTICULARS	31.3.2016	31.3.2015
a	Opening balance in the Floating Provisions account	**100.56**	209.34
b	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	**–**	–
c	Amount of draw down made during the Accounting Year.	**–**	108.78
d	Closing balance in the Floating Provisions account	**100.56**	100.56

(iv) **Countercyclical Provisioning Buffer:**

(₹ in crore)

	PARTICULARS	31.3.2016	31.3.2015
a	Opening balance in the Countercyclical Provisions account	**47.34**	94.67
b	The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	**–**	–
c	Amount of draw down made during the Accounting Year.	**–**	47.33
d	Closing balance in the Countercyclical Provisions account	**47.34**	47.34

(v) **Movement of Provision for Liabilities:**

(₹ in crore)

PARTICULARS	31.3.2016	31.3.2015
Opening Balance	**1.66**	4.41
Additions during the year	**–**	–
Amount used during the year	**–**	2.75
Closing Balance	**1.66**	1.66
Timing of any resulting outflow	**NA**	N.A.

12. **Details of Complaints**

	Customer Complaints(excluding ATM & Central Card)	No. of complaints	
		31.03.2016	31.03.2015
a)	Pending at the beginning of the year	**396**	234
b)	Received during the year	**12559**	11127
c)	Redressed during the year	**12667**	10965
d)	Pending at the end of the year	**288**	396

	Awards Passed by Banking Ombudsman	Numbers	
		31.03.2016	31.03.2015
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	**Nil**	0l
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	**Nil**	Nil
c)	No. of Awards implemented during the year	**Nil**	01
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	**Nil**	Nil

As compiled by the Management and relied upon by the auditors.

	Investors' complaints	No. of complaints	
		31.03.2016	31.03.2015
a)	Pending at the beginning of the year	**0**	0
b)	Received during the year	**236**	169
c)	Redressed during the year	**236**	169
d)	Pending at the end of the year	**0**	0

Complaints pertaining to ATM Transactions

	Customer Complaints	31.03.2016	31.03.2015
a)	No. of complaints Pending at the beginning of the year	**144**	1077
b)	No. of complaints Received during the year	**79599**	51922
c)	No. of complaints Redressed during the year	**79522**	52855
d)	No. of complaints Pending at the end of the year	**221**	144

Complaints pertaining to Central Card Transactions

	Customer Complaints	31.03.2016	31.03.2015
a)	No. of complaints Pending at the beginning of the year	**221**	0.00
b)	No. of complaints Received during the year	**69992**	55997
c)	No. of complaints Redressed during the year	**70202**	55776
d)	No. of complaints Pending at the end of the year	**11**	221

13. **Details of Letter of Comfort issued by banks and outstanding as on 31.3.2016**

(₹ in crore)

PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
Letter of Comforts issued during the year	**2137.83**	3187.97
Letter of Comforts matured/cancelled during the year	**4146.44**	2226.91
Letter of Comforts outstanding as at the end of year	**1295.95**	3304.56

The above mentioned Letters of Comfort are issued within the sanctioned Trade Credit Limits.

14. **Provisioning Coverage Ratio (PCR)**

The PCR (ratio of Provisioning to Gross NPA) stood at 51.52 % (Previous Year 55.16%)

15. As per the information complied by the Management , the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. This is relied upon by the Auditors.

16. **Unhedged Foreign Currency exposure:**

Unhedged Foreign Currency exposure as on 31.03.2016	₹ 12,995.57 crore
Provisions held as on 31.03.2016:	₹ 23.29 Crore

17. **Provision for Frauds:**

(₹ in crore)

Type	31.03.2016	31.03.2015
Provision for frauds in Borrowal accounts	**207.59**	Nil
Provision for frauds Perpetrated at Branches	**84.75**	82.91

18. **Credit Default Swaps**

Bank has not taken any position in Corporate Default Swap in the financial year 2015-16.

19. **Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds**

The bank has formulated policies on Cyber Frauds in CBS system as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC. BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis.

20. Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm to current year's classification.

R.C. LODHA Executive Director	**B.K. DIVAKARA** Executive Director	**R.K. GOYAL** Executive Director	**RAJEEV RISHI** Chairman & Managing Director

SAURABH GARG Director	**SHEKHAR BHATNAGAR** Director	**SUPRATIM BANDYOPADHYAY** Director
KETUL R. PATEL Director	**SMT. N.S. RATHNAPRABHA** Director	**GURBAX K. JOSHI** Director
For DOOGAR & ASSOCIATES Chartered Accountants F.R. No.000561N	**For N. SARKAR & CO** Chartered Accountants F.R. No.301075E	**For B.N. MISRA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.321095E
(CA M.K. DOOGAR) Partner M.No.080077	**(CA G. MUKHOPADHYAY)** Partner M.No.010534	**(CA B.N. MISRA)** Partner M.No.083927
For CHANDABHOY & JASSOOBHOY Chartered Accountants F.R. No.101647W	**For LODHA & CO** Chartered Accountants F.R.No.301051E	**For PATHAK H D ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W
(CA AMBESH A. DAVE) Partner M.No.049289	**(CA R.P. SINGH)** Partner M.No.052438	**(CA B.P. CHATURVEDI)** Partner M.No.015585

Place : Delhi

Date : May 13, 2016

Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	31- 03- 2016	31- 03- 2015
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit before taxes	**(2,669.48)**	890.40
I	**Adjustments for:**		
	Depreciation on fixed assets	**239.43**	229.24
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	**850.61**	(18.56)
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	**5,397.47**	2,062.15
	Provision for Standard Assets	**(1,250.42)**	586.95
	Provision for Other items (Net)	**314.76**	38.18
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	**(74.31)**	0.64
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	**–**	696.03
	Dividend Received from Subsidiaries	**(10.03)**	(3.42)
	Sub total	**2,798.03**	**4,481.61**
II	**Adjustments for :**		
	Increase / (Decrease) in Deposits	**10,611.80**	15,503.40
	Increase / (Decrease) in Borrowings	**(16,766.24)**	3,894.35
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	**(978.09)**	1,744.77
	(Increase) / Decrease in Advances	**4,320.89**	(13,811.46)
	(Increase) / Decrease in Investments	**21.81**	(9,273.39)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	**1,246.79**	669.03
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	**(946.83)**	(959.85)
	Sub total	**(2,489.87)**	**(2,233.15)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**308.16**	**2,248.46**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	**117.07**	815.15
	Purchase of Fixed Assets	**(305.97)**	(1,099.77)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	**10.03**	3.42
	Investment in Associate/Subsidiaries	**–**	(46.83)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**(178.87)**	**(328.03)**

Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	31- 03- 2016	31- 03- 2015
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Share Capital	**700.57**	1,207.85
	Proceeds / Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	**–**	–
	Dividend - Equity shares Inculding Interim Dividend	**(82.91)**	–
	Dividend Tax	**(16.18)**	–
	Interest on Subordinated Debt	**–**	(696.03)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**601.48**	**511.82**
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**	**730.77**	**2,432.25**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**14,114.85**	11,926.63
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**695.43**	451.40
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**14,810.28**	**12,378.03**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**14,069.51**	14,114.85
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**1,471.54**	695.43
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**15,541.05**	**14,810.28**

R. C. LODHA	**B. K. DIVAKARA**	**R. K. GOYAL**	**RAJEEV RISHI**
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

Place : Delhi
Date : May 13, 2016

SAURABH GARG Director	**SHEKHAR BHATNAGAR** Director	**SUPRATIM BANDYOPADHYAY** Director
KETUL R. PATEL Director	**SMT. N.S.RATHNAPRABHA** Director	**GURBAX K.JOSHI** Director
For DOOGAR & ASSOCIATES Chartered Accountants F.R. No.000561N	**For N.SARKAR & CO** Chartered Accountants F.R. No.301075E	**For B.N. MISRA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.321095E
(CA M.K.DOOGAR) Partner M.No.080077	**(CA G.MUKHOPADHYAY)** Partner M.No.010534	**(CA B.N.MISRA)** Partner M.No.083927
For CHANDABHOY & JASSOOBHOY Chartered Accountants F.R. No.101647W	**For LODHA & CO** Chartered Accountants F.R.No.301051E	**For PATHAK H D ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W
(CA AMBESH A.DAVE) Partner M.No.049289	**(CA R.P.SINGH)** Partner M.No.052438	**(CA B.P.CHATURVEDI)** Partner M.No.015585

Place : Delhi
Date : May 13, 2016

Table DF-1

1. **Scope of application**

Qualitative Disclosures:

a. Parent Bank: Central Bank of India

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

b. In the consolidated accounts, bank's subsidiaries/associates are treated as under:

(b.i) Bank's Subsidiary: The details of Bank's subsidiary are as under:

S. No.	Name of Subsidiary	Ownership
1	Cent Bank Home Finance Ltd.	64.40%
2	Cent Bank Financial Services Ltd	100%

The subsidiaries of parent bank are consolidated on line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the parent and after eliminating material intra-group balances/ transactions, unrealized profit/loss and making necessary adjustments wherever possible to confirm to accounting policies, based on data received from these subsidiaries duly certified by their respective auditors. The financial statements of the subsidiaries have been drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. 31st March 2016. The accounting standard followed for the consolidation of the financial statements of subsidiaries is AS- 21.

(b.ii) Associates: The Banks associates are as under:

S. No.	Name of Regional Rural Banks	Ownership
I	**Regional Rural Banks**	
1	Central Madhyapradesh Gramin Bank, Chhindwara	35%
2	Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur	35%
3	Uttarbanga Kshetriya Gram Bank, Cooch Bihar	35%
II	**Indo-Zambia Bank Ltd., Zambia.**	20%

The accounting standard followed for accounting for investments in Associates in consolidated financial statements is as per AS-23 issued by ICAI. The method followed is equity

The financial statement of INDO Zambia Bank Ltd., considered as an associate has been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standard. All Regional Rural Bank and one associate are in the nature of financial entities.

For computation of CRAR of the Bank, investment in Subsidiaries and Regional Rural Banks are deducted from Tier I and Tier II capital equally.

CRAR is calculated for bank on standalone basis.

Quantitative Disclosures

c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: NIL

(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities is NIL.

Table DF-2

2. Capital structure

Qualitative Disclosures

a) Equity capital

The bank has authorized capital of ₹ 5000.00 Crore as on 31st March 2016 the bank has issued, subscribed and paid up equity capital of ₹ 1689.71 crore, constituting 1689714269 Number of shares of ₹ 10 each.

Out of this, 79.94% shareholding constituting 1350827438 numbers of shares is with the Government of India as of 31st March2016.

2.1 Debt capital instruments

2.2.1 Details of TIER I Capital

TIER I CAPITAL	ISSUE DATE	PERIODS IN MONTH	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
IPDI	30.03.2009	Perpetual	Perpetual	583.00	G-Sec + 250bps to be repriced every year in March.
PDI (Series II)	28.09.2012	Perpetual	Perpetual	500.00	9.40% p.a.
			TOTAL	1083.00	

2.2.2 Details of Upper TIER II Bonds

SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
Upper Tier II (Sr-I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% p.a. Step up of 50bps from 11th year (11.95% till maturity)
Upper Tier II (Sr-II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% p.a Step up of 50bps from 11th year (9.90% till maturity)
Upper Tier II (Sr-III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% p.a. Step up of 50bps from 11th year (9.30% till maturity)
Upper Tier II (Sr-IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% p.a. Step up of 50bps from 11th year (9.13% till maturity)
Upper Tier II (Sr-V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% p.a. Step up of 50bps from 11th year (9.07% till maturity)
Upper Tier II (Sr-VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20%p.a. Till redemption
	TOTAL	**2885.00**		

2.2.3 Details of Subordinated Bonds

Lower Tier II SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
XI	04.10.2006	04.10.2016	700.00	8.95%p.a.
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.10	9.20%p.a.
XIII	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35%p.a.
XIV	21.12.2011	21.12.2026	500.00	9.33%p.a.
	TOTAL	**1859.10**		

2.2.4 Details of Basel III Compliant Bond –Tier 2

Lower Tier II SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
SR I	08.11.2013	08.11.2023	1000.00	9.90% p.a.
	TOTAL	**1000.00**		

Quantitative Disclosures

		₹ in crores
b)	**Tier 1 capital**	**14743**
	with separate disclosure of:	
	■ paid-up share capital	**1689**
	■ reserves	**13211**
	■ innovative instruments: IPDI –	**1083**
	■ amounts deducted from Tier 1 capital	
	investments	**152**
	intangibles - DTA	**1088**
(c)	**Tier 2 capital** (net of deductions from Tier 2 capital):	**7203**
(d)	**Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital**	
	■ Total amount outstanding-	**2885**
	■ Of which amount raised during the current year –	**NIL**
	■ Amount eligible to be reckoned as capital funds –	**2885**
(e)	Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
	■ Total amount outstanding –	**2859**
	■ Of which amount raised during the current year	
	■ Amount eligible to be reckoned as capital funds –	**1686**
(f)	Other deductions from capital –	**152**
(g)	Total eligible capital.	**21946**

Table DF-3

Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities:

The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.

The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar1; the risks that are not at all taken into account by the pillar 1; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the bank's risk appetite. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario on its CRAR.

The bank reviews the ICAAP on quarterly basis.

		₹ in crores
Quantitative disclosures		
(b)	**Capital requirements for credit risk at 9%:**	
	Portfolios subject to standardized approach –	
	■ Fund based	13706
	■ Non-fund based	1094
	■ Securitization exposures	NIL
(c)	**Capital requirements for market risk:**	
	■ Standardized duration approach:	
	- Interest rate risk –	767
	- Foreign exchange risk (including gold) –	4
	- Equity risk –	710
(d)	**Capital requirements for operational risk:**	
	■ Basic indicator approach –	1219
(e)	**Total capital ratio –**	11.07%
	Tier 1 capital ratio	7.44%

General qualitative disclosure requirement

A committee of board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Chairman and Managing Director/ Executive directors such as Asset liability Management committee, Credit policy Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at central office level which is headed by General Manager; measures control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The General Manager is assisted by Deputy General Manager and a team of Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

At some identified zonal offices, Risk Managers are posted who act as an extended arm of the Risk Management Department of Central Office. Officers are also identified at some regional offices to work as risk managers.

The bank has in place various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Stress testing policy, Disclosure policy, Intra group transaction and exposure policy, Operational risk policy, ALM policy and Investment and Market risk management Policy.

Besides these, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authority, exposure norms, prudential limits and measures of monitoring and controlling the credit portfolio documentation is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by General Manager monitors the loan portfolio, identify special mention accounts and take corrective measures. Loan review mechanism is also carried out by the department apart from processing and monitoring of accounts under CDR mechanism.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counterparties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers, credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately then overall rating is accorded to the counter party. Facility rating module is also available in the rating tool. Where parental support is available the same is also factored in rating, if corporate guarantee is available to the borrower.

Table DF-4

Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Definitions of past due and impaired

A Non Performing Asset shall be a loan or an advance where-

(i) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;

(ii) The account remains out of order for 90 days

(iii) The bill remains overdue for a period of more than 90days in the case of bills Purchased and Discounted

(iv) In case of advances granted for Agricultural purposes

a) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops

b) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops

(v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.

(vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order:

An account should be treated as “out of Order” if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating accounts less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters.

	₹ in crores
Quantitative Disclosures:	
(a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based:	293128
Non-fund based:	32392
(b) Geographic distribution of exposures:	
■ Overseas	102
■ Domestic	325418

(c)

	Industry Name	Funded	Non-Funded
A.	Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	333	48
	A.1 Coal	149	42
	A.2 Others	184	6
B.	Food Processing (B.1 to B.5)	7528	1663
	B.1 Sugar	2735	433
	B.2 Edible Oils and Vanaspati	1770	833
	B.3 Tea	192	3
	B.4 Coffee	7	0
	B.5 Others	2823	393
C.	Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	217	33
	C.1 Tobacco and tobacco products	14	3
	C.2 Others	203	30
D.	Textiles	7273	480
	D.1 Cotton	3514	21
	D.2 Jute	183	276
	D.3 Man-made, of which	61	0
	D.3.a. Handicraft/Khadi (Non Priority)	19	0
	D.3.b. Silk	33	0
	D.3.c. Woolen	9	0
	D.4 Others	3381	136
	Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	74	47
E.	Leather and Leather products	180	21
F.	Wood and Wood Products	100	91
G.	Paper and Paper Products	573	38
H.	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1133	164
I.	Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	3600	133
	I.1 Fertilizers	1383	21
	I.2 Drugs and Pharmaceuticals	1463	63
	I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	46	43
	I.4 Others	707	6
J.	Rubber, Plastic and their Products	204	68

Industry Name	Funded	Non-Funded
K. Glass & Glassware	66	0
L. Cement and Cement Products	1340	67
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	9558	1285
M.1 Iron and Steel	8323	694
M.2 Other Metal and Metal Products	1235	590
N. All Engineering (N.1 + N.2)	4976	1314
N.1 Electronics	748	177
N.2 Others	4228	1137
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	1469	58
P. Gems and Jewellery	2009	220
Q. Construction	6830	716
R. Infrastructure (a to d)	47819	7304
R.a Transport (a.1 to a.6)	8216	1046
R.a.1 Roads and Bridges	5174	956
R.a.2 Ports	703	0
R.a.3 Inland Waterways	281	39
R.a.4 Airport	1396	30
R.a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	662	21
R.a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)		
	0	0
b. Energy (b.1 to b.6)	29975	4861
b.1 Electricity (Generation)	13623	1911
b.1.1 Central Govt PSUs	913	56
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	3232	88
b.1.3 Private Sector	9478	1767
b.2 Electricity (Transmission)	523	336
b.2.1 Central Govt PSUs	0	0
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	420	208
b.2.3 Private Sector	103	128
b.3 Electricity (Distribution)	15496	564
b.3.1 Central Govt PSUs	516	0
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	14824	521
b.3.3 Private Sector	157	43
R.b.4 Oil Pipelines	73	2000
R.b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	96	0
R.b.6 Gas Pipelines	163	50
R.c. Water and Sanitation (c.1 to c.7)	116	38
R.c.1 Solid Waste Management	0	0
R.c.2 Water supply pipelines	0	0
R.c.3 Water treatment plants	116	38
R.c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0	0

Industry Name	Funded	Non-Funded
R.c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0	0
R.c.6 Storm Water Drainage System	0	0
R.c.7 Slurry Pipelines	0	0
R.d. Communication (d.1 to d.3)	3209	1167
R.d.1 Telecommunication (Fixed network)	0	0
R.d.2 Telecommunication towers	0	0
R.d.3 Telecommunication and Telecom Services	3209	1167
R.e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	3813	114
R.e.1 Education Institutions (capital stock)	1180	40
R.e.2 Hospitals (capital stock)	346	10
R.e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	367	9
R.e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	1913	53
R.e.5 Fertilizer (Capital investment)	0	0
R.e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	5	0
R.e.7 Terminal markets	0	0
R.e.8 Soil-testing laboratories	3	3
R.e.9 Cold Chain	0	0
R.f. Others, if any, please specify	2491	78
S. Other Industries, pl. specify	11418	2122
All Industries (A to S)	106625	15826
Residuary other advances (to tally with gross advances)	119430	8075
a. Education Loan	3768	0
b. Aviation Sector	1960	315
c. Other Residuary advances	113702	7760
Total	**226055**	**23900**

(d) Residual contractual maturity breakdown of Assets:

Day 1	6091
02days to 07days:	2500
08days to 14days:	1648
15days to 30days:	4686
31days to 2months:	1857
Above 2months to 3months:	3412
Above 3months to 6months:	6170
Above 6months to 12months:	12964
Above 12months to 36months:	95318
Above 36months to 60months	35512
Over 60 month	100899
Total	**271057**

(e)	**Amount of NPAs (Gross) –**	**22721**
	■ Substandard	9396
	■ Doubtful	12927
	■ Loss	398
(f)	**Net NPAs**	**13242**
(g)	**NPA Ratios**	
	■ Gross NPAs to gross advances	11.95%
	■ Net NPAs to net advances	7.36%
(h)	**Movement of NPAs (Gross)**	
	■ Opening balance	11873
	■ Additions	15145
	■ Reductions	4297
	■ NPA (Gross)	22721
(i)	**Movement of provisions for NPAs**	
	■ Opening balance	4793
	■ Provisions made during the period	5255
	■ Write-off	1810
	■ Write-back of excess provisions	–
	■ Closing balance	8238
(j)	**Amount of Non-Performing Investments**	**474**
(k)	**Amount of provisions held for non-performing investments**	**1027**
(l)	**Movement of provisions/depreciation on investments:**	
	■ Opening balance	181
	■ Provisions made during the period	912
	■ Write-off	–
	■ Write back of excess provision	66
	■ Closing balance	1027

Table DF-5

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures

a. The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.

b. The Bank has recognized the ratings issued by six External Credit Rating Agencies identified by RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., India ratings and research pvt ltd, SMERA rating ltd and BRICKWORK to rate the exposures of its clients.

c. These agencies rate all fund and non-fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.

d. In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight.

	₹ in crores
Quantitative Disclosures:	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
■ Below 100 % risk weight:	200734
■ 100 % risk weight:	80113
■ More than 100 % risk weight:	44673
■ Amount Deducted-CRM	11919

Table DF-6

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

- **Policies and processes for collateral valuation and management;**

  Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, plant and machinery etc.

- **A description of the main types of collateral taken by the bank;**

  Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.

  RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.

	₹ in crores
Quantitative Disclosures	
(b) **For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:**	
■ eligible financial collateral;	
Fund based	10095
Non fund based	1824

Table DF-7

Qualitative Disclosures:		
NIL		
		₹ in crores
Quantitative Disclosures		
Banking Book		
(d)	The total amount of exposures securitized by the bank	NIL
(e)	For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g)	Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i)	Aggregate amount of :	
	– On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	Nil
	– Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(j)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	Nil
	Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil
Quantitative Disclosures		
Trading Book:		
(k)	Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	Nil
(l)	Aggregate amount of :	
	- On balance sheet securitization exposures retained or	Nil
	purchased broken down by exposure type and-	Nil
	- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(m)	Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
	- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and	Nil
	- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	Nil
(n)	Aggregate amount of :	
	- The capital requirement s for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	Nil
	- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil

Table DF-8

Market risk in trading book

Qualitative disclosures

The bank has well defined Investment and Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market process, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place board approved Investment and Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are Asset Liability Management Policy and Policy on Foreign Exchange Operations.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels of financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Banks has also put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge
Interest Rate Risk	₹ 767 Cr
Equity Position Risk	₹ 710 Cr
Foreign Exchange Risk	₹ 4 Cr
TOTAL	₹ 1481 Cr

Table DF-9

Operational risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and

has started collation of data pertaining to Operational Risk loss events through Loss Data Management, Risk & control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) & Scenario Analysis. Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEx' for external loss data base.

The Bank had already approached RBI for moving to The Standardised Approach and is now making efforts to move directly to Advance Measurement Approach.

The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2016 is ₹ 1219 Crores.

Table DF-10

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosure:

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

   The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

   Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Quantitative Disclosure:

Parameter of Change	₹ in Crores
1. Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	342
2. Market value of Equity: 200 bps change	-191

YOGESH RAI DY. GENERAL MANAGER	**REVATHI THIAGARAJAN** DY. GENERAL MANAGER-INCHARGE

(R.C. LODHA) EXECUTIVE DIRECTOR	**(B.K. DIVAKRA)** EXECUTIVE DIRECTOR	**(R.K. GOYAL)** EXECUTIVE DIRECTOR	**(RAJEEV RISHI)** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Date: 26.05.2016

PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES AS ON 31.03.2016

CENTRAL BANK OF INDIA

Table DF-1: Scope of Application

(i) Qualitative Disclosures:

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

In the consolidated accounts (disclosed annually), bank's subsidiaries/associates are treated as under

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21.	No	NA	NA	Deduction of Investments from capital
Cent Bank Financial Services Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21	No	NA	NA	Deduction of Investments from capital
Central Mad-hyapradesh GB/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
UttarbangaK-shetriya Gram Bank, Cooch Bihar/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Indo-Zambia Bank Ltd. / Zambia.	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NO SUCH ENTITY					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation *(as indicated in (i)a. above)*	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs. in Mn*	Total balance sheet assets *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs. in Mn*
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	The main objective of the Company is to provide housing finance	250	12030
Cent Financial Services Ltd./ India	Providing investment banking products / services to corporate clients	50	481
Central Madhyapradesh GB/ India	Regional Rural Bank	2464*	73303*
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Regional Rural Bank	4545*	172616*
UttarbangaKshetriya Gram Bank, Cooch Bihar/ India	Regional Rural Bank	908	26653

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted: NIL

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted: NIL

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: NIL

* Unaudited figures for March 2016

Table DF-2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities

The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.

The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum

capital ratio prescribed under Pillar I; the risks that are not at all taken into account by the pillar I; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the risk appetite. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario on its CRAR.

The bank reviews the ICAAP on quarterly basis.

Bank has taken initiatives to migrate to advanced approaches for Capital Adequacy Computation, Bank has already appointed a consultant &a system integrator vendor for moving to advanced approach.

Quantitative disclosures (b) Capital requirements for credit risk: • Portfolios subject to standardized approach @9% • Securitization exposures :	 ₹ 152449mn NIL
(c) Capital requirements for market risk: • Standardized duration approach; - Interest rate risk - Foreign exchange risk (including gold) - Equity risk	 ₹ 7724mn ₹ 41mn ₹ 7097mn
(d) Capital requirements for operational risk: • Basic Indicator Approach	 ₹ 12188mn
(e) Common Equity Tier 1, Tier 1and Total Capital ratios: • Common Equity Tier 1 • Tier 1 • Total Capital ratio	 8.03% 8.20% 10.41%

General qualitative disclosure requirement

A committee of board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Chairman and Managing Director/ Executive directors such as Asset liability Management committee, Credit policy Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at central office level which is headed by General Manager; measures, control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The General Manager is assisted by Deputy General Manager and a team of Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

At some identified zonal offices, Risk Managers are posted who act as an extended arm of the Risk Management Department of Central Office. Officers are also identified at some regional offices to work as risk managers.

The bank has in place various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Stress testing policy, Market Discipline & Disclosure policy, Intra group transaction and exposure policy, Operational risk policy, ALM policy and Investment and Market risk management Policy.

Besides these, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authorities' exposure norms, prudential limits and measures, monitoring and controlling the credit portfolio is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by General Manager monitors the loan portfolio, identify special mention accounts and take corrective measures. Loan review mechanism is also carried out by the department apart from processing and monitoring of accounts under CDR mechanism.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counterparties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers, credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately then overall rating is accorded to the counter party. Facility rating module is also available in the rating tool. Where parental support is available the same is also factored in rating, if corporate guarantee is available to the borrower

Table DF-3

Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Definitions of past due and impaired

A Non-Performing Asset shall be a loan or an advance where-

(i) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;

(ii) The account remains out of order for 90 days

(iii) The bill remains overdue for a period of more than 90days in the case of bills Purchased and Discounted

(iv) In case of advances granted for Agricultural purposes

   a) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops

   b) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops

(v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.

(vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order:

An account should be treated as “out of Order” if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating accounts less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters.

	(₹ in Mn)
Quantitative Disclosures:	
(a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based*:	**2931280**
Non-fund based:	**323920**
**includes cash ,balances with banks , investments etc*	
(b) Geographic distribution of exposures:	
▪ Overseas	**1023**
▪ Domestic	**3254177**

(c)

Industry Name	Funded	Non-Funded
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	3327	481
A.1 Coal	1490	424
A.2 Others	1837	57
B. Food Processing (B.1 to B.5)	75277	16627
B.1 Sugar	27354	4332
B.2 Edible Oils and Vanaspati	17701	8334
B.3 Tea	1922	33
B.4 Coffee	70	0
B.5 Others	28230	3928
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	2171	330
C.1 Tobacco and tobacco products	140	29
C.2 Others	2031	301
D. Textiles	72729	4798
D.1 Cotton	35140	207
D.2 Jute	1829	2755
D.3 Man-made, of which	607	0
D.3.a. Handicraft/Khadi (Non Priority)	194	0
D.3.b. Silk	327	0
D.3.c. Woolen	86	0
D.4 Others	33807	1361
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	739	475
E. Leather and Leather products	1804	212
F. Wood and Wood Products	995	912
G. Paper and Paper Products	5726	384
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	11329	1642
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	35997	1328
I.1 Fertilizers	13835	208
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	14631	628
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	463	433
I.4 Others	7069	60
J. Rubber, Plastic and their Products	2042	682

Industry Name	Funded	Non-Funded
K. Glass & Glassware	659	3
L. Cement and Cement Products	13404	669
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	95582	12848
M.1 Iron and Steel	83233	6944
M.2 Other Metal and Metal Products	12349	5904
N. All Engineering (N.1 + N.2)	49755	13141
N.1 Electronics	7475	1766
N.2 Others	42280	11375
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	14694	581
P. Gems and Jewellery	20087	2200
Q. Construction	68300	7157
R. Infrastructure (a to d)	478192	73039
R.a Transport (a.1 to a.6)	82160	10464
R.a.1 Roads and Bridges	51737	9565
R.a.2 Ports	7030	0
R.a.3 Inland Waterways	2809	391
R.a.4 Airport	13962	300
R.a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	6622	209
R.a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	0	0
b. Energy (b.1 to b.6)	299750	48609
b.1 Electricity (Generation)	136226	19112
b.1.1 Central Govt PSUs	9125	563
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	32323	882
b.1.3 Private Sector	94777	17667
b.2 Electricity (Transmission)	5233	3361
b.2.1 Central Govt PSUs	0	0
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	4200	2081
b.2.3 Private Sector	1034	1280
b.3 Electricity (Distribution)	154965	5636
b.3.1 Central Govt PSUs	5155	0
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	148242	5206
b.3.3 Private Sector	1567	430
R.b.4 Oil Pipelines	730	20000
R.b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	963	0
R.b.6 Gas Pipelines	1634	500
R.c. Water and Sanitation (c.1 to c.7)	1158	380
R.c.1 Solid Waste Management	0	0
R.c.2 Water supply pipelines	0	0
R.c.3 Water treatment plants	1158	380
R.c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0	0

Industry Name	Funded	Non-Funded
R.c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0	0
R.c.6 Storm Water Drainage System	0	0
R.c.7 Slurry Pipelines	0	0
R.d. Communication (d.1 to d.3)	32086	11667
R.d.1 Telecommunication (Fixed network)	0	0
R.d.2 Telecommunication towers	0	0
R.d.3 Telecommunication and Telecom Services	32086	11667
R.e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	38133	1141
R.e.1 Education Institutions (capital stock)	11800	400
R.e.2 Hospitals (capital stock)	3457	98
R.e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	3668	88
R.e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	19131	525
R.e.5 Fertilizer (Capital investment)	0	0
R.e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	49	0
R.e.7 Terminal markets	0	0
R.e.8 Soil-testing laboratories	28	30
R.e.9 Cold Chain	0	0
R.f. Others, if any, please specify	24906	779
S. Other Industries, pl. specify	11418	2122
All Industries (A to S)	1066251	158256
Residuary other advances (to tally with gross advances)	1194300	80747
a. Education Loan	37679	0
b. Aviation Sector	19598	3150
c. Other Residuary advances	1137023	77597
Total	2260551	239003

Industry exposure is more than 5% gross exposure

	Funded	Non-Funded
Infrastructure	478192	73039
Other Industries	24906	779

(d) Residual maturity breakdown of Assets:

Day 1	60914
02days to 07days:	24995
08days to 14days:	16481
15days to 30days:	46858
31days to 2months:	18569
Above 2months to 3months:	34121
Above 3months to 6months	61703
Above 6months to 12months:	129646

Above 12months to36months:	953178
Above 36months to60months:	355117
Over 60 month	1008991
Total	**2710573**

(e)	**Amount of NPAs (Gross) –**	227209
	▪ Substandard	93963
	▪ Doubtful 1	53772
	▪ Doubtful 2	57753
	▪ Doubtful 3	17735
	▪ Loss	3983
(f)	**Net NPAs**	132418
(g)	**NPA Ratios**	
	▪ Gross NPAs to gross advances	11.95%
	▪ Net NPAs to net advances	7.36%
(h)	**Movement of NPAs (Gross)**	
	▪ Opening balance	118730
	▪ Additions	151450
	▪ Reductions	42970
	▪ NPA (Gross)	227210
(i)	**Movement of provisions for NPAs**	
	▪ Opening balance	47930
	▪ Provisions made during the period	52550
	▪ Write-off	18100
	▪ Write-back of excess provisions	–
	▪ Closing balance	82380
(j)	**Amount of Non-Performing Investments**	4740
(k)	**Amount of provisions held for non-performing investments**	10272
(l)	**Movement of provisions/depreciation on investments:**	
	▪ Opening balance	1806
	▪ Provisions made during the period	9123
	▪ Write-off	NIL
	▪ Write back of excess provision	657
	▪ Closing balance	10272

Table DF-4

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures

a. The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.

b. The Bank has recognized the ratings issued by six External Credit Rating Agencies identified by RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., India ratings and research pvtltd,SMERArating ltd and BRICKWORK to rate the exposures of its clients.

c. These agencies rate all fund and non fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.

d. In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight.

	₹ in Mn
Quantitative Disclosures:	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
▪ Below 100 % risk weight:	2007337
▪ 100 % risk weight	801135
▪ More than 100 % risk weight	446728
▪ Amount Deducted-CRM	119188

Table DF-5

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

- **Policies and processes for collateral valuation and management;**

  Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, plant and machinery etc.

- **A description of the main types of collateral taken by the bank;**

  Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.

  RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.

	₹ in Mn.
Quantitative Disclosures	
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
▪ eligible financial collateral;	
▪ Fund based	100945
Non fund based	18243

Table DF-6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures:

NIL

₹ in Mn

Quantitative Disclosures		
Banking Book		
(d)	The total amount of exposures securitized by the bank	NIL
(e)	For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g)	Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i)	Aggregate amount of :	
	- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
	- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(j)	Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	Nil
	Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil
Quantitative Disclosures		
Trading Book:		
(k)	Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	Nil
(l)	Aggregate amount of :	
	- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	Nil
	- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type (m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	Nil
	- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and	Nil
	- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands (n) Aggregate amount of :	Nil
	- The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	Nil
	- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil

Table DF-7

Market risk in trading book

Qualitative disclosures

The bank has well defined Investment and Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market process, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place board approved Investment and Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policy which also deal with Market Risk Management are Asset Liability Management Policy.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels of financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Banks has also put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management. Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge (Rs. in Mn)
Interest Rate Risk	₹ 7724
Equity Position Risk	₹ 7097
Foreign Exchange Risk	₹ 41
TOTAL	**₹ 14862**

Table DF-8

Operational risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk

Management in the Bank is guided by a well defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to Operational Risk loss events through Loss Data Management, Risk & control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) & Scenario Analysis. Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEx' for external loss data base.

The Bank had already approached RBI for moving to The Standardized Approach and is now making efforts to move directly to Advance Measurement Approach.

The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2016 is Rs.12188mn.

Table DF-9

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosure:

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

   The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

   Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Quantitative Disclosure

Parameter of Change	₹ in Mn
1. Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	3424
2. Market value of Equity: 200 bps change	-1913

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures	(a)	The bank assigns credit limits for counterparty exposure on the basis of capital adequacy, asset quality, earnings, liquidity and management quality. The bank has well defined investment and market risk management policy. The Bank deals in various derivative products and interest Rate Swaps. The bank used derivative products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes.

Quantitative Disclosures	(b)	₹ in Mn

Particulars	Amount
Gross positive value of contracts	491
Netting Benefits	0
Netted current credit exposure	1793
Collateral held	0
Net Derivative Credit Exposure	1793

(c)

₹ in Mn

Item	Notional Amount	Current credit Exposure
Forward Forex contracts	64522	1779
Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps	0	0
Interest rate Contracts	2000	14

Table DF-11: Composition of Capital

Part II: Template to be used before March 31, 2017
(i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)

(₹ in million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	16897		A1
2	Retained earnings	-24410		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	171333		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0		
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0		
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**163820**		
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0	0	0
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	0	0
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0	0	0
10	Deferred tax assets 2	340	0	0
11	Cash-flow hedge reserve	0	0	0
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	0	0
13	Securitisation gain on sale	0	0	0
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	0	0

15	Defined-benefit pension fund net assets	0	0	0
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	0	0
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	6	1	0
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0	0	0
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	215	54	0
20	Mortgage servicing rights4 (amount above 10% threshold)	0	0	0
21	Deferred tax assets arising from temporary differences5 (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0	0	0
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	0	0
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	0	0
24	of which: mortgage servicing rights	0	0	0
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	0	0
26	National specific regulatory adjustments7 (26a+26b+26c+26d)	0	0	0
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0	0	0
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries8	0	0	0
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank9	0	0	0
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0	0	0
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0	0
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	0	0
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**561**		
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**163259**		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)			
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)			
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	3498		B1+B2
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)			
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out			
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	3498		

	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0	0	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0	0	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	0	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	27		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	76		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries			
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	0	
	of which: Intangibles and Defined benefit Pension fund	0		
	ofwhich:e.g. reciprocal cross holding subject to pre - basel III treatment pertaining Common Equity, Additional Tier1 and Tier 2	76	0	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions			
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**103**		
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**3395**		
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**166654**		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	10000		C3
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	22475		C1+C2
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0		
50	Provisions (Revaluation reserves, Provision on Standard assets, sale of NPAetc)	13026		
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	45500		
52	Investments in own Tier 2 instruments			
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	679		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	0	
55	Significant investments13 in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	27	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	7		

56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries			
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	7		
	of which: Reciprocal cross holding Common Equity	7	0	
	of which: Investments more than 10% of common equity in Tier 1 and Tier 2	0		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**707**		
58	**Tier 2 capital (T2)**	**44793**		
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**44793**		
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	**0**		
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	**44793**		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**211447**		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	of which: …			
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**2031987**		
60a	**of which: total credit risk weighted assets**	**1693875**		
60b	**of which: total market risk weighted assets**	**185768**		
60c	**of which: total operational risk weighted assets**	**152344**		
	Capital ratios			
61	**Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	**8.03%**		
62	**Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	**8.20%**		
63	**Total capital (as a percentage of risk weighted assets)**	**10.41%**		
64	**Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)**	**6.125%**		
65	**of which: capital conservation buffer requirement**	**0.625%**		
66	**of which: bank specific countercyclical buffer requirement**	**0.00%**		
67	**of which: G-SIB buffer requirement**	**0.00%**		
68	**Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)**	**0.00%**		
	National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.125%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.625%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.625%		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities			
73	Significant investments in the common stock of financial entities			
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)			
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)			

Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)			
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach			
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)			
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach			
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

			(₹ in Millions)
		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2016	As on 31.03.2016
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	16897	
	of which: Amount eligible for CET 1	16897	A1
	of which: Amount eligible for AT 1	0	B1
	Reserves & Surplus	175002	
	Minority Interest	0	
	Total Capital	**191899**	
ii	**Deposits**	**2661842**	
	of which: Deposits from banks	60828	
	of which: Customer deposits	2601014	
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	
iii	**Borrowings**	**92079**	
	of which: From RBI	8250	
	of which: From banks	8	
	of which: From other institutions & agencies	15549	
	of which: Others (Outside india)	0.00	
	of which:Subordinated Debt	18591	C1
	of which:Upper Tier 2	28850	C2
	of which: Unsecredem NC Basel III Bonds (Tier 2)	10000	C3
	of which: Innovative Perpetual Debt Instrument	10830	B2
iv	**Other liabilities & provisions**	**108841**	
	Total	**3054661**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	140695	
	Balance with banks and money at call and short notice	14715	
ii	Investments:	888675	
iii	Loans and advances	1800096	
	of which: Loans and advances to banks	2	
	of which: Loans and advances to customers	1800094	
iv	Fixed assets	43593	
v	Other assets	166887	
	of which: Goodwill and intangible assets	0	
	of which: Deferred tax assets	0	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	
	Total Assets	**3054661**	

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

The main features of Tier - 1 capital instruments are given below:

Details	Equity
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A01010
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Common Shares
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	16897
Par value of instrument	₹ 10 per share
Accounting classification	Shareholder's Equity
Original date of issuance	Various
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Floating
Coupon rate and any related index	N.A.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	N.A.
Convertible or non-convertible	N.A.
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and others Creditors, bonds, and PNCPS
Non-compliant transitioned features	No
If yes, specify non-compliant features	

SERIES DETAILS	IPDI	Sr. II PDI
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09237	INE483A09252
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment		
Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Inelgible
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	3498	0
Par value of instrument	₹ 1.00 Mn	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	30.03.2009	28.09.2012
Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
Original maturity date	N.A	N.A
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	28.09.2022
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.
Coupons / dividends		
Fixed or floating dividend/coupon	Floating	Fixed
Coupon rate and any related index	G.sec + 250 bps to be repriced every year in March	9.40% p.a.
Existence of a dividend stopper	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.
Write-down feature	Not Applicable	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other Creditors	All depositors and other Creditors
Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
If yes, specify non-compliant features	Not Basel III Loss absorbency features	Fully derecognized, Not Basel III Loss absorbency features

The main features of Upper Tier - 2 capital instruments are given below

SERIES DETAILS	Upper Tier II (Sr. I)	Upper Tier II (Sr. II)	Upper Tier II (Sr.III)	Upper Tier II (Sr. IV)	Upper Tier II (Sr. V)	Upper Tier II (Sr. VI)
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA					
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	IN-E483A09179	IN-E483A09195	IN-E483A09203	IN-E483A09211	IN-E483A09229	IN-E483A08015
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment						
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1800	1710	3000	3000	6000	1800
Par value of instrument	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	14.11.2008	17.02.2009	23.06.2009	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	14.11.2023	17.02.2024	23.06.2024	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	14.11.2018	17.02.2019	23.06.2019	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Coupons / dividends						
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	11.45%	9.40%	8.80%	8.63%	8.57%	9.20%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features

The main features of Subordinated Debt capital instruments are given below:

SERIES DETAILS	Lower Tier II Sr XI	Lower Tier II Sr XII	Lower Tier II Sr XIII	Lower Tier II Sr XIV
Issuer				
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09153	INE483A09161	INE483109187	INE483A09245
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment				
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	0	545	1620	3000
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	04.10.2006	03.03.2008	10.02.2009	21.12.2011
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	04.10.2016	03.05.2017	10.04.2018	21.12.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	N.A.	N.A.	21.12.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Coupons / dividends				
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed

Coupon rate and any related index	8.95%	9.20%	9.35%	9.33%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features

The main features of BASEL III compliant Tier 2 Bonds are given below:

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS
	SR I
Issuer	
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09260
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	ELIGIBLE
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments

Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10000
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	08.11.2013
Perpetual or dated	DATED
Original maturity date	08.11.2023
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.90%
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	YES
If write-down, write-down trigger(s)	These bonds, at the option of the reserve bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger'("ponv trigger")
If write-down, full or partial	Partial
If write-down, permanent or temporary	Temporary
If temporary write-down, description of write-up mechanism	1) It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. 2) Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. 3) Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	NO
If yes, specify non-compliant features	–

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sr. No.	Capital type	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity	Equity	As disclosed in Main features section
2.	Additional Tier 1	IPDI	As disclosed in Main features section
3.	TIER 2	UPPER TIER 2 BONDS	As disclosed in Main features section
4	TIER 2	SUBORDINATE BONDS	As disclosed in Main features section
5.	TIER 2	BASEL III COMPLIANT BOND	As disclosed in Main features section

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions As on 31.03.2016

Qualitative Disclosures

1	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including: • differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and • Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	Equity HTM investment are in Foreign associate, Indian Subsidiary, Joint Venture, Associates, Regional Rural Banks, IFCI, Central Warehousing Corporation, other strategic investments in FIs (SFCs) As soon as the deal is entered (whether settled or not) necessary vouchers are passed. These vouchers are passed on the basis of deal tickets received from front office, on obtaining of broker confirmation from counter party getting broker's contract note (if the deal is through broker).

Quantitative Disclosures			₹ in Mn
		BOOK VALUE 31.03.2016	**FAIR VALUE 31.03.2016**
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments	3590	3590
	Publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	-	-
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:		
	Publicly traded	-	-
	Privately held.	3590	3590
	JV In India (Cent Bank Home Finance)	220	220
	Associate Outside India (JV in Indo Zambia Bank Ltd)	470	470
	RRBs	2770	2770
	Subsidiaries(Cent Bank Financial Services Ltd)	50	50
	Strategic Investments- Central Ware housing Corporation	20	20
	Strategic Investments-IFCI	40	40
	Strategic Investments-Other FIs (IFCI, GSFC, JKFC, WBFC)	20	20

3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	-	-
4	Total unrealised gains (losses) *	-	-
5	Total latent revaluation gains (losses)**	NIL	NIL
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	-	-
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	NA	NA

* Unrealised gains (losses) recognised in the balance sheet but not through the profit and loss account (Provisions in PI and NPI).

** Unrealised gains (losses) not recognised either in the balance sheet or through the profit and loss account.

LEVERAGE RATIO DISCLOSURES AS ON 31.03.2016

Table DF 17- Summary comparison of Accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

	Item	(₹ in Mn)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	3055601
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	511
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	1793
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	12557
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	202340
7	Other adjustments	0
8	**Leverage ratio exposure**	**3271780**

DF-18: Leverage ratio common disclosure template

		(Amount in ₹ Mn)
	On-balance sheet exposures	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	3055601
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	511
3	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	3055090
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	491
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	1302

6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	1793
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	12000
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	557
15	Agent transaction exposures	0
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**12557**
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	813236
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(610896)
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	202340
	Capital and total exposures	
20	**Tier 1 capital**	169195
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	3271780
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio (per cent)**	5.17%

YOGESH RAI
DY. GENERAL MANAGER

REVATHI THIAGARAJAN
DY.GENERAL MANAGER (INCHARGE)

(R.C. LODHA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(B.K.DIVAKRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(R.K. GOYAL)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJEEV RISHI)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Date: 02.06.2016

DOOGAR & ASSOCIATES 13, Community Centre, East of Kailash, **New Delhi - 110 065**	**N SARKAR & CO** 21 PrafullaSarkar Street 2nd floor **Kolkata - 700 072,** **West Bengal**	**B N MISRA & CO** S-29 , MaitriVihar, Phase – II In front of Satyam Development Centre **Bhubaneshwar - 751 023 Orissa**
CHANDABHOY & JASSOOBHOY 208,Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, **Mumbai - 400 013** **Maharashtra**	**LODHA & CO** 14 Government Place East, **Kolkata - 700 069,** **West Bengal**	**PATHAK H D & ASSOCIATES** 814-815,Tulsiani Chambers, 212 Nariman Point, **Mumbai - 400 021** **Maharashtra**

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To The Members of CENTRAL BANK OF INDIA

1. We have audited the accompanying **consolidated** financial statements of Central Bank of India ("The Bank") and its subsidiaries (collectively referred to as "The Group") and its associates comprising of the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2016, the Consolidated Statement of Profit & Loss Account, the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements"), in which are incorporated:

(i) Audited accounts of the Central Bank of India (The Bank), audited by us,

(ii) Audited accounts of two Subsidiaries which are audited by other auditors & unaudited accounts of three Regional Rural Banks (RRB),

(iii) Accounts of an Associate for a period of nine months audited by other auditor and unaudited accounts of the said Associate for the three months period ended March 31, 2016.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3.1 Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

3.2 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

3.3 We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph 6 below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the consolidated financial statements.

Opinion

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries and associates as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i. in the case of the consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March, 2016;

ii. in the case of consolidated Profit and Loss Account, of the loss for the year ended on that date; and

iii. in the case of the consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of matter

5. We invite your attention to:

(i) Note no. 4.5.3 (I & II) of Schedule 18 regarding provision in respect of segment of loan/ bonds non envisaged / envisaged to be converted into SDL Bonds in relation to Power Distribution Cos. (DISCOM) pursuant to UDAY Scheme;

(ii) Note no. 4.5.4 of Schedule 18 regarding provision on advances to Food Corporation of India in terms of directions issued by Reserve Bank of India.

(iii) Note no. 4.5.5 of Schedule 18 regarding provision made against certain borrowal accounts pursuant to directions on asset quality review received from Reserve Bank of India.

(iv) Note no. 5.7.1 of Schedule 18 regarding recognition of deferred tax asset on provision on Non Performing Assets;

(v) Note no. 5.7.2 of Schedule 18 regarding recognition of deferred tax liability by one of the subsidiary on Special Reserves maintained by Housing Finance Companies.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

6. Other matter

(i) We did not audit the financial statements of (i) two subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹ 1,251.11 crore as at March 31, 2016 and total revenue of ₹ 125.70 crore and net cash flows amounting to ₹ 17.49 crore for the year ended on that date ; and (ii) one Associate reflecting net profit of ₹ 43.89 crore (the Bank's share ₹ 8.78 crore) for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

(ii) The Financial statements of three Regional Rural Banks which have not been audited reflect net profit of ₹ 16.59 crore (the Bank's share ₹ 5.81 crore) for the year ended March 31, 2016. Our opinion is based on the Un-audited financial statements of three Regional Rural Banks. Our opinion is not qualified in respect of above matters.

7. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

(i) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

(ii) Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 3 above and as required by the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank, as supplemented with the information furnished by the Management, have been found adequate for the purposes of our audit.

(iii) We further report that:

(a) the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

(b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

(c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For DOOGAR & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000561N	**For N. SARKAR & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301075E	**For B.N. MISRA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.321095E
(CA MUKUL MARWAH) PARTNER M.No.511239	**(CA M. RAY)** PARTNER M.No.012940	**(CA B.N. MISRA)** PARTNER M.No.083927
For CHANDABHOY & JASSOOBHOY CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.101647W	**For LODHA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301051E	**For PATHAK H D & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.107783W
(CA AMBESH A. DAVE) PARTNER M.No.049289	**(CA PRASHANT KHANDELWAL)** PARTNER M No.056652	**(CA B.P.CHATURVEDI)** PARTNER M No.015585

Place : Mumbai
Date : May 27, 2016

Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	As at 31-Mar-2016	As at 31-Mar-2015
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	16,897,143	16,582,732
Reserves and Surplus	2	162,828,564	160,766,951
Minorities Interest	2A	350,698	327,308
Share Application Money Pending Allotment		5,350,000	–
Deposits	3	2,666,863,037	2,559,415,992
Borrowings	4	95,031,181	260,985,873
Other Liabilities and Provisions	5	118,890,830	129,579,267
TOTAL		**3,066,211,453**	**3,127,658,123**
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	**6**	**140,702,036**	**141,163,743**
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	14,994,534	7,216,549
Investments	8	890,866,809	899,214,016
Loans & Advances	9	1,808,951,840	1,890,675,267
Fixed Assets	10	43,601,348	28,340,606
Other Assets	11	167,005,990	160,959,046
Goodwill on Consolidation		88,896	88,896
TOTAL		**3,066,211,453**	**3,127,658,123**
Contingent Liabilities	12	768,034,422	908,932,783
Bills for Collection		118,375,835	110,608,049
Significant Accounting Policies	17		–
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

R.C. LODHA	**B.K. DIVAKARA**	**R.K. GOYAL**	**RAJEEV RISHI**
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

Place : Mumbai

Date : May 27, 2016

Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	YEAR ENDED 31.03.2016	YEAR ENDED 31.03.2015
I. INCOME			
Interest and Dividend Earned	13	259,876,567	264,759,775
Other Income	14	19,444,718	19,003,942
TOTAL		**279,321,285**	**283,763,717**
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	188,892,984	191,996,537
Operating Expenses	16	63,776,909	55,966,419
Provisions and Contingencies		37,708,130	29,617,806
TOTAL		**290,378,023**	**277,580,762**
III. PROFIT/(LOSS)			
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year of the parents & subsidiaries before Minority Interest & Prior Period Item		(11,056,738)	6,182,955
Less: Prior Period Item		(3,004,923)	–
Less: Minority Interest		(47,853)	(43,094)
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year after deducting Minority's Interest & Prior Period Item		(14,109,514)	6,139,861
Add: Share of earnings in Associates		145,863	520,731
Consolidated Profit for the year attributable to the Group		(13,963,651)	6,660,592
Add: Brought forward consolidated Profit attributable to the Group		(7,389,809)	(10,718,733)
Profit Available for Appropriation		(21,353,460)	(4,058,141)
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		10,000	1,516,100
Investment Reserve		925,930	538,300
Revenue Reserve		9,541	9,300
Staff Welfare Fund		–	181,900
Fund in lieu of Insurance		–	20,000
Proposed Dividend -Preference Share Capital		–	–
Proposed Dividend -Equity Share Capital		–	829,100

Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	YEAR ENDED 31.03.2016	YEAR ENDED 31.03.2015
Tax on Dividend		17,849	177,693
Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		28,710	36,220
Appropriation of DTL on spe. Reser. as per NHB guidelines		21,128	21,128
CSR Reserves as per companies Act		2,456	1,927
Balance Carried over to the Balance Sheet		(22,369,074)	(7,389,809)
TOTAL		**(21,353,460)**	**(4,058,141)**
Earnings Per Share (In ₹) – Basic		(8.42)	4.69
Earnings Per Share (In ₹) – Diluted		(8.42)	4.69
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

R.C. LODHA	**B.K. DIVAKARA**	**R.K. GOYAL**	**RAJEEV RISHI**
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : May 27, 2016

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		**50,000,000**		50,000,000
500,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :	**16,897,143**		16,582,732	
1,68,97,14,269 Equity Shares (previous year 1,65,82,73,181 equity shares) of ₹ 10/- each (includes 135,08,27,438 equity shares (previous year 135,08,27,438 equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		**16,897,143**		**16,582,732**

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**20,749,131**		19,233,031	
Additions during the year	**10,000**		1,516,100.00	
		20,759,131		20,749,131
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**18,141,601**		18,401,205	
Additions on account of revaluation during the year	**15,861,477**		-	
Less: Transfer to Revenue and Other Reserves	**(242,973)**		-	
Deductions during the year	**(836,649)**		(259,604)	
		32,923,456		18,141,601
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**5,409,385**		4,871,085	
Additions during the year	**925,930**		538,300	
		6,335,315		5,409,385
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	**99,554,023**		74,383,893	
Additions/Adjustments during the year	**1,341,277**		25,170,130	
		100,895,300		99,554,023
IV. Revenue and Other Reserves				
Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**23,195,883**		23,186,583	
Add: Transfer from Capital Reserves	**242,973**		9,300	
Addition during the year	**103,220**		-	
Less: Deductions during the year	**(393,087)**		-	
		23,148,989		23,195,883
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii)		**1,135,447**		1,106,737
VI. Balance in Profit and Loss Account		**(22,369,074)**		(7,389,809)
TOTAL		**162,828,564**		**160,766,951**

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
	Rs.	**Rs.**	Rs.	Rs.
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	**24,500**		24,500	
Subsequent increase / decrease	**326,198**		302,808	
Minority interest on the date of Balance-Sheet	**350,698**		**327,308**	
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	**2,703,264**		9,161,917	
ii) From Others	**116,741,263**		122,761,539	
		119,444,527		131,923,456
II. Savings Bank Deposits		**824,849,145**		738,098,898
III. Term Deposits				
i) From Banks	**59,876,105**		56,900,366	
ii) From Others	**1,662,693,260**		1,632,493,272	
		1,722,569,365		1,689,393,638
TOTAL		**2,666,863,037**		**2,559,415,992**
B. i) Deposits of Branches in India		**2,666,863,037**		2,559,415,992
ii) Deposits of Branches outside India		**-**		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	**8,250,000**		142,071,241	
ii) Other Banks	**2,670,829**		-	
iii) Other Institutions & Agencies	**15,549,352**		38,934,132	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	**18,881,000**		24,363,000	
v) Upper Tier II bonds	**28,850,000**		28,850,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	**10,830,000**		10,830,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds (Tier II)	**10,000,000**		10,000,000	
		95,031,181		255,048,373
II. Borrowings outside India		**-**		5,937,500
TOTAL		**95,031,181**		**260,985,873**
Secured Borrowings included in I & II above		***1,851,909**		*1,014,743

* Relates to subsidiary & secured by charge on their Book Debts.

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	**6,624,509**			8,682,760
II. Inter Office Adjustments (Net)	–			–
III. Interest Accrued	**15,276,239**			15,544,730
IV. Deferred Tax Liailities (Net)		-		1,102,716
V. Others(including provisions)	**96,990,082**	**118,890,830**	104,249,061	129,579,267
TOTAL		**118,890,830**		**129,579,267**
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		**16,591,496**		22,653,265
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	**124,110,540**		118,510,478	
In Other Accounts	–		–	
		124,110,540		118,510,478
TOTAL		**140,702,036**		**141,163,743**
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	**1,676,097**		3,036,061	
b) In Other Deposit Accounts	**295,800**		271,139	
		1,971,897		3,307,200
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	**12,000,000**		2,000,000	
b) With Other Institutions	**–**		–	
		12,000,000		**2,000,000**
TOTAL		**13,971,897**		**5,307,200**
II. Outside India				
a) In Current Accounts	**1,022,637**		1,909,349	
b) In Other Deposit Accounts	**–**		–	
c) Money at Call & Short Notice	**–**		–	
TOTAL.... II		**1,022,637**		**1,909,349**
TOTAL.... (I + II)		**14,994,534**		**7,216,549**
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	**665,614,484**		754,157,878	
ii) Other approved Securities	–		–	
iii) Shares	**10,533,842**		12,834,462	
iv) Debentures and Bonds	**172,776,411**		100,454,377	
v) Investment in Associates	**4,215,494**		4,157,419	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	**36,523,356**		26,494,446	
		889,663,587		898,098,582

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS *(Contd.)*				
II. Investments outside India in **				
i) Government Securities	**-**		-	
ii) Investment in Associates	**1,203,221**		1,115,434	
	1,203,221		1,115,434	
TOTAL		**890,866,809**		**899,214,016**
* **Investments in India**				
Gross Value of Investments	**899,935,472**		899,905,030	
LESS: Provision for Depreciation	**10,271,885**		1,806,448	
Net Investments		**889,663,587**		**898,098,582**
** **Investments outside India**				
Gross Value of Investments	**1,203,221**		1,115,434	
LESS: Provision for Depreciation	**-**		-	
Net Investments		**1,203,221**		**1,115,434**
TOTAL		**890,866,809**		**899,214,016**
SCHEDULE 9 : LOANS AND ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	**17,819,792**		20,953,233	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	**748,150,651**		728,035,416	
iii) Term Loans	**1,042,981,397**	**1,808,951,840**	1,141,686,618	1,890,675,267
TOTAL		**1,808,951,840**		**1,890,675,267**
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	**1,644,934,067**		1,646,215,830	
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	**5,150,950**		93,403,474	
iii) Unsecured	**158,866,823**	**1,808,951,840**	151,055,963	1,890,675,267
TOTAL		**1,808,951,840**		**1,890,675,267**
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	**767,051,114**		703,390,285	
ii) Public Sector	**99,953,724**		208,996,695	
iii) Banks	**1,445**		8,689	
iv) Others	**941,945,557**	**1,808,951,840**	978,279,598	1,890,675,267
TOTAL		**1,808,951,840**		**1,890,675,267**
(II) Advances outside India		**-**		-

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	**24,850,974**		24,747,330	
Additions during the year (including revaluation)	**16,521,255**		103,644	
Total	**41,372,229**		**24,850,974**	
Deduction/Adjustments during the year	**1,265,633**		0	
Total	**40,106,596**		**24,850,974**	
Depreciation to date	**4,980,991**		5,074,659	
TOTAL.... I		**35,125,605**		**19,776,315**
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as on 31st March of the preceding year	**22,949,060**		20,458,603	
Additions/Adjustments during the year	**2,403,413**		10,897,438	
Total	**25,352,473**		**31,356,041**	
Deductions/Adjustments during the year	**635,809**		8,406,990	
Total	**24,716,664**		**22,949,051**	
Depreciation to Date	**16,240,921**		14,384,760	
TOTAL.... II		**8,475,743**		**8,564,291**
TOTAL.... (I + II)		**43,601,348**		**28,340,606**
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	**14,957,064**		18,429,806	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source				
(Net of Provisions)	**40,164,905**		30,461,212	
III. Stationery and Stamps	**180,736**		186,236	
IV. Deferred Tax Assets	**10,849,098**		-	
V. Inter Office Adjustments (Net)	**35,311,345**		35,396,476	
VI. Others	**65,542,842**		76,485,316	
		167,005,990		**160,959,046**
TOTAL		**167,005,990**		**160,959,046**

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2016		AS AT 31/03/2015	
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		**1,310,319**		1,094,250
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions etc		**24,762,801**		18,137,660
II. Liability for partly paid Investments		**249,303**		-
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		**507,501,883**		667,746,178
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	**103,472,432**		104,223,884	
b) Outside India	**7,676,745**		10,854,478	
		111,149,177		115,078,362
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		**121,103,911**		99,123,833
VI. Other items for which the bank is contingently liable		**2,000,000**		7,752,500
TOTAL		**768,077,394**		**908,932,783**

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-16 Rs.	YEAR ENDED 31-Mar-15 Rs.
SCHEDULE 13 : INTEREST AND DIVIDEND EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	**190,737,578**	195,836,392
II. Income on Investments	**64,775,511**	67,078,887
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	**953,046**	314,608
IV. Others	**3,410,432**	1,529,888
TOTAL	**259,876,567**	**264,759,775**
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	**9,113,436**	8,832,126
II. Profit/ (Loss) on sale of Investments (Net)	**5,868,186**	6,176,583
III. Profit / (Loss) on Exchange transactions (Net)	**1,649,588**	2,020,268
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and Other Assets	**743,181**	(6,430)
V. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	**-**	-
VI. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	**66,131**	10
VII. Miscellaneous Income	**2,004,196**	1,981,385
TOTAL	**19,444,718**	**19,003,942**
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	**176,497,091**	175,485,924
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	**2,775,487**	3,574,178
III. Others	**9,620,406**	12,936,435
TOTAL	**188,892,984**	**191,996,537**
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	**44,721,541**	38,306,122
II. Rent, Taxes and Lighting	**4,023,231**	3,696,991
III. Printing and Stationery	**445,079**	502,222
IV. Advertisement and Publicity	**309,973**	255,434
V. Depreciation on Bank's property	**2,397,889**	2,296,207
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	**12,071**	11,282
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	**253,403**	225,047
VIII. Law Charges	**196,606**	207,312
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	**748,134**	653,778
X. Repairs and Maintenance	**695,869**	744,313
XI. Bad Debts Written Off	**14,197**	15,634
XII. Insurance	**2,700,012**	2,445,557
XIII. Other Expenditure	**7,258,904**	6,606,520
TOTAL	**63,776,909**	**55,966,419**

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF CONSOLIDATED ACCOUNTS

1 **Basis of Preparation:**

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed (wherever applicable) by The Banking Regulation Act 1949, National Housing Bank Act 1987, The Housing Finance Companies (NHB) Directions 2010, Companies Act 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices in Banking industry in India.

2 **Use of Estimates:**

The preparation of consolidated financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known / materialised.

3 **Consolidation Procedures:**

3.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 2 Subsidiaries and 4 Associates [including 3 RRBs]) have been prepared on the basis of:

a. Audited financial statements of Central Bank of India (Parent).

b. Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of the Parent and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses as per Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statement" issued by the ICAI.

c. Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted by using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.

d. The Accounting year of the Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. In case of accounting year of Associates are different than that of Parent Bank, proportionate share of profit is taken based on audited figures of audited period and for unaudited period proportionate share of profit is taken based on unaudited figures.

3.2 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

i. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made, and

ii. The minority share of movements in equity since date of parent - subsidiary relationship came into existence.

4 **Transactions involving Foreign Exchange:**

a. Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.

b. Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.

c. Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations in Foreign Currencies are translated at the year end rates notified by FEDAI.

d. Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/ loss is recognized in Profit and Loss Account.

5 **Investments –**

(a) Parent Bank:

5.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are

classified into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

i) Government Securities

ii) Other Approved Securities

iii) Shares

iv) Debentures and Bonds

v) Subsidiaries and Sponsored Institutions , and

vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds.)

5.2 **Basis of Classification:**

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

a) **Held to Maturity:**

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.

b) **Held for Trading:**

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

c) **Available for Sale:**

Investments that cannot be classified in the above categories.

5.3 **Transfer of Securities between categories:**

The transfer / shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

5.4 **Valuation:**

a) **Held to Maturity :**

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

b) **Available for sale:**

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI.	
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis.	
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.	
iv)	Equity Share	a. Quoted	At market price.
		b. Unquoted	At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Share	a. Quoted	At market price.
		b. Unquoted	On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a. Quoted	At market price.
		b. Unquoted	On appropriate yield to maturity.

vii)	Mutual Fund	a. Quoted	At market price.
		b. Unquoted	
viii)	Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.	

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) **Held for Trading:**

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

5.5 Determination of Cost:

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

5.6 Income Recognition:

i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.

ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.

iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.

iv) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.

v) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities are charged to revenue.

vi) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

(b) Subsidiaries:

5.7 In case of Subsidiaries, the Investments are classified as current and non-current Investments. Current Investments are carried at lower of cost or market value and non-current investments are carried at cost. Provision for diminution, if any, in the value of the Non-current investment is made only, if the diminution in the value is of permanent nature.

6 Derivatives:

Derivatives used for hedging are accounted as under :

i) In cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market, resultant gain/ loss is recognised in the Profit and Loss Account.

ii) Interest Rate Swaps which hedges interests bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.

iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

7 Advances:

a. Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.

b. Recoveries in NPA account is first appropriated towards the principal except in case of suit filed, decreed accounts and compromise cases where recovery is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.

c. Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.

d. Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

e. Financial Assets sold are recognized as under:

In case the sale is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account.

If the sale to Securitisation Company (SC)/Assets Reconstruction Company (ARC) is at a price below the NBV (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss Account, of that year.

In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

If the sale to SC/ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/ loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

f. In case of Cent Bank Home Finance Ltd., provisions on loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).

g. In case of Cent Bank Home Finance Ltd., repayment of housing loans, home equity loans, Top up loans and loan against property are by way of equated monthly instalments (EMIs) comprising of principle and interest. In respect of fixed rate loans, interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the financial year, in case of floating rate loans, interest is calculated on first of every month on the outstanding amount as on the last day of the previous month. EMIs commences once the entire loan is disbursed.

Pending commencement of EMIs, pre EMI interest is payable every month.

8 Fixed Assets/Depreciation:

a. Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i)	Premises	At varying rates based on estimated life
ii)	Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii)	Vehicles	20%
iv)	Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v)	Computers including Systems Software	33.33%
(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)		

b. In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

c. Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.

d. Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

e. Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, depreciation is charged on the composite cost.

f. In case of subsidiaries depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in Schedule II to the Companies Act, 2013, except in case of Centbank Financial Services Ltd, intangible assets have been amortised considering the economic life of the asset to be 5 years by the Management and amortised accordingly.

9 Employee Benefits:

a. Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees. Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.

b. Contributions to defined contribution scheme such as provident fund scheme are recognised as and when incurred. In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.

c. Long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.Acturial gain/losses are recognised in the year when they arise.

d. In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the Gratuity amount has been provided on actuarial basis and invested in group maturity scheme administered by the Life Insurance Corporation of India. For subsidiaries, the provision of leave encashment for employees have been calculated on the basis of leave entitlement during the year.

10 Recognition of Income and Expenditure:

10.1 Income / Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

10.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide circular No. DBOD.No.BP. BC.89/21.4.018/2002-03 dated 29.03.2003, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

10.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

10.4 In case of Centbank Home Finance Ltd income recognition on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).

10.5 In case of Centbank Home Finance Ltd, income from fee and other charges viz. login fee, penal interest on overdue, prepayment charges etc. are recognized on receipt basis.

11 Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future taxable profits. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess realization Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

12 Earnings per Share:

The basic and diluted earnings per share have been computed by dividing the Net Profit/Loss attributable to the equity share holders for the period by the weighted average number of equity shares outstanding during the reporting period

13 Sundry Unallocated Income & Proceeds:

In case of Centbank Financial Services Ltd the amounts received on behalf of beneficiaries of whom details about the beneficiaries cannot be ascertained, have been accounted in nominal account “Sundry Party Unclaimed Dividend/ Interest” and “Unallocated/ Unclaimed Proceeds on Redemption of Securities”.

As and when the details are received from the payer about the beneficiaries, the amount is transferred to the respective beneficiary account.

14 Provisions, Contingencies and Contingent assets:

Provisions are recognized for present obligations, of uncertain timing or amount, arising as a result of a past event where a reliable estimate can be made and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as a contingent liability unless the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

(R.C. LODHA) Executive Director	**(B.K. DIVAKARA)** Executive Director	**(R. K. GOYAL)** Executive Director	**(RAJEEV RISHI)** Chairman & Managing Director

SAURABH GARG DIRECTOR	**SHEKHAR BHATNAGAR** DIRECTOR	**GURBAX K. JOSHI** DIRECTOR
SMT. N.S. RATHNAPRABHA DIRECTOR		**SUPRATIM BANDYOPADHYAY** DIRECTOR
For DOOGAR & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.000561N	**For N. SARKAR & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301075E	**For B.N. MISRA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.321095E
(CA MUKUL MARWAH) PARTNER M.No.511239	**(CA M. RAY)** PARTNER M.No.012940	**(CA B.N. MISRA)** PARTNER M.No.083927
For CHANDABHOY & JASSOOBHOY CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.101647W	**For LODHA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.301051E	**For PATHAK H. D. & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS F.R. No.107783W
(CA AMBESH A. DAVE) PARTNER M.No.049289	**(CA PRASHANT KHANDELWAL)** PARTNER M No.056652	**(CA B.P. CHATURVEDI)** PARTNER M No.015585

Place : Mumbai
Date : May 27, 2016

SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1 **Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements**

1.1 The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (Parent Bank), its two Subsidiaries and 4 Associates consisting of 3 Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited (collectively referred to as "the Group") as per details given below :

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2016	Ownership interest as at March 31, 2015
Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	64.40%	64.40%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (Associate)	India	35.00%	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%	20.00%

1.2 The audited financial statements of the Subsidiaries and unaudited financial statements of Associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of Parent Bank i.e. March 31, 2016, except Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year and share in profit has been taken for 9 months based on audited figures and 3 months based on unaudited figures.

1.3 The accumulated share of profit/loss of the Parent Bank in the associates has been added / reduced to/from the carrying cost of Investments with corresponding adjustments in accumulated Reserves of the Group.

1.4 Cent Bank Home Finance Ltd., like other Housing Finance Institutions grant loans for longer tenure, while deposits/liabilities received are for shorter tenure, resulting in mismatch of Assets and Liabilities. The same is being addressed by sufficient credit lines available.

2 During the previous year Indo Zambia Bank Ltd., had allotted 12124763 bonus shares to the Parent Bank. The Parent Bank had also invested Rs. 46.83 crore (4.86 crore equity shares) in Indo Zambia Bank. Further the ownership interest in percentage terms remained same at 20%.

3 In the preparation of consolidated financial statements, in some of the cases, different accounting policies for similar transactions have been followed by subsidiaries, for which appropriate adjustments have not been made in the absence of necessary information. In the opinion of the Management the same is not material.

4 **PARENT BANK**

4.1 **Capital:**

4.1.1 Paid up Equity Capital of the Bank as on 31.03.2016 is ₹ 1689.71 crore increased from ₹ 1658.27 crore of previous year by issue of fresh 3,14,41,088 equity shares of ₹ 10.00 each for ₹ 31.44 crore at a premium of ₹ 42.66 per share on 31.03.2016 allotted to LIC of India on preferential basis.

Bank has also received ₹ 535.00 crore from Government of India on 30.03.2016 towards Share Capital. Pending allotment of shares there-against, the amount is shown under Share Application Money pending allotment.

4.2 Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- System Suspense Account
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department

The Management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

4.3 Income Tax / Deferred Tax:

4.3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

4.3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 2472.23 crore (previous year ₹ 1813.41 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

4.4 Premises:

Premises owned by the Bank include properties costing ₹ NIL (Previous Year ₹ 32.06 crore) for which registration formalities are still in progress.

The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2016 based on the reports of external independent valuers and approved by the Board of Directors and ₹ 1586.15 crore being the net increase in value thereof have ben credited to Revaluation Reserve Account.

Depreciation on the revalued amount of premises has been charged to the Profit and Loss Account as against the earlier practice of charging the same to Revaluation Reserve. Corresponding amount has, however, been adjusted from Revaluation Reserve and credited to Revenue and Other Reserve. Consequently, the charge on account of Depreciation, the Loss for the year and Revenue and Other Reserve is higher by ₹ 24.30 crore.

4.5 Advances / Provisions:

4.5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing / rehabilitation / restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured / recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties / assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

4.5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the balance Floating Provision of ₹ 100.56 crore (previous year ₹ 100.56 crore) and Countercyclical Provision of ₹ 47.34 crore (previous year ₹ 47.34 crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

4.5.3(I) In order to provide assistance to Power Distribution Companies (DISCOMs) pursuant to UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) scheme, the Bank has subscribed to Non SDL bonds of ₹ 9232 crore issued by respective State Governments and State Government guaranteed DISCOMS Bonds of ₹ 2538 crore against settlement of outstanding dues of DISCOMs as on 30.09.2015. In terms of RBI letter No. DBR.BP.NO. 11657/21.04.132/2015-16 dated 17th March 2016 read with further clarification dated 21st April 2016 and 11th May 2016:

a. Provision of ₹ 525.90 crore in respect of segment of loan / bonds of ₹ 3506.08 crore not envisaged to be converted into SDL Bonds has been made.

b. No provision has been made for the segment loan of ₹ 668.31 crore envisaged to be converted into SDL bonds.

c. Provision of ₹ 74.51 crore has been made for diminution in fair value of loan.

d. There was no diminution in value of the DISCOM and SDL bonds on mark to market basis as at 31st March 2016 and as such no provision has been considered necessary.

4.5.3(II) In respect of DISCOM loan of ₹ 1591.73 crore (including ₹ 1021.11 crore where MOU has been signed by the Punjab State Government, DISCOM & Ministry of Power), through the respective State Government has participated in the UDAY scheme, the same remains to be implemented by the Bank as on 31st March 2016. Accordingly, loans have been classified and treated as per usual IRAC norms. Adjustments required pursuant to the UDAY scheme with respect to these loans will be ascertained and given effect to on implementation thereof.

4.5.4 In compliance with the RBI letter No. DRB NO 13018/21.04.048/2015-16 dated 12th April 2016 as referred in the letter dated 16th April 2016 received from State Bank of India (SBI) (Consortium Leader) pending regularization of Food Credit (FC) account availed by Government of Punjab (GOP) and resolution of other related issues, provision of 15% amounting to ₹ 191.22 crore has been made in respect of outstanding of ₹ 1274.80 crore (as advised by SBI) availed under FC by GOP.

4.5.5 Pursuant to Asset Quality Review (AQR) under section 35 of Banking Regulation Act 1949 carried out by RBI, classification of advances referred to in the said review and consequential additional provision of ₹1727.12 crore as required thereof has been done and given effect to in these financial statements.

4.6 Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 2.16 crore (previous year ₹ 4.92 crore) in terms of Section 47A (1) (a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

5 Compliance with Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

5.1 Accounting Standard - 5

i) **Change in Accounting Policy**: There is no change in the accounting policy of the Bank during the year except in case of charging of depreciation on assets which have been revalued as stated in Note No. 4.4.

ii) **Prior period items:** Provision of ₹ 300.52 crore made relating to earlier years by Parent Bank, based on the actuarial report pertaining to employee benefits (Pension Fund) and ₹ 0.03 crore prior period income in one subsidiary.

5.2 Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy No. 10 of Schedule 17. However, the said income is not considered to be material.

5.3 Accounting Standard - 15 (Revised) - Parent Bank

5.3.1 In the year 2010-11, in accordance with circular No. DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011 issued by Reserve Bank of India, the Bank had opted to amortize the additional liability on account of re-opening of Pension option for existing employees who had not opted for pension earlier, as well as the liability on enhancement in Gratuity limit, over a period of five years beginning with the financial year ended 31st March, 2011. Accordingly, out of the unamortized amount of ₹ 295.38 crore as on 1st April, 2014, the Bank has fully amortized ₹ 239.98 crore for Pension and ₹ 55.40 crore for Gratuity being the balance amount during the year ended March 31, 2015.

Additional provision of ₹ 300.52 crore has been made for Pension Fund during the year.

5.3.2 Employee Benefits: - Parent Bank

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table showing change in defined Benefit obligations				
Liability at the beginning of the year	1308.74	9713.80	1063.63	8139.02
Interest cost	100.34	743.14	93.98	734.00
Current service cost	41.80	90.20	24.27	120.08
Past service cost (Non-vested benefits)	0	0	0	0
Past service cost (vested benefits)	0	0	0	0
Liability transfer in	0	0	0	0
Liability transfer out	0	0	0	0
Benefits paid	(167.28)	(912.59)	(165.52)	(682.27)
Actuarial gain/loss obligations	206.74	1518.49	292.38	1402.97
Liability at the end of the year	1490.34	11153.04	1308.74	9713.80
Table for Fair Value of Plan assets:				
Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1212.31	9312.55	1065.22	7862.67
Expected return on Plan Assets	128.08	899.78	99.99	750.63
Contributions	343.50	1486.00	166.90	1106.40
Transfer from other Company	0	0	0	0

Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Transfer from to company	0	0	0	0
Benefits paid	(167.28)	(912.59)	(165.52)	(682.27)
Actuarial gain/loss on plan assets	(23.42)	(125.78)	45.72	275.12
Fair value of Plan assets at the end of the year	1493.19	10659.96	1212.31	9312.55
Total actuarial gain/ loss to be recognized	(230.16)	(1644.26)	(246.66)	(1127.85)
Expenses recognized in the Income Statement				
Current service cost	41.80	90.20	24.27	120.08
Interest cost	100.34	743.14	93.98	734.00
Expected return on plan assets	(128.08)	(899.78)	(99.99)	(750.63)
Past service cost (non-vested benefits)	0	0	0	0
Past service cost (vested benefits) recognized of transitional liability	0	0	0	0
Actuarial gain / loss	230.16	1644.26	246.66	1127.85
Expenses recognized in P & L	244.22	1577.83	264.92	1231.30
Principal actuarial assumptions used %				
Discount rate current	8.06	8.06	7.92	7.95
Rate of return on plan assets current	8.06	8.06	8.70	8.70
Salary escalation current	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate current	0.50	0.50	0.50	0.50

5.4 **Accounting Standard 17 – Segment Report-Group**

SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(₹ in crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Revenue	7,529.68	7,375.64	11,932.63	13,114.97	08,469.82	7,885.76	-	-	27,932.13	28,376.37
Result	256.73	824.61	(3,321.33)	(52.28)	529.70	311.18	-	-	(2,534.90)	1,084.51
Unallocated Expenses									106.46	125.82
Operating Profit									(2,641.35)	957.69
Income Taxes									(1,244.98)	291.63
Extraordinar y profit/loss									-	-
Net Profit									(1,396.37)	666.06
Other Information:										
Segment Assets	108,289.36	109,736.17	116,235.07	120,997.18	75,714.33	77,570.07	-	-	300,238.76	308,303.42
Unallocated Assets									6,382.39	4,462.39
Total Assets									306,621.15	312,765.81
"Segment Liabilities"	109,385.17	109,916.82	108,685.14	112,794.64	70,543.19	72,176.64	-	-	288,613.50	294,888.10
Unallocated Liabilities									-	110.01
Total Liabilities									288,613.50	294,998.11

Figures have been regrouped wherever considered necessa to conform to current ear classification.

i) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognized Treasury Operations, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Business as Primary Reporting Segments. There are no Secondary Reporting Segments.

ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.

iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.

iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts / Partnership Firms, Companies and Statutory bodies, which are not included under Retail Banking.

v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.

vi) General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.

vii) Allocation of cost:

a. Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.

b. Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated on rational basis.

5.5 **Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party**

1 **List of Related Parties:**

a. Key Managerial Personnel

S. No	Name	Designation
i	Mr. Rajeev Rishi	Chairman & Managing Director
ii	Mr. R.K. Goyal	Executive Director
iii	Mr. B K Divakara	Executive Director
iv	Mr. R.C. Lodha	Executive Director

b. Associates:-

(I) **Regional Rural Banks-**

i) Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara, M P

ii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur, Bihar

iii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar , West Bengal

(II) Indo-Zambia Bank Ltd.

2. **Transactions with Related Parties:**

a. (₹ in crore)

Item	**Key Management Personnel**	
	2015-16	**2014-15**
Remuneration paid	1.00	0.92

b. Statement of Related Parties Transaction:

(₹ in crore)

Related Parties	As on	Outstanding		Participation under Inter Bank Participatory Credit (IBPC)				Dividend Income
		Loan	Investment	Sale of Direct Agri. Assets to Sponsor Bank		Purchase of Non Priority Sector Portfolio from Sponsor Bank		
				Amt.	Intt. Paid	Amt.	Intt. received	
Associates	31.03.16	31.21	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.03.15	664.58	324.60	0.00	97.92	0.00	112.25	0.00

c. No disclosure is required in respect of related parties, which are state controlled enterprises as per Paragraph 9 of AS-18. Further, in terms of Paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of banker-customer relationship have not been disclosed including those with Key Managerial Personnel & relatives of Key Managerial Personnel.

5.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share of the Group

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.03.2016	31.03.2015
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	(1396.37)	666.06
Weighted Average number of Equity Share (No.)	1658359086	1421571789
Basic Earnings per Share (₹)	(8.42)	4.69
Diluted Earnings per Share (₹)	(8.42)	4.69
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

5.7 Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income (of the Group)

5.7.1 Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax assets (DTA) in CETI calculation by RBI, tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 1088.28 crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2016. Component of deferred tax assets/liabilities as on 31st March 2016 are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred tax Liability	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
Business Loss	34.01	0	0	0
Depreciation on fixed assets	12.60	13.30	0	0.13
Depreciation on investments	33.30	87.61	0	0
Staff benefits	5.52	5.52	0	0
Interest accrued but not due on investments	0	0	517.19	607.12
Provision for leave encashment	194.12	148.43	0	0
Provision for loans and advances	1365.08	279.73	0	0
Special reserve u/s 36(1) (viii) of IT Act 1961	0	0	40.70	37.61
Others	0	0	1.83	0
Total	**1644.63**	**534.59**	**559.72**	**644.86**
Net deferred Tax Assets/ Liability	**1084.91**			**110.27**

5.7.2 During the current year Cent Bank Home Finance Ltd. has created Deferred Tax Liability on Special Reserves to the tune of ₹ 3.09 crore (previous year ₹ 3.00 crore) in pursuance of the guidelines issued by NHB vide circular No. NHB(ND)/DRS/Policy Circular 65/2014-15, dated August 22, 2014.

5.8 Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

5.9 **Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets**

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets of the Bank is not applicable. In the opinion of the Management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2016, requiring recognition in terms of the Standard.

5.10 **Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Parent Bank)**

Movement of Provision for claims not acknowledged as debts :

(₹ in crore)

Particulars	Balance as on 31.03.2016	Balance as on 31.3.2015
Contingencies Provisions against claim not acknowledged as debt	1.66	1.66

6 **Corporate Social Responsibility:**

During the year Cent Bank Home Finance Ltd., has spent ₹ 0.19 crore and provided for ₹ 0.25 crore (which was spent on 12th April 2016) towards Corporate Social Responsibility under section 135 of Companies Act 2013 and rules thereon. As per the guidelines issued by the Institute of Chartered Accountants of India, CSR reserve has been created by appropriation of current year's Profit.

7 In case of Centbank Financial Services Ltd., Sundry debit / credit balances and individual Trust Account are subject to confirmation.

8 Centbank Financial Services Ltd., holds investments in the nature of shares, securities and immovable properties on behalf of its clients in a fiduciary capacity on a Trustee-Beneficiary relationships, which in the opinion of the Board of Directors are adequately safeguarded and properly recorded and all duties arising from such fiduciary relationships are adequately fulfilled.

9 There are no amounts overdue and remaining unpaid by Centbank Financial Services Ltd., to Small Scale and /or ancillary Industrial suppliers on account of principal and / or interest as at the close of the year. This disclosure is based on the information available with the company regarding the status of suppliers as defined under the "Interest on delayed payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertaking Act 1993".

10 Centbank Financial Services Ltd has not transferred or allocated dividend, interest and other corporate benefits received over a period of time from various companies / undertakings, amounting to ₹ 1.26 crore to the trusts/ beneficiaries, on whose behalf the investment portfolios are held under Trusteeship Services. The said amount stood at ₹ 1.39 crore as on 31.03.2015 and has decreased to ₹ 1.26 crore as at 31st March 2016. Similarly, it has not transferred or allocated sales / redemption proceeds of shares / debentures amounting to ₹ 0.16 crore to the respective trust / beneficiary. The same is outstanding since 2005-06.

It has kept the above funds in current account with its bank.

11 As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Parent Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

12 **Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds**

The bank has formulated policies on Cyber Frauds in CBS system as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC. BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the Management of the bank on periodical basis.

13 Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.

(R.C. LODHA)	**(B.K. DIVAKARA)**	**(R. K. GOYAL)**	**(RAJEEV RISHI)**
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

SAURABH GARG	**SHEKHAR BHATNAGAR**	**GURBAX K. JOSHI**
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR
SMT. N.S. RATHNAPRABHA		**SUPRATIM BANDYOPADHYAY**
DIRECTOR		DIRECTOR

For DOOGAR & ASSOCIATES	**For N. SARKAR & CO**	**For B.N. MISRA & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS	CHARTERED ACCOUNTANTS	CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N	F.R. No.301075E	F.R. No.321095E
(CA MUKUL MARWAH)	**(CA M. RAY)**	**(CA B.N. MISRA)**
PARTNER	PARTNER	PARTNER
M.No.511239	M.No.012940	M.No.083927
For CHANDABHOY & JASSOOBHOY	**For LODHA & CO.**	**For PATHAK H. D. & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS	CHARTERED ACCOUNTANTS	CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W	F.R. No.301051E	F.R. No.107783W
(CA AMBESH A. DAVE)	**(CA PRASHANT KHANDELWAL)**	**(CA B.P. CHATURVEDI)**
PARTNER	PARTNER	PARTNER
M.No.049289	M No.056652	M No.015585

Place : Mumbai
Date : May 27, 2016

Consolidated Cash Flow Statement
For the year ended March 31, 2016

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	31- 03- 2016	31-03-2015
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit before taxes	**(2,651.15)**	909.93
	I. Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	**239.79**	229.62
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	**850.61**	(18.56)
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	**5,399.92**	2,061.98
	Provision for Standard Assets	**(1,247.97)**	588.55
	Provision for Other items (Net)	**314.76**	38.18
	Interest on Income Tax (net)	**–**	–
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	**(74.32)**	0.64
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	**–**	696.03
	Loss on redemption of investment	**–**	–
	Interest on JNY coupens	**–**	–
	Sub total	**2,831.64**	**4,506.37**
	II. Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	**10,744.70**	15,597.07
	Increase / (Decrease) in Borrowings	**(16,595.47)**	3,962.03
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	**(965.22)**	1,853.26
	(Increase) / Decrease in Advances	**4,020.39**	(13,963.45)
	(Increase) / Decrease in Investments	**(30.48)**	(9,379.63)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	**1,246.10**	665.80
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	**(970.37)**	(967.74)
	Net Cash from operating activities (A)	**(2,550.35)**	(2,232.66)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	**281.29**	**2,273.71**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	**157.35**	815.27
	Purchase of Fixed Assets	**(306.32)**	(1,100.11)
	Investment in RRBs/Associates	**-**	(46.83)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**(148.96)**	**(331.67)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Share Capital	**700.57**	1,207.85
	Dividend - Equity shares Inculding Interim Dividend	**(84.25)**	(1.34)
	Dividend Tax	**(17.03)**	(0.81)
	Interest on JNY Swap coupon	**-**	-
	Interest on Subordinated Debt	**-**	(696.03)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**599.29**	**509.67**

Consolidated Cash Flow Statement
For the year ended March 31, 2016

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	31- 03- 2016	31-03-2015
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**	**731.62**	**2,451.71**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**14,116.37**	11,926.63
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**721.66**	459.69
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**14,838.03**	**12,386.32**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**14,070.20**	14,116.37
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**1,499.45**	721.66
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**15,569.65**	**14,838.03**

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

R.C. LODHA	**B.K. DIVAKARA**	**R.K. GOYAL**	**RAJEEV RISHI**
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : May 27, 2016

Notes

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM ‘B’

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

9th Annual General Meeting

Folio No. or DP Id # / Client-Id #	
No. of Shares held	

I/We, ________________________________ resident of ________________________________ in the district of ____________________ in the State of ________________________ being a shareholder/shareholders of Central bank of India hereby appoint Shri/Smt. ____ resident of ____ in the district of ___________________________ in the State of ____________________________ or failing him/ her, Shri/Smt. ___________________________ resident of ______________________________ in the district of _________________________ in the State of ________________________ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 9th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Thursday, 30th June, 2016 at 11.00 AM on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 and at any adjournment thereof.

Signed this __________________ day of __________________ 2016.

Signature of the Proxy

Please affix revenue stamp

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name ____
(in Block Letters)

Address ____

____

____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
   b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
   c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 24th June, 2016 being the immediate preceding working day to Saturday, 25th June 2016 which is holiday, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholders who have executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in ‘Form B’.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

उपस्थिति पर्ची ATTENDANCE SLIP

वार्षिक सामान्य बैठक - गुरुवार, 30 जून, 2016 पूर्वाह्न 11.00 बजे

Annual General Meeting – Thursday, 30th June, 2016 at 11.00 AM

पंजीकृत पन्ना / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the Member (In Block Letters) संयुक्त धारक Joint Holders	
उपस्थित प्रॉक्सीधारक/ प्रतिनिधि का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (यदि कोई हो) Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of the Member/Proxy/Representative Present

दिन और दिनांक Day and Date	गुरुवार, 30 जून, 2016 Thursday, 30th June, 2016
स्थान / Place	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वीं मंजिल, चन्दरमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021

प्रवेश पास / ENTRY PASS

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें) (To be retained throughout the meeting)

पंजीकृत पन्ना क्रमांक या डीपी आईडी / ग्राहक आईडी / शेयरो की संख्या Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
सदस्य का नाम Name of Member	
शेयरो की संख्या No. of Shares	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि/ का नाम एवं हस्ताक्षर
Name and signature of attending Member/
Proxy/Authorised Representative Present

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर
Bank Stamp and Signature

शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा.

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

नया साइनेज-गतिशीलता का प्रतीक

हमारे बैंक के नये साइनेज में उसके वास्तविक स्वरुप के साथ-साथ वर्तमान प्रोफाइल झलकती है. साइनेज में नीला रंग, शांति एवं स्थिरता को दर्शाता है. लाल रंग की निचली पट्टी, उर्जस्वी विचार एवं सकारात्मक कार्यपध्दति का प्रतीक है. कुल मिलाकर, वे बड़ी कुशलतापूर्वक भारत के सर्वाधिक ऐतिहासिक बैंकों की श्रेणी मे आने वाले हमारे बैंक की प्रगतिशील कार्यनीति एवं आधुनिक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं. अपने विद्यमान 'लोगो' के साथ साइनेज के ये नये रंग इस तथ्य का यथार्थ चित्रण करते हैं कि हम अपने पुराने मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही, एक सक्रिय तथा समकालीन संस्था की छवि भी प्रस्तुत करते हैं.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

The new signage - a signature of Dynamism

The new signage of the bank projects its true character and present day profile. The Blue colour in the signage denotes peace and stability. The bottom strip in red stands for vibrant thought and positive action. Together, they aptly bring forth the forward-looking approach and new-age outlook of one of India's most historic banks. The new colours of the signage together with the existing logo is an apt depiction of carrying forward the old values yet presenting the image of a dynamic and contemporary organization.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.centralbankofindia.co.in

हमें फेसबुक पर लाइक करें:
Like us on facebook: https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai

हमें ट्विटर पर फॉलो करें:
Follow us on twitter: https://twitter.com/centralbank_in